लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigated On 3..2..84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 32, मंगलवार, 7 अप्रैल, 1970/17 चैत्र, 1892 (शक)

No. 32, Tuesday, April 7, 1970/ Chaitra 17, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
841. केरल राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for issue of Licences for setting up Industries in Kerala State ..	2—6
842. फोटोग्राफी के कागज की कमी	Shortage of Photographic Paper ..	6—14
845. मध्य प्रदेश में विद्युत गाड़ियां चलाना	Running of Electric Trains in Madhya Pradesh ..	14—16
अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
S. N. Q. No.		
14. इंग्लैंड में पुरानी व अनुपयोगी घोषित की गई पुस्तकों की भारत में मांग	Demand for books declared obsolete in England ..	16—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
843. दिल्ली हावड़ा मार्ग पर तेज चलने वाली रेलगाड़ियां	Fast Trains on Delhi Howrah Route ..	25
844. इस्पात का आयात	Import of Steel ..	25—26
846. कोयला उद्योग में विदेशी कम्पनियों में अंशधारी	Share Holders in Foreign Companies in Coal Industry ..	26—27
847. कच्चे माल की कमी के बारे में तामिलनाडु के उद्योग मंत्री का वक्तव्य	Tamil Nadu's Industries Minister's Statement re. Shortage of Raw Materials ..	27

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य में वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता॰ प्र॰ संख्या
S. Q. Nos.

ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
848.	मैसर्ज गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली के लिये नियुक्त सरकारी परिसमापक द्वारा अर्जित आय तथा कमीशन	Income and Commission earned by Official Liquidator appointed for M/s Golcha Properties (Pvt.) Limited, Delhi ..	27—28
849.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिए संरचनाओं की सप्लाई में विलम्ब	Delay in supply of Structurals for Bokaro Steel Plant ..	28
850.	मनीपुर में मध्यावधि चुनाव	Mid Term Election in Manipur ..	28—29
851.	भूमिहीन लोगों के लिये औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना	Setting up of Industrial Estates for Landless people ..	29
852.	तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए भारत-ब्रिटेन वार्ता	Indo-British talks for Technological and Economic Cooperation ..	29
853.	बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध	Ban on issue of Licences to Big Business Houses	30—31
854.	प्रबन्धकों को उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सीमा के पुरीक्षण पर भारतीय व्यापारी मंडल द्वारा चिन्ता व्यक्त करना	Concern expressed by Indian Merchants Chamber over Revision of Administrative Ceilings on Managerial Remuneration ..	31
855.	पूर्णकालिक निदेशकों की उपलब्धि	Remuneration of whole time Directors ..	31—32
856.	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for issue of Licences for setting up Industries in Madhya Pradesh ..	32
857.	मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित सहायक कारखानों पर से रोक हटाना	Removal of Ban on Automobile Ancillary Units ..	32—33
858.	लेखा-परीक्षण व्यवसाय में एकाधिकारिक प्रवृत्ति	Monopolistic Trends in Auditing Business ..	33
859.	राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनाज की ढुलाई और वहां से ढोर ले जाना	Transhipment of Foodgrains to and Cattle from Famine Striken Areas in Rajasthan ..	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
860. राजनीतिक संकट के कारण औद्योगिक विकास का पिछड़ापन	Set back to Industrial Growth as a result of Political Crisis ..	34
861. गोदाम बनाने के लिये सुरेन्द्र इण्डस्ट्रीज एस्टेट, बम्बई को ऋण	Loans to Surendra Industries Estate, Bombay for construction of Godowns ..	35
862. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलगाड़ी विराम स्टेशनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Additional Halting Stations and Amenities at Railway Stations in Delhi Territory ..	35—36
863. डिबरूगढ़ के निकट रेलवे फाटक पर एक ट्रक और रेल गाड़ी में टक्कर	Collision of Truck with a Train at Level Crossing near Dibrugarh ..	36
864. रेलवे सैलूनों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को पूरे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते दिया जाना	Grant of full Travelling and Daily Allowances to Officers using Railway Saloons ..	36—37
865. मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ..	38
866. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादन की विविधता	Diversification of Production by HMT ..	38—39
867. सरकार द्वारा काली सूची में नाम दर्ज गैर सरकारी समवाय	Private Companies Blacklisted by Government ..	39
869. भीड़ भाड़ कम करने के लिए मेल गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अतिरिक्त डिब्बे	Additional III Class Bogies in Mail Trains to check over crowding ..	40
870. भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विदेशों से ऋण	Foreign Loans for Modernisation of Indian Railways ..	40
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5366. खाद्य उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Food Industry ..	40—41
5367. नेपा मिल की कार्य पद्धति	Working of Nepa Mills ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5368. वेश्यावृत्ति के बारे में नारी रक्षा समिति की सचिव द्वारा वक्तव्य	Statement by Secretary Nari Raksha Samiti regarding Prevalence of Prostitution ..	41—42
5369. राज्यों में रेलवे प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल	Schools run by Railway Administration in States ..	43
5370. विद्युतीकरण के कार्य पर लगाये गये नैमित्तिक मजदूरों को काम से हटाना	Discharge of Casual Labour engaged on Electrification ..	43
5371. रेलवे विद्युतीकरण पर्यवेक्षक कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को पूरा करना	Redress of Grievances/Demands on Supervisory Staff of Railway Electrification ..	43—44
5372. दक्षिण रेलवे द्वारा किये गये कार्य पर व्यय	Expenditure on Works undertaken by Southern Railway ..	44
5373. कोका कोला के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Coca Cola	44—45
5374. भारत में ब्रिटिश पूंजी विनियोजन की सम्भावनाएं	Prospects of British Investment in India ..	45—46
5375. मैसर्स जयश्री केमिकल्स लिमिटेड द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का निर्माण	Manufacture of Sodium Hydrosulphite by M/s Jayshree Chemicals Ltd., Calcutta ..	46
5376. चौथी पंचवर्षीय योजना में आटे की मिलों की स्थापना	Setting up of Flour Mills during Fourth Five Year Plan ..	46—47
5377. विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment for Handicapped persons ..	47
5378. बजट की घोषणा के पश्चात् खाद्यान्नों तथा चीनी तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि	Rise in prices of Foodgrains, Sugar and other Essential Commodities after announcement of Budget ..	47—48
5379. शिशु आहार बनाने के लिये कारखानों की स्थापना में प्रगति	Progress in setting up factories for Manufacture of Baby Food ..	49
5380. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बम्बई तथा इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड में कुप्रबन्ध	Mismanagements in international computers Manufacturing Limited Bombay and International Computers (Private) Ltd. ..	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5381. पंजाब में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Punjab ..	49—50
5382. अनुसूचित जातियों की सूची में बेरवा जाति को शामिल करना	Inclusion of Berwa Caste in Scheduled Cates List ..	50
5383. बढ़िया किस्म की शराब बनाना	Manufacture of High quality Liquor ..	50—51
5384. फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा शेयरधारी	Directors and Share holders of Film Companies ..	51
5385. रेलवे स्कूलों के अध्यापकों के वेतन	Salaries of Teachers in Railway Schools ..	51—52
5386. तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का विकास	Development of Technical Consultancy Service ..	52
5387. पौढ़ी गढ़वाल में मद्य निषेध	Prohibition in Pauri Garhwal ..	52—53
5388. तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के समीप रेलवे फाटक पर उपरिपुल	Overbridge at level crossing near Telecherry Railway Station (Southern Railway) ..	53
5389. शकूर बस्ती शेड, दिल्ली डिवीजन के कर्मचारियों से तुगलकाबाद शेड (उत्तर रेलवे) के लिये नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन	Representation from Employees of Shakurbasti Shed, Delhi Division for appointment in Tughlakabad shed (Northern Railway) ..	53—54
5390. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा नई दिल्ली में हुए वार्षिक अधिवेशन में की गई मांग	Demands made by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry at Annual Session held in New Delhi ..	54
5391. कोटा स्थित सूक्ष्म औजार निर्माण कारखाने में उत्पादन में विविधीकरण	Diversification of Production at Precision Instruments Plant at Kota ..	54—55
5392. अमरीका से तकनीकी जानकारी	Technical know-how from USA ..	55—56
5393. रीवा को इलाहाबाद अथवा सतना से मिलाने वाली रेलवे लाइन	Railway link for Rewa with Allahabad or Satna ..	56
5394. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को तदर्थ वार्षिक वृद्धियां	Ad Hoc increment to Class III and Class IV Railway Employees ..	56—57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
5395. ढोल निर्माण उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of idle capacities in Barrel Fabrication Industry ..	57—58
5396. बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to big Industrial Houses ..	58—59
5397. योजनाबृद्ध मांगपत्रों को स्वीकार करने के बारे में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किये गये निदेशों का उल्लंघन	Violation of instructions issued by Joint Plant Committee Re. Acceptance of planned indents ..	60
5398. भारत में बिजली के बल्ब (लैम्प) बनाने के कारखाने	Electric Lamp Factories in India ..	60
5399. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव	Gheraos in Durgapur Steel Plant	61
5400. आसाम में घोर संकट के कारण बच्चों का बेचा जाना	Distress sale of children in Assam ..	61
5401. उत्तरी रेलवे में दस्तकारी के विभिन्न कार्यों में कारीगरों के रिक्त पद	Vacant posts of Artisan in different Trades in Northern Railway ..	62
5402. गैर-सरकारी फर्मों के दिवालिया होने के कारण जमाकर्ताओं को हानि	Loss to depositors due to private firms becoming Bankrupt ..	63
5403. मैसर्स गोल्चा प्रापरटीज (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली	M/s Golcha Properties (Pvt). Limited, Delhi ..	63–64
5404. संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर	Replies to letters from Members of Parliament ..	64
5405. बोकारो इस्पात कारखाने की भूमि को समतल बनाने पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on levelling ground for Bokaro Steel Plant ..	64
5406. रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा लौह अयस्क तथा मैंगनीज की सप्लाई के लिये मैसर्स बी० पटनायक (प्राइवेट) लिमिटेड को दिये गये ठेके	Contracts given by Rourkela Steel Plant to M/s. B. Patnaik (P) Ltd. for supply of Iron and Manganese Ores ..	64—65
5407. रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये कच्चा माल सम्भरणकर्ताओं की अनुमोदित सूची	List of Approved suppliers of Raw Materials for Rourkela Steel Plant ..	65—66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5408. रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा तदर्थ तथा लम्बी अवधि के लिये किये गये ठेके	Ad hoc and long terms contracts concluded by Rourkela Steel Plant ..	66
5409. हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची के गैस प्लांट में मशीन के पुर्जों की चोरी	Theft of Machine parts in Gas Plant of HEC Ranchi ..	66—67
5410. बोकरो इस्पात कारखाने के ढांचों की सप्लाई	Supply of Structurals to Bokaro Steel Plant ..	67
5411. पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा तथा सतर्कता विभाग पर व्यय	Ticketless travelling on North Eastern Railway and Expenditure incurred on Vigilance Department ..	67—68
5412 पूर्व रेलवे पर बिना टिकट यात्रा तथा सतर्कता विभाग पर व्यय	Ticketless travelling on Eartern Railway and Expenditure incurred on Vigilance Department ..	68—69
5413. मध्य रेलवे पर बिना टिकट यात्रा तथा सतर्कता विभाग पर व्यय	Ticketless travelling on Central Railway and Expenditure incurred on Vigilance Department ..	69—70
5414. भारतीय रेलों के प्रशासन में सुधार	Toning up of Administration of Indian Railways ..	70
5415. विदेशी सहयोग से इस्पात की डिस्कों का निर्माण	Manufacture of Steel Discs with Foreign Collaboration ..	70
5416. अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी रेलवे मजदूर संघ, जयपुर, द्वारा दिये गये ज्ञापन पर की गई कार्यवाही	Action on Memorandum by All India Class IV Railway Workers' Association, Jaipur ..	71
5417. जयपुर और अलवर में नैमित्तिक मजदूरों तथा गैंगमैंनों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Casual Labourers and Gangmen at Jaipur and Alwar ..	71
5418. मनीपुर को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये दी गई राशि	Amount allotted for Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes of Manipur ..	72
5419. मनीपुर के लिये स्कूटरों का कोटा	Allotment of Scooters quota for Manipur ..	72—73
5420. कोयम्बतूर जिले में लुगदी बनाने का कारखाना	Pulp Factory in Coimbatore district ..	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5421. लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	73—74
5423. कूच बिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर अतिरिक्त कर्मचारियों का भेजा जाना	Posting of Additional Staff at Cooch Behar Railway Station (NEF Rly) ..	74
5424. नई औद्योगिक लाइसेंस नीति	New Industrial licensing Policy ..	74
5425. कूच बिहार रेलवे स्टेशन का विकास (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	Development of Cooch Behar Railway Station (North East Frontier Railway) ..	75
5426. कूच बिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) को आवंटित सहायक स्टेशन मास्टरों के पद	Posts of Assistant Station Masters allotted to Cooch Behar Station (Northeast Frontier Railway) ..	75
5427. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय के लिये स्थानिक प्रतिनिधि के एक संवर्ग वाह्य पद का बनाया जाना	Creation of Ex-Cadre post of a resident Representative in Delhi office of Hindustan Steel Ltd. ..	76
5428. गैर सरकारी क्षेत्र के विकास पर रोक लगाने के लिये सरकार की आलोचना	Criticism of Government for checking the Growth of Private Sector ..	76
5430. सिलचर (आसाम) में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up of Industries in Silchar (Assam) ..	77
5431. उद्योगों में नयी उत्पादन क्षमता स्थापित करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना	Removal of Ban on setting up of fresh production capacities in Industries ..	77—78
5432. कारों/मोटर साइकलों/स्कूटरों की बैटरियों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Batteries for Car/Motor-Cycles/Scooters ..	78
5434. कोटा बीना सेक्शन पर कंकरीट सप्लाई करने का ठेका	Contract for supply of concrete on Kota Bina Section ..	78—79
5435. नियंत्रण हटाने के बाद कागज के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of paper after decontrol ..	79—80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5436. प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा औद्योगिक अनुसन्धान और विकास की रूप रेखा तैयार करने के लिये गैर सरकारी निकाय	Non-Governmental body to fix priorities and drawn lines for Industrial research and development ..	80
5437. मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम गृह	Retiring rooms at important stations of Central Railway ..	80—81
5438. बुरहानपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर पुल का विस्तार	Extension of Bridge at Burhanpur station (Central Railway) ..	81
5439. मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं का रेलवे सेवाओं को स्थानान्तरण	Transfer of Services of Madhya Pradesh Government Employees to Railways	81—82
5440. सिग्रेट बीड़ी तथा तम्बाकू की खपत	Consumption of Cigarettes, Bidis and Tabacco ..	82
5441. तीन सुखिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के गार्डों को कम संगचल भत्ता दिया जाना	Payment of less running allowances to guards of Tinsukhia Division (Northeast Frontier Railway) ..	82—83
5442. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पार्सल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में गार्डों की मांग को अस्वीकार किया जाना	Denial to Guards of Upgradation of Parcel Express Trains on North-East Frontier Railway ..	83
5443. श्रमिक अशान्ति का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Labour trouble on Industrial Production ..	83—84
5444. निर्यात प्रधान उद्योगों का विकास	Growth of export oriented Industries	84
5445. भारतीय रेलवे में सवारी डिब्बे परिचारकों के काम के घंटे	Duty hours of coach attendants on Indian Railways ..	85
5446. कुछ गाड़ियों के पहले दर्जे के डिब्बों में डिब्बा परिचारकों की नियुक्ति	Attendants Posting of Coach in First Class compartments of certain trains ..	85
5447. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे महा प्रबन्धक को ज्ञापन दिया जाना	Memorandum submitted by North Eastern Railway Mazdoor Sabha to General Manager, North Eastern Railway ..	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5448. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची, में काम कर रहे सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित धरना	Proposed Dharna by Security Staff working in HEC Ranchi ..	86—87
5449. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा मेसर्स डलहौजी होल्डिंग्ज को अंशों का हस्तान्तरण	Transfer of shares by Indian Iron and Steel Co. to M/s Dalhousie Holdings ..	87
5450. बोकारो इस्पात परियोजना के लागत प्राक्कलनों में वृद्धि	Increase in cost estimates of Bokaro Steel Project ..	87
5451. संसत्सदस्यों की ओर से प्राप्त पत्रों के उत्तर	Replies to letters received from Members of Parliament ..	87—88
5452. मंत्रियों को संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटान	Disposal of letters received from Members of Parliament ..	88—89
5453. पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के वाणिज्य मंडलों की बैठक	Meeting of Punjab, Haryana & Delhi Chamber of Commerce ..	89—90
5455. उत्तर रेलवे में दिल्ली प्रभाग के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी करना तथा उनकी वरिष्ठता	Confirmation and Seniority of Station Masters and Assistant Station Masters of Delhi Division of Northern Railway ..	90
5456. रेलवे में स्थाई तथा अस्थाई स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टैंट स्टेशन मास्टरों के पद	Posts of permanent and temporary Station Masters and Assistant Station Masters on Railways ..	90
5457. रेलवे प्रशासन संहिताओं तथा प्रशासन नियमावली पुस्तकों के हिन्दी संस्करण	Hindi Versions of Railway Establishment codes and Establishment Manual Books	90—91
5458. अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों के संघ की शिकायतें	Grievances of All India Railway Commercial Clerks, Association	91
5459. मदुरै डिविजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पद के लिये चयन	Selections for posts of Commercial Clerks in Madurai Division ..	91
5460. दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिकी लिपिकों के लिये वेतनमान	Higher Grades for Commercial Clerks on Southern Railway ..	91
5461. कोयले पर खर्च तथा रेलवे के डीजल के इंजन प्रयोग करने का कार्यक्रम	Expenditure on Coal and Programme of Dieselisation of Railways ..	91—92

5462.	चौथी पंचवर्षीय योजना में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge Lines during Fourth Plan ..	93
5463.	दिल्ली और रिवाड़ी जंकशन के बीच दुहरी लाइन	Double Railway Line between Delhi and Rewari Junction ..	94
5464.	झांझरपुर और तमुरिया स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Station between Jhanjharpur and Tamuria Station (N. E. Railway) ..	93
5466.	एवरेस्ट साइकल लिमिटेड को आसाम से हटाकर अन्यत्र ले जाना	Shifting of Everest Cycles Ltd. from Assam ..	94
5467.	मैसर्स एलैम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बड़ौदा के अंशधारियों का कम्पनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation from Shareholders of M/s Alembic Glass Industries Ltd. Baroda against Company's Board of Directors ..	94—95
5468.	दानापुर डिविजन (पूर्व रेलवे) के श्रेणी 'ए' के एक गार्ड को वित्तीय हानि	Financial loss to a Guard Grade 'A' of Danapur Division (Eastern Railway) ..	95—96
5469.	संघों को मान्यता	Recognition of Unions ..	96—97
5470.	रेलवे विभाग द्वारा होटलों की स्थापना	Setting up of Hotels by Railways ..	97—98
5471.	भिलाई इस्पात कारखाने में चोरी के मामले	Theft cases in Bhilai Steel Plant ..	98
5472.	मुदखेड़ हिमायत नगर तथा आदिलाबाद स्टशनों (दक्षिण-मध्य रेलवे) पर टिकट खरीदने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को परेशान करना	Harassment to III Class Passengers buying Tickets at Mudkhed, Himayatnagar, Adilabad Stations (S. C. Rly.) ..	98—99
5473.	मध्य रेलवे के यवतमाल मुर्तजापुर सेक्शन के स्टेशनों पर प्लेटफार्म की व्यवस्था	Provision of platforms at stations on Yeotmal Murtajapur Section of Central Railway ..	99
5474.	मध्य रेलवे के यवत माल मुर्तजापुर सेक्शन पर रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Stations on Yeotmal Murtajapur Section of Central Railway ..	99
5475.	आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये महाराष्ट्र के लिये धन का आवंटन	Allotment of Funds to Maharashtra for Scholarships to Adivasi Students ..	99—100

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5476.	जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) में छनाखा से वुन तक रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of a Railway Line from Chanakha to Wun in Yeotmal District (Maharashtra) ..	100
5477.	राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Rajasthan	100
5478.	रेल किराये तथा भाड़े के बारे में उच्चस्तर पर बात-चीत	High Level Discussion about Railway Fares and Freights	101
5479.	कम आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to st udents in low income Group ..	101
5480.	विधवाओं, उनके बच्चों तथा अनाथों की सहायता के लिये कार्यक्रम	Programme to help widows and their Children and Orphans ..	101
5481.	गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों के लिये कुंए	Wells for Harijans during Gand hi Centenary Year ..	102
5482.	हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं लेना	Holding of competitive Examinations in Hindi and other Regional Languages ..	102
5483.	बिहार में ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा लोगों को परेशान किया जाना	Harassment by Christian Missionaries in Bihar	102—103
5484.	पश्चिमी बंगाल में रेलवे कर्मचारियों / रेलवे सम्पत्ति पर हमले	Attacks on Railway Staff/Property in West Bengal ..	103—104
5485.	पूर्वोत्तर रेलवे में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षित पद	Reserve posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes lying vacant in North Eastern Railway ..	104
5486.	पूर्वोत्तर रेलवे में अधिकारियों के लिये सुरक्षा कर्मचारी	Gu ards provided to officers on North Eastern Railway	104
5487.	पूर्वोत्तर रेलवे के अस्पतालों में वरिष्ठ डाक्टरों के साथ क्लर्क तैनात करना	Posting of clerks with senior Doctors in Hospitals in North Eastern Railway ..	104
5488.	पूर्वोत्तर रेलवे में मैट्रनों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Matrons on North Eastern Railway ..	104—105
5489.	ट्रेन क्लर्कों तथा टिकट कलैक्टरों की पदोन्नति के अवसर	Opportunities for promotion of Trains clerks and ticket collectors	105
5490.	पूर्ण मद्य निषेध लागू करना	Introduction of total prohibition ..	106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

5491. रेलवे शिकायत पुस्तकों में दर्ज की गई शिकायतों का निबटारा	Disposal of complaints registered in complaint book of Railways ..	106
5492. पश्चिम रेलवे में वेटरों के लिये समान सेवा शर्तें	Uniforms terms of Employment to Waiters of Western Railway ..	107
5493. मैसर्स अकूजी जा दवत एण्ड कम्पनी, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहका निदेशक मंडल	Board of Directors of M/s Akooji Jadwet and Company, Andaman and Nicobar Islands ..	107
5494. लदाख में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector industries in Ladakh ..	107—108
5495. स्कूटरों और कारों की आपूर्ति के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting list for supply of Scooters and Cars ..	108
5496. बजाज आटो लिमिटेड की साम्य पूंजी और लाभ	Equity capital and profit of Bajaj Auto Ltd. ..	109
5497. स्कूटरों सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of committee of Technical Experts on Scooters ..	109—110
5498. बजाज आटो लिमिटेड, बम्बई और आटोमोबाइल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड	Bajaj Auto Ltd. Bombay and Auto mobile Products India Ltd. ..	110
5499. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा शिष्ट मंडलों को भेजना	Delegations sent Abroad by Ministry of I D I T and C. A. ..	110—111
5500. रिहायसी आवास स्थानों का वर्गीकरण और इनका आवंटन	Classification of residential accommodation and its allotment ..	111—112
5501. गैर मान्यता प्राप्त संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही	Action on Representations received from unrecognised Unions ..	112—113
5502. रेलवे स्टेशनों पर चाय की दर में वृद्धि	Increase in rate of Tea served at Railway Stations ..	113
5503. बोकारो इस्पात कारखाने में बेरोजगार भारतीय इंजीनियरों को खपाना	Absorption of unemployed Indian Engineers in Bokaro Steel Plant ..	114
5504. दिल्ली में राशन कार्डों पर साइकिल टायरों तथा ट्यूबों की सप्लाई	Supply of Cycle Tyres and Tubes on Ration Cards in Delhi ..	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5505. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें	Recommendations of Asoka Mehta Committee on Khadi and Village industries Commission ..	115
5506. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति	Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Khadi and Village Industries Commission ..	115—116
5507. रेलवे में स्थायी पदों पर नियुक्ति करना	Filling up of permanent posts on Railways ..	116
5508. बरेली से अलीगढ़ तक यात्री गाड़ियों को देरी से चलना	Late running of passenger trains from Bareily to Aligarh ..	116—117
5509. रेलगाड़ियों में डकैती तथा हत्याओं की घटनाएं	Incidents of dacoities and Murders in Trains ..	117
5510. लघु उद्योगों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Small Scale Industries ..	117—118
5511. गैर सरकारी कम्पनियों में विदेशी पूंजी का नियोजन	Foreign Capital invested in Private Companies ..	119
5512. चावल मिलों की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Rice Mills Machinery ..	119—120
5513. पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शिला पत्थर में अर्जित भूमि का बाहर के लोगों को भवनों के निर्माण के लिये आवंटन	Allotment of land acquired by North East Frontier Railway in Silapathar to outsiders for construction of buildings ..	120
5514. दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में हरिजनों के लिये मकान बनाना	Construction of Houses for Harijans in Rural Areas of Delhi ..	121
5515. कांगड़ा घाटी सेक्शन (उत्तर रेलवे) की भूमि का सर्वेक्षण	Survey of land on Kangra Valley Section (Northern Railway) ..	121
5516. गुजरात राज्य के औद्योगिकीकरण के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistant for Industrialisation of Gujarat State ..	122
5517. रेलवे (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध कर्मकारियों द्वारा न्यायालय की सहायता लेना	Help of Court sought by Employees against the orders of Railway Authorities (Northeast Frontier Railway) ..	122—123
5518. संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से सहायता	Aid from United Nations Children Fund ..	123—124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5519. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कार्मिक संघ को मान्यता	Recognition to Chittranjan Locomotive Works Labour Union ..	124
5520. ग्रेड 'बी' के स्टीम फायरमैन को डीजल सहायक ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण	Training to Steam firemen grade 'B'as Driver Assistant Diesel ..	124—125
5521. डीजल इंजनों के ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षत स्टीम इंजनों के ड्राइवरों को अग्रिम वेतन वृद्धियां देना	Advance increment to steam Drivers trained as Diesel Drivers ..	125
5522. डीजल कर्मचारियों की वरिष्ठता और उनकी तुगलकाबाद शैड (उत्तर रेलवे) में नियुक्ति	Seniority of Diesel Staff and their Appointment at Tughlakabad shed (Northern Railway) ..	126
5523. आसनसोल में रेल के डिब्बों से कच्चे लोहे और अल्यूमीनियम की चादरों की चोरी	Theft of Pig Iron and Aluminium Sheets from Railway Wagons in Asansol ..	126
5524. सहारनपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर चोरी की घटनाएं	Incidents of Thefts at Saharanpur Railway Station (Northern Railway) ..	126—127
5525. समवाय अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा कर अपवंचन के मामले	Cases of Tax Evasion and corruption detected under Companies Act ..	127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाकिस्तानी सीमा के जमाव का समाचार	Reported Pakistani Build up on West Bengal Border ..	128—131
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ..	131—133
कुछ संसद् सदस्यों को पुलिस द्वारा पीटा जाना तथा उन्हें संसद् भवन आने से रोका जाना	Beating of M. Ps by Police and preventing them from coming to Parliament House ..	131—133
6अप्रैल, 1970 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के परिणामस्वरूप घायल हुये व्यक्तियों को दी गई चिकित्सा सहायता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Medical Attention given to persoms injured in police lathi charge on 6th April, 1970 ..	133—136

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	137—138
लोक लेखा समिति	Public Acconts Committee	..	138
92 वां प्रतिवेदन	Ninety-second Report	..	138
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal explanation by Member	..	138—139
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subag Singh	..	138
समितियों का निर्वाचन	Election to Committee	..	139—141
(एक) प्राक्कलन समिति	Estimates Committee		139
(दो) लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee		139
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Public Undertaking Committee	..	140
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1070-71	..	141—191
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	..	141—191
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	..	159—161
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	..	161—163
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	..	163—166
श्री सन्त बक्स सिंह	Shri Sant Bux Singh	..	166—168
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	..	168—172
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	172—174
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	174—177
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	177—179
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	..	180—185
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	186—187
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	..	187—188
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	..	189—191

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 7 अप्रैल, 1970/17 चैत्र, 1892 (शक)
Tuesday, April 7, 1970/Chaitra 17, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, we have come to know that a 60 year old person named Shri Bihari Singh of Barabanki who participated in the procession yesterday has died in the Hospital as a result of the police beatings. The Hon. Minister should make a statement in the House in that regard and the House should stand in silence condoling his death. We should all condemn this incident.

Dr. Ram Subhag Singh : The Government has become so hackneyed and the members of Parliament like Shri Fernandes and Shri Raj Narain have been pointed out to be beaten up deliberately. The person from Barabanki killed in the incident was not given first-aid and after some time his companions got him admitted in the Hospital. While going to Uttar Pradesh to topple the Government there, the Prime Minister did not even have courtesy to go to see the man from Uttar Pradesh.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां आकर स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे।

श्री दिनकर देसाई : कल कुछ माननीय सदस्य घायल हो गये थे तथा अब वे अस्पताल में हैं। हमें यह मालूम नहीं है कि घायल सदस्यों के साथ क्या हुआ। हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं इसके बारे में गृह-कार्य मंत्री से प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् निवेदन कर दूंगा फिर वह स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र

*841. **श्री प० गोपालन :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास; आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्णय करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) 1964 से 31 दिसम्बर, 1969 तक सभी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिये केरल राज्य से प्राप्त 223 आवेदन पत्रों में से केवल 25 आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं । इनमें से 11 आवेदन पत्र तो 1969 के उत्तरार्ध में आये थे । अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

साथ ही, 1970 (31 मार्च तक) में 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । ये भी विचाराधीन हैं ।

(ख) तथा (ग). आवेदन मिलने की तारीख से अथवा आवेदन से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की तारीख से जो भी अन्तिम हो, यथा संभव तीन मास के अन्दर-अन्दर आवेदन पत्रों को निबटा दिये जाने की आशा की जाती है । तथापि कई आवेदन पत्रों पर विस्तार में जांच करनी होती है जिसके कारण उनके निपटान के लिये कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है । सरकार लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता से भली भांति परिचित है तथा आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री प० गोपालन : मंत्री जी ने एक सीधा सा उत्तर दे दिया है कि सरकार द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर फौरन कार्यवाही की जायेगी । उन्होंने बताया है कि 1964 से अब तक प्राप्त कुल 223 प्रार्थना-पत्रों में से केवल 25 विचाराधीन हैं । मालूम नहीं कि कितने प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया तथा कितने प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर लाइसेंस दिये गये । मैं इस मंत्रालय पर इसके द्वारा प्रारम्भ किए गए गलत काम के लिए आरोप लगाता हूं । देश के कुछ भागों में उद्योगों को एक स्थान पर ही एकत्रित करने के लिये यह मंत्रालय उत्तरदायी है । इसे एकाधिकार आयोग प्रतिवेदन, हजारी प्रतिवेदन तथा उसके बाद दत्त समिति

प्रतिवेदन द्वारा साफ साफ बता दिया गया था। 4500 स्कूटर प्रति मास बनाने की क्षमता वाले एक स्कूटर निर्माण कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस देने के लिये क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कोई प्रार्थना पत्र दिया था ? यह सम्पूर्णतया एक देशी परियोजना है। गत पांच वर्षों से सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केरल के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। समस्त देश में देशी स्कूटर बनाने की परियोजना का यह एक मात्र प्रस्ताव है। इस कारखाने के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का क्या हुआ ?

जस्ता कारखाने का क्या हुआ ? सरकार ने 1965 में इस कारखाने की क्षमता 20,000 टन से बढ़ाकर 40,000 टन तक करने के लिये लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। गत पांच वर्षों से यह भी विचाराधीन है।

केरल के इल्मेनाइट संसाधनों पर आधारित केरल में एक उद्योग समूह स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की सिफारिश का क्या हुआ ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : 1964 से लेकर 31 मार्च, 1970 तक कुल 232 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या 26 है। जारी किये गये आशय और अनुज्ञा-पत्रों की संख्या 37 है, अस्वीकार किये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या वापिस लिये गये तथा छूट वाली श्रेणी के आवेदन-पत्रों की संख्या 135, तथा विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या 34 है।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्ध में इस मंत्रालय में 3-4-69 से निकल केडमियम कारखाने के लिये केवल एक प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। यह नया उपक्रम है। इस उद्योग के भावी विकास का अवलोकन किया जा रहा है।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम का दूसरा प्रार्थना पत्र स्कूटर कारखाने के लिये है। यह नया उपक्रम है तथा परीक्षणाधीन है। यह 6-12-69 को प्राप्त हुआ।

श्री प० गोपालन : 1965 में यह प्रार्थना पत्र दे दिया गया था।

श्री भानु प्रकाश सिंह : 30-3-70 को निगम ने पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के लाइसेंस के लिये एक और प्रार्थना पत्र दिया था। यह भी परीक्षणाधीन है।

अल्वाय में एक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसर्स गोमिको बेनानी जिंक लिमिटेड कलकत्ता का एक प्रार्थना-पत्र 18-9-65 से विचाराधीन है। यह लाइसेंस समिति द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस पर अभी मंत्रिमंडल का निर्णय होना बाकी है।

श्री प० गोपालन : हाल ही में केरल राज्य के उद्योग मंत्री ने एक प्रेस हैंड-आउट में बताया कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष बहुत बड़ी संख्या में प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं जिसके कारण उद्योग क्षेत्र में पिछड़े हुए केरल राज्य में उद्योगों के विकास में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस मंत्रालय द्वारा यदा-कदा की गई घोषणाएं कि सरकार पिछड़े राज्यों में उद्योग धन्धे खोलना चाहती है तथा उद्योग पतियों को उन इलाकों में उद्योग-धन्धे स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहती है तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन उद्यमियों को किस प्रकार का प्रोत्साहन

दिया गया है जो पिछड़े क्षेत्रों में अपने संसाधनों को लगाना चाहते हैं तथा क्या सरकार ने केरल जैसे पिछड़ राज्यों से प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों पर कोई विशेष विचार किया है और यदि हां, तो केरल राज्य के उद्योग मंत्री द्वारा लगाया गया आरोप कहां तक सही है क्योंकि उन्होने साफासाफ कहा है कि वहां पर औद्योगिक विकास में केन्द्रीय सरकार बाधा डाल रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैंने पहले दिये गये उत्तर में बता दिया है कि भारत सरकार के पास केवल 34 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से भी 9 जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में आये हुये हैं। इस प्रकार गत वर्ष के केवल 25 प्रार्थना-पत्र ही विचाराधीन हैं। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि काम में कोई बाधा डाली जा रही है। पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है उसे पूरा सदन जानता है तथा नवीन औद्योगिक लाइसेंस नीति द्वारा बहुत सी सुविधायें प्रदान की गई हैं और केरल को निश्चय ही नीति की इस उदारता का लाभ होगा।

श्री विश्वम्भरन : अब पोल खुल गयी है। गत पांच वर्षों में प्राप्त 223 प्रार्थना-पत्रों में से केवल 26 लाइसेंस जारी किये गये हैं।

श्री पीलु मोडी : वह अखिल-भारतीय औसत से कहीं अधिक अच्छा है।

श्री विश्वम्भरन : इस बारे में और अधिक जानकारी चाहूंगा कि 223 प्रार्थना-पत्रों पर कितना कुल पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया तथा जारी किये गये 26 लाइसेंसों पर कितना पूंजीगत परिव्य हुआ। नई औद्योगिक लाइसेंस नीति को ध्यान में रखते हुए तथा इस सत्य को ध्यान में रखते हुये कि अब 1 करोड़ रुपये की पूंजी तक नये कारखाने अथवा औद्योगिक इकाइयां खोलने की आवश्यकता नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ने जा रहा है ? नई नीति का यही तात्पर्य है कि जो राज्य औद्योगिक रूप से विकसित हैं वे अपने राज्यों में उन सब प्रकार के उद्योगों को खोल लेंगे जो 1 करोड़ रुपये तक से नीचे की सीमा की श्रेणी में आते हैं तथा जब कभी यह प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा तो उन्हीं उद्योगों से विकसित राज्यों में और अधिक उद्योगों का विस्तार हो जायेगा। इस प्रकार यह नयी नीति उद्योगों से पिछड़े क्षेत्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करेगी।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्य द्वारा दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक तो यह है कि प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कैसे किया गया। क्या मैं उन्हें सूचित करूं कि बहुत से प्रार्थना-पत्र ऐसे मामलों से सम्बन्धित थे जो या तो प्रतिबन्धित सूची के अन्तर्गत आते थे अथवा जिनके लिये लाइसेंस देना अनावश्यक था और इसलिये उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया ? यदि माननीय सदस्य इसके बारे में विस्तारपूर्वक सूचना चाहते हैं तो मेरे पास एक लम्बी सूची है, उससे उन्हें जानकारी दे दी जायेगी। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल हैं, मेरे विचार से अब उद्यमियों को विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में सरलता होगी क्योंकि लाइसेंस की व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप

से कह दिया गया है कि 1 करोड़ रुपया तक लगाने वाले किसी उद्योग को जिसमें 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो, लाइसेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है।

इन क्षेत्रों में कई उद्योगों को पनपने दिया जा सकता है। उन उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को आवश्यक सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जैसे उन क्षेत्रों के लिये अवस्थापना का प्रावधान, बिजली, पानी और संचार की सुविधाएं और कर में भी कुछ छूट दी जा सकती है। यदि इन बातों को किया गया, तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो जायेगी। लघु-उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में उद्योगों को हमने कुछ सांविधिक आरक्षण भी प्रदान किया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 1965 में दिये गये स्कूटर कारखाने के लिये आवेदन पत्र पर विचार करने में इतनी देरी क्यों हुई है। फैक्टरी की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 200 एकड़ भूमि ले ली है और अन्य सभी औपचारिकताओं का पालन किया है। इसमें इतना समय क्यों लगा? दूसरे, इलेक्ट्रानिक पुर्जों की कमी के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने फैक्टरियों की स्थापना के लिए आवेदन-पत्रों को मांगा है और ग्यारह आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उनके बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इतनी देरी क्यों हो रही है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : स्कूटर फैक्टरी का प्रश्न इस सदन में और राज्य सभा में विचार-विमर्श के लिये आया है और हाल में सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि पूर्णरूप से देशीय प्रयास से निर्मित किसी कारखाने की स्थापना का स्वागत किया जायेगा और उस उद्देश्य के लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था। आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। यदि केरल से कोई कारखाना स्कूटरों का देशीय निर्माण करने के लिए तैयार है तो उसका स्वागत किया जायेगा।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जहां तक इलक्ट्रॉनिक कारखाने का सम्बन्ध है, इस प्रकार के पांच कारखाने हैं और 1969 में सभी ने सरकार को आवेदन दिये। इन पर लाइसेंस समिति द्वारा 16.3.1970 को विचार किया गया था और उनके विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री ए० श्रीधरन : केरल के साथ भारत सरकार सदैव सौतेली मां जैसा व्यवहार करती आ रही है। मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने के लिए कोई कठोर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक उद्योगीकरण का सम्बन्ध है, इस देश में विद्यमान प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिये सरकार कौन-से कदम उठा रही है।

केरल ने पहले भी निवेदन किया है कि केरल में उसे इस्पात कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कालीकट जिले और मेरे निर्वाचन

क्षेत्र के कुछ भागों में भी लौह अयस्क का पर्याप्त संग्रह है। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि केरल में इस्पात कारखाने की स्थापना करने के बारे में केरल सरकार द्वारा किये गये निवेदन को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन क्षेत्रों में, जहां उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं और जहां औद्योगिक असंतुलन है, सरकार उद्योग स्थापित करने के बारे में कौन-से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद और इसके द्वारा स्थापित मुख्य मंत्रियों की उप-समिति ने भी विचार-विमर्श किया था। उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि पिछड़े क्षेत्रों में दो जिलों को चुना जायेगा, जहां उन क्षेत्रों को विनियोजन के उद्देश्य से दस प्रतिशत उपदान दिया जायेगा। दूसरे राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के दो जिलों की अपेक्षा प्रत्येक में एक जिला होगा, जहां उन क्षेत्रों में पूंजी लगाने के उद्देश्य से उनको उपदान दिया जायेगा। मुझे आशा है कि इस सुविधा का सम्बन्धित राज्य सरकारें लाभ उठायेंगी।

श्री रंगा : इस्पात कारखाने को स्थापित करने के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

फोटोग्राफी के कागज की कमी

*842. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 मार्च, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस आशय के समाचारों को देखा है कि देश में फोटोग्राफी के कागज की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने के लिए फोटोग्राफी के कागज के निर्माण के लिए कोई कारखाना स्थापित करने का है ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कमी का मुख्य कारण यह है कि विद्यमान एककों में अभी निर्धारित क्षमता तक उत्पादन नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1. राज्य व्यापार निगम को रुपये में भुगतान होने वाले क्षेत्र से लगभग 3 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफिक कागज का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस दिये गये हैं।

2. फोटोग्राफिक कागज के निर्माणार्थ कच्चे सामान के आयात के लिए लघु छपाइयों को अधिकाधिक आयात लाइसेंस जारी करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

3. अब तक फोटोग्राफिक कागज प्रतिबन्धित सूची में था। परन्तु अब औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस देने के लिये "प्रतिबन्धित" वस्तुओं की सूची को निलम्बित कर देने से, यह क्षेत्र विद्यमान उपक्रमों तथा साथ ही नये उद्यमियों के लिये खुला छोड़ दिया गया है जिससे कि वे अपनी विद्यमान क्षमता के प्रसारार्थ अथवा फोटोग्राफिक कागज के निर्माणार्थ नई क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : योजना आयोग के आकलन के अनुसार, 1966 में देश की 45 लाख वर्ग मीटर की आवश्यकता थी जिसमें देश में 27 लाख वर्ग मीटर देशीय उत्पादन था और 1966 और 1970 के मध्य देश की आवश्यकता में 15 लाख वर्ग मीटर की पुनः वृद्धि होगी। इस फोटो सामग्री के पूर्ण मामले में गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। ऊटी में हमारे पास हिन्दुस्तान फोटो फिलमस् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी है.........

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे भाषण नहीं करें अपितु सीधे ही प्रश्नों को पूछें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को पूछने के लिये पांच सदस्य होते हैं और यदि इतनी लम्बी भूमिका बांधी गई तो हम दूसरे अथवा तीसरे प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते। कृपया सीधा ही प्रश्न पूछिये।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस सदन में अनुपूरक को पूछने के लिये हमें $7\frac{1}{2}$ मिनट दिये जाते हैं। मैं नम्रतापूर्वक इसके बारे में आपको याद दिलाता हूं और मैं उस नियत समय की सीमा को ध्यान में रखूंगा। मैं साढ़े सात मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बोलने से मना नहीं कर रहा हूं। इस प्रश्न पर एक घंटे तक विचार किया जाये, इसका बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन दूसरे सदस्यों का अधिकार भी इसमें निहित है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं विषय को समझाने का प्रयास कर रहा था कि धोखाधड़ी की क्रिया जारी है, उदाहरण के लिये.......

अध्यक्ष महोदय : भाषण करने का यह अवसर नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण : ऊटी फैक्टरी की स्थापना क्षमता 25 लाख वर्ग मीटर की है लेकिन वहां पर केवल 3 लाख वर्ग मीटर फोटो-कागज का उत्पादन हो रहा है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल न्यू इंडिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ही इस कागज का उत्पादन कर रहा है जिसके निदेशक मंडल में किलाचन्द बंधु, मफतलाल बंधु और तारापोर वाला बंधु हैं। फोटो-कागज की छपाई में उनकी गहरी पकड़ तथा एकाधिकार है। अतः ऊटी फैक्टरी जैसे सरकारी क्षेत्र उपक्रम पर भी उन्होंने अपना प्रभाव डाला है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऊटी में हिन्दुस्तान फोटो फिलमस् केवल 3 लाख वर्ग मीटर फोटो-कागज का उत्पादन ही क्यों कर रहा है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे नहीं है जैसे माननीय सदस्य ने कहे हैं। मैं अपनी योग्यता के अनुसार उनको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरी जानकारी यह है कि सरकारी क्षेत्र में सम्पूर्ण क्षमता 25 लाख वर्ग मीटर और गैर-सरकारी क्षेत्र में 18 लाख वर्ग मीटर की है। हिन्दुस्तान फोटो फिलमस् 5 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन कर रहा है न कि 3 लाख वर्ग मीटर का। गैर सरकारी-मैसर्ज न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज की क्षमता 15 लाख वर्ग मीटर की है और 20 लाख वर्ग मीटर के लगभग यहां उत्पादन हो रहा है। **(व्यवधान)**

वह क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। **(व्यवधान)** इस समय किसी अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक को स्थापित करने हेतु कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में किसी प्रकार के एकाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० कन्डप्पन : आप प्रश्न को टाल रहे हैं। कमी होने के क्या कारण हैं?

श्री भानु प्रकाश सिंह : दि हिन्दुस्तान फोटो फिलमस् की 25 लाख की लाइसेंस क्षमता है पर वे केवल 5 लाख ही उत्पादन कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने फोटोग्राफी के कागज का उत्पादन 1967 में ही आरम्भ किया है। वहां दो प्रकार की मशीनें हैं और आरम्भ में दोनों प्रकार की मशीनें चलचित्र फिल्में और फोटोग्राफी के कागज का उत्पादन करती थीं, परन्तु अब उनमें से एक प्रकार की मशीन एक्स-रे फिल्म के कागज का उत्पादन करने लगी है इसलिये उत्पादन में कमी आ गई है। फिर भी, इस वर्ष उन्होंने जनवरी में 13,000 वर्ग मीटर, फरवरी में 17,000 वर्ग मीटर, मार्च में 45,000 वर्ग मीटर तथा अप्रैल में लगभग 60,000 वर्ग मीटर का उत्पादन किया है। हम, हर हालत में इस स्तर को बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : हाल ही में सरकार ने छूट देने की जो घोषणा की है उसका स्वागत किया जाता है परन्तु वस्तुतः इसे लागू करने में कुछ समय लगेगा। देश में इस समय लगभग 30,000 व्यावसायिक फोटोग्राफर हैं और उन्हें वास्तव में कुछ अन्तरिम सहायता की आवश्यकता है। आगामी चार या पांच महीनों में इन फोटो ग्राफरों को जिनकी जीविका फोटो-ग्राफी पर ही निर्भर है फिल्मों को चोर बाजारी से खरीदना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि

क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में फोटोग्राफरों के संघों के माध्यम से फोटोग्राफी की समाग्री देने का है? यदि नहीं, तो यह पद्धति अपनाने से सरकार को कौन रोकता है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस कागज की कमी है और जैसा मैंने कहा है, भारत सरकार ने रुपये में व्यापार करने वाले देशों से इस कागज का आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को 13.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी है । राज्य व्यापार निगम ने 25 लाख रुपये की लागत का कागज और आयात करने के लिये भारत सरकार से फिर अनुरोध किया है । आशा है जून तक इसका आयात हो जायेगा और यहां आने पर इसका वितरण कर दिया जायेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब कि ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् को 25 लाख वर्ग मीटर कागज का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया है, तो वे इतने कोटे का निर्माण इसलिये नहीं करते क्योंकि न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् के प्रबन्धक वर्ग तथा इंजीनियरों को इस कागज के इतने कोटे का निर्माण न करने के लिये प्रभावित किया है, जिससे न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज इस कागज को चोर बाजार में अधिक मूल्य पर बेच सके? दूसरे, आपने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ फिल्मों का आयात करने के बारे में उल्लेख किया है, परन्तु इससे इस सामग्री को प्राप्त करने तथा फोटोग्राफरों में वितरित करने में समय लगेगा । इस दौरान होने वाली चोर बाजारी को रोकने के लिये क्या सरकार न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित फिल्मों को ऐग्फा के माध्यम के बजाय सीधे उनके संघों को वितरित करेगी ? तीसरे, लूब्रा फोटोग्राफिक इण्डस्ट्री जैसे लाइसेंस-शुदा लघु उद्योग तथा अन्य उद्योग भी हैं । फोटोग्राफी के कागज की कमी को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार अपने देश में ही फोटोग्राफी के कागज का निर्माण करने के लिये इन उद्योगों को कच्चा माल देगी ? मैं इन तीनों प्रश्नों का व्योरे वार उत्तर चाहता हूं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रथम प्रश्न में जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत है । यह सच नहीं है कि मैसर्ज न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज, ऊटी स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल रही है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : आपको कैसे पता कि वह प्रभाव नहीं डाल रहे हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं सीधा आरोप लगाता हूं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं । जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि चलचित्र फिल्म, एक्सरे फिल्म और फोटो-फिल्मों का निर्माण करने के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार ने यह अनुभव किया है कि अन्य फिल्मों के निर्माण की अपेक्षा एक्सरे फिल्मों की महत्ता कहीं अधिक है । इसलिये एक्स-रे फिल्मों के निर्माण के लिये हमने एक मशीन की अलग व्यवस्था कर ली है । दूसरे प्रश्न के बारे में, मंत्री महोदय को कुछ शिकायतें मिली हैं जिनकी वह जांच कर रहे हैं । वह अवश्य ही उन पर कार्यवाही करेंगे । तीसरे प्रश्न के बारे में, केवल ऐसे तीन ही एकक हैं जिनमें से केवल लूब्रा फोटोग्राफिक इण्डस्ट्रीज ने प्रयत्न किया है । हम, लघु उद्योग विकास आयुक्त के माध्यम से कच्चे माल के बारे में उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ।

डा० सुशीला नैयर : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 49 लाख वर्ग मीटर उत्पादन की मंजूरशुदा-लाइसेंस-क्षमता के विपरीत उत्पादन में कम से कम 20 लाख वर्ग मीटर तक की कमी हो गई है। उत्पादन में अधिक कमी सरकारी क्षेत्र में आई है जो 25 लाख वर्ग मीटर की मंजूरशुदा क्षमता के होते हुये भी केवल 5 लाख वर्ग मीटर उत्पादन कर रहे हैं। कारण चाहे जो कुछ भी हो परन्तु यह सच है। इसका परिणाम यह हुआ है कि न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज जो एक अन्य बड़ा निर्माता समवाय है, 18 लाख वर्ग मीटर और उससे अधिक अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ एकाधिकारवादी स्थिति का पूरी तरह लाभ उठा रहे हैं। ऐग्फा-गेवर्ट में उनके अपने वितरक एजेंट हैं जो कुछ व्यवसायिकों को माल बेचते हैं और सही उपभोक्ताओं को समान नहीं मिल पाता। क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि सही मूल्य का अधिमूल्य 200 से 300 प्रतिशत तक है ? गैर-सरकारी उद्योगों से उपभोक्ताओं को सीधे वितरण कराने के लिये अब सरकार को कौन रोकता है, जैसे कि राज्य व्यापार निगम उपभोक्ताओं को यह सामग्री सीधे वितरित करता है। मैं तो अभी केवल भूमिका बता रही हूं कि किस प्रकार इन उद्योगों का एकाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप सही मूल्य से 200 से 300 प्रतिशत अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को यह सामग्री मिलती है। अतः मैं मंत्री महोदय से दो या तीन प्रश्न करना चाहती हूं। सबसे पहले तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग कितनी शीघ्र यह सामग्री देंगे और 25 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन करेंगे जिसके लिये उनको लाइसेंस दिया गया है ? दूसरे इस दौरान में क्या मंत्री महोदय इस मामले पर भी ध्यान देंगे कि आड्रोस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता, लिबरल फोटोग्राफिक इण्डस्ट्रीज, पोडोनार आदि जैसे लघु एककों को कितनी शीघ्र कच्ची सामग्री मिलेगी जिससे यह उद्योग भी फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन कर सकें और एकाधिकार की प्रवत्ति को समाप्त कर सकें ? तीसरे ऐग्फा-गेवर्ट और न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज का आपस में गठ-बन्धन हो गया है। उनके वही निदेशक हैं और व्यावहारिक रूप में ये उद्योगों के एक ही सार्थ समूह से सम्बन्धित हैं। वह माल की कमी बनाये रखने और चोर बाजारी करने के निमित्त अपने पूर्ण उत्पादन को बाजार में नहीं निकालते। क्या सरकार इन उद्योगों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिये आदेश देने को तैयार है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे सब्र का भी ख्याल करेंगी ?

डा० सुशीला नैयर : आप मुझे अपना भाषण समाप्त ही नहीं करने देते। बीच में ही बाधा उत्पन्न की जाती है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इस सदन में कुछ लोगों को हमसे अधिक अधिकार हैं। कुछ व्यक्ति अपना भाषण निर्बाध देते हैं जबकि कुछ अन्य लोगों के प्रश्न करते ही दूसरे माननीय सदस्य और आप बीच में ही बाधा डाल देते हैं जो बहुत ही दुःख की बात है ?

मैं तो सीधा प्रश्न कर रही हूं। पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिये सरकारी उपक्रमों को और कितना समय लगेगा ? अन्य लघु एककों को कब तक और अधिक उत्पादन करने दिया जायेगा और क्या सरकार न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज तथा उसके वितरकों के बीच हुये घृणित गठ-बन्धन को तोड़ने के बारे में कुछ कार्यवाही करेगी जिससे कि उनको सीधे उपभोक्ताओं को अपना उत्पादन बेचना पड़े और चोर-बाचारी करने वाला यह गठ-बन्धन टूट जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका उत्तर प्रश्न के समान स्पष्ट होगा ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जी, नहीं । सरकारी क्षेत्र के उद्योग को 25 लाख वर्ग मीटर की लाइसेंस क्षमता प्रदान की गई है । जिसमें से उनकी स्थापित क्षमता 15 लाख वर्ग मीटर की है । इसमें कुछ समय लगेगा ......(**व्यवधान**)

डा० सुशीला नैयर : कितना ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं आपको वह बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब जानकारी है ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बड़े क्षेत्र में केवल एक ही एकक है, मैसर्स न्यू इण्डिया प्राइवेट कम्पनी । मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मेरे-माननीय मित्र अपने अन्य मित्रों को भी एक अभ्यावेदन देने के लिये प्रेरित करें । यदि केवल एक ही उद्योग है तो एकाधिकार की बात करने का कोई तुक नहीं है । यह तो होता ही है और इसके लिये ऐसी बातें करने से कोई लाभ नहीं......(**व्यवधान**)

जहां तक लघु उद्योगों की बात है, तीन लघु उद्योग हैं । हमने उनसे कच्चे माल के बारे में पूछा है। परन्तु उनमें से दो ने तो उत्तर ही नहीं दिया है और एक ने उत्तर दिया है। हम उस एकक की अपनी पूरी-पूरी सहायता कर रहे हैं, और ज्यों ही अन्य लघु उद्योगों से इस बारे में हमें उत्तर मिला हम उनकी भी सहायता करेंगे ।

डा० सुशीला नैयर : उनको, अपने एजेन्टों को न देकर सीधे उपभोक्ताओं को देने के लिये बाध्य करने के बारे में आपने क्या कार्यवाई की जिससे चोर-बाजारी समाप्त हो ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : जैसा मैंने कहा है कि यह मामला मंत्री महोदय के पास भेज दिया गया है । क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये मंत्री महोदय इसे रोकने के उपाय सोचेंगे ।

श्री विश्वनाथन : ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् में फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन उसकी कुल क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही है । जब ऊटी संयंत्र में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है तो सरकार फोटोग्राफिक कागज का आयात क्यों कर रही है ? अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में क्या बाधाएं आ रही हैं ? उत्पादन की वृद्धि के लिये क्या कोई निर्धारित कार्यक्रम बनाया है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और पूर्ण उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : हमें आशा है कि हम अप्रैल में 60,000 वर्ग मीटर कागज का उत्पादन कर लेंगे । जब तक हम पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर लेते हमें इस कागज का आयात करना पड़ेगा और हम आयात कर रहे हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : हम आपसे संरक्षण चाहते हैं । अनेक सदस्यों द्वारा अनेक प्रश्न करने पर भी वह विशिष्ट उत्तर नहीं देते । वहां क्षमता बेकार पड़ी है और उन्होंने इस बात का

कोई संकेत नहीं दिया है कि उस क्षमता का उपयोग करने के लिये उन्होंने क्या उपाय किये हैं और निर्धारित क्षमता को कब तक प्राप्त कर लेंगे।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मेरे विचार में मेरे सहयोगी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंस-शुदा क्षमता 25 लाख वर्ग मीटर की है और वर्तमान स्थापित क्षमता 15 लाख वर्ग मीटर की है, न कि 25 लाख वर्ग मीटर की। लाइसेंस-शुदा क्षमता, स्थापित क्षमता और वर्तमान उत्पादन में अन्तर है।

श्री जी० विश्वनाथन : निर्धारित क्षमता भी है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लाइसेंस-शुदा क्षमता 25 लाख वर्ग मीटर है और स्थापित क्षमता 15 लाख वर्ग मीटर जिसमें से 5 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन गत वर्ष हुआ था। परन्तु पिछले दो महीनों के कार्य निष्पादन से संकेत मिलता है कि इस वर्ष के अन्त तक यह एकक 10 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक कागज का उत्पादन कर सकेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह उत्पादन बढ़कर 25 लाख वर्ग मीटर की क्षमता तक पहुंच जाये।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the target of the production for the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 fixed in the project report of the 'Hindustan Photo Film'? What was the percentage of the films produced in these three years according to the project report and to what extent the production has been less ?

Mr. Speaker : The supplementaries should airse from the main question.

Shri Prem Chand Verma : We are in the dark. The Project Report was prepared by the experts. What was the target fixed in that report, to what extent is has been achieved and the reasons for not achieving the targets. What action Government is going to take to remove those drawbacks?

Shri Bhanu Prakash Singh : I have already replied this question.

अध्यक्ष महोदय : हम अभी तक दूसरे प्रश्न पर ही चर्चा कर रहे हैं। आपको प्रश्न अथवा अनुपूरक प्रश्न करते समय कुछ परम्पराओं का पालन करना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझ पर न बिगड़ना क्योंकि मैं जो कुछ कर सकता था, कर दिया है। हम 30 प्रश्न प्रकाशित करते हैं परन्तु ऐक दिन में केवल चार या पांच प्रश्नों से अधिक पर विचार नहीं कर पाते हैं। अतः 30 प्रश्न प्रकाशित करने का कोई लाभ नहीं।

Shri S. M. Joshi : In 1966 Planning Commission estimated that our requirements will be 4.5 million square metres and the indigenous production was 2.7 million square metres. Why you ban the import of that ? What sort of planning is this ?

These days it is being sold in black market. One of the reasons of this is that producers are also its distributors. They earn 300 per cent profit. You should make arrangements to supply the produce directly to consumers after requisition.

Shri Bhanu Prakash Singh : We imposed ban on it because we created some capacity in small scale sector and public sector. There was no other reason as the Hon. Member thinks.

Shri S. M. Joshi : There should be requisition.

Shri Bhanu Prakash Singh: It is a non essential commodity. The Minister had received complaints regarding that and he is considering them. He is thinking as to what steps should be taken so that this grievance may be removed. Complaints were received from Delhi region only. It seems that there is some disputes with in the association here. Enquiry may reveal many things. It seens that association is also at fault otherwise we should have received complaints from other side also.

श्री क० लकप्पा : क्या मैं वरिष्ठ मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊं ? समस्या यह है कि निजी क्षेत्र में फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन बढ़ गया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। अभी भी सरकार बड़े एकाधिकारों के हाथों में खेल रही है। उदाहरणार्थ मैसर्स न्यू इंडिया इण्डस्ट्रीज की एक शाखा बम्बई में है तथा वितरण ऐजेन्सी वहीं है तथा उनकी एक-एक शाखा कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में भी है। वे इस कागज को कृत्रिम कमी पैदा कर देंगे और इसे काले बाजार में बेचेंगे और इससे और अधिक धन कमाते हैं। एजेन्ट लोग भी अधिक धन कमाने के लिये काला बाजार करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी प्रकार बड़े एकाधिकारों की मदद करती रहेगी या उन लोगों की मदद करेगी जिनको इस कागज की अपने व्यवसाय के लिये आवश्यकता है जिससे कि वह काले बाजार की कीमत दिये बिना कागज प्राप्त कर सकें। इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या जांच पड़ताल करने वाली है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने का एकमात्र तरीका अन्य उद्यमियों को फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन करने के लिये उत्साहित करना और सरकारी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना है तथा इन दोनों दिशाओं में कार्यवाही की जा रही है।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether the attention of the Hon. Minister has been drawn towards the facts that a great scarcity of X-ray films is being felt and due to that Doctors are facing a great difficulty ? If so, will the Government take any special step to end this scarcity ?

Shri Bhanu Prakash Singh : That is why Hindustan Photo Films has been asked to use a part of its capacity for producing X-ray Film.

श्री हेम बरुआ : देश में फोटोग्राफिक कागज की कमी का एक तथ्य है तथा 26 मार्च को देश के 30,000 पेशेवर फोटोग्राफरों की ओर से एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी दिक्कतों का हवाला देते हुए प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है। इस व्यापार पर एकाधिकारों और विशेषकर स्टाकिस्टों का कब्जा है। इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता के पेशेवर फोटोग्राफरों ने सरकार को फोटोग्राफिक कागज की अत्यधिक ऊंची कीमत को कम करने के लिये तीन सप्ताह का समय दिया है अन्यथा वे आन्दोलन करेंगे। यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली क्षेत्र के फोटोग्राफर इसे मंत्रालय के ध्यान में ला चुके हैं तथा हम देख रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा सकते हैं। कलकत्ता की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने दिल्ली क्षेत्र की बात कही है, मैं समस्त देश के बारे

में जानना चाहता हूं। देश के 30,000 फोटोग्राफर फोटोग्राफिक कागज की अत्यधिक कीमत के कारण नुकसान उठा रहे हैं तथा उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है।

श्री कमलनयन बजाज : माननीय मंत्री ने बताया कि लाइसेंस क्षमता 25 लाख मीटर है पर स्थापित क्षमता केवल 15 लाख मीटर है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र में पूर्ण क्षमता क्यों स्थापित नहीं की जबकि उन्होंने इतनी क्षमता का लाइसेंस दिया हुआ है? यह बताया गया है कि एक मशीन को एक्सरे का सामान बनाने में लगा दिया है। यह परिवर्तन सही है। इसके लिये एक और मशीन क्यों नहीं लगाई गई क्योंकि प्रबन्ध सम्बन्धी खर्च तो उतना ही रहता और कुछ मशीनरी लगाई जाती तथा कमी को पूरा कर दिया जाता। यह क्यों नहीं सोचा गया? फैक्टरी ने 1967 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था तथा अब तक उसके अपनी लाइसेंस क्षमता प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

क्या आप राज्य के और केन्द्र के मंत्रियों को लिखेंगे कि जब तक कि अपेक्षित उत्पादन नहीं होने लगता है तब तक के लिये आप अपना फोटो न खिचवाएं जिससे कि सुन्दर स्थानों और पशुओं के फोटो आसानी से लिये जा सकें।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म ने उत्पादन का एक सुनियोजित कार्यक्रम बना रखा है। उनकी फोटो कागज उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 15 लाख मीटर है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का विस्तार करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। देश में फोटो कागज की कमी को हम आयात द्वारा पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Running of Electric Trains in Madhya Pradesh

+
*845. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal for running electric trains in Madhya Pradesh is under consideration of Government ;

(b) whether the State Government have given any assurance to the Central Government in regard to the supply of power required for running electric trains in the State ;

(c) if so, the time by which the electric trains would start running there ;

(d) whether the Central Government have written to the State Government for the supply of power required for the said purpose ; and

(e) if so, the details of the reply received from the State Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Rohan Lal Chaturvedi) : (a) Yes, Sir. The electrification of the following sections is under consideration :

(1) **Jamga-Durg :** Jamga to Bilaspur has been brought under electric traction. As regards remaining portion **viz.** Bilaspur—Durg electrification works are in progress.

(2) **Kirandul-Amagura** : Electrification of this section is under consideration as part of electrification of Waltair—Kirandul section, which is tentatively included in the 4th Five Year Plan.

(3) **Durg - Bortalao** : Electrification of this section is being considered as part of electrification of Durg—Nagpur section, which is tentatively included in the 4th Five Year Plan electrification programme.

(b) Yes, Sir.

(c) The time by which electrification of sections mentioned in reply to part (a) above, would be completed, is indicated below :

Name of section	**Date of energisation of section.**
Jamga—Durg	1970-71
Kirandul—Amagura Durg—Bortalao	It is not yet possible to indicate the time by which these sections would be brought under electric traction.

(d) Yes, Sir.

(e) The State Government have assured the availability of power for electric traction on these sections.

Shri Bharat Singh Chauhan : In 1967 Railway Electrification Project was reorganised and this work was deputed to Zonal Railways. Because, the over all control is that of Railway Board, have the Railway Board asked for report regarding progress from the Zonal Railways, if so, what are the details of that report? From Bombay to Bhusawal electrification work is in progress. Indore is the biggest city of Madhya Pradesh. For the expansion of trade there firstly broad gauge line and secondly fast running trains are being demanded. I would like to know whether Zonal Railway has given any scheme or proposal for the electrification of Bhusawal-Khandwa line.

Shri Rohanlal Chaturvedi: No Sir, there is no scheme to electrify Bhusawal-Khandwa line.

Shri Bharat Singh Chauhan : After the creation of Madhya Pradesh state five thousand inhabitants of Nagpur are working in Government offices and Heavy Electricals in Bhopal. They want to go Nagpur from Bhopal easily on sundays and other holidays. Therefore, will the Government consider of making arrangements for running fast trains by electrifying railway track between Nagpur and Bhopal ?

Shri Rohanlal Chaturvedi : No Sir. At present there is no proposal to electrify Nagpur-Bhopal Railway line. As I have already stated, railway track from jamga to Bilaspur has already been electrified. Electrification of Kirandul-Amagura and Durg-Bortalao lines is under consideration. In this connection I want to state that where on account of some reasons the line capacity makes it impossible for us to run trains, there only dieselisation and electrification is done, because electrification is very costly. Electrification of the sections mentioned by me will be done.

Shri A. S. Saigal : At present electric engine is attached to goods train between Rourkela and Bilaspur. I would like to know as to when the arrangement of electric engine for the mail and express trains will be made ? When the scheme of electrification from Chirmiri to Katni will be implemented and when the work will be taken up ?

Shri Rohanlal Chaturvedi : Due to shortage of Electric locomotives we are not in a position to provide engines. We will provide electric engines to the electrified sections as soon as we will get engines ready. Chirmiri-Katni line does not come in this.

श्री स० कुन्दू : अध्यक्ष महोदय, उत्कल एक्सप्रेस मध्य प्रदेश से गुजरती है और यह कहते हैं कि यात्रा के समय को दस घन्टे कम किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात का पता लगाएं कि क्या यात्रा के समय को कम से कम सात घन्टे कम किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मध्य प्रदेश में बिजली की गाड़ियां चलाने का है।

श्री स० कुन्दू : गाड़ियों को डीजल इन्जन से भी चलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

इंगलैंड में पुरानी व अनुपयोगी घोषित की गई पुस्तकों की भारत में मांग

अ० **सू० प्र० सं०** 14. **श्री स० कुन्दू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1970 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत से प्राप्त भारी मांग पूरी करने के लिये इंगलैंड में पुरानी व अनुपयोगी पुस्तकें छापी जा रही हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों अथवा किन्हीं अन्य शिक्षा संस्थाओं तथा सरकार के प्रयोग के हेतु ऐसी पुस्तकों के लिये जिन्हें ब्रिटेन की सरकार द्वारा पुरानी तथा अनुपयोगी घोषित किया गया है, क्रयादेश दिये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : मंत्री महोदय को उस समाचार के सम्बन्ध में जिसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था, केवल 'हां' और 'नहीं' कहकर उसे छोड़ना नहीं चाहिये था। 'हाउस आफ कामन्स' में इस प्रश्न का जबाव दिया गया था। यह एक खेदजनक बात है कि जिन अप्रचलित पुस्तकों के प्रकाशन पर ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, उनका प्रकाशन अब हो रहा है क्योंकि भारत में इन पुस्तकों के लिये मांग बढ़ती रही है। भारत के एक प्रमुख ईसाई धर्माध्यक्ष ने जो बम्बई के सैन्ट जेवियेश्स विद्यालय के प्राचार्य हैं, बम्बई के एक समाचार-पत्र को तत्सम्बन्धी जानकारी दी थी। यह समाचार गलत है, यह मैं नहीं समझता। अतः मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने लंदन स्थित इण्डिया हाउस के अपने सहायकों के द्वारा इसकी जांच कराई है या नहीं। क्या उन्होंने हाउस आफ कामन्स की कार्यवाहियों को देखा है ? और क्या ब्रिटिश मंत्री ने उनसे कहा है कि ये अप्रचलित पुस्तकें हैं और इनका प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि भारत में इनकी मांग बढ़ रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या हमने समाचार की शुद्धि के सम्बन्ध में पता लगाया था, मैं यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश काउंसिल से हमने बातचीत की थी। जहां तक उनका ज्ञान है, हाउस ऑफ कामन्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई। माननीय सदस्य ने जिन अप्रचलित पुस्तकों के बारे में कहा था, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिये ब्रिटिश संसद् ने कोई अधिनियम नहीं बनाया। मैं उन्हें बस इतनी जानकारी देता हूं कि वहां अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री के लिये एक योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार है ब्रिटिश काउंसिल उपयोगी पुस्तकों का चयन करता है। जब ये पुस्तकें हमें भेज दी जाती हैं, विज्ञान और मानविकी सम्बन्धी पुस्तकों की परख भारत के विश्वविद्यालयों के किन्हीं दो प्रोफेसर करते हैं, व्यापार प्रबन्ध और प्रौद्योगिकी की पुस्तकों की परख शिक्षा मंत्रालय के तकनीकी शिक्षा ब्यूरो करते हैं, चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों की परख स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक करते हैं और कृषि विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सलाह के आधार पर चयन किया जाता है।

यह सब करने के बाद हम तत्संबंधी सूची ब्रिटिश काउन्सिल को भेज देते हैं जो दुबारा लन्दन में उनकी कमेटी को यह सूची भेज देते हैं। वे इस सूची को ठीक तरह से पढ़ते हैं और कभी-कभी कई पुस्तकों को इस कारण से सूची में से हटा लिया जाता है कि वे अप्रचलित एवं पुरानी हो गयी हैं।

जहां तक हम समझते हैं, निश्चय ही ये पुस्तकें अप्रचलित नहीं हो गयी हैं। ये पुरानी नहीं हो गयी हैं। असल में शिकायत यह है कि हमें जितनी पुस्तकों की आवश्यकता है, वे सब की सब इस सूची में नहीं होंगी।

अंत में, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाता हूं कि जब ये पुस्तकें भारत में आती हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में रखा जाय। हम अपनी ओर से इनका आयात नहीं करते। सरकार इन पुस्तकों की खरीद का कोई आदेश नहीं देती है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये पुतस्कें तभी स्वीकृत होंगी जब इनके द्वारा नियुक्त प्रवीण समिति इन्हें उपयोगी घोषित करेगी।

श्री स० कुण्डू : मेरे पहले प्रश्न का जवाब अब तक नहीं मिला। आप कृपया मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य प्रश्न पूछें।

श्री स० कुण्डू : हमारे इस सदन में आने का क्या प्रयोजन है ? कृपया मेरी बात सुन लीजिये मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि क्या उन्होंने अपने सहायकों द्वारा समाचार की जांच करवाई है और क्या हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही में यह नहीं लिखा गया था कि इन पुस्तकों का प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि भारत में इस की मांग बढ़ रही है। ब्रिटिश काउंसिल और हाउस ऑफ कामन्स दोनों अलग हैं। इस संबन्ध में मैं आप की सहायता मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं, और कुछ नहीं करता ।

श्री स० कुन्दू : आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं ? कृपया आप इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिये । यह एक विशेष प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, मैं अध्यक्ष हूं इसीलिये मैं आप की ओर देख रहा हूं ।

श्री स० कुन्दू : आप मुझसे बात करके समय नष्ट कर रहे हैं । आप कृपया सदस्यों की सहायता कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह नाराज न हों और इस तरह अनेक प्रश्न न पूंछे । कृपया आप ऐसा मत कीजिये ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने प्रश्न के उस अंश का जवाब नहीं दिया ।

श्री स० कुन्दू : मेरा प्रश्न यह था कि क्या 6 मार्च के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आर्कषित हुआ है । उस समाचार में कहा गया है "ब्रिटिश संसद में हाल में पूछे गये एक प्रश्न पर बंबई के सेन्ट जेवियेर्स स्कूल के प्राचार्य फैदर जे मोर का वक्तव्य बहुत रोचकपूर्ण है । प्रश्न यह था कि ऐसी पुस्तकों का मुद्रण भारी संख्या में क्यों किया जा रहा है जिनको ब्रिटिश संसद द्वारा अप्रचलित घोषित किया गया है ? सदन में जवाब यह दिया गया कि भारत से की गयी बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिये इंग्लैण्ड में इन पुस्तकों का भारी संख्या में मुद्रण किया जा रहा है ।"

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री स० कुन्दू : इसका जवाब नहीं दिया गया । उन्होंने कहा कि संसद ने ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं किया प्रश्न वह नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने लंदन के अपने सहायकों के द्वारा हाउस ऑफ कामन्स की कार्यवाहियों की जांच की थी और क्या वहां ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था और उसका सकारात्मक उत्तर दिया गया था ? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काउंसिल में इसकी जांच की गयी । हाउस ऑफ कामन्स और ब्रिटिश काउंसिल अलग-अलग है । मुझे जानकारी मिली है, कि भारत के जितने पब्लिक स्कूल हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों को ऊंचे स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के भ्रम से भेज देते हैं, उन सब में इस तरह अप्रचलित हुई पुस्तकों की पढ़ाई होती हैं । मैं इसके संबध में खास तौर पर जानना चाहता हूं । मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया कि वे इसकी गहराई से जांच करें । इस प्रश्न का वे जवाब दें ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न के मूल उत्तर में, मुझे विश्वास है, मैंने निश्चित रूप से बताया है कि इस समाचार की ओर मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट हुआ है । मैंने माननीय सदस्य से भी इस बारे में कहा कि अंग्रेजी पुस्तक योजना विद्यालयों के लिये नहीं बनाई गयी है । माननीय सदस्य किसी विद्यालय के प्राचार्य के संबन्ध में बोल रहे हैं । जिन पुस्तकों से हमारा संबंध है वे विश्वविद्यालय स्तर की हैं, विद्यालयों के लिये नहीं है । इन पुस्तकों के उचित चयन और प्रकाशन का कार्य हम ब्रिटिश काउंसिल द्वारा कराते हैं । उन्होंने कहा कि

हाउस ऑफ कामन्स में इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं ब्रिटेन में हमारे उच्चायुक्त को इस संबंध में जांच करने के लिये कहूंगा और तदुपरान्त जो जानकारी प्राप्त होगी उसे मैं उन्हें दे दूंगा।

श्री स० कुन्दू : मेरा दूसरा प्रश्न है......

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री स० कुन्दू : मंत्री ने जो गलती की है, उसके लिये मुझे आप दंड क्यों दे रहे है ? उन्हें इस प्रश्न का जवाब पहले ही देना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप प्रश्नोत्तर काल का भाषण देने के लिये उपयोग न करें ? मैं सारे सदस्यों से निवेदन करता हूं। समय को हम कैसे बचा सकते हैं ? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव आदि बहुत से कार्य लंबित रखे गये हैं। केवल इसी एक बात ही पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैं आपको और एक भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री स० कुन्दू : मैं कभी भी आप की आज्ञा भंग नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। पहले की कार्यवाही पर हम नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि आप प्रश्नोत्तर काल में हमेशा ऐसे ही करते हैं।

श्री स० कुन्दू : आप कृपया मेरी बात को सुन लीजिये। अगर मंत्री महोदय स्पष्ट जवाब नहीं देते......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया, मगर आप संतुष्ट नहीं हैं।

श्री स० कुन्दू : क्या यह सच है कि भारत में जितनी अंग्रेजी की पुस्तकें आती हैं उनमें से अधिकांश पुस्तकों का मुद्रण इंग्लैंड में ओरियन्टल लोंग मैनस, आक्सफोर्ड जैसी कम्पनियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो इन पुस्तकों का भारत में मुद्रण कराने के लिये माननीय मंत्री महोदय कोई कदम उठा रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है कि इंग्लैंड में कितनी पुस्तकें छापी जाती हैं और कितनी भारत में भेज दी जाती हैं। मगर अंग्रेजी पुस्तक योजना के अन्तर्गत 225 पुस्तकें वहां छापी जाती हैं वे सब भारत भेज दी जाती हैं।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन पुस्तकों की, और खास कर विज्ञान सम्बन्धी एवं तकनीकी पुस्तकों की बिक्री बढ़ रही है, और हमारे देश में इन पुस्तकों के लिये मांग बढ़ती जा रही है तथा अमरीका और ब्रिटेन से लाई जाने वाली किताबों का मूल्य बहुत अधिक है, क्या सरकार इसमें विशेष दिलचस्पी दिखायेगी और ब्रिटिश सरकार, प्रकाशक, ब्रिटिश काउंसिल या अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से ऐसा कोई समझौता करेगी ताकि उन पुस्तकों का मूल्य घटा दिया जाय और हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कम मूल्य में उपलब्ध हो जाए जैसे अमरीकी और यहां तक कि रूसी किताबें भी यहां मिलती रहती हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य ने अमरीकी और रूसी किताबों के बारे में कहा । इस सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है वह सब शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत है । अंग्रेजी पुस्तकों की सिरीज, अमरीकी पुस्तकों की सिरीज और रूसी पुस्तकों की सिरीज में यही एक बात लागू होती है । इन सारी किताबों का भारत की स्थिति के अनुकूल मूल्य कम कर दिया गया है ।

श्री बलराज मधोक : यहां तकनीकी पुस्तकों की कमी है । अतः हम बाहर से बड़ी संख्या में पुस्तकों का आयात करते हैं । क्या यह सच नहीं है कि बड़ी संख्या में ऐसी किताबें जो ज्ञान के बढ़ते ही पुरानी हो गयी हैं, भारत में भेज दी जाती हैं क्योंकि यहां पुस्तकों की मांग बढ़ गयी है ? मेरा मतलब खासकर इतिहास की पुस्तकों से है जो विनसन्ट स्मिथ आदि लेखकों की लिखी हुई हैं और ये सब 50 या 60 वर्ष पुरानी हैं । यहां इन पुस्तकों को पढ़ाया जाता है । क्या सरकार अगर हमें बाहर से उच्चस्तर की पुस्तकें प्राप्त नहीं होती हैं तो यहां एक समिति का गठन करने के लिये कदम उठायेगी जो नवीनतम ज्ञान के आधार पर पुस्तकें तैयार करेगी ताकि हमें घटिया किस्म के ज्ञान पर निर्भर न रहना पड़े ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसे मैंने कहा, हम अप्रचलित एवं पुरानी पड़ गयी पुस्तकों के आयात को प्रोत्साहन नहीं देते । जैसे मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, हमारे यहां पुस्तकों के चयन का नियमित प्रबन्ध है । विन्सन्ट स्मिथ की पुस्तक, जहां तक मेरा ख्याल है, भारत में छप गयी थी । यह इंग्लैण्ड में छपकर भारत नहीं भेजी गयी है ।

श्री विश्वनाथ राय : यह तथ्य है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय स्वाधीनता के विषय में विभिन्न भारतीय क्रान्तिकारियों ने विदेशों में रहकर साहित्य रचना की । इसी सम्बन्ध में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसने इस साहित्य को इंगलैंड से प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया ? ब्रिटिश साम्राज्यवाद में भले ही इस साहित्य का कोई महत्व न हो परन्तु भारतीय स्वाधीनता संग्राम की दृष्टि से भारत के लिये इसका विशिष्ट महत्व है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य का संकेत उन पुस्तकों की ओर है जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में भारत में विहित की गई थीं । मैं यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितनी इस प्रकार की पुस्तकें परिचालन में हैं । मैं यह सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा और उसे माननोय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री मनुभाई पटेल : हमें यह पुस्तकें विदेशों से इसलिये मंगवानी पड़ती हैं क्योंकि हम उन्हें उपयुक्त मात्रा में प्रकाशित नहीं कर सकते । राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा जिन पुस्तकों का प्रकाशन होता है उनसे भी केवल केन्द्रीय विद्यालयों की मांगें भी पूर्ण नहीं होतीं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर लुप्त प्रयोग पुस्तकों की चर्चा हो रही है ।

श्री मनुभाई पटेल : इन पुस्तकों का आयात इस लिये किया जाता है कि हम उन्हें उपयुक्त मात्रा में प्रकाशित नहीं कर पाते । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके

समक्ष कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान परिषद माध्यमिक पुस्तकों के साथ-साथ लुप्तप्रयोग पुस्तकों का प्रकाशन कार्य भी ले लें ताकि इन पुस्तकों का निर्यात न करना पड़े ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री मनु भाई पटेल : श्रीमान जी इसका उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री मनु भाई पटेल : यह तो बहुत स्पष्ट है । चूंकि मंत्री महोदय प्रश्न को समझ नहीं पाये अतः मैं उसे दोहराता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री मनु भाई पटेल : मैं यह जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की विदेशों से मंगवाने की अपेक्षा क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि इन पुस्तकों को भारत में ही छापा जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले प्रश्न की पृष्ठ भूमि को समझिये और फिर उस पर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये । यह सब इससे सम्बद्ध नहीं है ।

Shri Parkashvir Shastri : Mr. Speaker, even after 22 years of independence India is slave of England in the field of knowledge. Firstly it is the impact of these books on the minds of Indian students and secondly England is enjoying a conventional copyright of these books. Sometime back Prof. Sher Singh, Minister of State in the Ministry of Education participated in a convention in which he warned England, that if it did not give up its monopoly in the field of knowledge, India will be forced to give up the copyright convention. I would like to know when Education Ministry will be self sufficient in the field of knowledge, publication and production of books ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक कापी राइट गोष्ठियों का सम्बन्ध है, अगर माननीय सदस्य उसके लिये अलग सूचना दें तो ········· श्रीमान जी क्या हो रहा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर नहीं सुनना चाहते । वह अपने प्रश्न तैयार करने में लगे हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह तो सम्भव नहीं है कि हम कापीराईट सम्मेलनों का बहिष्कार कर दें । ऐसा करना तो स्थिति को ओर खराब कर देना होगा । माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इसके बारे में वार्तापूर्ण शीघ्रता से चल रही है और जल्दी ही वह समय आने वाला है, जब हमें अनुवाद और पुनः मुद्रण का अधिकार पहले की अपेक्षा कम कीमत और कम कठिनाइयों से प्राप्त हो जायगा । अगर माननीय सदस्य इस पर अलग से प्रश्न पूछेगें तो मैं उन्हें पूर्ण व्योरा दे पाउंगा ।

जहां तक भारत में ही पुस्तकों की रचना करने का प्रश्न है हम भारतीय लेखकों को अंग्रेजी में पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन देंगे ताकि हमें इसके लिये विदेशों पर अधिक

निर्भर न रहना पड़े। विदेशी पुस्तकों के मुकाबले में भारतीय अंग्रेजी पुस्तकों को लाने का हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसकी एक उपदान योजना है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में उपदान पुस्तकों के लिये तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय विद्वानों द्वारा विज्ञान तथा तकनीकी पर लिखा गया अंग्रेजी भाषा का साहित्य होगा ताकि हम विदेशी पुस्तकों के इस बोझ से मुक्ति पा सके। यह तो सदन को मालूम ही है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करने का तो हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हम इस दिशा में विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जिन पुस्तकों की रचना हो वह मौलिक हो न कि केवल अनुवाद मात्र।

श्री म० ला० सोंधी : महोदय, भारत विश्व के पुस्तक रचना करने वाले देशों में से सब से बड़ा है। जहां तक मैं जानता हूं अमरीका का एक कर्मचारी जिसका नाम लू फनगर था भारत सरकार को अपनी पाठ्य क्रम पुस्तकों को छापने की योजना में फंसा सकने में सफल हुआ और आज उसी के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सहसा अगर आप मुझे कुछ कहने की अनुमति दें...

अध्यक्ष महोदय : मैं हर बार ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री म० ला० सोंधी : अभी हाल ही में मैं कनाड़ा विश्व विद्यालय की एक पुस्तक सूची को देखा जिस में धातु विज्ञान और अन्य विषयों पर भारतीय लेखकों की 25 से भी अधिक पुस्तकें थीं। परन्तु भारत में जिन पाठयक्रम की पुस्तकों का परिचालन है उनकी रचना उस देश के ऐसे निकृष्ट लेखकों द्वारा की गई है जिन्हें अपने देश में कोई नहीं पूंछता। क्या मंत्री महोदय इस विषय की जांच करवाने के लिये तत्पर हैं कि पाठ्यक्रम की कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो बिलकुल कृत्रिम प्रकार की है। **(व्यवधान)** उन्हें विज्ञान की पुस्तकें कोई नहीं कहता आज बहुत सा धन उन्हें संस्थाओं पर व्यय किया जा रहा है जिनका पाठ्यक्रम की पुस्तकों से कोई सम्बन्ध नहीं है अन्यथा वह केवल कागज उद्योग के ही संगठन हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोंधी जी यह श्री कूण्डू के द्वारा उठाये गये लुप्त पुस्तकों से सम्बद्ध विषय है।

श्री म० ला० सोंधी : जी हां, लुप्त प्रयोग पुस्तकों को ही छापा जाता है। मैं अमरीकी कर्मचारी लू फनगर का ही नाम ले रहा हूं जिसने शिक्षा मंत्रालय के बुद्धिमान लोगों को फंसा लिया।

अध्यक्ष महोदय : लू फनगर इस सदन में तो नहीं बैठते।

श्री म० ला० सोंधी : लू फनगर द्वारा शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को विभिन्न मान गोष्ठियों में आमन्त्रित करने के फलस्वरूप ही ऐसी पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन हुआ है। क्या मंत्री इसकी जांच करवाने के लिये तत्पर हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में मंत्री महोदय से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री म० ला० सोंधी : अगर आप वाल्कट की गतिविधियों पर प्रश्न की आज्ञा दे सकते हैं तो लू फनगर के बारे में प्रश्न क्यों नहीं करने देते।

अध्यक्ष महोदय : वाल्कट यहां कहां से आ गया।

श्री म० ला० सोंधी : मैं सोचता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह आक्षेप इस समय गलत है।

श्री म० ला० सोंधी : उनके मन्त्रालय में ही कहीं दोष है।

इसका कोई उत्तर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विषय से सम्बद्ध नहीं है इसलिये मैं इसके उत्तर की आज्ञा नहीं देता।

श्री म० ला० सोंधी : यह लुप्त प्रयोग पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न कैसे आया—इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री हेम बरुआ : श्रीमान जी, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, मन्त्री महोदय केवल उसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकते हैं जिनका उत्तर देना सार्वजनिक हित के विपरीत हो।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से इसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं ? प्रश्न स्पष्टतया अप्रचलित पुस्तकों से सम्बन्धित है। मैंने पहले ही कह दिया है कि इनका अनुपूरक प्रश्न प्रासंगिक नहीं है फिर भी यह हठ कर रहे हैं।

श्री स० कंडप्पन : यह हर्ष का विषय है कि मंत्रालय भारतीय लेखकों को महत्व देने का प्रयत्न कर रहा है और अंग्रेजी में लिखने वालों को प्रोत्साहित कर रहा है। क्या मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के क्षेत्र को व्यापक बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी शाखाएं स्थापित करने पर विचार किया जायेगा जिससे इस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहन मिल सके और हम विभिन्न विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे प्रश्न पढ़लें ताकि उनके अनुपूरक प्रश्न अप्रासंगिक न बन जाएं।

श्री समर गुह : मैं एक शिक्षक हूं मैं अप्रासंगिक प्रश्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति दे देता हूं तो मेरे लिये नियन्त्रण करना कठिन हो जायेगा।

श्री समर गुह : प्रश्न के भाग (ख) का इन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है हो सकता है सरकार ऐसी पुस्तकों के लिये आदेश न देती हो किन्तु क्या यह सत्य है कि पुस्तकों का व्यापार करने वाले निजी आयात को इंग्लैंड से पुस्तकें मंगाने के लिये लाइसेंस दिया जाता है और इनके आयात के लिये विदेशी मुद्रा भी दी जाती है। यह पुस्तकें अब अप्रचलित हैं। आयातकों द्वारा दो प्रकार की पुस्तकें मंगाई जाती हैं। कुछ मिशनरियों द्वारा प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक, जूनियर एवं सीनियर केम्ब्रिज की कक्षाओं के लिये अंग्रेज लेखकों की पुस्तकें आयात

की जाती हैं । इनमें से कुछ अप्रचलित पुस्तकें भी हैं । विज्ञान की पुस्तकों के सम्बन्ध में अपने कुछ अनुभवों के आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं तकनीकी पर कुछ पुस्तकें जो हमने चौथे दशक में पढ़ी थीं और जो अब पूर्णतया अप्रचलित हैं उन्हें आज भी विदेशों से इन निजी अभिकरणों द्वारा लाने दिया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये बातें ठीक हैं और यदि हां तो क्या सरकार इस बात का पता लगाएगी क्या मिशनरियों द्वारा आयातित पुस्तकें अंग्रेज लेखकों की हैं और क्या वे अप्रचलित हैं ? विज्ञान की पुस्तकों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गैर-सरकारी अभिकरणों को अप्रचलित और चौथे दशक में छपी पुस्तकों के आयात करने के लिए सरकार उन्हें लाइसेंस और विदेशी मुद्रा की छूट दे रही है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार से इस प्रश्न का सम्बन्ध निजी आयातकों द्वारा आयातित पुस्तकों के प्रकार से है जिसके लिये सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक विदेशी मुद्रा की छूट दी जाती है । स्पष्टतया मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है हमारे पास प्रत्येक पुस्तक के नाम की सूची नहीं है क्योंकि लाइसेंस इस आधार पर नहीं दिए जाते किन्तु यदि माननीय सदस्य निजी संस्थानों द्वारा आयातित पुस्तकों के विषय में इतने चिंतित हैं तो इस बारे में प्रयत्न करूंगा और देखूंगा कि किसी एक माह में आयातित पुस्तकों के नाम क्या हैं और तब स्थिति पर विचार करूंगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा मन्त्री ने लोक सभा में यह वक्तव्य दिया है कि सभी पुरानी और अप्रचलित पुस्तकें इंग्लैंड में छाप कर भारत में भेज दी गईं क्या मन्त्री महोदय इंग्लैंड में भारतीय उच्च आयोग के शिक्षा आयुक्त के साथ जिन्हें भारत में भेजी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की जानकारी होनी चाहिये, इस विषय पर विचार करेंगे और साथ ही उन पादरी महोदय से सम्बन्ध स्थापित करेंगे जो बम्बई के एक विद्यालय के प्राधानाचार्य हैं और जिन्होंने एक वक्तव्य भी जारी किया था और सदन को सरकारी सूचना दी थी ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं जानता कि बम्बई के किस प्रधानाचार्य ने ऐसा कहा है । यदि माननीय सदस्य उनका नाम तथा उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य की सूचना दे दें तो ………

श्री विश्वनाथन : यह पहले ही 6 मार्च 1970 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हो चुकी है । यह सज्जन सेंट जेवियर विद्यालय बम्बई, के प्रधानाचार्य हैं और इनका नाम पादरी जे० मूर है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता था कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है और न ही विद्यालय-स्तर तक की पुस्तकों के आयात की कोई योजना है । सरकार का सम्बन्ध केवल विश्वविद्यालय स्तर तक की पुस्तकों से, मुख्यत: विज्ञान और तकनीकी विषयों से है और इसके लिये तीन देशों, रूस अमरीका और

इंग्लैंड के साथ प्रबन्ध कर लिया है। पुस्तकों का चुनाव हमारे परामर्श से होता है किन्तु ऊपर विशेषज्ञों द्वारा सहमति प्रकट करना आवश्यक है। अतः हमें इस बात का विश्वास होता है कि वे अप्रचलित पुस्तकें नहीं हैं। लोक सभा में दिये गये वक्तव्य का जहां तक प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ब्रिटिश-कौंसिल द्वारा दी गई अल्प सूचना के आधार पर ऐसा कोई वक्तव्य सम्भव नहीं था। मैंने श्री कुन्दु को विश्वास दिलाया था कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या कोई ऐसा वक्तव्य लोक सभा में दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं ऐसा वक्तव्य सम्भव नहीं था, फिर भी मैं पता लगाऊंगा और स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fast Trains on Delhi-Howrah Route

*843. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any proposal for running more fast trains on the Delhi-Howrah route is under consideration of Government ;

(b) whether Government would look into the question of running the Delhi-Howrah Janta Express via Kanpur-Lucknow-Allahabad instead of via Kanpur-Allahabad in order to provide facilities to the passengers of that route ;

(c) if so, the date by which the said trains would be run on the route referred to in part (b) above ;

(d) the number of additional fast trains proposed to be run on that route ; and

(e) if the replies to parts (b) to (d) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) No, Sir.

(b), (c) and (e). Diversion of 39 Up/40 Dn Howrah-Delhi Janata Express or any other Howrah-Delhi train via Allahabad-Luckuow-Kanpur involves a detour of about 82 K.Ms apart from reduced track speed on Phaphamau-Rai Bareli section. This will not only considerably add to existing oxerall journey time but will also entail payment of enhanced fares by through passengers and those travelling over long distances and is, not justified having regard to the larger interests of the public on Howrah-Delhi route. Basides, Lucknow-Kanpur section is already working to saturation militating against the proposed diversion.

(d) From 1.4.70, a pair of Express trains has been introduced between Allahabad and Lucknow with connections at Allahabad for journeys to and from Delhi on the one hand and Howrah on the other.

इस्पात का आयात

*844 **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस्पात के आयात को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) से **(ग)**. इस संबन्ध में निर्णय कर लिया गया है और उसे 1970-71 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में लिखे 31 मार्च 1970 को सभा पटल पर रख दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। प्रारम्भतः बेदाग इस्पात, काली सादी चादरों और खुले मुंह की सैनिटरी कैन के वर्ग की टिनप्लेटों को कुछ उपयोगों के लिये आयात करने दिया गया है।

कोयला उद्योग में विदेशी कम्पनियों में अंश-धारी

*846. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग में विदेशी कम्पनियों में, कम्पनीवार, अंश-धारियोंके नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों में इनमें से प्रत्येक विदेशी कम्पनी द्वारा कितना लाभांश घोषित किया गया और लाभांश तथा स्वामित्व के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जैसा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 591 में परिभाषित है, विदेशी कम्पनियों (कोयला उद्योग की) के हिस्सेधारियों की नामों को बाबत सूचना, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा इसे भेजना अपेक्षित नहीं है। तथापि एक कम्पनी, अर्थात, भूलनबरारी कोल कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, जो ईस्ट इण्डियनकोल कम्पनी नाम की एक विदेशी कम्पनी की सहायक है। 30 अप्रैल, 1969 तक भूलनबरारी कोल कम्पनी लि० के लगभग 94.5 प्रतिशत इक्विटी पूंजी इसकी मुख्य कम्पनी के अधिकार में थी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित वर्तमान में दो विदेशी कम्पनियों कोयला खनिज उद्योग में संलग्न है। यह मैसर्स आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लि० तथा ईस्ट इण्डियन कोल कम्पनी लि० है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैसर्स भूलनबरारी कोल कम्पनी लि०, ईस्ट इन्डियन कोल कम्पनी लिमिटेड को सहायक है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन दोनों कम्पनियों में से किसी ने भी, गत दो वर्षों में लाभांश घोषित नहीं किये, क्योंकि यह हानियां उठा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मै० ईस्ट इण्डियन कोल कम्पनी ने 1968 में 9,784 रुपये का लाभांश बाहर भेजा। द्वितीय कोयला विदेशी कम्पनी ने, इन दो वर्षों में कोई लाभांश बाहर न भेजना सूचित किया है।

कच्चे माल की कमी के बारे में तामिल नाडु के उद्योग मंत्री का वक्तव्य

*847. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास**, आन्तरिक व्यापार तथा **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1970 को मद्रास में तामिल नाडु के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उद्योगों के लिये कच्चे माल की बहुचर्चित कमी मिथ्या है और यह स्थिति केवल दोषपूर्ण वितरण के कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Income and Commission Earned by Official Liquidator Appointed for M/s Golcha Properties (Pvt.) Limited, Delhi

*848. **Shri Ram Swarup Vidyarthi**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to the refer to the reply given to Unstarred Question No. 2207 on the 10 March, 1970 regarding M/s Golcha Properties (Pvt.) Limited and state :

(a) the total amount of fixed deposits accepted by M/s Golcha Properties (Private) Limited, Delhi and the terms and conditions thereof ;

(b) the total amount received by the Official Liquidator in the shape of his Commission for the period from 5th December, 1967 to 10th May, 1968 and the nature of work done by him during the said period ;

(c) the total income earned by the said Liquidator from his own practice and whether his annual net commission amounted to Rs. 20 lakhs ;

(d) whether any steps are proposed to be taken to ensure that his colossal income is restricted as early as possible ; and

(e) whether in the public interest Government propose to make an application in the Rajasthan High Court for having the payment made early and also for having the net income of the Official Liquidator restricted to Rupees 25 thousand per annum ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad): (a) The total amount to be repaid by the company to the depositors amounts to Rs. 78,48,954/- as on 31.8.1966. The interest thereon amounts to Rs. 6,06,148/- on that date. The terms and conditions of the deposits are not readily available.

(b) and (c). The Official Liquidator attached to the High Court, Rajasthan isa fulltime Central Government officer and he is not entitled to any commission on the income or realisations of the assets of the company and liquidation. The Official Liquidator has to act under the directions of the Court and being a full-time officer of the Central Government he is not allowed private practice. According to Rule 291 of the Company (Court) Rules, 1959 the Central Government is entitled to the fees on realisations and disbursements made by the Official Liquidator and these fees are credited to the Public Account of India to the credit of the Central Government.

(d) Does not arise.

(e) Payment of the amount due to any creditor or depositor can only be considered by the Court after the claims filed against the company in liquidation are settled and list of creditors is filed in the Court. The claims received by the Official Liquidator are being investigated. Government has no locus stand to make any application to the Court for early payment to the depositors as suggested. The question of making an application to the Court for having the net income of the Official Liquidator restricted does not arise.

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए संरचनाओं की सप्लाई में विलम्ब

*849. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब तथा निर्माण लागत में वृद्धि के लिये संरचनाओं के भारतीय संभरणकर्त्ता उत्तरदायी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यद्यपि भूतकाल में बोकारो को भारतीय संभरकों से संरचनात्मकों की सप्लाई में कुछ देरी हुई है परन्तु स्वयं यह तथ्य बहुत हद तक बोकारों के निर्माण में देरी का कारण नहीं है। कारखाने की कीमत के अनुमान में वृद्धि का मुख्य कारण देशीय उपकरणों की मूल्य-वृद्धि और वेतन में वृद्धि और इस्पात के मूल्य में वृद्धि है।

(ख) भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में मध्यावधि निर्वाचन

*850. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में किसी समय मनीपुर में मध्यावधि निर्वाचन कराने का निर्वाचन आयोग को कोई संकेत दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग को क्या इत्तिला मिली है ;

(ग) क्या मनीपुर प्रशासन ने सरकार को सूचित किया है कि उसने मध्यावधि निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र के समक्ष अब तक क्या प्रस्ताव रखा गया है और इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग क्या तैयारी कर रहा है ?

विधि मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन): (क) और (ख). सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह सूचित किया है कि मनीपुर में मध्यावधि निर्वाचन मानसून के समाप्त होने के बाद कराया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Setting up of Industrial Estates for Landless People

*851. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up an Industrial Estate for landless people in Uttar Pradesh at a cost of Rs. 5 crores and, if so, the details thereof; and

(b) the number of such Industrial Estates required to be set up in the entire country for settling the landless people working as agricultural labourers as also the number of years in which the said project is likely to be completed ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) In the matter of establishment and administration of Industrial Estates, the role of the Central Government is mainly that of laying down the policy for guidance of the State Governments and advancing funds required for implementation of the schemes. The Government of India have not formulated any scheme to set up Industrial Estates specifically for landless people working as agricultural labourers.

तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिये भारत-ब्रिटेन वार्ता

*852. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच कोई वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां। भारत ब्रिटिश तकनीकी दल की प्रथम बैठक में, जो 9 से 11 फरवरी 1970 तक नई दिल्ली में हुई, भारत तथा ब्रिटेन के बीच तकनीकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था।

(ख) बैठक की समाप्ति पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3128/70]**

बड़े व्यापार-गृहों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

*853. **श्री रवि राय** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में कुछ बड़े व्यापार गृहों से सम्बन्धित कुछ ऐसे समवायों के नाम बताये गये हैं। जिनको लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो वे समवाय कौन से हैं तथा जिन बड़े व्यापार गृहों से वे सम्बन्धित हैं, उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वे समवाय गैर-लाइसेंस वाले क्षेत्र में काम न कर सकें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8. 33 में सिफारिश की है कि औद्योगिक समूहों की ऐसी फर्मों जो आकार में बड़ी हैं उदाहरण के लिये ऐसी फर्में जो बड़े औद्योगिक समूहों की हैं और जिनकी आस्तियां 35 करोड़ रु० से अधिक की हैं, उन्हें ऐसे जटिल व काफी पूंजीवाले उद्योगों के विकास पर अपने संसाधन लगाने चाहिये जो मुख्यतः प्रधान क्षेत्र के हों। इसी प्रकार समिति ने यह सिफारिश की है कि विदेशी फर्मों की सहायक आवश्यकताओं को केवल इस क्षेत्र में अनुमति देनी चाहिये। समिति का विचार है कि प्रधान क्षेत्र के बाहर के उद्योग ऐसे उद्योगपतियों के लिये ही छोड़ दिये जाएं जो इन वर्गों के नहीं हैं। अतः उसने यह सिफारिश की है कि मध्य क्षेत्र अर्थात् प्रधान क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र के लिये रक्षित क्षेत्र के उद्योगों में बड़े औद्योगिक समूहों और साथ ही विदेशी फर्मों की फर्मों की प्रार्थना-पत्र स्वतः ही रद्द कर दिये जाने चाहिये। ऐसी फर्मों की सूचियां जो बड़े औद्योगिक समूहों की हैं और जो विदेशी कम्पनियों की सहायक फर्में या शाखाएं हैं और जिनके बारे में समिति ने उपयुक्त बन्धनों का सुझाव दिया है, रिपोर्ट की परिशिष्टों के खण्ड 2 में दी गई है। उसकी प्रतियां पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(ग) सरकार ने समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया है और हाल ही में उसने निर्णय भी किये हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 18-2-70 की प्रेस विज्ञप्ति का और दिनांक 19 फरवरी, 1970 की अधिसूचनाओं की प्रति भी 24 फरवरी, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 311 के उत्तर के साथ संलग्न पत्रों के रूप में सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं। संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार यद्यपि बड़े औद्योगिक समूहों, विदेशी कम्पनियों तथा प्रधान उपक्रमों के अथवा उनके द्वारा नियंत्रित औद्योगिक उपक्रम कुछ शर्तों के अधीन रखते हुए भूमि भवन और मशीनों में लगी हुई 1 करोड़ रु० की पूंजी तक लाइसेंस से मुक्त कर दिये गये हैं, तथापि ऊपर बताए गये उपक्रमों को कोई

छूट नहीं दी जायेगी । आशा है कि बड़े औद्योगिक समूहों तथा विदेशी फर्मों के अथवा उनके द्वारा नियंत्रित उपक्रम प्रधान क्षेत्र में तथा 5 करोड़ रु० से अधिक व्यक्तिगत पूंजी वाली प्रस्थापनाओं के बारे में अपने प्रयास करेंगे ।

प्रबन्धकों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सीमा के पुनरीक्षण पर भारतीय व्यापारी मंडल द्वारा चिन्ता व्यक्त करना

*854. **श्री वी० नरसिम्हाराव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारी मंडल ने प्रबन्धकों को उपलब्धियों के संबंध में प्रशासनिक सीमा का और आगे पुनरीक्षण करने की वार्ता के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस विषय पर सरकार को व्यापारी मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्णकालिक निदेशकों की उपलब्धि

*855. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इसकी अनुमति देती है कि पूर्णकालिक निदेशक अन्य कम्पनियों में दूसरे काम स्वीकार करके अतिरिक्त उपलब्धि ले लें और किसी कम्पनी से कुछ मदों पर तथा किसी अन्य कम्पनी से कुछ अन्य मदों पर अधिकतम परिलब्धि प्राप्त कर लें और इस प्रकार उस परिपत्र की पहुंच से बच सकें जिसमें कार भत्ते तथा मकान किराये आदि के लिये मद-वार परिलब्धियों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है;

(ख) क्या इण्डियन वैजीटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा गोकाक मिल्स, जिन्हें अब एक बड़े उद्योग समूह अर्थात् टाटा द्वारा ले लिया गया है, में ऐसा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन उपलब्धियों को लेने के बारे में अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रथा के विरुद्ध अपनी ओर से कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जो व्यक्ति पहले ही एक कम्पनी में पूर्णकालिक सेवा कर रहा है उसको अन्य कम्पनी में सवेतन कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती । तथापि कम्पनी अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति की दो कम्पनियों में प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं होती तथा प्रबंध निदेशक की दूसरी नियुक्ति को मार्गदर्शी निदेशानुसार कुछ मामलों में कम्पनी

कानून बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी कम्पनी में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस कम्पनी में उसकी परिलब्धियां नियमानुसार निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि दूसरी कम्पनी में परिलब्धियां चूंकि दूसरी कम्पनी में वेतन भत्ते आदि में कमी हुई है, अतः कुल परिलब्धियों में भी (जो प्रत्येक मामले में वेतन के एकतिहाई से अधिक नहीं है) तदनुसार कमी होगी । इसके अतिरिक्त दोनों कम्पनियों को छोटे-मोटे समान लगा देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(ख) और (ग). श्री डी० जे० मदान की प्रबंध-निदेशक के पद पर नियुक्ति तथा सर्व श्री एफ० एम० कोम्पले और जी खाण्डवाला की अंशकालि निदेशक के रूप में उपलब्धियों को भुगतान करने के गोडक मिल्स लिमिटिड के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है । इण्डियन बैजिटेबल प्रॉडक्ट्स लिमिटिड ने कम्पनी के प्रबंध निदेशक के पद पर श्री जी० खाण्डवाला की नियुक्ति के प्रस्ताव को इस आधार पर वापस ले लिया है कि निदेशक मण्डल मूल प्रस्तावों पर पुनः विचार कर रहा है ।

(घ) इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है ।

Pending Applications for Issue of Licences for setting up Industries in Madhya Pradesh

*856. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications received from Madhya Pradesh for the grant of Industrial licences, which are pending with Government ;

(b) the number out of them of those which have been pending for more than two years ; and

(c) the reasons for delay in their disposal ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Out of the 68 applications during 1967-69 and upto February 1970 for industrial licences for Madhya Pradesh, 20 are pending disposal, which include 4 applications in which, besides Madhya Pradesh, other States have also been indicated as alternative location. Of the pending applications, 17 were received during the latter half of 1969 and 1970.

(b) None, Sir.

(c) There has been no undue delay in the processing of these applications. The pending applications are expected to be disposed of very shortly.

मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित सहायक कारखानों पर से रोक हटाना

*857. **श्री हिंम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मोटरगाड़ियों और ट्रेक्टर के पहियों और मोटरगाड़ियों से सम्बन्वित अन्य सहायक उद्योगों के नये कारखानों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो हाल के निर्णय के अन्तर्गत किन-किन मदों के बारे में प्रतिबन्ध हटाया गया है;

(ग) इन उद्योगों में किस सीमा तक विस्तार करने का विचार है अथवा योजना है और क्या सम्बन्धित उद्योगों को प्रत्येक मद के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता बतानी पड़ेगी; और

(घ) इस आदेश के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने अथवा उन उद्योगों के विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां। अक्टूबर, 1969 में केवल 'रेडियेटरों' के अलावा जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित किया गया है मोटर गाड़ी उद्योग की सहायक सभी वस्तुओं में नये एककों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था तथा 31 जनवरी, 1970 तक इच्छुक पार्टियों से आवेदन-पत्र भेजने को कहा गया था ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मोटर गाड़ियों की विभिन्न किस्मों के लिए अनुमानत: उत्पादन स्तर बनाए रखने तथा इस स्तर तक वाहनों के उत्पादन बनाए रखने के लिए सहायक साज सामान की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से मोटर गाड़ी उद्योग के सहायक सामान हेतु नये एककों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था। मोटर गाड़ी उद्योग की सहायक वस्तुओं की विभिन्न किस्मों के लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु वास्तविक लाइसेंस देना चतुर्थ योजना अवधि के अन्त तक प्रत्येक वस्तु के लिए आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये निर्धारित आवश्यक क्षमता और विद्यमान क्षमता के बीच व्यवधान और निर्यात आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा ।

(घ) निर्धारित अवधि के अन्दर अन्दर प्राप्त हुए आवेदनों पर आजकल विचार किया जा रहा है ।

लेखापरीक्षण व्यवसाय में एकाधिकारिक प्रवृत्ति

*858. **श्री अविचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लेखा परीक्षण व्यवसाय में एकाधिकारिक प्रवृत्ति को रोकने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यवसाय में बड़े एकाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस मामले में कारगार उपाय करने के बारे में निर्णय करने हेतु विभिन्न कम्पनियों में लेखा परीक्षण संबन्धी ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

(ग) उपरोक्त आंकड़े एकत्रित होने तक उन एकाधिकारियों के नाम बताना संभव नहीं है ।

राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनाज की ढुलाई और वहां से ढोर ले जाना

*859. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनाज की ढुलाई रेलवे द्वारा की जाती है ;

(ख) क्या माल डिब्बों की मांग को सम्पूर्णत: पूरा किया जाता है;

(ग) क्या राजस्थान के ढोरों को चरागाहों में ले जाने के लिये भी रेलवे का उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को कैसे हल किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सम्भवत: आशय अनाज के परिवहन से है। राजस्थान के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों को अनाज के परिवहन की व्यवस्था रेलों ने मांग के अनुसार तरजीही आधार पर की थी।

(ख) मांग की पूर्ति पूरी तरह की गयी। सितम्बर, 1968 से फरवरी, 1670 तक सरकारी और व्यापारियों के लेखे में बड़ी लाइन के 14,568 और मीटर लाइन के 38,359 माल डिब्बों में राजस्थान के गन्तव्य स्टेशनों के लिए अनाज लादा गया।

(ग) सम्भवत: आशय राजस्थान से मवेशियों के परिवहन से है। राज्य सरकार की ओर से केवल सितम्बर, 1968 में सूखा-पीड़ित जिलों से अन्य क्षेत्रों में मवेशियों के संचलन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(घ) उच्च अग्रता के आधार पर मवेशियों का संचलन करने के लिए रेलों ने पर्याप्त प्रबन्ध किये थे और सितम्बर, 1968 से फरवरी, 1970 तक उत्तर रेलवे के बीकानेर और जोधपुर मण्डलों के स्टेशनों के लिए मीटर लाइन के 11,981 माल डिब्बों में मवेशियों का लदान किया गया।

राजनीतिक संकट के कारण औद्योगिक विकास का पिछड़ना

*860. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्तमान राजनीतिक संकट से औद्योगिक विकास पिछड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश के राजनीतिक संकट से औद्योगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत, 1960 के वर्ष के आधार 100 मानकर औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में, जो 1966 में 152.4 तथा 1967 में 151.4 था, 1968 में 161.1 तक वृद्धि हुई और 1969 में 173.00 तक अग्रेतर (अस्थायी) वृद्धि हुई है। 1967, 1968 तथा 1969 वर्ष में जनवरी सितम्बर की अवधि के सूचकांक क्रमश: 151.6, 158.5 तथा 171.1 थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loans to Surendra Industries Estate, Bombay for construction of Godowns

*861. **Shri Prakash Vir Sharstri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Surendra Industries Estate, Bombay has been given loans for constructing some godowns at the rate of one and a half lakhs of rupees per godown ;

(b) whether it is also a fact that Government intend to take the godowns on a rent of Rs. 800/- per month per godown after their construction ;

(c) whether it is further a fact that some officers have resorted to malpractices in regard to the decision taken to advance loans and hire godowns ; and

(d) if so, whether Government propose to hold an impartial inquiry in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संघराज्य क्षेत्र दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलगाड़ी विराम स्टेशनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था

*862. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघराज्य क्षेत्र, दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन ने क्या सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लोगों की कठिनाइयों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर और अधिक प्लेटफार्म बनाने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अधिक रेलगाड़ी विराम स्टेशन बनाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) रेल प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष सभी स्टेशनों, जिनमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित स्टेशन शामिल हैं, पर दी गयी सुविधाओं की समीक्षा की जाती है और आवश्यक समझी गयी अतिरिक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है तथा धन की उपलब्धता के अनुसार रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के परामर्श से उन्हें वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है ।

(ग) और (घ). संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित कुछ स्टेशनों पर निम्नलिखित अतिरिक्त यात्री-सुविधाओं की योजना बनायी गयी है :

(1) **नयी दिल्ली**—प्लेटफार्म नं० 4 और 5 पर एक यात्री शेड की व्यवस्था । काम हो रहा है ।

(2) **नरेला**– एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था । इसे 1970-71 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

(3) **तुगलकाबाद**– एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था । इस काम को 1970-71 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :–

(1) **दिल्ली**— अतिरिक्त प्लेटफार्म

(2) **नयी दिल्ली**– (क) प्लेटफार्म नं० 1 से 5 तक के यात्री शेडों का विस्तार।
(ख) दूसरे ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था ।
(ग) अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(3) **मिन्टो ब्रिज**– यात्री शेड की व्यवस्था ।

(4) **तिलकपुल**– यात्री शेड की व्यवस्था ।

(5) **दिल्ली-शाहदरा**– अप प्लेटफार्म पर यात्री शेड की व्यवस्था ।

(6) **ओखला**– (क) ऊपरी पैदल पुल का विस्तार ।
(ख) द्वीप प्लेटफार्म का विस्तार

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में और गाड़ी हाल्ट खोलने का कोई विचार नहीं है ।

डिबरूगढ़ के निकट रेलवे फाटक पर एक ट्रक और रेलगाड़ी में टक्कर

*863. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिबरूगढ़ से लगभग 50 मील दूर लाखावाली फाटक पर एक ट्रक तथा एक रेलगाड़ी के बीच हुई टक्कर में तीन व्यक्ति मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 1-1-70 को टिपोंगपानी कोयला खान का पायलट, जिसमें एक इंजन और एक ब्रेकवान था, जब कोयला खान साईडिंग पर खाली डिब्बे खड़े करने के बाद टिपोंगपानी साईडिंग से लेखापानी स्टेशन की ओर वापस जा रहा था, तो एक मोटर ट्रक गाड़ी इंजन से टकरा गया ; मोटर ट्रक एक अनधिकृत समपार रेलवे लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था । इस टक्कर के परिणामस्वरूप ड्राइवर सहित ट्रक में सवार 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और एक को मामूली चोटें आयीं ।

रेलवे सैलूनों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को पूरे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते दिया जाना

*864. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों को, जब वे रेलवे में मुख्य लेखापरीक्षक/उप-मुख्य लेखापरीक्षक के नाते कार्य करते हैं, धातु के बने रेलवे पासों और सैलून की सुविधा दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धातु से बने रेलवे पासों पर और सैलूनों में यात्रा के समय वे अपने परिवारों और बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं और यदि हां, तो यह अतिरिक्त सुविधा देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्हें उस समय भी रेलवे सैलूनों की सुविधा का उपयोग करने दिया जाता है जब उन्हें ऐसे स्थानों के बीच यात्रा करनी होती है, जहां रेलवे विश्राम गृह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और जब वे सैलून का लाभ उठाते हैं तो उन्हें पूरी दर पर यात्रा एवं दैनिक भत्ते देने का औचित्य क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) . इस प्रश्न का सम्बन्ध भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की रेलवे लेखा परीक्षा शाखा से है जो भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के नियंत्रण में काम करती है। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी भारतीय रेलों पर मुख्य लेखा परीक्षक/उप मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करते समय भारतीय रेलों के यात्रा भत्ता नियमों से शासित होते हैं। अन्य रेलवे अधिकारियों की तरह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी भी रेलों पर धातु के पासों से यात्रा करने के हकदार होते हैं। इससे वे ड्यूटी पर यात्रा करते समय निरीक्षण यानों का इस्तेमाल करने के हकदार हो जाते हैं, बशर्ते निरीक्षण यान उपलब्ध हों। रेलवे द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करते समय धातु के पासों के प्राधिकार पर उन्हें अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों अर्थात् पत्नी, और आश्रित बच्चों को भी साथ ले जाने की अनुमति है, जैसा कि नियमों के अंतर्गत बताया गया है। इस मामले में और यात्रा तथा ड्यूटी भत्तों की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में इन अधिकारियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि तदनुरूपी ओहदे के अन्य रेल अधिकारियों के साथ किया जाता है।

आम तौर पर जब अधिकारी निरीक्षण यानों में यात्रा करते हैं तब वे सीमित संख्या में उपलब्ध रेलवे विश्राम गृहों की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते।

निरीक्षण यानों के इस्तेमाल को अत्यावश्यक जरूरतों के अनुरूप न्यूनतम रखने के उद्देश्य से इस पूरे प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है। भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने मुझे विश्वास दिलाया है कि उन्हें अपने अधिकारियों पर भी वैसी ही पाबन्दियां लागू किये जाने पर कोई आपति नहीं होगी।

रेलवे के यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत दैनिक भत्ते की दर का सम्बन्ध अधिकारी की हैसियत और मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि से होता है और निरीक्षण यान और/या विश्राम गृह की सुविधाओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

*865. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 3 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पहले कई अवसरों पर इस बात को स्वीकार किया है कि इस्पात की चादरों की अत्यधिक कमी के कारण ड्रम तथा बैरल उद्योग की वर्तमान क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की नई क्षमता को मान्यता देने के क्या कारण हैं जबकि उस उद्योग पर रोक लगी हुई थी और उक्त फर्म को इस्पात की चादरों की, जिनकी उस समय कमी थी, सप्लाई करने के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप विद्यमान कारखानों के लिए और कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस्पात की चद्दरों की सामान्य कमी से इस्पात का प्रयोग करने वाले उद्योगों, जिनमें ड्रम तथा बैरल उद्योग भी सम्मिलित हैं, प्रभावित हुए हैं, सर्वविदित है। परन्तु जिन परिस्थितियों में तेल के पीपे बनाने के लिए मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० को क्षमता स्वीकृत की गई थी, वे दिनांक 24 नवम्बर, 1967 को लोक सभा के प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी हैं। 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन समिति के 85वें प्रतिवेदन के 42 से 52 पृष्ठों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादन की विविधता

*866. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने ऐसी वस्तुओं का निर्माण आरम्भ कर दिया है, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष में जिन वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया गया, उनका देशवार ब्योरा क्या है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने आन्तरिक खपत के लिए मशीनी पुर्जों के अतिरिक्त विविधता लाने के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और विविधता लाने के इस कार्यक्रम से आयात की जाने वाली वस्तुओं का यहां पर निर्माण करने में कहां तक सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० मशीनी औजार और कलाई घड़ियां बना रहा है। कम्पनी खराद, रेडियल बरमा मशीनें, सान चढ़ाने की मशीनें, टरेट खरादें और छिलाई की मशीनें जैसी सामान्य प्रयोजन की मशीनों का निर्यात कर रही है। कम्पनी इस समय जितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, उसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि विदेशों में प्रत्येक मंडी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त यह कम्पनी निर्यात के लिये मिलिंग मशीन, एम० 1 टी० आर० माडल, लेथ माडल, एफ० टी० 20 चकर, मिनी चकर संशोधित ई 2 इलैक्ट्रिक मिलिंग टरेट और प्रोडक्शन लेथ एल० 22 वी सिरीज में तथा सिर में ड्रिकामा ग्राहंसि मशीन जैसे मशीनी औजार निर्यात के लिए बना रही है।

(ग) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी

(घ) और (ङ). कम्पनी की छपाई की मशीनों और कृषि के ट्रेक्टरों का उत्पादन आरंम्भ करके अपने उत्पादन में विविधता लाने की योजना है। इस कम्पनी ने सरकार को कई प्रकार की छपाई की मशीनें तैयार करने की योजना को प्रस्तुत की है। यह मशीनें इटली के मे० सोसाइटा नेविआको के तकनीकी सहयोग से बनाई जायेंगी और इनमें स्वचालित लेटर प्रेस, आफसेट प्रेस और कागज काटने की मशीनें सम्मिलित हैं। कम्पनी ने अपने पिंजोर (हरियाणा) वाले कारखाने में प्रतिवर्ष 20 अ० श० वाले 12,000 ट्रेक्टर बनाने की क्षमता के लिये भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं। जब सरकार इन प्रस्ताव को मंजूर कर देगी और कम्पनी इसको अमल में लायेगी तभी इन मशीनों में विदेशी पुर्जों आदि के स्थान पर देशी पुर्जे अधिक से अधिक मात्रा में लगाये जाने का प्रश्न पैदा होगा।

सरकार द्वारा काली सूची में नाम दर्ज गैर-सरकारी समवाय

*867. **श्री रा० बरुआ** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, सरकार द्वारा काली सूची में नाम-दर्ज सरकारी समवायों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक समवाय का नाम काली सूची में दर्ज करने के क्या कारण थे और कितने कितने समय के लिये ऐसा किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में काली सूची में नाम-दर्ज समवायों के कार्य संचालन पर कितना जुर्माना किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). संभरणकर्ताओं के लिये मानकीकृत संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों द्वारा विभिन्न समवायों को काली सूची में दर्ज किया जाता है। काली सूची में दर्ज की गई फर्मों को काली सूची में दर्ज किये जाने के वास्तविक कारणों से सूचित नहीं किया जाता है। अतः माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई सूचना बताना जन हित में नहीं होगा।

Additional III Class Bogies in Mail Trains to Check over-crowding

*869. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is very inconvenient to travel in III class compartments in the Mail trains because of their being over-crowded in spite of the fact that means of communications have been much developed in the country ;

(b) whether Government propose to attach additional III class compartments to the Mail trains ; and

(c) whether any other steps are proposed to be taken for the convenience of passengers during the Fourth Plan period ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No Sir, except in the case of few popular long distance Mail/Express trains.

(b) Wherever overcrowding has been noticed measures have been taken and will continue to be taken to augment III class accommodation to the extent justified and feasible including by switch-over to more powerful diesel/electric traction.

(c) Steps to mitigate overcrowding by way of introduction of additional trains and extension/augmentation of existing services etc. are considered half yearly on the basis of each time table and not with reference to Five Year Plans. However, a total of 2625 BG and 625 MG coaches. 50 BG Diesel Rail Cars and 596 BG EMU coaches have been provided for in the Railways 4th Plan period to meet with the demand of the travelling public.

भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विदेशों से ऋण

*870. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिये विभिन्न देशों से ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो देशवार, कितना-कितना ऋण मांगा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 55 मिलियन अमरीकी डालर (41.25 करोड़ रुपये) का एक ऋण प्राप्त किया है । ऋण के करार पर 24 सितम्बर, 1969 को हस्ताक्षर हुये । ऋण की रकम का उपयोग 1969-70 और 1970-71 में रेलों के विदेशी मुद्रा व्यय के अधिकांश भाग को पूरा करने के लिये किया जायेगा । बाकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा पहले की तरह संयुक्त राज्य अमरीका, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, केनेडा, इंगलैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड, जापान, बेल्जियम आदि द्वारा दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता से लेने का विचार है । विशिष्ट रूप से और केवल भारतीय रेलों के लिये इनमें से किसी भी देश से कोई ऋण नहीं मांगा गया है ।

खाद्य उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

5366. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उद्योग की आवश्यकताओं की जांच करने तथा उस उद्योग के युक्तिकरण के

लिये सिफारिश देने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी सिफारिशों की ऐक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Working of NEPA Mills

5367. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to ensure the efficient working of the Nepa Mills since its inception ; and

(b) the progress made in respect of utilising the full installed capacity of the said Mills ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The following steps have been taken to improve the working of Nepa Mills :

(i) Production capacity of the Paper Section of the Nepa mills has been expanded from 30,000 to 75,000 tonnes per annum and the programme about the expansion of its pulping capacity and chemical recovery plant is under implementation.

(ii) Better inventory control has been introduced.

(iii) The packing of the newsprint has been improved.

(iv) The quality of the newsprint has been improved.

(b) At present the mill is producing on an average 150 tonnes of newsprint per day against the total installed capacity of 250 tonnes per day of both the old and new Paper Machines. It will be possible for the mill to work to its full capacity after the new pulping machine is installed.

वेश्यावृत्ति के बारे में नारी रक्षा समिति की सचिव द्वारा वक्तव्य

5368. **श्री बाबू राव पटेल**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नारी रक्षा समिति की सचिव श्रीमती मंजु अग्रवाल द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आज 40 प्रतिशत वेश्यावृत्ति मध्यम श्रेणी की शिक्षित महिलाओं द्वारा की जाती है और बड़े होटल लड़कियां सप्लाई करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन होटलों के नाम क्या हैं जिनके बारे में ऐसा आरोप है कि वहां ऐसा किया जाता है;

(घ) क्या नारी रक्षा समिति ने वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव देते हुए केन्द्रीय सरकार को लिखा है, और यदि हां, तो वे प्रस्ताव किस किस्म के हैं; और

(ङ) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 1968 तथा 1969 में राज्यवार कितने व्यक्तियों (पृथक-पृथक नारी तथा पुरुषों) को गिरफ्तार किया गया तथा दंडित किया गया ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन का ध्यान हाल ही में इस बयान की ओर आकर्षित किया गया है और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान ।

(ङ) कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से केवल वर्ष 1968 के लिए जानकारी उपलब्ध है, जिसे संलग्न विवरण में दिया गया है ।

स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के अधीन गिरफ्तार किए गए तथा सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या ।

क्रम संख्या	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या	
		पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां
1.	हरियाणा	–	2	–	2
2.	गुजरात	3	4	–	–
3.	केरल	30	54	10	6
4.	मध्य प्रदेश*	— 5 —		— 55 —	
5.	मद्रास	114	1910	42	1410
6.	महाराष्ट्र	40	374	23	272
7.	मैसूर	40	2669	28	2569
8.	दिल्ली	22	130	2	5
9.	मनीपुर	6	7	–	–
	जोड़:	255	5150	105	4264

*पुरुषों तथा स्त्रियों की अलग अलग संख्या उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में रेलवे प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल

5369. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है तथा उनको चलाने में कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) क्या यह सच है कि ये स्कूल मुख्यत: रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लाभ के लिए हैं और विशेषकर उनके बच्चों के लिये, जिनके वेतनमान कम हैं;

(ग) यदि हां, तो गैर-रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की तुलना में इन स्कूलों में पढ़ रहे रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गैर-रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश देने के लिये रेलवे कर्मचारियों के कई योग्य बच्चों को प्रवेश से मना कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विद्युतीकरण के कार्य पर लगाये गये नैमित्तिक मजदूरों को काम से हटाना

5370. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने रेलवे के उस भाग का विद्युतीकरण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है जो इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1968 को उत्तरदायित्व लेने के तुरन्त पश्चात् इसके कई नैमित्तिक मजदूरों को काम से हटा दिया जो रेलवे विद्युतीकरण एकक में 1960 से काम कर रहे थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि काम पर से हटाये गये इन मजदूरों को तीन या चार दिन के बाद फिर उनके पुराने काम पर लगा दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनको हटाये जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे विद्युतीकरण पर्यवेक्षक कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को पूरा करना

5371. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण के लगभग 200 पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये कलकत्ता तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में मामले दायर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें अथवा मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने उनकी शिकायतों/मांगों को बातचीत द्वारा पूरा करने के लिये कोई प्रयास किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण रेलवे द्वारा किये गये कार्य पर व्यय

5372. **श्री जी० कुचेलर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968-69 में ई० एल० आर० द्वारा किये गये कार्य पर दक्षिण रेलवे में कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) उक्त अवधि में इ० एल० आर० श्रमिकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कितनी राशि का दुर्विनियोग किया गया ; और

(घ) क्या कोई जांच कार्यवाही की गई थी, और यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) 10,95,25,876 रुपये जिसमें सामान की लागत शामिल है ।

(ख) 2,35,14,520 रुपये ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Increase in Price of Coca-Cola

5373. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of coca-cola per bottle has inereased from 25 paise to 40 paise during the last four years ;

(b) if so, the reasons therefor and the items on which the expenditure of coca-cola manufacturers increased and the extent of increase in expenditure, item-wise ;

(c) whether it is also a fact that the prices of several articles such as sugar etc., have now gone down but in spite of that the price of coca-cola has not been brought down ; and

(d) whether Government propose to look into the matter thoroughly and control the price of coca-cola and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The increase in the price of Coca-Cola is understood to be due to the increase in the cost of its production. Some of the items which are said to be responsible for the increase in the cost of production are :—

1. Glass Bottles.
2. Crown Corks.
3. Chemicals and Preservatives.
4. Distribution Cost.
5. Increased excise duty.
6. Overheads and raw materials.

(c) According to the Coca-Cola bottles, the decrease in the price of sugar has been more than off-set by the increase in the costs of items mentioned above.

(d) Government is looking into the matter. Since Coca-Cola is not covered under the Essential Commodities Act, the question of statutory control of the price thereof does not arise at this stage.

भारत में ब्रिटिश पूंजी विनियोजन की संभावनायें

5374 **श्री हिम्मतसिंहका :**
डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ब्रिटिश पूंजी विनियोजन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये ब्रिटेन के विदेश-विकास मंत्री श्रीमती ज्यूडिथ हार्ट ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्वेषक दौरे का क्या परिणाम निकला है और चौथी पंच-वर्षीय योजना में कितना ब्रिटिश पूंजी विनियोजन होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ब्रिटेन की विदेशी विकास की मंत्री, श्रीमती ज्यूडिथ हार्ट ने हाल ही में भारत का दौरा किया था । देश के कई औद्योगिक उपक्रमों को देखने के अतिरिक्त वह प्रधान मन्त्री, मन्त्रियों तथा सरकार के कुछ अधिकारियों से मिली थीं। उन्होंने भारत-ब्रिटेन तकनीकी दल की 9 फरवरी 1970 को हुई उद्घाटन बैठक में भाषण भी किया था। भारत-ब्रिटेन तकनालोजीकल दल की बैठक में विषयों के विस्तृत क्षेत्र पर बात चीत हुई जिसमें पारस्परिक हितों में ब्रिटिश तकनालोजी के सहयोग को विस्तृत करने की सम्भावनाएं सम्मिलित थीं। बातचीत सामान्य प्रकार की थी और इसमें ब्रिटिश विनियोजन का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं गया था ।

(ख) गैर सरकारी विदेशी विनियोजन मुख्यतः भारतीय तथा विदेशी गैर-सरकारी विनियोजन की पहल तथा परिश्रम पर तथा इस प्रकार के विनियोजन के लिये उपयुक्त क्षेत्र के उपलब्धि पर निर्भर करता है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में गैर-सरकारी ब्रिटिश विनियोजन के सम्भावित परिणाम को इस समय बता सकना कठिन है ।

मेसर्स जयश्री केमिस्ट लिमिटेड द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का निर्माण

5375. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री दे० अमात :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी उपक्रम मैसर्स जय श्री केमिकल्स लिमिटेड ने अपने विद्यमान कास्टिक सोडा कारखाने में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का निर्माण करने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के उत्पादन से वर्तमान कारखाने की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये लाइसेंस देने को सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़े राज्य के लिये लाइसेंस देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्ज जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड (जो एक सरकारी उपक्रम नहीं है) की ओर से उनके वर्तमान कास्टिक सोडा कारखाने में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट नामक नई वस्तुओं के उत्पादन हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) उक्त कम्पनी ने इस सम्बन्ध में अपना दावा पेश किया है ।

(ग) और (घ). इस आवेदन पत्र तथा अन्य लोगों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सरकार विचार कर रही है ।

Setting up of Flour Mills during Fourth Five Year Plan

5376. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of flour mills proposed to be set up in the country during the Fourh Five Year Plan ; and

(b) the details thereof, State-wise ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) According to the recommendations of the Flour Milling Committee (1967), the licensed/installed capacity of the roller flour milling industry in the country as a whole is sufficient for the present and future needs upto the end of the 4th Five Year Plan.

(b) Does not arise.

Employment for Handicapped Persons

5377. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of educated crippled persons (blind, dumb and deaf) in the country at present, who can be put to some work ;

(b) whether some Bill was passed in the Lok Sabha in respect of according priority to these persons for providing jobs and whether the provisions of the said Bill have not been carried out ; and

(c) if so, whether Government would soon enact some law for providing these crippled persons with employment ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No reliable data are available.

(b) No, Sir. But, physically handicapped persons have been accorded priority III for submission by employment exchanges against Central Government vacancies.

(c) The feasibility of enacting legislation will be explored.

बजट की घोषणा के पश्चात खाद्यान्नों तथा चीनी तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि

5378. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रमेश चन्द्र व्यास :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० अमात :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट की घोषणा के पश्चात् खाद्यान्नों, चीनी तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में एकदम वृद्धि हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सर्वसाधारण द्वारा उपयोग की जा रही आवश्यक वस्तुओं के 7 फरवरी, 1970 तथा 14 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के थोक मूल्यों के सूचकांक दिखाने वाला विवरण संलग्न है । इसके अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि बजट की घोषणा के पश्चात अनाजों तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कोई आकस्मिक वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये निम्न पग उठाये गये हैं :

1. मांग की पूर्ति के लिये कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को तेज करने के लिये, सतत् प्रयत्न ;
2. जनता की उपभोग की वस्तुओं जैसे खाद्य चीनी तथा दूध की सरकारी वितरण प्रणाली का गठन ;
3. वनस्पति तेलों पर सांविधिक रूप से तथा टायर और ट्यूबों, दियासलाई, सूखे बैटरी सेल, साबुन इत्यादि पर अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन विनियमन नियन्त्रणों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का सामान तथा उचित वितरण ;
5. आवश्यक वस्तुओं की सहकारी संस्थानों के माध्यम से उपलब्धि जैसे सुपर बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार इत्यादि; तथा
6. राजकोषीय तथा द्रव्य नीतियों द्वारा मांग के आधिक्य को रोकना जेसे मूल्यों में काल्पनिक वृद्धि को रोकने के लिये बैंक के ऋण को दुष्प्राप्य बनाना।

विवरण

आधार 1961-62=100

क्र० सं०	वस्तु	7-2-70	14-2 70	21-2-70	28 2-70	7 3-70	14-3-70
1.	अनाज	210.6	210.3	209.8	210.3	212.9	214.8
2.	चीनी	157.8	157.8	157.8	157.8	153.8	153.8
3.	खाद्य तेल	210.1	212.8	214.5	216.6	222.5	217.4
4.	दूध	198.8	200.5	202.2	200.5	211.3	210.6
5.	औषधियां	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
6.	मिट्टी का तेल	171.5	171.5	171.5	171.5	178.6	178.6
7.	डीजल तेल	122.8	122.8	122.8	122.8	122.8	122.8
8.	सूती वस्त्र	139.6	139.6	140.3	140.5	140.5	140.5
9.	साबुन	136.6	136.6	136.6	136.6	136.6	136.6
10.	दियासलाई	114.1	114.1	114.1	114.1	114.1	114.1
11.	कागज उत्पादन	120.4	120.4	120.4	120.4	120.4	120.4
12.	रबड़ के टायर और ट्यूब	160.5	160 5	160.5	160.5	160.5	160.5
13.	सोडा ऐस	139.3	139.3	139.4	139.4	142.2	142.2
14.	जमड़े के जूते	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1
15.	अल्मूनियम	136.0	136.0	136.0	136.0	141.6	141.6
16.	साइकिलें	115.3	115.3	115.2	115.3	115.3	115.2
17.	लैंम्प तथा लालटेनें	150.1	150.1	150.1	150.1	150.1	150.1

स्रोत : आर्थिक परामर्शदाता का कार्यालय

Progress in setting up factories for Manufacture of Baby Food

5379. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state the progress made so far in regard to stopping import of baby food and setting up factories for the manufacture of baby food based on the technique developed for manufacturing baby food from buffalo milk and the outlines for future development in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : Import of baby food is banned. Factories for the manufacture of baby food have already been set up in different parts of the country for a total approved/licensed capacity of 22,433 tonnes p. a. These factories are producing baby food from buffalo milk. A target of 45,000 tonnes per annum for development of baby food-manufacture has been fixed towards the end of the Fourth Five Year Plan.

Mismanagements in International Computers Manufacturing Limited, Bombay and International Computers (Private) Ltd.

5380. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in January, 1969 an enquiry was conducted in respect of mismanagement prevailing for years together in the International Computers Manufacture Limited, Bombay and its sister concerns the International Computers Private Limited ;

(b) whether it is also a fact that some fine has been imposed on the said concerns ;

(c) the extent of loss the country suffered due to the said mismanagement ; and

(d) the names of the persons found at fault for this mismanagement and the nature of punishment awarded to each of them separately ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) In the records of the Registrar of Companies, Maharashtra, the full names of the two companies appear as the International Computers Indian Manufacture Ltd. and the International Computers (India) Private Ltd., respectively. The books of accounts of the International Computers Indian Manufacture Ltd. were inspected under section 209 (4) of the Companies Act in the middle of 1968. The books of accounts of the other company have not been inspected.

(b) No, Sir.

(c) The report of the Inspecting Officer relating to the International Computers Indian Manufacture Ltd., did not bring out any instance of mismanagement or any serious irregularity in the working of the company in so far as the provisions of the Companies Acts 1956 are concerned.

(d) Does not arise.

पंजाब में भारी उद्योगों की स्थापना

5381. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री सीता राम केसरी :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में भारी उद्योग स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब में किसी भारी उद्योग की स्थापना का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Inclusion of Berwa Caste in Scheduled Castes' List

5382. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Berwa community is included in the list of Scheduled Castes ;

(b) whether it is also a fact that, as per the Report of the Joint Committee of both the Houses of Parliament, the said community is to be included in the list of Scheduled Castes maintained by the Government of Rajasthan ;

(c) if so, the reasons for which the high officials in Delhi and Ajmer, Beawar, Nasirabad and Mount abu Districts in Rajasthan refuse to issue a certificate to the effect that the people of the said community belong to the Scheduled Castes, and also to recognise such a certificate produced by them ; and

(d) whether Government propose to ensure that the people belonging to the Berwa community who come from the districts mentioned above for seeking employment are given due recognition as per the recommendations contained in the aforesaid report of the Joint Committee and are not denied thier rightful claims ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). Yes. The Bairwa or Berwa community is at present a Scheduled Caste throughout the State of Rajasthan except Ajmer district, Abu Road taluka of Sirohi district and Sunel Tappa of Jhalawar district. The Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967 has agreed to the removal of area restrictions, as proposed in the Bill.

(c) and (d). The Bill to amend to the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as reported by the Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967, is now before the House. The provisions of the Bill become effective only after it is passed by both the Houses of Parliament and receives the assent of the President.

बढ़िया किस्म की शराब बनाना

5383. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार देश में, यहां तक कि अधिकारियों सहित उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में, मद्यनिषेध लागू करने से असफल रही है, क्या देश में ही बढ़िया किस्म की शराब (अल्कोहल) बनाने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख). मद्यनिषेध के बारे में भारत सरकार की नीति यथापूर्व है, क्योंकि मद्यनिषेध राज्यों का विषय है, इसलिये यह राज्य सरकार की इच्छा पर है कि यदि वह उचित समझे तो उच्च स्तर की शराब (अल्कोहल) तैयार करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा शेयरधारी

5384. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेयरधारियों के नाम तथा पते सहित निम्नलिखित कम्पनियों के निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं :

(1) बैटर थेयटर्स (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली ;
(2) दि न्यू रेल्टो सिनेमा (प्रा०) लिमिटेड, अमृतसर ;
(3) शिवालिक टाकीज लिमिटेड, नांगल टाउनशिप ;
(4) रोहतक राज टाकीज (प्रा०) लिमिटेड, रोहतक ;
(5) रामनिक कला मन्दिर (प्रा०) लिमिटेड, पठानकोट ;
(6) न्यूपिक्चर्स कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, रेवाड़ी ;
(7) मिनर्वा फिल्म्स लिमिटेड, सोनीपत ;
(8) अपर इंडिया पिक्चर्स लिमिटेड, जालन्धर ;
(9) दिल्ली फिल्म कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड, जालन्धर ; और
(10) एन्टर टेनर्स (इंडिया) लिमिटेड, जालन्धर ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): 10 चलचित्र कम्पनियों के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5384/70]**

Salaries of Teachers in Railway Schools

5385. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers in the Railway schools are receiving less salary as compared to the salary of their counterparts in the Central Schools ;

(b) if so, the reasons therefor and the difference in their salaries ; and

(c) the steps taken to bring their salary at par with that of the Central School teachers ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The scales of pay of Teachers working in Railway Schools have been revised upwards with effect from 1.5.1969 on the basis of the recommendations of the Kothari Commission as adopted by the Ministry of Education for schools in Centrally administered areas. For over two decades, the teachers in Railway Schools have been allowed the scales of pay as adopted by the Ministry of Education for the schools in the Centrally administered areas. It is not considered necessary to depart from this principle.

Information regarding the scales of pay applicable to the teachers in the Central Schools is being collected and a comparative statement of those scales and the scales on the Railway will be laid on the Table of the Sabha.

तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का विकास

5386. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी परामर्शदात्री सेवा के विकास के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो ये सुझाव किस प्रकार के हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार ने देश में तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं के विकासार्थ कुछ उपाय किये हैं तथा ऐसे कदमों के बारे में और आगे विचार कर रही है जिनसे इन सेवाओं का विकास तेजी से किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिये देश में उपलब्ध परामर्शदात्री सेवाओं का पूर्ण उपयोग हो। विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं को आयातित करने की अनुमति केवल उन क्षेत्रों में दी जाती है जहां भारतीय परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जहां भारतीय परामर्श के साथ ही विदेशी परामर्श की भी आवश्यकता होती है वहां ऐसा प्रावधान किया जाता है कि ऐसी परियोजनाओं में भारतीय परामर्शदाताओं को भी सम्बद्ध रखा जाना चाहिए। हाल ही में सरकार ने देसी परामर्शदात्री सेवाओं के प्रसार हेतु परामर्शदात्री संगठनों से कई बार विचार-विमर्श किया है। देश के अन्दर तकनीकी सेवाओं की उपलब्धि पर पूरी जानकारी इकट्ठी करने की दृष्टि से, भारत में कार्य कर रही सभी परामर्शदात्री इंजीनियरी फर्मों से कहा गया है कि वे औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के पास अपने को दर्ज करा लें।

योजना आयोग ने परामर्शदात्री सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययनार्थ तकनीकी सेवाओं पर एक समिति स्थापित की है। समिति के पास तकनीकी परामर्शदाताओं की परिभाषा तथा कार्य, व्यवसाय के विनियमन, काम देने की शर्तें व उनकी फीस, विदेशी तकनीक के आयात तथा विदेशी परामर्शदाताओं के लगाने और आर्थिक सुविधाओं आदि से सम्बन्धित परामर्शदात्री इंजीनियरी संगठनों से विभिन्न सुझाव आये हैं। इन सुझावों पर समिति ने विचार कर लिया है। समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ देश में परामर्शदात्री सेवाओं के सम्बर्द्धन हेतु आवश्यक उपायों पर विचार किया जायेगा।

Prohibition in Pauri-Garhwal

5387. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 215 on the 18th November, 1969 regarding prohibition in Pauri-Garhwal, U. P. and state :

(a) whether the required information has since been collected from the State Government ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha : (a) to (c). The Government of Uttar Pradesh have now intimated their decision to introduce total prohibition in Pauri-Garhwal district with effect from the 1st April, 1970.

तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के समीप रेलवे फाटक पर उपरि पुल

5388. **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे फाटक पर उपरि पुल के प्रस्तावित निर्माण कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). वर्तमान कार्यविधि के अनुसार रेलें केवल पुल संरचना का निर्माण करती हैं और पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार सड़क प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। दोनों भागों में होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति में समन्वय होना आवश्यक है ताकि पुल-संरचना तथा पहुंच मार्गों का काम एक साथ पूरा हो सके। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मार्च, 1969 में केरल राज्य सरकार से एक अनन्तिम प्रस्ताव मिला था, लेकिन नवम्बर, 1969 तक उनकी ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला। इस काम को पारी से बाहर 1970-71 में प्रारम्भ करने या 1971-72 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने की व्यावहारिकता पर अभी विचार किया जा रहा है।

शकूरबस्ती शेड, दिल्ली डिवीजन के कर्मचारियों से तुगलकाबाद शेड (उत्तर रेलवे) के लिये नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन

5389. **श्री प० राममूर्ति :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री नम्बियार : **श्री भगवान दास :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में तुगलकाबाद स्टेशन पर एक नया डीजल शेड खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शेड में रेलवे कनिष्ठ कर्मचारियों की भर्ती दिल्ली डिवीजन के बाहर से की जाती है यद्यपि डिवीजन में रेलवे के वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाती है ;

(ग) दिल्ली डिवीजन के कर्मचारियों को पदोन्नति की सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शकूर बस्ती शेड के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा नई दिल्ली में हुई वार्षिक अधिवेशन में की गई मांग

5390. **श्री दे० अमात :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन् :
श्री दंडपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने नई दिल्ली में हाल में हुये अपने वार्षिक अधिवेशन में क्या मांगें की थीं ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोटा स्थित सूक्ष्म औजार निर्माण कारखाने में उत्पादन में विविधीकरण

5391. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन् :
श्री दंडपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) स्थित प्रिसिजन इन्सट्रूमैन्ट्स प्लान्ट में उत्पादन का विविधीकरण करने के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विविधीकरण के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह निर्णय रूसी प्राधिकारियों के कहने पर किया गया था ;

(घ) क्या रूसी प्राधिकारियों की सलाह पर इस प्लान्ट में तीसरी बार विविधीकरण किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्लान्ट में तीसरी बार यह विविधीकरण करना प्लान्ट की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में कितना सहायक होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की पालघाट परियोजना के कार्यान्वयन को मुल्तवी करने के निर्णय तथा चतुर्थ योजना अवधि के पालघाट परियोजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले औजारों को उसके कोटा वाले एकक में ही बनाने के निर्णय के फल-स्वरूप कम्पनी ने अपनी रूसी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करके दूसरी बार विविध प्रकार की चीजों का उत्पादन करने का निश्चय किया है। वायवीय (न्यूमेटिक) औजारों के लिये रासायनिक व उर्वरक संयंत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, जिससे एकीकृत कार्य-प्रणाली की व्यवस्था हो सके और कोटा संयंत्र के कारखानों की उत्पादन क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया जा सके, उत्पादन में इस प्रकार की विविधता लाना और भी आवश्यक हो गया है।

अमरीका से तकनीकी जानकारी

5392. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री दण्डपाणि** :
श्री सामिनाथन् : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी राजदूत के उस वक्तव्य को पढ़ा है जो उन्होंने इंजीनियरिंग एशोसियशन आफ इंडिया की बैठक में भाषण देते हुए दिया था कि अमरीका भारत में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को तैयार था ;

(ख) तो क्या उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सरलता से तकनीकी जानकारी अथवा पूंजी देने में अधिक बाधाएं आ रहीं थीं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) अमरीका से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने कुछ ऐसे समाचार देखें हैं।

(ग) तकनीकी जानकारी अथवा पूंजी के भारत में आने की समस्या पर विचार भारत की समूची आर्थिक नीतियों तथा भारत में अब तक हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए करना होता है। सरकार विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहायता, के विशेष कर जटिल उत्पादन क्षेत्र के मूल्य तथा आवश्यकता को मानती है। विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन तथा सहयोग के प्रति सरकार की मौलिक नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक वही है और उसे देश में सुदृढ़ औद्योगिक आधार और देश के उत्पादकों के निर्यात के संवर्द्धन की आवश्यकता, देश में

स्थापित अनुसन्धान तथा परामर्शदात्री सेवा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और आधारभूत नीति की परिधि में रहते हुए इसे कुछ नया रूप दिया गया है।

(घ) विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के लिए भारत सरकार की नीति में विदेशी विनियोजकों, जिनमें अमरीकी विनियोजक भी सम्मिलित हैं, को कई प्रकार की सुविधाओं तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन सुविधाओं के, एक बार देश में आ जाने पर विदेशी पूंजी के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जाता, लाभ तथा लाभांशों को अपने देश में भेजने की स्वतंत्रता, आय पर देय दोहरे कर से मुक्ति तथा विदेशी कम्पनियों को लाभांश रायल्टी की अदायगी पर कर के मामले में विभिन्न प्रकार की छूटें तथा तकनीशियनों इत्यादि को आयकर में छूट सम्मिलित हैं। विदेशी विनियोजन मण्डल के गठन तथा सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रकाशन के बाद विदेशी विनियोजन/सहयोग के आवेदनों का अब शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है।

Railway Link for Rewa with Allahabad or Satna

5393. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Railway Line in the Rewa District in Madhya Pradesh, which had once been the capital of Vindya Pradesh, and only buses are the means of transport for going there ;

(b) whether Government propose to connect the Rewa town with Allahabad or Satna by constructing a Railway Line so as to connect this District with important industrial lines and also to Develop it ;

(c) if so, the estimated outlay involved in it ; and

(d) if not, the action proposed to be taken to connect the said town with any of the Railway lines ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Due to paucity of funds and lack of traffic justification the construction of this line cannot be considered at present.

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को तदर्थ वार्षिक वृद्धियां

5394. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने रेलवे कर्मचारियों को तदर्थ वृद्धि दिये जाने से, जिनकी उन्होंने इस वर्ष रेलवे बजट पर उत्तर देते समय घोषणा की थी, लाभ पहुंचा है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने यह मांग की है कि ग्रेड में

अधिकतम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उतनी ही वार्षिक वृद्धियां दी जायें जितने वर्ष से वे अधिकतम वेतन ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार तीसरे वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा कर चुकी है जिसे देखते हुए सरकार का इस सम्बन्ध में फिलहाल आगे कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

ढोल निर्माण उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग

5395. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री ढोल निर्माण उद्योग के बारे में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब महाराष्ट्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस विषय पर विचार न करने तथा उन पर इस बात के लिये बल देने की कि वे फालतू क्षमता को अन्य राज्यों में, जहां मशीनों के आयात में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिये ढोलों की अत्यन्त आवश्यकता है, ले जाने की अनुमति देने की परिस्थितियां पैदा नहीं हुई हैं तो सरकार ने 22 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अपने उत्तर में यह कैसे कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारें उद्योगों का अपने राज्य से बाहर स्थानान्तरित करने से खुश नहीं हैं ; और

(ख) क्या सरकार अब पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करेगी और उनके राज्यों की फालतू क्षमता को राष्ट्रीय हित में अन्य राज्यों में, जहां इनकी अत्यन्त आवश्यकता हो, स्थानांतरित करके उसके उपयोग की अत्यधिक आवश्यकता के लिये उन पर बल देगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). देश में पहले से ही उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से सरकार ने मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा मद्रास में ढोल तथा पीपों के बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिये मेसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त आवेदन पत्र को प्रारम्भ में ही रद्द कर दिया था। अतः विद्यमान निर्माताओं से इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता के दक्षिणी क्षेत्र में स्थानान्तरण करने के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे। पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई थी कि उनके राज्यों के पीपों के निर्माता अपनी उत्पादन-क्षमता को तमिलनाडु ले जायें। इसी बीच सरकार को उन विशेष परिस्थितियों पर विचार करना पड़ा जिसके कारण इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना पड़ा।

इस सम्बन्ध में 30 अप्रैल 1970 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन समिति के 85वें प्रतिवेदन के अध्याय 4 में की गई सिफारिसों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें इण्डियन आयल कारपोरेशन के आवेदन पर पुर्नविचार करने का सुझाव दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करने की दृष्टि से मद्रास रिफायनरी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह निश्चित किया गया था कि ढोल तथा पीपे बनाने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन को एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया जाय। अतः महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल के पीपा निर्माताओं से उत्पादन क्षमता के स्थानांतरण हेतु आये आवेदनों को रद्द कर दिया गया। इसको देखते हुए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के साथ, जिन्होंने स्थानान्तरण पर आपत्ति की थी, इस मामले पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देना

5396. **श्री सूरज भान :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 75 बड़े औद्योगिक गृहों को कुल कितने नये लाइसेंस दिये गये;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक गृह का नाम क्या है तथा उसे लाइसेंस देने की तारीख सहित प्रतिवर्ष कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये;

(ग) इन बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन दो मदों की सूची में जो कि बड़े पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत आती हैं, फेरबदल करने का है, ताकि छोटे पैमाने के उद्योगपति भी उन मदों का निर्माण कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों में बड़े औद्योगिक समूहों को नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये 14 लाइसेंस जारी किये गये। जिन औद्योगिक समूहों को यह लाइसेंस जारी किए गये, उनके नाम तथा लाइसेंस देने की तिथि तथा अन्य व्यौरा जैसे निर्मित की जाने वाली वस्तु क्षमता इत्यादि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लाइसेंस गुणावगुण पर पूर्ण विचारोपरान्त ही जारी किये गये।

(घ) तथा (ङ). ऐसे उद्योगों की कोई सूची नहीं है जो कि बड़े पैमाने के उद्योगों की परिभाषा में आते हैं। तथापि हाल ही में सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची में वृद्धि की है। लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिये आरक्षित वस्तुओं की सूची इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० आई० डी० आर० ए० / 29 बी०/70/1

दिनांक 19 फरवरी, 1970 की अनुसूची 2 में दी गई है जिसकी प्रति 24 फरवरी, को अतारांकित प्रश्न सं० 311 के उत्तर के साथ संलग्न की गई थी। कुछ अधिक वस्तुओं को जब भी सम्भव होगा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

औद्योगिक समूह का नाम	नये उपक्रमों के लिए जारी किये गए लाइसेंसों की संख्या	लाइसेंस जारी किये जाने की तिथि	निर्माण की जाने वाली वस्तु का नाम तथा क्षमता
जुग्गीमल कमलापत सिंहानिया	1	3-11-67	टेलीविजन सेट 10,000 प्रति वर्ष
सूरजमल नागरमल	1	13-3-67	पेबर फिनिशर पी० एफ० 45-3 स० पेबर फिनिशर पी० एल० 90-16 15/20 टन मिक्सिग एण्ड ड्राइंग प्लान्ट-32 संख्या
खटाऊ	1	11-4-67	एच० टी० स्विच बोर्ड 50 सं० प्रति वर्ष एल०टी० स्विच बोर्ड 200 सं० प्रतिवर्ष
किर्लोस्कर	1	30-3-67	इन्टर्नल कम्बस्टन डीजल इन्जन 8000 सं०
रेलिस	1	30-6-67	नौर्थेन्ड्रल 60 कि० ग्रा० प्रति वर्ष स्पाइरोन्डेक्लोन, 24 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष प्रोपेन्डेलीन 120 कि० ग्रा० प्रति वर्ष
बिड़ला	3	30-5-68	स्टेपल फाइबर यार्न 37,000 स्पिडल्ज
		25-9-68	औद्योगिक विस्फोटक 7,500 मी० टन प्रति वर्ष
		16-10-68	जी० एल० एस० लैम्प 60 लाख प्रतिवर्ष फ्लोरिसेंट लैम्प 10 लाख प्रति वर्ष
ई० सी० आई०	1	28-8-68	संश्लिष्ट रंगलेप 23.5 लाख लिटर प्रतिवर्ष
जैपुरिया	1	6-12-68	काटन यार्न, 20,368 स्पिडल्स
शा बैलेस	1	31-8-68	कम्प्रेस्ड बेकर्स यीस्ट 5000 मी० टन प्रति वर्ष ड्राई बेकर्स 750 मी० टन प्रति वर्ष यीस्ट एक्स्ट्रैक्ट 90 मी० टन प्रति वर्ष
रामकृष्णा	1	13-9-68	इलैक्ट्रानिक एनालोग कम्प्यूटर 50 सं० प्रति वर्ष
श्री राम	1	10-3-69	टेबल/पिडेस्टल/बाल पंखे 1,50,000 सं० प्रति वर्ष
टी० बी० सुन्दरम आयंगर	1	14-2-69	हाई टेंसाइल बोल्ट्स, एण्ड नट्स 1970 मी० टन प्रति वर्ष सेट स्क्रयु एण्ड सर्किट 400 मी० टन प्रतिवर्ष रिबेट्स 10 मी० टन प्रति वर्ष

योजनाबद्ध मांगपत्रों को स्वीकार करने के बारे में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा दिये गये निदेशों का उल्लंघन

5397. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति ने योजनाबद्ध मांग पत्रों को स्वीकार करने के लिये उत्पादकों को निदेश दिये हैं;

(ख) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा सब मामलों में ऐसे निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा उन निदेशों का पूर्णतया पालन न करने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, उत्पादकों को देने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति ही मांग पत्रों की योजना बनाती है ।

(ख) कुछ कठिनाईयों के कारण इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी क्षमता से बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं । इन प्रतिनिधियों में वे संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा योजना बद्ध किये टन-भार को पूरी तरह बुक करने में असफल रहे हैं इसीलिये उनकी सामान्य क्षमता के आधार पर ही योजना बनाई गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में बिजली के बल्ब (लैम्प) बनाने के कारखाने

5398. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार बिजली के बल्ब बनाने के कितने कारखाने हैं; और

(ख) उनके वार्षिक उत्पादन का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मझोले और बड़े पैमाने के कारखानों की सूचना निम्न प्रकार है :–

राज्य का नाम	एककों की संख्या	1969 का उत्पादन (संख्या लाख में)
पश्चिमी बंगाल	3	397.93
बिहार	1	49.32
उत्तर प्रदेश	5	495.20
दिल्ली	1	72.30
महाराष्ट्र	2	246.70
मद्रास (तमिल नाडु)	1	00.40
मैसूर	1	54.04
केरल	1	54.80

छोटे पैमाने के कारखानों और उनके उत्पादन की राज्यवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव

5399. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मार्क्सवादी मजदूरों ने 20 फरवरी 1970 को कोक ओवन उप-उत्पाद के यूनिट के सुपरिंटेंडेंट का घेराव किया था तथा उसको बुरी तरह पीटा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक अधिकारियों ने इस बात की धमकी दी है कि यदि उनको मजदूरों द्वारा पीटे जाने के विरुद्ध पुलिस का संरक्षण नहीं दिया गया तो वे सामूहिक रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे;

(ग) पश्चिम बंगाल के गृह विभाग द्वारा पुलिस सहायता देने से इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं जब कि कारखाने के भारसाधक निदेशक, मेजर जनरल वी० पी० बढेरा ने इसके लिये अपील की थी;

(घ) श्री बढेरा को मारपीट करने वाले मजदूरों को निलम्बित करने अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से मना किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा वफादार मजदूरों तथा अधिकारियों पर ऐसे घातक हमलों को रोकने के लिये, जिसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन में भी हानि होती है, क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उप-उत्पादन कारखाने के सुपरिन्टेन्डेंट पर हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ (अखिल भारतीय कर्मचारी संघ कांग्रेसी के कुछ कर्मचारियों ने, जो कि इस कार्यालय में प्रदर्शन करने आये थे, 19-2-1970 (20-2-1970 को नहीं) को पर आक्रमण किया था।

(ख) 20-2-1970 को कुछ अधिकारी कारखाने के भारसहायक निदेशक से मिले और कहा कि जब तक उनकी सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं किये जायेंगे, वे सब त्यागपत्र दे देंगे।

(ग) और (घ) . घटना के दिन मेजर जनरल बढेरा दुर्गापुर में नहीं थे। अगले दिन उनके आने पर उन्होंने सबसे पूर्व जिला अधिकारियों से तथा बाद में कलकत्ता में राज्य सरकार से सम्पर्क किया तत्कालीन मंत्रियों ने इस घटना की निन्दा करते हुए दोषी कर्मचारियों के मुअत्तिल या बर्खास्त न करने की सलाह दी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि कर्मचारी संघ इस घटना के लिये क्षमा याचना कर ले तो काफी होगा।

(ङ) प्रबंधकों ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की थी। उनमें से एक व्यक्ति को हमला करने का दोषी पाया गया था तथा उसे बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति को प्रमाणों के अभाव में बरी कर दिया गया है, तीसरे कर्मचारी को जो सहायता देने और लोगों को भड़काने का दोषी पाया गया था, दो वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड दिया गया है।

आसाम में घोर संकट के कारण बच्चों का बेचा जाना

5400. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आसाम में घोर संकट के कारण धन अथवा धान के बदले में बच्चों के बेचे जाने की कुल कितनी घटनाएं घटी हैं ;

(ख) इस प्रकार बच्चों के बेचे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम के गोलपाड़ा जिले में 'धाना' पद्धति अभी भी प्रचलित है जिसके अर्न्तगत गरीब लोग नकदी अथवा माल की वापसी तक ठेके के आधार पर अपने बच्चों को अमीर लोगों के पास गिरवी रख देते हैं ; और

(घ) देश की स्वतंत्रता के 23 वर्ष पश्चात् भी इस प्रकार की दासता पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा ठोस तथा व्यावहारिक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). इस बारे में असम सरकार को लिखा गया है । उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

उत्तरी रेलवे में दस्तकारी के विभिन्न कार्यों में कारीगरों के रिक्त पद

5401. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे में डिवीजन-वार दस्तकारी के विभिन्न कामों में कारीगरों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) वर्गवार उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). उत्तर रेलवे के सभी सात मण्डलों में विभिन्न व्यवसायों में कारीगरों के पद बहुत बड़ी संख्या में हैं । इस तथ्य को देखते हुए जो व्योरेवार सूचना मांगी गयी है, उसको एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा, वह उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा । लेकिन यदि किसी निर्दिष्ट व्यवसाय में किसी कोटि विशेष के सम्बन्ध में यह सूचना अपेक्षित हो, तो वह एकत्र करके दे दी जायेगी ।

Loss to Depositors due to Private Firms becoming Bankrupt

5402. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2237 on the 10 March 1970 regarding loss to depositors due to private Firms becoming bankrupt and state :

(a) the various orders contained in the Notification No. DNBC 2/FD (S) 66 dated the 29th October 1966 issued by the Reserve Bank of India and the measures adopted to ensure that those orders are complied with and not violated by the Non-Banking Companies ;

(b) whether Government are aware that the non-Banking Companies are raising money from general public, particularly from the Government employees and that this affects the efficiency of the said employees ; and

(c) if so, whether Government propose to warn the public against this by giving constant advertisements in newspapers ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) A copy of the Notification referred to in the Question will be laid on Table of the House. In case any contravention of the provisions of the directives contained in the Notification is noticed, it is taken up by the Reserve Bank of India individually with the company concerned.

(b) Information is not available with Government.

(c) Does not arise. The directives were, however, publicised at the time of their issue.

M/s Golcha Properties (Pvt.) Limited, Delhi

5403. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minster of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2208 on the 10th March, 1970 regarding M/s Golcha Properties (Pvt.) Limited and state :

(a) the time by which the Official Liquidator would complete the inquiry into the claims ;

(b) whether a copy of the orders received by the Official Liquidator from the court regarding allotment of contracts of the Cinema House would be laid on the Table of the House ;

(c) the names of the auditors appointed by the court and details of the objections raised by them in the audit accounts audited by them so far ; and

(d) the total amount of the claims field against M/s Golcha Properties (Private) Limited, Delhi and the total assets and deposits of the said company ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Official Liquidator is likely to take about a year to complete the investigation of claims as he has to verify every claim and call for further evidence in support of claims filed against the company, if necessary.

(b) The Official Liquidator has to act as per the directions of the Court. Any creditor or depositor can obtain the copy from the court.

(c) M/s B. M. Kothari and Company, Chartered Accountants have been appointed by the Rajasthan High Court as Auditors of the Company. The audit objection are under examination by the Rajasthan High Court.

(d) The total amount of claims filed with the Official Liquidator is Rs. 1,38,28,890. The book value of the assets of the company is about Rs. one crore.

Replies to Letters from Members of Parliament

5404. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) the number of letters received from Members of Parliament from the Ist January, 1969 to 28th February, 1970 and the points raised in them;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the time taken in replying to them;

(c) the reasons for not giving any replies to the remaining letters and whether his Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard;

(d) whether the replies to the letters from Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time;

(e) if not the approximate number of days taken in giving the said final replies; and

(f) whether it is a fact that all the points raised in those letters were not replied to and, if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a), (b) and (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Yes. Sir. The letters are replied to as soon as the necessary materials are collected, or examination completed, as the case may be.

(d) No, Sir.

(f) Attempts are always made to furnish the Comprehensive replies as far as possible.

Expenditure inucrred on levelling Ground for Bokaro Steel Plant

5405. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state the total expenditure incurred so far on levelling the ground for setting up the Bokaro Steel Plant?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The total expenditure incurred up to the end of February, 1970, on site levelling for the construction of Bokaro Steel Plant has been Rs. 84.845 million.

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा लौह-अयस्क तथा मैंगनीज की सप्लाई के लिये मैसर्स बी० पटनायक (प्राइवेट) लिमिटेड को दिये गये ठेके

5406. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में लौह-

अयस्क तथा मैंगनीज की सप्लाई के लिये मैसर्स वी० पटनायक (प्रा०) लिमिटेड को कितने ठेके दिये गये हैं ;

(ख) सरकार द्वारा मैसर्स वी० पटनायक (प्रा०) लिमिटेड को किस तारीख से काली सूची में रखा गया है ;

(ग) मैसर्स वी० पटनायक (प्रा०) लिमिटेड के काली सूची में रखे जाने के बाद से उस फर्म को कितने ठेके दिये गये ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31 मार्च, 1970 से पिछले तीन वर्षों में रूरकेला स्टील प्लांट ने मैसर्स वी० पटनायक (प्रा०) लिमिटेड से कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) इस बात की कोई सूचना नहीं है कि सरकार ने उसे काली सूची में रखा है ।

(ग) उपरोक्त संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये कच्चा माल सम्भरणकर्त्ताओं की अनुमोदित सूची

5407. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के अधिकारियों द्वारा कच्चे माल जैसी महत्वपूर्ण मदों को सीधे खरीदा जाता है ;

(ख) रूरकेला इस्पात कारखाने के लगाये जाने के कितने वर्ष बाद तक कारखाने के अधिकारियों द्वारा सम्भरण-कर्त्ताओं की अनुमोदित सूची नहीं बनाई गई थी ;

(ग) सम्भरणकर्त्ताओं की अनुमोदित सूची न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुमोदित सम्भरणकर्त्ताओं की सूची अब बनी हुई है और यदि हां, तो यह सूची कब बनी थी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और चूना पत्थर अयस्क की आवश्यकता मुख्य रूप से आरक्षित खानों से पूरी की जाती है। लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्कों की कमी को खनन तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत वाह्य स्रोतों से खरीद कर पूरा किया जाता है। चूना पत्थर और दूसरे गौण प्रकार के कच्चे माल की कमी को सीधें खरीद द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) से (घ). प्रारम्भ से ही राउरकेला स्टील प्लांट सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक और तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा स्वीकृत संभरकों की सूची का उपयोग करता रहा है।

1968 के अन्त से इसने संभरकों की अपनी सूचियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। कच्चे माल की अधिक मात्रा में खरीद अधिकतर विज्ञापित निविदाओं द्वारा अथवा प्रसिद्ध सम्भरकों से समिति निविदा के आधार पर पूछताछ करके की जाती है।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा तदर्थ तथा लम्बी अवधि के लिये किये गये ठेके

5408. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार रूरकेला इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर तथा लम्बी अवधि के अलग-अलग कितने ठेके दिये गये ;

(ख) उक्त अवधि में टेंडर मंगाये बिना तदर्थ आधार पर तथा लम्बी अवधि के कितने ठेके दिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन पार्टियों को टेण्डर मंगाये बिना ठेके दिये गये थे वे पार्टियां उन पार्टियों में सबसे बड़ी नहीं हैं जिन्होंने 1965-66 में लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क सप्लाई किया ; और

(घ) यदि हां, तो आयोजित तथा मनमाने ढंग से ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). अप्रैल 1967 से मार्च 1970 की अवधि में खनन तथा धातु व्यापार निगम के परामर्श से लौह अयस्क की सप्लाई के लिए मेंसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम) के साथ केवल एक समझौता किया गया।

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) और (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के गैस प्लांट में मशीन के पुर्जों की चोरी

5409. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के गैस प्लांट में मशीन के पुर्जों की चोरी के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंधकों द्वारा इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(ग) क्या संसद् सदस्य द्वारा शिकायत किये जाने की तारीख से अगले ही दिन स्वयं डिप्टी चेयरमैन द्वारा जांच की गई थी और उन्होंने आरोपों को ठीक पाया था ;

(घ) यदि हां, तो कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) आलोचनाओं और शिकायतों में कोई सार नहीं पाया गया है ।

(ग) शिकायत के दूसरे दिन उपाध्यक्ष ने ढलाई गढ़ाई कारखाने का दौरा किया और कर्मचारियों की शिकायतें नोट कर लीं । चूंकि मामले के लिये विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता थी अतः ढलाई गढ़ाई कारखाने के महाप्रबन्धक को मामले की जांच करने के लिये कह दिया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने को ढांचों की सप्लाई

5410. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये रूस की टियाजप्रेंर एक्सपोर्ट द्वारा, भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा क्रमशः कितने-कितने टन उपकरण सप्लाई किये जायेंगे और इनके द्वारा अलग-अलग कितने टन उपकरणों की सप्लाई की जा चुकी है; और

(ख) उपकरणों की कम सप्लाई के क्या कारण हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मैसर्स त्याजप्रामेक्सपोर्त, मास्को द्वारा कुल 101,502 टन निजी क्षेत्र द्वारा 64,055 टन और सरकारी क्षेत्र द्वारा 90,007 टन उपकरणों की आपूर्ति की मात्रा में से फरवरी, 1970 के अन्त तक क्रमशः 72,644 टन, 4006 टन और लगभग 14,000 टन की प्राप्ति हो चुकी थी ।

(ख) उपकरणों की सप्लाई में देरी मुख्य रूप से देशीय सप्लाईकर्ताओं की ओर से हुई जिसका मुख्य कारण शान्त इस्पात के, इस्पात सेक्शन और प्लेटों तथा अन्य संघटकों की देश में अनुपलब्धता है । निर्माण के काम को पूरा करने के लिये इस्पात, इस्पात की प्लेटों और संघटकों की आवश्यक मात्रा के आयात के लिये कार्यवाही कर दी गई है ।

Ticketless Travelling on North Eastern Railway and Expenditure Incurred on Vigilance Department

5411. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons caught while travelling without tickets on the North Eastern Railway by the employees of the Vigilance Department during the last two years ;

(b) the expenditure incurred by the Railways on the Vigilance Department during the aforesaid period ;

(c) the number of complaints received so far by the Vigilance Department against the irrigularities committed by the Railway employees and the action taken by Government thereon ;

(d) whether it is a fact that Government have also received complaints against the employees of the Vigilance Department ;

(e) whether Government have set up any agency to enquire into these complaints ; and

(f) if so, the number of cases in which this high powered agency has completed its enquiry ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Checking of passenger tickets is normally done by the ticket checking staff in the Commercial Department. The staff of the Vigilance Department also conducts such checks but mainly to detect corrupt practices by ticket checking staff. The data regarding the number of ticketless travellers apprehended by vigilance staff of North Eastern Railway are not available.

(b) The approximate expenditure incurred on the Vigilance Department of the North-Eastern Railway during the years 1968 and 1969 are Rs. 4.13 lakhs and Rs. 4.35 lakhs respectively.

(c) During 1968, the number of complaints received by the Vigilance Department of the North-Eastern Railway, including the carry forward from the previous year, was 1334, out of which, 430 was dropped without enquiry, 281 dropped after enquiry and in 190 cases either departmental action or action in a court of law was taken. During the year 1969, the number of complaints, including the backlog, was 1085 out of which 274, was dropped without enquiry, 212 dropped after enquiry and in 253 cases, action was taken departmentally or in a court of law.

(d) Yes.

(e) No separate machinery has been set up to enquire into the complaints against vigilance staff except for instructions that such enquiries should be done by an officer of appropriate rank.

(f) Does not arise.

Ticketless Travelling on Eastern Railway and Expenditure Incurred on Vigilance Department

5412. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons caught while travelling without tickets on the Eastern Railway by the employees of the Vigilance Department during the last two years ;

(b) the expenditure incurred by the Railways on the Vigilance Department during the aforesaid period ;

(c) the number of complaints so far received by the Vigilance Department against the irregularities committed by the Railway employees and the action taken by Government thereon ;

(d) whether it is a fact that Government have also received complaints against the employees of the Vigilance Department ; and

(e) whether Government have set up any agency for looking into these complaints and if so, the number of cases in which this high-powered agency has completed its enquiry ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Checking of passenger tickets is normally done by the ticket checking staff. The staff of the Vigilance Department do such checks

occasionally. On the Eastern Railway, the vigilance organisation conducts such checks with the assistance of ticket checking staff. The number of persons detected travelling without tickets or with irregular tickets by vigilance staff during such checks was 1,231 during 1968 and 1,315 during 1969.

(b) The approximate expenditure incurred on the Vigilance Department of the Eastern Railway during the years 1968 and 1969 are Rs. 3.16 lakhs and Rs. 3.25 lakhs respectively.

(c) During 1968, the number of complaints received by the Vigilance Department of the Eastern Railway (including the carry forward from the previous year) was 790, out of which 142 was dropped without enquiry, 379 dropped after enquiry and in 199 cases, either departmental action or action in a court of law was taken. During the year 1969, the number of complaints (including the backlog) was 836, out of which 170 was dropped without enquiry, 384 dropped after enquiry and in 197 cases, action was taken departmentally or in a court of law.

(d) Yes.

(e) No separate machinery has been set up to enquire into the complaints against vigilance staff except for instructions that such enquiries should be done by an officer of appropriate rank.

Ticketless Travelling on Central Railway and Expenditure Incurred on Vigilance Department

5413. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons caught while travelling without tickets on the Central Railway by the employees of the Vigilance Department during the last two years;

(b) the expenditure incurred by the Railways on the Vigilance Department during the aforesaid period;

(c) the number of complaints so far received by the Vigilance Department against the irregularities committed by the Railway employees and the action taken by Government thereon;

(d) whether it is a fact that Government have also received complaints against the employees of the Vigilance Department;

(e) whether Government have set up any agency for looking into these complaints; and

(f) if so, the number of cases in which this high-powered agency has completed its enquiry?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Checking of passenger tickets is normally done by the ticket checking staff. The staff of the Vigilance Department do such checking only occasionally and there too their checks are directed more towards the conduct of the regular ticket checking staff. Information on the number of ticketless travellers detected by the vigilance staff on the Central Railway is not available. However, as a result of checks by the Vigilance staff in respect of irregular/ticketless travel, an amount of Rs. 9,589 was realised during 1968 and an amount of Rs. 14,452 during 1969.

(b) The approximate expenditure incurred on the Vigilance Department of the Central Railway during the years 1968 and 1969 are Rs. 4.28 lakhs and Rs. 4.59 lakes respectively.

(c) During 1968, the number of complaints received by the Vigilance Department of the Central Railway (including the carry forward from the previous year) was 1074, out of which 298 was dropped without enquiry, 447 dropped after enquiry and in 71 cases, either departmental

action or action in a court of law was taken. During the year 1969, the number of complaints (including the backlog) was 1031, out of which 256 was dropped without enquiry, 447 dropped after enquiry and in 74 cases, action was taken departmentally or in a court of law.

(d) No, so far as the Central Railway is concerned.

(e) No separate machinery has been set up to enquire into the complaints against vigilance staff except for instructions that such enquiries should be done by an officer of appropriate rank.

(f) Does not arise.

भारतीय रेलों के प्रशासन में सुधार

5414. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारतीय रेलों के प्रशासन में सुधार करने के लिये एक 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उनके विचार में उक्त कार्यक्रम के परिणाम कब तक सामने आ जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः मेरे उस बयान की ओर संकेत कर रहे हैं जो मैंने 12 मार्च, 1970 को राज्य सभा में दिया था। उस बयान में मैंने रेलवे की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में व्यावहारिक कार्रवाई के कार्यक्रम की रूप-रेखा का उल्लेख किया था। उस बयान का एक उद्धरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3127/70]**

(ग) जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा था, यह कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप में है और अब इसे ठोस स्वरूप दिया जाना है। ऐसी स्थिति में अभी निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि किस समय तक प्रस्तावित उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम सामने आने लगेगा।

विदेशी सहयोग से इस्पात की डिस्कों का निर्माण

5415. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से देश में इस्पात की डिस्कें बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय इस्पाती चक्कों के बनाने के बारे में है जो कृषि संबंधी औजार बनाने के काम आते हैं। इस समय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें विदेशी सहयोग की बात आती हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Action on Memorandum by All India Class IV Railway Workers Association, Jaipur

5416. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board has got an assurance from the Ministries of Home Affairs and Labour and Employment to the effect that even if the Board deprives the Railway workers of their rights and amenities provided to them under the rules, no action could be taken against the Board ;

(b) if not, the reasons for which no action has so far been taken on the memorandum submitted by the All India Class IV Railway Workers Association, Jaipur ;

(c) whether the Class IV Railway Workers in Jaipur and Alwar cannot enjoy the facilities for which a provision has been made by his Ministry and in the labour laws ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No, Sir.

(b) A memorandum dated 20. 12. 1969 and a representation dated 19. 12. 69 from the All India Railway Class IV Association, Jaipur and Alwar Branches respectively which is an unrecognised body have been received by the Railway and the demands have been examined and action as is appropriate is being taken by the Railway.

(c) Labour Laws and Indian Railway establishment rules are common to all Railway employees irrespective of their place of work.

(d) In view of reply to (c) it does not arise.

Minimum Wages for Casual Labourers and Gangmen at Jaipur and Alwar

5417. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Minimum Wages Act, 1948 is applicable to the casual labourers and gangmen working in Jaipur and Alwar ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the services of these casual labourers and gangmen are completely at the mercy of the Officers there who can dismiss anybody, retrench anybody and commit any irregularity even in the disbursement of their wages ; and

(e) if so, the remedial measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The provisions of the Minimum Wages Act, 1948 are applicable to persons employed on railways on the following scheduled employments :—

(i) maintenance or construction of roads,

(ii) building operations and building maintenance, and

(iii) stone breaking or stone crushing.

Such of the casual labour as are employed in the scheduled employments mentioned above on the Western Railway at Jaipur and Alwar are therefore covered by the provisions of the Minimum Wages Act. But Gangmen employed on the construction or maintenance of the permanent way on railways do not come within the scope of the aforesaid scheduled employments under the Minimum Wages Act.

(d) No.

(e) Does not arise.

मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये दी गई राशि

5418. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में मनीपुर की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिए मनीपुर सरकार को कितनी राशि दी गई है;

(ख) दी गई राशि में से कितना व्यय किया गया है; और इसमें से कितना व्यय अनुसूचित जातियों पर किया गया है ; और

(ग) 1969-70 में क्या कल्याणकारी उपाय किये गये हैं और जिला-वार उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). 1969-70 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम आतियों के लिये आवंटित की गई 33,10,975 रुपए की राशि का उपयोग किये जाने की आशा थी। उस राशि में से 79,975 रुपए की राशि अनुसूचित जातियों के लिये रखी गई थी।

(ग) इस संघ राज्य क्षेत्र में (1) तामेन्गलोन्ग, (2) टेन्गनोपाल, (3) माओन-मारस, (4) उखरूल, (5) चूराचांदपुर, (6) फुन्गयार फेन्सत, (7) थाइलोन तथा (8) सदर पहाड़ियों में आठ आदिम जातीय विकास खण्ड काम कर रहे हैं। उसके अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां दी जाती रहीं। अनुसूचित आदिम जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिये स्कूल भवनों और अध्यापकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण तथा स्वयंसेवी संगठनों इत्यादि को सहायता देने जैसी अनेक अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की गईं। आदिवासी जातियों के आर्थिक विकास के लिए संचार साधनों का विकास, मार्किटिंग रोडों का निर्माण, कुटीर उद्योग का विकास इत्यादि योजनाएं भी चलती रहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्वास्थ्य तथा आवास के मामलों में पेय जल प्रदाय, आवास इत्यादि से सम्बन्धित योजनाओं को शुरू किया गया।

मनीपुर के लिये स्कूटरों का कोटा

5419. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 तथा 1970-71 में मनीपुर के लिये स्कूटरों का कितना कोटा नियत किया गया और इस समय कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) क्या यह सारा कोटा 300 रुपये अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये ही होता है ; और

(ग) यदि हां, तो जनता तथा 300 रुपये प्रतिमास से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये पृथक कोटा नियत न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय मणिपुर सरकार को 10 लेम्ब्रेटा तथा 10 वेस्पा स्कूटरों का त्रैमासिक कोटा है। 1970-71 में इस कोटे के अपरिवर्तित रहने की आशा है। मणिपुर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास स्कूटरों के आवन्टनार्थ 381 आवेदन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मणिपुर सरकार के अनुसार यह कोटा मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त है। इसी कारण 300 रुपये के न्यूनतम वेतन की सीमा राज्य सरकार के कोटे में स्कूटरों के आवंटन हेतु निर्धारित की गई है। सामान्य जनता स्कूटरों को विक्रेताओं से अपने नाम पंजीकृत कर प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि मणिपुर में स्कूटरों का कोई पृथक विक्रेता नहीं है, अतः साधारण जनता के लिये उस राज्य में कोई कोटा नियत नहीं किया गया है। उन्हें अपने आर्डर अपने घर से निकटतम पड़ोसी राज्यों के विक्रेताओं के पास लिखवाने पड़ते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

कोयम्बतूर जिले में लुगदी बनाने का कारखाना

5420. **श्री के० रमानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ इण्डिया कम्पनी द्वारा कोयम्बतूर जिले में लुगदी बनाने का एक कारखाना आरम्भ किया गया है ;

(ख) नये कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है और उसमें कुल कितनी पूंजी लगी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की किसी वित्तीय संस्था ने इस कारखाने को ऋण दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) लाइसेंसीकृत क्षमता प्रतिवर्ष 21,600 मी० टन है। कम्पनी के कथनानुसार परियोजना की कुल लागत लगभग 11 करोड़ रु० है।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योग

5421. **श्री के० रमानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लघु उद्योगों के एककों की परिभाषा में हाल में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे लघु उद्योग के एककों को अपनी स्थिति सुधारने में किस प्रकार सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कूच बिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर अतिरिक्त कर्मचारियों का भेजा जाना

5423. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार स्टेशन पर यात्रियों की भारी यातायात तथा कूच बिहार तथा अलीपुर द्वार जक्शन के बीच रेलगाड़ियों की सामान्य सेवा के अतिरिक्त शटल सेवा नाम से शीघ्र ही चलाई जाने वाली प्रस्तावित एक अतिरिक्त स्थानीय रेलगाड़ी को देखते हुये क्या मंत्रालय कार्य के सभी क्षेत्रों में कूच बिहार रेलवे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि कूच बिहार स्टेशन (छोटी लाइन) के लिये एक हैंड टिकट कलेक्टर का पद स्वीकार किया गया था परन्तु जिला तथा प्रभाग अधिकारियों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण उस पद की पूर्ति नहीं की गई ;

(ग) क्या उक्त पद तुरन्त भरा जायगा ; और

(घ) क्या कूच बिहार स्टेशन पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नई औद्योगिक लाइसस नीति

5424. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा फरवरी 1970 में घोषित नयी औद्योगिक नीति को भेदभाव के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कूच बिहार रेलवे स्टेशन का विकास (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

5425. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये कूच बिहार स्टेशन के बारे में आरम्भ से ही बनाई गई योजना उसके लिये अधिग्रहीत की गई भूमि और उस पर किये तथा प्रस्तावित खर्च सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त स्टेशन के निर्माण के लिये तैयार की गई योजना पर आगे कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले वहां एक लोको शैड तथा एक लोको गैराज निर्मित करने का विचार था; और

(घ) क्या नये कूच बिहार स्टेशन पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के एक प्रशासकीय कार्यालय का एक भाग मुख्यतः लेखा कार्यालय स्थापित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन जैसे स्तर के स्टेशन के लिये जो सामान्य सुविधाएं अपेक्षित हैं, उनकी योजना और व्यवस्था भी उसी समय की गयी थी, जब बड़ी लाइन का रेल-सम्पर्क खोला गया। इन सुविधाओं में स्टेशन की इमारत, प्लेटफार्म, सर्विस इमारतें, कर्मचारियों के मकान, स्वास्थ्य यूनिट, मालगोदाम, माल प्लेटफार्म आदि शामिल हैं।

12.75 लाख रुपये की लागत से इस स्टेशन पर अधिग्रहीत कुल भूमि 361.5 एकड़ है।

(ग) मूल प्रस्ताव में केवल एक इंजन शेड बनाने का था उसे भी बाद में संशोधित कर दिया गया और केवल इंजन खड़े करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कूच बिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) को आवंटित सहायक स्टेशन मास्टरों के पद

5426. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री कूच बिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के बारे में 22 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कूच बिहार स्टेशन (छोटी लाइन) को आवंटित सहायक स्टेशन मास्टरों के 205-280 रुपये के वेतन-मानों वाले तीनों पद अभी भी जारी हैं तथा उन सहायक स्टेशन मास्टरों के नाम क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय के लिये स्थानिक प्रतिनिधि के एक संवर्ग बाह्य पद का बनाया जाना

5427. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड दिल्ली कार्यालय के लिये स्थानिक प्रतिनिधि का कोई संवर्ग बाह्य पद अनावश्यक रूप से बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इतना अधिक धन खर्च करने से क्या विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है ; और

(ग) सभी सुविधाओं तथा संस्थापना समेत इस पद पर कुल कितना धन खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जनवरी, 1969 में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी अभिकरणों, विदेशी दूतावासों और व्यापारिक संगठनों से संबंधित आवश्यकता और हितों पर पूर्णतया विचार करके जिनकी देख रेख एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, दिल्ली में स्थानिक प्रतिनिधि के एक पद के लिए स्वीकृति दी है। इस पद के वर्तमान अधिकारी और उसके वैयक्तिक कर्मचारियों पर होने वाला खर्च लगभग 52,500 रुपये प्रति वर्ष होगा ।

गैर सरकारी क्षेत्र के विकास पर रोक लगाने के लिये सरकार की आलोचना

5528. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी, 1970 को अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के प्रधान डा० भरत राम ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वह समाजवाद के नाम पर गैर सरकारी क्षेत्रों के विकास पर रोक लगा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अर्थ व्यवस्था में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों का योगदान औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में भली भांति स्पष्ट किया गया है । 1956 के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में घोषित औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंसीकरण में तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक सहायता विषयक नीति को नया रूप दिया है । सरकार का अभिप्राय छोटे तथा मझोले उद्यमियों को पर्याप्त स्वतंत्रता तथा क्षेत्र प्रदान कर तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के स्पष्ट रूप से सिद्ध क्षेत्रों में विस्तार को नियंत्रित करते हुए देश में उद्यम का विस्तृत आधार स्थापित करने का है ।

सिलचर (आसाम) में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस देना

5430. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सिलचर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये गत तीन वर्षों में कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) दिये गये लाइसेंस किन-किन श्रेणियों के उद्योगों के लिये थे;

(ग) दिये गये लाइसेंसों का उद्योगवार मूल्य कितना-कितना है; और

(घ) जिन औद्योगिक वर्गों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनके नाम तथा विवरण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों में आसाम राज्य के लिये 8 लाइसेंस तथा 1 आशय पत्र जारी किया गया है। इनमें से एक लाइसेंस मेसर्स यूनियन फ्लोर मिल्स को आसाम के सिलचर क्षेत्र में गेहूं के उत्पादों के निर्माण के लिये जारी किया गया था। यह लाइसेंस 12000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिये है। लाइसेंस प्राप्तकर्ता किसी बड़े औद्योगिक समूह से सम्बन्धित नहीं हैं।

उद्योगों में नयी उत्पादन क्षमता स्थापित करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

5431. **श्री रवि राय :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन उद्योगों पर से जहां समुचित क्षमता के लिये पहले से ही लाइसेंस दिया जा चुका है, नई उत्पादन क्षमता स्थापित करने सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). संशोधित लाइसेंस नीति की घोषणा से पूर्व सरकार ऐसे उद्योगों की प्रति वर्ष सूचियां तैयार करती थी जिनसे संबंधित लाइसेंस आवेदन लाइसेंसिंग समिति को भेजे बिना ही साधारणतः रद्द कर दिये जाते थे। इन प्रतिबंधित सूचियों में सामान्यतः वह वस्तुएं होती थीं (क) जो विकास के लिये मात्र लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षित किया जाता था और (ख) जिनकी पर्याप्त क्षमता के लाइसेंस जारी किये जा चुके होते थे। संशोधित नीति के अनुसार विभिन्न उद्योग जो लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षण के कारण प्रतिबंधित सूची में रखे जाते, अब उस क्षेत्र के लिये सांविधिक रूप से आरक्षित कर दिया गया है और इस संबंध में अधिसूचना सं० एस०

ओ० 173/आई० डी० आर० ए०/29 बी०/70/1 दिनांक 19 फरवरी, 1970 तथा एस० ओ० 912/आई० डी० आर० ए०/29 बी०/70-3 दिनांक 28 फरवरी, 1970 को जारी की गई थी और इनकी प्रतियां अतारांकित प्रश्न संख्या 311 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 3819 क्रमश: दिनांक 24 फरवरी, 1970 तथा 24 मार्च 1970 के साथ संलग्नक के रूप में सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त लाइसेंसीकरण प्रयोजनों के लिये छूट सीमा को कुछ शर्तों के अधीन 25 लाख से 1 करोड़ रु० कर दिया गया है और विद्यमान एककों जिनका विनियोजन 5 करोड़ रुपये से कम है, को कुछ शर्तों के अधीन 1 करोड़ रुपये तक विस्तार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है । लाइसेंस प्रदत्त क्षमता के संदर्भ में 'प्रतिबन्धित' सूची की धारणा का नई घोषित नीति में अधिक महत्व नहीं रहा । सरकार ने निर्णय किया है कि प्रयोगात्मक रूप से 'प्रतिबन्धित' सूचियों के क्षमता प्रयोजनों के लिये 6 मास तक लागू न किया जाये । सरकार स्थिति का अवलोकन करेगी और समुचित कार्यवाही द्वारा अनावश्यक तथा विलास सामग्री की उत्पादन क्षमता स्थापित करने की ओर साधनों के प्रवाह को हतोत्साह करेगी ।

कारों, मोटर साइकलों, स्कूटरों की बैटरियों के मूल्य में वृद्धि

5432. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों, मोटर साइकलों तथा स्कूटरों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं को मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). समाचार पत्रों में प्रकाशित इण्डियन बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएसन की घोषणा के अनुसार तेजाब जस्ते की बैटरियों के उत्पादकों ने 1.2.70 से कारों, बसों, ट्रकों, ट्रैक्टरों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों और अन्य कामों में आने वाली बैटरियों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है । इस मूल्य वृद्धि का कारण तेजाब जस्ते की बैट्रियों के निर्माण में लगने वाले कच्चे माल में मूल्य वृद्धि है ।

(ग) बैट्रियों के मूल्य पर नियन्त्रण न होने के कारण इस मूल्य वृद्धि के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं ।

Contract for Supply of Concrete on Kota-Bina Section

5434. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a contract for ballast has been given on the Kota-Bina Section ;

(b) whether it is also a fact that many contractors have been given contracts on the said line and, if so, the percentage in case of each contractor ;

(c) the size of the concrete to be supplied by the said contractors ;

(d) whether the mesh used for determining the size of concrete is of the required standard and, if not, the reasons therefor ;

(e) the criteria fixed for approving the size of concrete and the percentage of cinder exempted by approving the concrete ; and

(f) how the said percentage is arrived at and the criteria fixed for checking the cinder ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Only one contract was awarded during 1969-70 at the rate of Rs. 11.05 per cubic metre.

(c) The size of the ballast contracted for is 1½" (3.8 Cm.).

(d) Yes.

(e) The criteria fixed for approving the size of the ballast is as laid down in Specification No. 9 of the Works Hand Book of the Western Railway and the percentage of dust exempted while approving the ballast is 10.

(f) The percentage is arrived at after taking sufficient number of samples from the stacks and carrying out the analysis as per Specification No. 9 of the Works Hand Book of Western Railway.

नियंत्रण हटाने के बाद कागज के मूल्यों में वृद्धि

5435. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रण हटाने के बाद से कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या नियंत्रण हटाने से पूर्व सरकार ने बढ़ाये गये भारतीय उत्पादन अथवा बढ़ाये गये आयातों से समुचित सप्लाई करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि नहीं, तो कमी तथा मूल्यों में वृद्धि की परिस्थितियों का पूर्वानुमान न करने की भूल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्यों को कम करने तथा सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या अल्प-कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 1968 में कागज के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाए जाते समय मांग तथा सम्भरण की स्थिति समान थी । किन्तु मांग में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिये कागज उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिये मूल्यों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया था ।

(घ) कागज के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान कागज कारखानों में कागज के उत्पादन को शीघ्र बढ़ाने हेतु मशीनों के शीघ्र सम्भरण तथा संतुलन उपकरण की व्यवस्था का

एक प्रस्ताव लुग्दी, कागज तथा सहायक उद्योगों की विकास परिषद के विचाराधीन है । विकास परिषद की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अधिक मूल्य लेने, नाम बदलने, 60 जी० एस० एम० से कम के वजन से कम के कागज में कमी इत्यादि की शिकायतें और इनको दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है जिसमें कागज उद्योग / विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि रखे गए हैं ।

सरकार ने कागज निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कागज निगम स्थापित किया है जिससे कागज के मूल्यों में कमी होगी । निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कागज निर्माण की कुछ परियोजनाओं में कार्यान्वयन के प्रारम्भ करने की आशा है ।

प्राथमिकतायें निर्धारित करने तथा औद्योगिक अनुसन्धान और विकास की रूप रेखा तैयार करने के लिये गैर-सरकारी निकाय

5436. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान लेखक संघ ने 12 मार्च, 1970 को हुई अपनी बैठक में सुझाव दिया है कि औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के लिये वरीयता तय करने तथा रूप रेखायें तैयार करने के लिये एक गैर-सरकारी निकाय गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा पता चला है कि साईंस राइटर्स एसोसिएशन की मार्च, 1970 में हुई बैठक में औद्योगिक अनुसन्धान तथा विकास के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिये किसी गैर-सरकारी संस्था की स्थापना का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं आया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Retiring Rooms at Important Stations of Central Railway

5437. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal for providing additional Retiring Rooms at some of the important stations on the Central Railway is under consideration ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Works in connection with the provision of Retiring Rooms at the following stations are in progress :—

Name of the station	Particulars of Retiring Rooms
1. Nasik Road	Two retiring rooms.
2. Manmad	One retiring room.

3. Kopergaon	One retiring room.
4. Badnera	One retiring room.
5. Khandwa	Two retiring rooms.
6. Pipariya	One retiring room.
7. Nepanagar	One retiring room.

Proposals for provision of Retiring Rooms at the following stations are under consideration :—

1. Faridabad
2. Bhusaval
3. Ahmednagar
4. Thana.

Extension of Bridge at Burhanpur station (Central Railway)

5438. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two persons were crushed to death while crossing the Railway line at Burhanpur Station of East Nimad District (Madhya Pradesh) on the Central Railway ;

(b) whether it is also a fact that the Railway bridge on Burhanpur station exists on the two platforms only ;

(c) whether it is further a fact that there are colonies on both sides of the said Station and people have to cross the Railway lines there ;

(d) whether various representations have been submitted demanding extension of the said Railway bridge on either side ; and

(e) if so, the reasons for which action has not so far been initiated in this regard ?

The Minister of Railways (**Shri Nanda**) : (a) No.

(b) Yes.

(c) Colonies mainly exist on upside and only a few people reside on downside.

(d) Yes.

(e) The extension of the existing foot overbridge for the use of the public to go from one side of the station to the other, is not desirable, as the entrance to the bridge from the south side is through the third class waiting hall and in the event of such extension the waiting hall will become a public thoroughfare resulting in inconvenience to passengers. The provision of an independent foot overbridge providing access from one side of the station to the other side at Burhanpur Station can be undertaken, only if the State Government or the local Municipal authorities are prepared to pay the cost of such a work.

Transfer of services of Madhya Pradesh Government Employees to Railways

5439. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under which the services of the State Government employees can be transferred to the Railways ;

(b) if so, the number of employees of the Government of Madhya Pradesh transferred to the Railway Departments ;

(c) whether such transfers are made on certain special service conditions ;

(d) whether Government have received complaints from such employees to the effect that they have not been given the facilities as per the said service conditions ; and

(e) if so, the action taken to redress their complaints ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (c). Yes, a fixed percentage of direct recruitment vacancies of certain specified categories on the Railways are normally filled by recruitment of State Government employees under certain conditions.

(b), (d) and (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Consumption of Cigarettes, Bidis and Tobacco

5440. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the monthly consumption of cigarettes, bidis and tobacco in India ;

(b) the estimated value thereof, separately ;

(c) the amount of tax realised by Government annually on the said consumption ; and

(d) the figures of increase or decrease in the said consumption in the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तीनसुखिया डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के गार्डों को कम संगचल भत्ता दिया जाना

5441. **श्री झारखंडे राय :** क्या रेलवे यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की तीनसुखिया डिवीजन के गार्डों को 1 दिसम्बर, 1968 से कम संगचल भत्ता मिल रहा है क्योंकि पुराने नियमों के अधीन उन्हें गाड़ी छूटने से पहले गाड़ी के रुके रहने के समय का जो भत्ता मिलता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या तीनसुखिया डिवीजन में अनेक छोटी छोटी शाखा लाइने हैं जिनका फासला 3 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है और जिन पर शंटिंग कार्य सहित गार्डों को लगातार 14 घन्टे काम करना पड़ता है तथा उन्हें केवल वास्तविक किलोमीटरों के दुगने किलोमीटरों का भत्ता मिलता है, जो कि 160 किलोमीटर के बराबर भी नहीं होता है जो कि गार्डों के लिये प्रतिदिन का न्यूनतम फासला होता है;

(ग) क्या तीनसुखिया के एल० एल० ओ० मुख्यालय के गार्डों को औसतन प्रति रोस्टर डे के लिये केवल 6 कीलोमीटर तथा 5 रुपये प्रति मास संगचल भत्ता मिलता है और यदि हां, तो उन्हें प्रतिदिन 160 किलोमीटर का जैसे कि अन्य जोनल रेलों में दिया जा रहा है, न्यूनतम भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतिदिन का उनका न्यूनतम मील भत्ता दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में ऐसे खण्ड हैं, जहां 1-12-68 से रनिंग भत्ते की नयी दरें और नियम लागू होने के फलस्वरूप गार्डों की अपेक्षाकृत कम रनिंग भत्ता मिल रहा है। इन खण्डों में से एक के मामले में आदेश जारी किये गये हैं कि उस खंड पर काम करने वाले रनिंग कर्मचारियों को 1-12-68 से पहले लागू दरों और नियमों के आधार पर रनिंग भत्ता दिया जाये जिसमें 1-3-68 से 30-11-68 तक की अवधि के बकाया के भुगतान के लिए मंजूर किये गये उपयुक्त प्रतिशत के अनुरूप वृद्धि कर दी गयी है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के इस प्रकार के अन्य खण्डों की स्थिति की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पार्सल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में गार्डों की मांग को अस्वीकार किया जाना

5442. **श्री झारखण्डे राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पार्सल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का दर्जा बढ़ाने के बारे में गार्डों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि अन्य जोनल रेलों में इस योजना को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गार्डों को उनके उचित अधिकार से वंचित करने के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने अपनी समय सारिणी में इन गाड़ियों का नाम बदलकर "पार्सल मिक्स्ड ट्रेन्स" रख दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत-सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको केवल 'पार्सल एक्सप्रेस' कहा जाता है जैसे 3 अक्टूबर, 1969 को अप पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी 'सी' ग्रेड के गार्ड श्री एन० के० घोष द्वारा चलाई गई थी जो 07.25 पर एस० जी० यू० जे० से छूटी थी तथा 22.35 बजे अलीपुर द्वारा जंक्शन पर पहुंची थी।

(घ) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सैनिकों वाली प्रायः विशिष्ट सैनिक गाड़ियां चलती हैं, जिन्हें 'बी' ग्रेड के गार्डों की बजाय 'सी' ग्रेड के गार्डों द्वारा चलवाया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समस्याओं पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

श्रमिक अशान्ति का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

5443. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कर्मचारी संघों के बीच व्याप्त प्रतिद्वन्द्विता से धीमी गति से कार्य करने तथा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों

व बेकार की बातों के कारण देश में औद्योगिक सामान के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या इसका अनुमान करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि इन तीन प्रकार की बुराइयों से उद्योग के विकास में किस हद तक रुकावट पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण शीघ्र ही किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्रमिकों की स्थिति के कारण औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव के कोई संकेत नहीं मिले। वास्तव में 1960 को आधार 100 मानते हुए औद्योगिक उत्पादन के 1967, 1968, 1969 के सूचकांक क्रमशः 151.6, 159.5 तथा 171.1 थे।

(ख) और (ग) . औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और अन्य प्रकार से भी, श्रमिक स्थिति से होने वाले औद्योगिक उत्पादन पर दुष्प्रभाव के सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

निर्यात प्रधान उद्योगों का विकास

5444. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रधान उद्योगों की विकास प्रगति देखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ उद्योग निर्यातों में वृद्धि की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ा सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिये क्या प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। सरकार आयात निर्यात के प्रधान नियंत्रक तथा अन्य अधिकरणों तथा निर्यात संवर्द्धन परिषदों के माध्यम से समय-समय पर निर्यातोन्मुख उद्योगों तथा एककों के कार्य कलाप तथा प्रगति की संवीक्षा करती है।

(ख) और(ग). औद्योगिक उत्पादनों में विगत तीन वर्षों में सामान्यतः पर्याप्त प्रगति दिखाई पड़ी है। 1968-69 में इनका निर्यात 1967-68 की अपेक्षा शत प्रतिशत बढ़ा है और 1969-70 में यह निर्यात 1968-69 की अपेक्षा 30 प्रतिशत बढ़ा है। इस समय प्राप्त संकेतों के आधार पर प्रगति की संतोषजनक दर जारी रहनी चाहिये बशर्ते कि कच्चे माल के सम्भरण, जहाजों पर लदान आदि की कठिनाइयों को हल कर दिया जाये। औद्योगिक एककों के उत्पादों के निर्यात को यथासम्भव प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिये सरकार की नीतियों को नया रूप दिया गया है और दिया जाता रहेगा।

भारतीय रेलवे में सवारी डिब्बे परिचारकों के काम के घंटे

5445. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवारी डिब्बे परिचारकों के काम के घंटे उस समय की अपेक्षा जब भारतीय रेलवे में इस व्यवस्था को चालू किया गया था, इस समय अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनका कार्य-भार तथा काम के घंटे अब बढ़ा दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों अवधियों में तुलनात्मक रूप से उनके काम के घंटों और कार्य-भार का ब्योरा क्या है और उन्हें बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनके काम के घंटों तथा कार्य-भार को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार उनके वेतन-मानों में वृद्धि करने का है ; और यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कुछ गाड़ियों के पहले दर्जे के डिब्बों में डिब्बा परिचारकों की नियुक्ति

5446. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम डाक गाड़ी में समस्तीपुर के लिए पहले दर्जे के डिब्बे में, कालका डाकगाड़ी में गया के लिये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और अन्य रेलगाड़ियों के ऐसे ही डिब्बों में परिचारक नियुक्त नहीं किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रथम श्रेणी के यात्रियों को कई किस्म की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, लेकिन गाड़ियों के कण्डक्टर, चल टिकट परीक्षक और गार्ड इन सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले पहले दर्जे के यात्रियों के आराम की देख भाल करते हैं ।

(ख) केवल पहले दर्जे के पूरे गलियारेदार सवारी डिब्बों में ही यान परिचर रखे जाते हैं । पहले और तीसरे दर्जे के मिले-जुले सवारी डिब्बों में पहले दर्जे का सीमित स्थान होता है, इन डिब्बों में यान परिचर नहीं रखे जाते ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Memorandum submitted by Purvottar Railway Mazdoor Sabha to General Manager, North Eastern Railway

5447. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Purvottar Railway Mazdoor Sabha had handed over a memorandum to the General Manager of the North Eastern Railway during his visit to Barauni on the 8th February, 1970 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any action has been taken on the demands made in the said memorandum ; if so, the details thereof ; and

(d) the nature of action Government propose to take on the other demands contained therein and the time by which it would be taken ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposed Dharna by Security Staff working in H.E.C., Ranchi

5448. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the number of Security Staff working under the Heavy Engineering Corporation, Ranchi at present ;

(b) whether it is a fact that they propose to stage a dharna to get their demands acceded to ;

(c) if so, the number of persons proposing to stage the dharna and the details of their demands ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 623.

(b) The Security Personnel other than Police personnel on deputation to Heavy Engineering Corporation, have been agitating for fulfilment of their eleven point demand by resorting to "Dharna" at the Headquarters Administrative Building with effect from the 15th January, 1970.

(c) About 300 peasons were participating in the "Dharna" in the beginning. Their number is about 150 at present. They take part in "Dharna" when they are off duty. The details of their demands are as under :

(1) Revision of scale of pay to bring the same at par with Fire Fighting Staff;

(2) Security Chowkidars should be upgraded to the post of Security Guards ;

(3) Arrear wages for work done on Second Saturdays till Novermber, 1969 ;

(4) Supply of good quality kits ;

(5) Woollen uniform during winter season ;

(6) Rent free accommodation ;

(7) Conversion of temporary regular into regular staff ;

(8) No outside recruitment should be made ;

(9) Leave Travel Concession should be given to Security Staff in every year ;

(10) Rs. 10 as cycle allowance should be given to every security staff;

(11) Adequate fans should be provided in every security barracks;

(d) This is essentially a matter for the management of the company to consider. They have considered the grievances of the Security personnel carefully and explained their reaction to the demands. The managements have been requesting them to discontinue their agitation in the form "Dharna" and to create a proper climate for negotiations. The Security Personnel do not seem to be inclined to agree and are continuing their "Dharna".

Transfer of Shares by Indian Iron and Steel Company to M/s Dalhousie Holdings

5449. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3984 on the 20th August, 1969 regarding transfer of shares by the Indian Iron and Steel Company to M/s. Dalhousie Holdings and state:

(a) whether the opinion given by the Law Ministry on the question of transfer of shares by the Indian Iron and Steel Company to M/s. Dalhousie Holdings has since been considered;

(b) if so, the details of the decision taken in this regard;

(c) whether it is a fact that many irregularities have been committed in this respect; and

(d) if so, the persons found responsible on this account and the nature of action taken in this regard?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The matter is under further consideration.

Increase in Cost Estimates of Bokaro Steel Project

5450. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) how many times increase were made in the cost estimates of the Bokaro Steel Project, the amount by which these estimates were increased each time and the present cost of the project as estimated now; and

(b) the reasons for which the cost was increased repeatedly?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). The original estimates of cost of the 1st stage of Bokaro Steel Project as worked out in 1966 amounted to Rs. 6,710 million. According to the recent cost estimates of Bokaro Steel Limited, the stage of the project will cost Rs. 7,600 million approximately. This estimate is yet to be approved by Government. This is the only revision of cost estimates made by the Bokaro Steel Limited so far.

Replies to Letters received from Members of Parliament

5451. **Shri Bansh Narain Singh**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of letters received from Members of Parliament from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the points raised in them;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the time taken in replying to them ;

(c) the reasons for not giving any replies to the remaining letters and whether his Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether the replies to the letters from Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ;

(e) if not, the appropriate number of days taken in giving the said final replies ; and

(f) whether it is a fact that all the points raised in these letters were not replied to, and, if so the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) 167 letters were received during the period from 1.1.1969 to 28.2.1970. A great many of them were recommendatory letters for (1) award of post matric scholarships to individual students (2) grants of financial assistance to individuals from Minister's Discretionary Fund ; (3) appointment as Members of Central Social Welfare Board ; (4) award of scholarships to physically handicapped ; (5) construction of houses for Harijans and (6) improvement of Harijan Basties. The remaining other letters were on various matters relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes including revision of list of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, proposal for entrusting some schemes for Harijan welfare to Indian Red Cross, asking for copies of report of the Untouchability Committee and certain records and on different other matters dealt with by this Department.

(b) 143 letters were replied to finally in quickest possible time ranging from one week to 3/4 months depending on the merits of individual cases.

(c) This Department is aware of the order of the Prime Minister in this regard. Generally all letters received from Members of Parliament were acknowledged.

(d) No, Sir. Some of the letters not finally replied to required consultation with other Ministries/State Government. Some also do not call for any final reply.

(e) Does not arise.

(f) Replies were sent covering all important points raised in the above letters.

Disposal of Letters Received from Members of Parliament

5452. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of letters received from Members of Parliament from the 1st January, 1970 to 28th February, 1970 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the time taken in replying to them ;

(c) the reasons for not giving any replies to the remaining letters and whether his Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether the replies to the letters from Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised therein lose their importance with the passage of time ;

(e) if not, the approximate number of days taken in giving the said final replies ; and

(f) whether it is a fact that all the points raised in these letters were not replied to, and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) 718.

The points raised in these letters generally relate to :

(i) staff representations re : promotion, medical facilities, Provident Fund Accounts and other grievances ;

(ii) extension/introduction of trains ;

(iii) provision of over bridges/amenities ;

(iv) construction/extension of lines ;

(v) complaints against officers regarding malpractices ;

(vi) allotment of catering contracts ; and

(vii) allotment of ash and cinder contract etc. etc.

(b) to (e). Out of 718 letters received, 320 have been finally replied to.

Replies to the remaining letters will be sent as expeditiously as possible.

The letters received are generally disposed of within periods ranging from seven days onwards to such time as complete information is collected to enable the final reply being sent.

Instructions already exist suggesting that communications received from Members of Parliament should be replied to on priority basis and these instructions are adhered to. Where, however, points raised in the letters require detailed examination, involving collection of data from remote stations, it takes a longer period. It is, however, ensured that there is no avoidable delay in replying letters from M.Ps.

As regards the orders of the Prime Minister in this regard, presumably the reference is to Unstarred Question No. 4985 answered by the Prime Minister in Lok Sabha on 18.12.1968. These instructions referred to by the Prime Minister are followed rigidly.

(f) No, Sir.

पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के वाणिज्य मंडलों की बैठक

5453. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के वाणिज्य मंडलों की अभी हाल ही में हुई एक बैठक में वर्ष 1960 से 1969 के दौरान में पंजाब में विकास की दर में भारी वृद्धि के कारण विकास की गति को अधिक तेज करने की योजना बनाने के बारे में विचार किया गया था ;

(ख) क्या औद्योगिक तथा कृषि विकास जो कि तीव्रतम गति से हुआ है तथा प्रशिक्षित जनशक्ति तथा परिवहन सुविधाओं के कारण उद्योगपति उस राज्य में कुछ और नये उद्योग का विकास करने का विचार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों की स्थापना के बारे में उनकी सहायता करना स्वीकार किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पता चला है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य मण्डलों की हाल ही में कोई ऐसी बैठक नहीं हुई।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में दिल्ली प्रभाग के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी करना तथा उनकी वरिष्ठता

5455. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची के बारे में दिनांक 5 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1946 में तथा इसके उपरान्त नियुक्त किये गये दिल्ली प्रभाग के सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में मई, 1969 के आदेश जारी किये गये थे; और

(ख) उनकी वरिष्ठता तथा स्थायीकरण की सूचियां तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां, रेलवे बोर्ड द्वारा मई, 1969 में जारी किये गये आदेशों के आधार पर दिल्ली और फिरोजपुर मण्डलों के सहायक स्टेशन मास्टरों की एक अनन्तिम वरिष्ठता-सूची 5-1-70 को निकाली गई और इस पर सम्बन्धित कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी गयीं। फिरोजपुर मण्डल के कर्मचारियों की ओर से अभी तक अभ्यावेदन नहीं मिले हैं। आपत्तियों पर विचार कर लेने के बाद अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। कर्मचारियों की वरिष्ठता को अन्तिम रूप देने के बाद उन्हें स्थायी किया जायेगा।

7-4-1970 को दिया जाने वाला उत्तर रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पद

5456. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में स्थायी तथा अस्थायी स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के वर्ग वार तथा डिवीजन वार, कुल कितने पद हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : अपेक्षित सूचना, 6-5-1969 के अतारांकित प्रश्न 8533 के उत्तर में दिये गये वचन को पूरा करने के सम्बन्ध में 21-11-69 को सभा-पटल पर रख दी गयी थी।

रेलवे प्रशासन संहिताओं तथा प्रशासन नियमावली पुस्तकों के हिन्दी संस्करण

5457. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन संहिता खण्ड 1 तथा खण्ड 2 और प्रशासन नियमावली

पुस्तकों के हिन्दी संस्करण कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिये स्टेशन मास्टरों को सप्लाई किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है तथा कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु इनका सरलीकरण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन पुस्तकों के हिन्दी संस्करण कब उपलब्ध कराये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) अपने दिन प्रति दिन के काम के लिए स्टेशन मास्टरों को भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग 1 और 2 और भारतीय रेल स्थापना नियमावली देखना अपेक्षित नहीं है । स्थापना के मामलों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश रेलों के स्थानीय राजपत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं और ये राजपत्र सभी स्टेशन मास्टरों को सप्लाई किये जाते हैं ।

(ग) और (घ). चूंकि भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग 1 और 2 विधिक नियम हैं, इसलिये निर्धारित प्रक्रिया के अधीन इनके अनुवाद का काम राजभाषा (विधि) आयोग, विधि मंत्रालय को सौंपा गया है । स्थापना नियमावली का हिन्दी अनुवाद केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पूरा कर लिया है और स्थापना को हिन्दी में छपवाने का काम हाथ में लिया जायेगा ।

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों के संघ की शिकायतें

5458. **श्री किरुतिनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ के प्रतिनिधियों ने दिनांक 27 अगस्त, 1969 को प्रधान मंत्री से और तब 29 अगस्त, 1969 को रेलवे मंत्री से भेंट की थी तथा अपनी शिकायतें उनके सामने पेश की थी; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्य लिपिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संघ प्रतिनिधि 27-8-69 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने अपनी शिकायतों के संबंध में एक ज्ञापन दिया था । इस आशय का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि इस संघ की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल 29-8-1969 को तत्कालीन रेल मंत्री से मिला था । फिर भी, वाणिज्यिक क्लर्कों की शिकायतों का एक ज्ञापन भूतपूर्व रेल मंत्री को 29-8-1969 को मिला था ।

(ख) वेतनमानों में परिशोधन और सेवा की अन्य शर्तों के लिए वाणिज्यिक क्लर्कों की मांगों पर अतीत में विचार किया गया था, लेकिन कर्मचारियों की अन्य कोटियों पर इसकी संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर सरकार वेतनमानों और किसी कोटि के कर्मचारियों की अन्य शर्तों में बड़े पैमाने पर संशोधन के लिए सहमत न हो सकी । फिर भी, शीघ्र ही एक वेतन आयोग सभी कोटियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर विचार करेगा और उस समय वाणिज्यिक क्लर्कों के मामले पर विचार किया जायेगा ।

मदुरै डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पद के लिये चयन

5459. **श्री किरुतिनन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 में मदुरै डिवीजन में 250-380 रुपये के वेतनमान में वाणिज्यिक लिपिकों का चयन किया था और क्या वरिष्ठों की उपेक्षा करके कनिष्ठ व्यक्तियों का चयन किया गया था और क्या किसी उम्मीदवार का चयन सिर्फ इसलिये भी नहीं किया गया था कि उसने 19 सितम्बर, 1968 को केवल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया था; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त चयन के लिये बुलाये गये लोगों की संख्या की उपेक्षा करके केवल 6 व्यक्तियों का चयन किया गया था जिसमें कनिष्ठ व्यक्ति शामिल हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). फरवरी, 1969 में किये गये एक प्रवरण में 6 उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल बनाया गया। किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ; प्रवरण की सामान्य प्रक्रिया में एक उम्मीदवार अधिक्रान्त हो गया।

दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक लिपिकों के लिये उच्चतर वेतनमान

5460. **श्री किरुतिनन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने वाणिज्यिक लिपिक थे ;

(ख) उनके लिये कितने प्रतिशत उच्चतर वेतन-मान मंजूर किये हैं;

(ग) उपरोक्त तिथि को प्रत्येक डिवीजन में इन वेतन-मानों पर कितने वाणिज्यिक लिपिक काम कर रहे थे; और

(घ) यह स्वीकृत प्रतिशतता प्रत्येक वेतन-मान में रखी जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले पर खर्च तथा रेलवे में डीजल के इंजन प्रयोग करने का कार्यक्रम

5461. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में कोयला खरीदा तथा इसके लिए कितनी धन राशि की अदायगी की गई;

(ख) क्या कोयले का न्यूनतम प्रयोग करने के लिये रेलवे ने डीजल के इंजन चलाने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी। यह कहना सही न होगा कि रेलों का डीजलीकरण कार्यक्रम कोयले का न्यूनतम उपयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है। डीजलीकरण कार्यक्रम यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं, भाप कर्षण की तुलना में इसके स्पष्ट परिचालनिक लाभ तथा अतिरिक्त यातायात के लिये शीघ्र क्षमता निर्मित करने में इसकी श्रेष्ठता के कारण आरम्भ किया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5462. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक वर्ग के लिये उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना में दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदला जायेगा और यदि हां, तो वर्षवार कितने प्रक्रमों में ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मीटर आमान की जिन वर्तमान लाइनों का अब लगभग पूरी सीमा तक उपयोग हो रहा है, वहां महत्वपूर्ण मीटर लाइन ट्रंक मार्गों के लगभग 3000 किलोमीटर को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरु करने के लिये एक संदर्शी योजना तैयार की गयी है।

(ख) चौथी योजना में किये जाने वाले आमान-परिवर्तन के कार्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) आमान-परिवर्तन की संदर्शी योजना में दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन अभी शामिल नहीं है।

झांझरपुर और तामुरिया स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच हाल्ट स्टेशन

5464. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांझरपुर और तामूरिया (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच दीप गांव के निकट एक हाल्ट स्टेशन बनाने से सम्बन्धित प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो हाल्ट स्टेशन के निर्माण कार्य को तेज करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि इस मामले में और कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दीप गांव के समीप एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि प्रस्तावित हाल्ट से उन्हीं यात्रियों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें समीपवर्ती स्टेशन पहुंचाना होता है और इससे लगातार वित्तीय हानि होती रहेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली और रिवाड़ी जंकशन के बीच दुहरी लाइन

5463. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के पास उत्तर रेलवे में दिल्ली और रिवाड़ी जंकशन के बीच दुहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ताकि वर्तमान कठिनाइयां दूर की जा सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटौदी और खलीलपुर रेलवे स्टेशनों के बीच साबी नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है ताकि इस सेक्शन में रिवाड़ी तक दुहरी लाइन बिछाने की योजना पूरी हो सके ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब पूरा किया जायेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) तक के उतर नकारात्मक हों, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). खलीलपुर और गढ़ी हरसरू के बीच 30 किलोमीटर भाग को छोड़कर, 82 किलोमीटर लम्बे दिल्ली-रिवाड़ी खण्ड पर पहले से ही दोहरी लाइन मौजूद हैं। इकहरी लाइन वाले भाग पर दोहरी लाइन बिछाने के लिये, जिसमें साबी नदी पर पुल का निर्माण शामिल है, इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाने पर यदि यातायात और वित्तीय दृष्टि से औचित्य पाया गया तो दोहरी लाइन बिछाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

एवरेस्ट साइकल्स लिमिटेड को आसाम से हटाकर अन्यत्र ले जाना

5466. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी की एवरेस्ट साइकल्स लिमिटेड अपना कारोबार कलकत्ता तथा आसाम से बाहर ले जाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह कम्पनी किन कारणों से अपना कारोबार वहां से हटाना चाहती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार को गोहाटी के एवरेस्ट साइकिल्स लि० से अपने कारखाने के कलकत्ते में स्थानान्तरण के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मेसर्स एलैम्बिक ग्लास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बड़ौदा के अंशधारियों का कम्पनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध अभ्यावेदन

5467. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेसर्स एलैम्बिक ग्लास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बड़ौदा के अंशधारियों

से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाने वाला एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) आरोप ये हैं :

(1) कि यह कम्पनी एक नई निगमित कम्पनी मेसर्स निओमर लिमिटेड के शेयरों में 1.50 करोड़ रुपया लगाना चाहती है तथा यह पूंजी निवेश कम्पनी के लिये अहितकर होगा ;

(2) कि यह कम्पनी 31-12-1969 को प्रबंधक एजेन्ट मेसर्स निशैची सर्विसेज के कार्यकाल पूरा होने के बाद से निदेशक मंडल को कुल लाभ का 7½ प्रतिशत देना चाहती है ताकि वर्तमान निदेशकों में से अधिकांश को लाभ पहुंचाया जा सके जोकि प्रबन्ध एजेन्टस की पहली कम्पनी के भागीदार बताये जाते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि धारा 640 के अधीन नोटिस ठीक ढंग से प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें निदेशकों को दिये जाने वाले धन-लाभ की तथा उसके अनुपात की जानकारी नहीं दी गई थी ;

(3) कि निदेशक मंडल को उपरोक्त धन लाभ देने के बाद इस कम्पनी के प्रबन्ध पर मैनेजिंग एजेन्टस के अधीन हुए प्रबन्ध से अधिक धन राशि खर्च होगी।

(4) कि इस कम्पनी के कुछ अवांछनीय अन्तर-समवाय पूंजी निवेश किये हैं।

(ग) **(1) के बारे में :** धारा 372 के अधीन ऐसे पूंजी निवेश के लिये सरकार को अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) तथा (3) के बारे में : कम्पनी अधिनियम की धारा 310 के अधीन कम्पनी कानून बोर्ड को आवश्यक आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(4) के बारे में : अभ्यावेदन में कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनकी जांच की जा रही है।

दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के श्रेणी ए के एक गार्ड को वित्तीय हानि

5468. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार श्रेणी "ए" गार्ड को सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुगलसराय के दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के श्रेणी "ए" के एक गार्ड को माल गाड़ियों में काम पर लगाया गया है जिससे उसे परिचालन भत्ते की वित्तीय हानि होती है और यदि वह अपने उचित मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कार्य करता तो उसका वह अधिकारी होता;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस गार्ड को गत तीन वर्षों से वित्तीय हानि हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिये किसी भी नकद प्रतिकर की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसको वित्तीय रूप से क्षतिपूर्ण देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संघों की मान्यता

5469. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के लिये तीसरा वेतन आयोग नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 14 लाख में से केवल 4 लाख रेलवे कर्मचारियों को दो मान्यता प्राप्त संघों अर्थात् राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्माचरी संघ तथा अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे में वर्गवार संस्थाएं हैं जिनका दावा है कि उन्हें बहुमत का प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(घ) क्या राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीबद्ध संघ नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या रेलवे प्रशासन इन वर्गवार संस्थाओं को इस वेतन आयोग के समक्ष सुने जाने का अवसर प्रदान करने का विचार कर रहा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार ने एक ऐसा आयोग नियुक्त करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यद्यपि यह सच है कि रेलों में अलग-अलग कोटि के कर्मचारियों की कई यूनियनें/संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार को उनके सदस्यों की संख्या के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(घ) मालूम हुआ है कि शुरू में यह फेडरेशन कर्मचारी संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था, लेकिन बाद में इसका नवीकरण नहीं कराया गया ।

(ङ) इस फेडरेशन को केवल रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत करने की सुविधा मिली हुई है । इसे सरकार द्वारा कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी गयी है ।

(च) जब कभी आयोग नियुक्त किया जायेगा तो स्वयं आयोग यह निर्धारित करेगा कि उसकी कार्यविधि क्या होगी ।

रेलवे विभाग द्वारा होटलों की स्थापना

5470. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व भर में अब प्रवृत्ति यह है कि होटलों तथा सहायक उपक्रमों का संचालन करने के लिए अधिकाधिक परिवहन कम्पनियां हों;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे ने गत कुछ वर्षों में परम्परागत संचालन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में अच्छे होटलों की बहुत कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने होटल उद्योग को निर्धारित आस्तियों के 60 प्रतिशत तक ऋण की व्यवस्था, छः वर्ष तक कर से मुक्ति आदि जैसे उदार प्रोत्साहन दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय रेलों द्वारा कई होटल स्थापित किये जाने की सम्भावना पर विशेषकर इस बात को ध्यान में रख कर विचार करेगी की रेलवे का पहले ही देश में संगठनात्मक ढांचा है और इसे विश्रामालयों तथा खान पान व्यवस्था सेवा का संचालन करने का भी अनुभव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, सिवाय इसके कि एक या दो अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला से सम्बद्ध हैं ।

(ख) जी हां । 1964-65 से भारतीय रेलों के राजस्व में अधिशेष अथवा कमी के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	आंकड़े हजार रुपयों में अधिशेष (+) या कमी (—)
1964-65	(+) 13,18,47
1965-66	(+) 18,56,23
1966-67	(—) 18,27,17
1967-68	(—) 31,52,92
1968-69	(—) 7,85,67
1969-70	(—) 12,55,37 (अनुमानित)

(ग) यह सही है कि देश में अच्छे होटलों की कमी है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र को होटल उद्योग में पूंजी लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये हैं जिनमें ये शामिल हैं—कर में पर्याप्त राहत, मूल्यह्रास की उदार दरें, विकास-छूट की मंजूरी, होटल उद्योग की सभी आवश्यकताओं के लिए अग्रता देना, दिल्ली क्षेत्र में रियायती दर पर सरकारी भूमि की बिक्री और होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

(घ) रेलों का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भिलाई इस्पात कारखाने में चोरी के मामले

5471. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री अदिचन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 जनवरी, 1970 को साप्ताहिक पत्रिका 'करेंट' में "भिलाई इस्पात कारखाने में चोरी, कर्मचारियों, पुलिस तथा कम्पनी के ग्राहकों के विरुद्ध आरोप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में बहुत चोरियां हुई हैं और बताया जाता है कि ये घटनायें प्रतिदिन ही होती रहती हैं और इससे कारखाने को गत कुछ वर्षों में कई करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन चोरियों में भिलाई इस्पात कारखाने में कुछ कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षा कर्मचारियों और कम्पनी के कुछ ग्राहकों का हाथ है; और

(घ) क्या इन उक्त आरोपों के बारे में कोई जांच की जायेगी और उसके निष्कर्षों तथा इस कारण अब तक हुई अनुमानित हानि का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मुदखेड़, हिमायतनगर तथा आदिलाबाद स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) पर टिकट खरीदने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को परेशान करना

5472. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे की मीटर गेज रेलवे लाइन पर मुदखेड़, हिमायतनगर तथा आदिलाबाद स्टेशनों पर कुछ गुण्डे तीसरे दर्जे के यात्रियों को टिकटें न खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करनी पड़ती है और टिकट कलेक्टर तथा ये गुण्डे लोगों को तंग करते हैं और उनसे धन वसूल करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ऐसे मामले नोटिस में नहीं आये हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मध्य रेलवे के यवतमाल मुर्तजापुर सेक्शन के स्टेशनो पर प्लेटफार्मों की व्यवस्था

5473. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के यवतमाल मुर्तजापुर सेक्शन के ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है, जो 25 वर्ष पुराने हैं, परन्तु जहां अभी तक प्लेटफार्मों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) उन स्टेशनों पर अभी तक कोई प्लेटफार्म न बनाये जाने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोई नहीं, क्योंकि सभी स्टेशनों पर जिनकी संख्या 18 हैं प्लेटफार्म बने हुए हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मध्य रेलवे के यवतमाल-मुर्तजापुर सेक्शन पर रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

5474. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की यवतमाल-मुर्तजापुर छोटी रेलवे लाइन पर 25 वर्ष से अधिक समय पूर्व खोले गये कई स्टेशनों को अभी तक बिजली नहीं दी गई है, यद्यपि उक्त स्टेशन पर स्थित गावों तथा कस्बों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है; और

(ख) इन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यवतमाल-मुर्तजापुर छोटी लाइन खण्ड पर कुल मिलाकर 18 स्टेशन हैं जहां अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) इन स्टेशनों पर अभी तक बिजली लगाना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि इस लाइन के मालिक अर्थात् सेन्ट्रल प्राविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड के इस प्रकार के सुधारों के लिए धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये महाराष्ट्र के लिए धन का आवंटन

5475. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कितना धन नियत किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान आदेश के अनुसार छात्रवृत्तियां केवल उन विद्यार्थियों को ही दी गई हैं जो अनुसूचित आदिम जातियों के नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 1970-71 के लिये 1.35 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) में छनाखा से वुन तक रेलवे लाइन का निर्माण

5476. **श्री देवराव पाटिल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में छनाखा वुन रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . चनाका से वानी तक एक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है और काम हो रहा है । सर्वेक्षण का परिणाम मालूम होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

New Railway Lines in Rajasthan

5477. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to conduct surveys in Rajasthan during 1970-71 for constructing new Railway lines ;

(b) if so, the names of those lines and, if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is proposed to conduct a survey of the project sanctioned by the Rajasthan Government for converting the Dholpur-Gangapur City-Sawai Madhopur-Jaipur Railway line into broad-gauge line ;

(d) if so, the time by which it is proposed to be done ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Railway development is not envisaged on State-wise or region-wise concepts, but on overall development considerations in the national interest. However, no new lines are likely to be constructed in Rajasthan in the near future. No surveys for new lines are therefore proposed to be carried out in 1970-71 in Rajasthan.

(c) to (e). There is no metre gauge line connecting Dholpur and Gangapur City. Due to lack of adequate traffic and financial justification, the Sawai Madhopur-Jaipur metre gauge section is not being considered for conversion and hence no surveys are proposed to be carried out for this conversion at present.

High Level Discussion about Railway Fares and Freights

5478. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any high level discussion has again taken place about the proposed Railway fares and, if so, the names of persons among whom such discussion has taken place and the outcome thereof; and

(b) the conclusions arrived at the time of reviewing the proposed increases in the Railway fares for the Third Class and for freight for the transportation of food-stuffs?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) No.

(b) Does not arise.

Sholarships to Students in low Income Group

5479. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the manner in which assistance was given to the Harijan students and other students belonging to low-income groups during the last three Five Year Plan Periods; and

(b) the amount of assistance proposed to be given during the Fourth Plan period?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phurenu Guha): (a) Cent per cent assistance was given to the States for award of post-matric scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In regard to other backward classes (including low income group) the central assistance to each State was limited since 1959-60 though they were free to supplement it from their own resources, if they so desired.

(b) The Pre-IVth Plan (i. e. 1968-69) expenditure on award of post-matric scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes including the fixed central allotment for the other backward classes has been committed to the States' non-Plan budgets. This commitment has, however, been followed with the devolution of the necessary resources to the States by the Finance Commission. Accordingly during the Fourth Plan the Central Plan provision of Rs. 11 crores for these scholarships represents the net estimated increase over and above the expenditure incurred on Scheduled Castes and Scheduled Tribes during 1968-69.

Programme to help Widows and their Children and Orphans

5480. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out any programme for providing help to helpless widows and their children and to orphans having no means of livelihood; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) The Government have no separate programmes as much. There are, however, programmes for the welfare of destitute women and children, which benefit also helpless widows, their children and orphans having no means of livelihood.

(b) The details of the programmes for the welfare of the needy women and children are furnished in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-3128/70].**

गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों के लिये कुएं

5481. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा अन्य गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा अथवा इनके माध्यम से गांधी शताब्दी वर्ष में कितने कुएं खोदे गये अथवा कुंओं की व्यवस्था की गई ;

(ख) क्या इस वर्ष हरिजनों के उत्थान के लिये कोई अन्य योजनाएं आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). यह सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षायें लेना

5482. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने अप्रैंटिस मैकेनिकों का चयन करने के लिये बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर 22 फरवरी, 1970 को अथवा इसके आस-पास एक लिखित परीक्षा ली थी ;

(ख) क्या इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस समय बिहार में अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य नहीं है बिहार से परीक्षा देने वाले प्रश्नों को नहीं समझ सके अथवा यदि समझ भी सके थे तब भी वे उनके उत्तर अंग्रेजी में नहीं लिख सके थे और इस प्रकार वे प्रतियोगिता में शामिल होने में असमर्थ रहे ;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी परीक्षायें लेने के मामले में अपनी नीति बदलेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) . रेल सेवा आयोगों द्वारा अंग्रेजी में परीक्षाएं ली जाती हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लोगों को परेशान किया जाना

5483. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय विदेशी धर्म प्रचारक तथा उनके अनुयायी बिहार में

गया जिले में नवादा उप-मण्डल में सथगुल्नी गांव के कुछ हरिजन परिवारों को जिन्होंने पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और बाद में अपना पुराना हिन्दू धर्म अपना लिया है, तंग कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके खेतों में से धान लूट लिया गया और बलात् उठा लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी धर्म प्रचारकों की इन राष्ट्रविरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) . बिहार राज्य को इस मामले में लिखा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में रेलवे कर्मचारियों/रेलवे सम्पत्ति पर हमले

5484. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में महीनेवार, पश्चिम बंगाल में रेलवे कर्मचारियों पर जिसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, इंजन चालक शामिल हैं, कितनी बार हमले किये गये;

(ख) इस कारण रेलवे सम्पत्ति को कितने मूल्य की क्षति हुई और सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) इन हमलों के क्या कारण थे; और

(घ) लोगों द्वारा अकारण ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया है, तो क्या ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी :

(घ) (i) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिये आवधिक छापे मारने जैसे सामान्य पुलिस प्रबन्धों को कड़ा करने के अलावा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने रात को चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ मार्गरक्षी चलाने, सशस्त्र पहरे की व्यवस्था करने, प्रभावी क्षेत्रों में विशेष कैम्प स्थापित करने जैसे कार्यों के रूप में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किये हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार रेलवे पुलिस को, उनके प्रबन्धों का विस्तार करने के लिये रेलवे सुरक्षा दल की कुमक भी दी गयी है।

(ii) पश्चिम बंगाल में राज्य के खुफिया विभाग और रेलवे सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा की सहायता से विशेष अपराध कक्ष भी स्थापित किया गया है ताकि उस क्षेत्र में जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ा जा सके और उन पर निगरानी रखी जा सके ।

(iii) यार्डों में या स्टेशन प्लेटफार्मों पर रेल सम्पत्ति की रक्षा करने की ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को अपराध स्थल के लिए तुरन्त रवाना होने और अपराध के शिकार होने वाले व्यक्तियों को सभी सम्भव सहायता पहुंचाने की भी कड़ी हिदायत है ।

Reserve posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes lying vacant in North-Eastern Railway

5485. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which have been lying vacant since 1966 in North-Eastern Railway, Department-wise and Category-wise ; and

(b) the steps taken or being taken to fill these vacant posts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Guards Provided to Officers on North Eastern Railway

5486. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Officers of the North Eastern Railway have been provided with security guards ; and

(b) if so, the number, names and designations of such Officers and the reasons for making such an arrangement for them ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) General Manager. The Security Guard to the General Manager is provided only to protect secret and valued documents which are carried by him to his bungalow frequently.

Posting of Clerks with Senior Doctors in Hospitals in North Eastern Railway

5487. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that senior Doctors working in the hospitals in the North Eastern Railway have been provided with clerks ; and

(b) if so, the reasons therefor when such arrangements have not been made in other Railways ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Revision of Pay Scales of Matrons on North Eastern Railway

5488. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) how many times since 1964 the pay scale (Rs. 250-380) of Matrons on the North Eastern Railway has been revised to Rs. 370-475 and Rs. 475-575 ;

(b) whether it is a fact that the posts reserved for the Scheduled Castes have not so far been filled by the candidates belonging to these communities and, if so, the reasons therefor and

the time by which Government propose to fill these posts by the candidates belonging to the said communities ; and

(c) the number of reserved posts which have not been filled by the candidates of the said communities ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The pay scale of Matrons of North Eastern Railway has not been revised since 1964.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Opportunities for promotions of Trains Clerks and Ticket Collectors

5489. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales of Train Clerks and Ticket Collectors are identical and, if so, the reasons for not providing them with equal opportunities of promotion ;

(b) whether it is also a fact that avenues of promotion to the grade of Rs. 250-380 are one per cent in the case of Train Clerks and 7½ per cent in the case of Ticket Collectors ; and

(c) if so, the reasons for this disparity and the steps proposed to be taken by Government to remove it ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The grade structure and proportion of posts of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners and Trains Clerks in the different grades are as under :—

Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners		Percentage
Rs.		
450-25-575 370-20-450-25-475 335-15-425		Posts in these grades are created on the basis of worth of charge.
250-10-290-15-380	7½%	Of the total No. of posts in the cadres of TTEs and TCs in all grades.
150-5-175-6-205-EB-7-240	22½%	
130-5-175-EB-6-205-7-212 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	70%*	

*At least 25% of the total No. of posts of TCs and TTEs should be in the grade Rs. 130-212.

Trains Clerks		Percentage
Rs.		
250-10-290-15-380	..	1 %
205-7-240-8-280	..	3 %
150-5-175-6-205-EB-7-240	..	36 %
110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	..	60 %

It would be seen from the above that, while some scales are identical, others are not. The above scales of pay are based on the specific recommendations of the Second Pay Commission while the percentage distribution of posts in the various grades are based on Sankar Saran Tribunal Award. Since the duties and responsibilities, pay structure and channel of promotion of these categories are different, there cannot be an apt comparison between the percentage distribution of posts in these categories.

पूर्ण मद्यनिषेध लागू करना

5490. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री जुगल मंडल :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने मद्य निषेध को या तो समाप्त कर दिया है अथवा इसमें छूट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में विभिन्न राज्यों में लागू मद्यनिषेध विनियोग में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्यों में मद्यनिषेध सम्बन्धी विनियमों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) क्या देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के लिये कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है अथवा बनाया जा रहा है और यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). मद्यनिषेध को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और इसलिये अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में उसे लागू करने के लिये उपाय उन्होंने ही करने हैं। विभिन्न राज्यों में 1969-70 के दौरान मद्यनिषेध विनियमों में किये गये आशोधनों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Disposal of Complaints Registered in Complaint Books of Railways

5491. **Shri K. N. Pandey:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the procedure regarding the disposal of complaints registered in the complaint Books of the Railways ; and

(b) whether the complaint is informed about the action taken on the complaint lodged by him?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) All complaints recorded in Complaint Books kept at a station are perused by the station master. Wherever action to remove the cause of the complaint is within his powers, he takes such action immediately. In other cases, he communicates the complaint to the officers concerned who look into the complaints and take necessary action.

Extracts of complaints recorded in the complaint books kept with the guards of passenger carrying trains are forwarded to the officers concerned for similar action.

Complaints recorded in complaint books kept at the Zonal Headquarters and in the Divisional Offices are perused by nominated officials and brought to the notice of officers concerned for necessary action.

(b) Instructions issued on the subject require that, where the addresses of the complaints are known, they should be informed of the result of enquiries into the complaints and action taken.

Uniform Terms of Employment to Waiters of Western Railway

5492. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Western Railway some waiters are working on commission-cum-pay basis and the others on commission basis only;

(b) whether it is also a fact that both the categories of the waiters have to perform the same duties ;

(c) if so, the reasons for difference in regard to the basis of payment made to them ;

(d) whether Government have taken some steps to treat both these categories at par ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Yes.

(c) Following the recommendations of the Railway Catering and Passenger Amenities Committee 1967, it was decided that all fresh appointments in Mobile Catering Units should be made on wholly commission basis to restore incentives to the bearers. However those already on pay-cum-commission basis were give n option to retain their existing terms as personal to themselves.

(d) No.

(e) Does not arise.

Board of Directors of M/s Akooji Jadwet and Company, Andaman and Nicobar Islands

5493. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of members of the Board of Directors of M/s Akooji Jadwet and Company, Andaman and Nicobar Islands at present; and

(b) whether it is a fact that all the said Directors are the members of the same undivided family and are carrying on business in different names to evade Income-tax ?

The Minister of Industrial Developmen t, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Public Sector Industries in Ladakh

5494. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up public sector industries in Ladakh for the economic as well as overall development of the region so as to provide employment to local people and to make this border region a strong part of the country ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the report of the Gajendragadkar Commission wherein it has been stated that Ladakh is economically backward and it is the least developed region of the State ; and

(c) whether Government propose to set up any mineral-based public sector industry in Ladakh and, if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Government have seen the report of the Gajendragadkar Commission having a bearing on the economically backward position of Ladakh. At present it is not proposed to set up any mineral-based or other public sector industry in Ladakh. However, steps for the accelerated economic development of Ladakh in various sectors including exploration and exploitation of mineral resources, have been, and are being, taken by the State Government within the resources available and outlays earmarked, though J&K Minerals, a State Government Undertaking. This organisation has already started exploitation of Borax in Pugga Valley in Leh Tehsil. The State Geology & Mining Deptt. are also engaged in investigating natural resources in the various zones of the district for copper and other metals.

स्कूटरों और कारों की आपूर्ति के लिये प्रतीक्षा-सूची

5495. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों और कारों की आपूर्ति के लिये देश में प्रतिरक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं ;

(ख) इस सूची की संख्या में वार्षिक वृद्धि किस दर पर हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार इस संख्या को तीन अंकों तक घटाने में कभी समर्थ होगी ; यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर 1968 और 31 दिसम्बर 1969 को तीनों मेकों की कारों और दो मेकों के स्कूटरों के लिये देश के विभिन्न डीलरों के पास प्रतीक्षित सूची में संख्या निम्न प्रकार थी :—

कारें	**प्रतीक्षा सूची में क्रयादेशों की संख्या**	
	31.12.69	31.12.68
1. फीएट	36,582	41,044
2. हिन्दुस्तान एमबेसेडर	29,501	33,410
3. स्टैन्डर्ड हैराल्ड	293	292
स्कूटर		
1. वेस्पा	1,66,937	1,40,731
2. लेम्ब्रेटा	82,362	74,672

देश में निर्मित होने वाले अन्य दो मेकों फैन्टाबुलस और राजदूत की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

ऊपर दिये गये आंकड़ों से देखा जा सकता है कि कारों के निलम्बित क्रयादेशों की संख्या घटोतरी पर है स्कूटरों के प्रकरण में 1969 में प्रतीक्षा सूची की संख्या में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) कारों और स्कूटरों की प्रतीक्षा सूची में तीन अंकों तक कमी कब तक होगी यह इस स्थिति में बताना कठिन है।

बजाज आटो लिमिटेड की साम्य पूंजी और लाभ

5496. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, जो वास्पा स्कूटर के निर्माता हैं, की साम्य पूंजी 31-3-69 के समाप्त हुए वर्ष में 1,04,55,750 रुपये थी और अर्जित लाभ 1,09,03,757 रुपये था ;

(ख) यदि नहीं, तो उस अवधि में साम्य पूंजी और अर्जित लाभ क्या था ; और

(ग) सरकार साधारण व्यक्ति का अहित करके इस कम्पनी को इतना बड़ा लाभ अर्जित करने की अनुमति कब तक देती रहेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जी हां। माननीय सदस्य द्वारा बताये गये लाभ के आंकड़े कर लगाने के पूर्व के हैं।

सरकार सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के निर्माण के लिये एक नई आर्थिक क्षमता वाला एकक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है। यह भी प्रस्ताव है कि यदि पूर्ण रूपेण देशीय तकनीक तथा सामग्री से स्कूटरों का उत्पादन किया जाए जिससे प्रतियोगिता बाजार को बढ़ावा देने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं को लायसेंस दिया जा सके।

स्कूटरों सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

5497. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). तकनीकी विशेषज्ञ समिति से दो भागों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित निर्देश पदों के बारे में प्रतिवेदन का पहला भाग प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है :

1. देशी डिजाइन पर आधारित स्कूटरों का उत्पादन प्रारम्भ करने की आर्थिक तकनीकी सम्भावना पर विचार करना ;

2. सभी उपलब्ध देशी डिजाइनों की जांच करना ताकि ऐसे डिजाइन का चुनाव किया

जा सके जिसका उपयोग सरकारी क्षेत्र की परियोजना में वाणिज्यिक आधार पर किया जा सके ; और

3. यदि इस समय कोई देशी डिजाइन उपलब्ध न हो, तो देशी डिजाइन का विकास करने और उसके लिये कार्यक्रम निश्चित करने के लिये कौन-कौन से उपाय किये जाएं इसके बारे में सलाह देना ।

प्रतिवेदन के दूसरे भाग की अभी प्रतीक्षा है ।

बजाज आटो लिमिटेड, बम्बई और आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड

5498. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड के पास विस्तार के लिये पर्याप्त स्थान है और आटोमोबाइल प्राडक्ट इण्डिया लिमिटेड के पास बम्बई उपनगर में होने वाले विस्तार के लिये कोई स्थान नहीं है ;

(ख) क्या इन दोनों का राष्ट्रीयकरण करने से और लगभग दो करोड़ रुपये कम करके बजाज आटो लिमिटेड का विस्तार करने से स्कूटरों का निर्माण प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक बढ़ाया जा सकता है ;

(ग) क्या एक लाख स्कूटर वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक नये स्कूटर कारखाने के लिये लगभग 6 करोड़ रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन दोनों का राष्ट्रीयकरण न करने और बजाज आटो लिमिटेड का विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स बजाज आटो लि० तथा आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि० दोनों ने कहा है कि उनके पास विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है ।

(ख) और (घ) . भारत सरकार का इस समय स्कूटर बनाने का वर्तमान कारखानों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है ।

मै० बजाज आटो लिमिटेड ने विस्तार सम्बन्धी अपने प्रस्तावों में संकेत दिया है कि प्रति वर्ष 1 लाख स्कूटर तक बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 4 करोड़ 5 लाख रु० की अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी ।

(ग) प्रति वर्ष 1 लाख स्कूटर बनाने की क्षमता वाला स्कूटर का एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, इसका हिसाब अभी नहीं लगाया गया है ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजना

5499. **श्री न० रा० देवघरे : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा व्यापार समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 1967, 1968 और 1969 में विदेशों में कितने शिष्टमण्डल भेजे हैं ;

(ख) उन शिष्ट मण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया था ;

(ग) प्रत्येक शिष्टमण्डल पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(घ) उससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रिहायशी आवास स्थानों का वर्गीकरण और इनका आवंटन

5500. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग में रिहायशी आवास स्थानों का कोई वर्गीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस वर्गीकरण का क्या आधार है ;

(घ) क्या रिहायशी आवास स्थान के आवंटन के विनियमन के लिए तथा किराये की वसूली के लिये कोई नियम है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . आवास स्थान का वर्गीकरण कर्मचारियों की कोटि के वेतन-मानों पर आधारित है जैसाकि नीचे बताया गया है :

वर्गीकरण	पात्रता	
टाइप 1	चौथी श्रेणी के सभी कर्मचारी (जहां आवश्यक हो, अस्थायी रूप से तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ कर्मचारियों को आवंटित किये जा सकते हैं)	
टाइप 2	110-180 रुपये 130-212 रुपये 130-280 रुपये 205-280 रुपये	और सभी वेतन-मान जिनका न्यूनतम 210 रुपये प्रति मास से कम है।
टाइप 3	210-320 रुपये 250-380 रुपये 335-425 रुपये	और सभी वेतन-मान जिनका न्यूनतम 210 रुपये प्रति मास और अधिकतम 425 रुपये या इससे कम है।
टाइप 4	350-475 रुपये 370-475 रुपये 335-485 रुपये 435-575 रुपये 450-575 रुपये	

टाइप 4 विशेष	द्वितीय श्रेणी और कनिष्ठ वेतनमान के सभी अधिकारी।
टाइप 5	वरिष्ठ वेतन-मान के सभी अधिकारी।
टाइप 5 विशेष	कनिष्ठ और मध्य प्रशासी वेतन-मान के सभी अधिकारी।
टाइप 6	सभी वरिष्ठ प्रशासी अधिकारी।

(घ) और (ङ). जी हां। यह महाप्रबन्धकों पर छोड़ दिया गया है कि वे रेलों की परिस्थितियों के अनुरूप आवंटन सम्बन्धी नियम बनायें।

मोटे तौर पर क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजन के लिये रेल कर्मचारियों को 'लाजमी' और 'गैर-लाजमी' कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। 'लाजमी' कर्मचारी वे हैं जिन्हें दिन और रात में किसी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। आवेदन-पत्र मिलने की तारीख के अनुसार आवंटन करने वाले अधिकारी के पास पंजीकरण की तारीख के आधार पर क्वार्टर के आवंटन के लिए अग्रता निर्धारित की जाती है। 'लाजमी' और 'गैर लाजमी' कोटियों के लिए अलग अलग अग्रता रजिस्टर रखे जाते हैं।

लेकिन जहां तक किराये का सम्बन्ध है, इससे सम्बन्धित नियम रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक रेलवे में क्वार्टर विभिन्न 'पूलों' में रखे जाते हैं और प्रत्येक पूल में क्वार्टरों का पूल किया हुआ निर्धारित किराया उस पूल के सभी क्वार्टरों की कुल पूंजी लागत के 6% पर निश्चित किया जाता है। कर्मचारियों से वास्तव में जो किराया वसूल किया जाता है, वह पूल किए हुए निर्धारित किराये अथवा कर्मचारी की परिलब्धियों के 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, के बराबर होता है। जो कर्मचारी प्राधिकृत वेतन-मान में 150 रुपये प्रति मास से कम वेतन पाते हैं, उन पर परिलब्धियों के 7½% की निम्न सीमा लागू होती है।

गैर-मान्यता प्राप्त संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही

5501. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री मान्यता प्राप्त संघों से भिन्न संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-मान्यता प्राप्त संघों के अभ्यावेदन प्राप्त कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गई है ;

(ग) क्या प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर दिया जा रहा है तथा उनकी प्रगति की सूचना दी जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी कार्यालयों को यह आदेश जारी करने का है कि सभी अभ्यावेदनों का उत्तर दिया जाना चाहिये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). स्थिति यह है कि अभ्यावेदन कहीं से भी प्राप्त हों, उन पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में यथोचित कार्रवाई की जाती है। यदि अभ्यावेदन किसी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर नहीं दिया जाता और न पावती भेजकर उससे पत्र व्यवहार किया जाता है।

(घ) ट्रेड यूनियन द्वारा अभ्यावेदन का उत्तर पाने का अधिकार इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस यूनियन को सम्बन्धित प्रशासन से मान्यता मिली हुई है या नहीं। यूनियनों को कोटिवार मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि इससे रेलों में कई ट्रेड यूनियनें बन जायेंगी जिनके हित परस्पर विरोधी होंगे और उससे रेलों में यूनियनें विखंडित हो जाएंगी। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस नीति को स्वीकार किया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए आगे और हिदायत जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर चाय की दर में वृद्धि

5502. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय विक्रेता और रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाली चाय की दर 15 पैसे प्रति प्याला से 25 पैसे किस तिथि से बढ़ाई है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) चीनी के मूल्य में जब 60 प्रतिशत की कमी हुई है तो चाय की दर कम न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस दर को इसलिये कम नहीं किया जा रहा है क्योंकि दर निर्धारित करने वाले किसी व्यक्ति की इसमें दिलचस्पी है; और

(ङ) क्या सरकार तथ्यों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच करवायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) प्याले में दी जाने वाली चाय का विक्रय मूल्य 1-11-1967 से 15 पैसे से बढ़ाकर 18 पैसे और फिर 10-4-1968 से 18 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति प्याला किया गया।

(ख) चीनी, चाय की पत्तियों और दूध आदि के दाम बढ़ जाने के कारण मूल्य बढ़ाना पड़ा।

(ग) चाय के मूल्य में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

बोकारो इस्पात कारखाने में बेरोजगार भारतीय इंजीनियरों को खपाना

5503. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्यायें सरकार को परेशान कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य परामर्श-दात्री फर्मों के अन्तर्गत बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये डिजाइन और इंजीनियरिंग और अन्य कार्य करने के लिये अर्हता-प्राप्त भारतीय इन्जीनियरों को रोजगार दिया जा सकता था ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां । मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी, बोकारो स्थित रूपांकन कक्ष तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष में पहले से ही काफी भारतीय रूपांकन इंजीनियर काम कर रहे हैं ।

Supply of Cycle Tyres and Tubes on Ration Cards in Delhi

5504. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Delhi Rationing Department has not mentioned anything in respect of cycle tyres and tubes on the new cards issued in January, 1970 in lieu of the old ones as a result of which the card holders have been facing great difficulties in getting the registration done in that respect ;

(b) whether the Delhi Rationing Department would make arrangements for getting the registration done in respect of the new ration cards at the ration shops as was the practice earlier ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The food ration cards of the last year were valid upto 30.12.1969. The new ration cards in lieu of old food cards were delivered after the said date. Necessary instructions with regard to making of endorsements on the new cards for the supply of cycle tyres and tubes were issued by Delhi Administration to all Circle, Food and Supplies Officers on 30.12.69 and prescribed forms of applications for the said purpose were made available at the Fair Price Shops. A Press note was also issued and posters were also got printed and pasted at the fair price shops and prominent places for the information of general public. The card holders can even now make the application for getting necessary endorsement made on the basis of previous food cards with fair price shops.

(c) Does not arise.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें

5505. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के भविष्य के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का अन्तिम रूप में अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस मामले में सलाह की गई है ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के बारे में सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ग) और (घ). खादी तथा ग्राम्य उद्योगों पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) जी, नहीं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति

5506. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति के लिये नियत कोटे की पूर्ति हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस आयोग में इस समय इन जातियों के कर्मचारियों की सही प्रतिशतता क्या है ;

(ग) उनके कोटे को कब तक पूरा कर दिया जायगा ; और

(घ) खादी आयोग की इस कोटे को पूरा करने में असफलता के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति के लिये नियत प्रतिशत वही है जो भारत सरकार के आदेशों में नियत किया गया है तथा वह इस प्रकार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
1. अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता अर्थात् लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से भर्ती	$12\frac{1}{2}$	5
5. अखिल भारतीय स्तर के अतिरिक्त भर्ती	$16\frac{1}{2}$	5

आयोग के कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का प्रतिशत क्रमश: 5.7 तथा 1.4 है।

न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं को रखने वाले उपयुक्त प्रत्याशियों की कमी के कारण सभी नियत स्थानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के प्रत्याशियों द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता। ज्योंही न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध होते हैं, वे नियत स्थानों पर नियुक्त कर दिये जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में स्थायी पदों पर नियुक्तियां करना

5507. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय रेलवे में लगभग 1 लाख स्थायी पद रिक्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्थायी कर्मचारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ग) अस्थायी कर्मचारियों द्वारा स्थायी पदों पर काम किये जाने से कितनी बचत हुई है ;

(घ) यह बचत किस प्रकार की गई है ; और

(ङ) यदि कोई बचत नहीं हुई है, तो इन स्थायी पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अस्थायी कर्मचारियों के स्थायी पदों पर कार्य करने के फलस्वरूप कोई बचत नहीं होती।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) जहां तक श्रेणी-I के स्थायी राजपत्रित पदों का प्रश्न है, उनके लिये भर्ती वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। इस प्रकार भर्ती किये गये उम्मीदवारों के प्रशिक्षण पूरा करने और स्थायी होने के पात्र होने में कुछ समय लगता है।

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को शर्तें पूरी करने पर स्थायी किया जाता है। रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि सभी पात्र कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये कार्रवाई की जाये।

Late Running of Passenger Trains from Bareilly to Aligarh

5508. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Passenger trains from Bareilly to Aligarh often run late ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The punctuality performance of Passenger trains running from Bareilly to Aligarh has not been satisfactory chiefly on account of a heavy incidence of alarm chain pulling and frequent interruptions in telecommunications following thefts of copper wire.

(c) A close watch is being maintained on the running of these trains. Every case of avoidable detention to the trains is scrutinized at various levels of the Administration and all feasible measures initiated to prevent the recurrence thereof. A punctuality drive has also been instituted to improve the running of these trains.

Incidents of dacoities and Murders in Trains

5509. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of dacoities and murders that took place in trains during the last two years ;

(b) whether it is a fact that Government have failed to check such incidents ;

(c) the reasons for the continuous increase in the number of such incidents ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) (i) Apart from tightening up the normal Police arrangements by Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to round up criminals and anti-social elements, the State Governments of Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar have taken additional security measures by way of escorting important night passenger trains, introducing armed patrolling/setting up of special camps in affected areas. Railway Protection Force re-inforcements are also given, wherever necessary, to Government Railway Police to augment their arrangements.

(ii) Strict instructions have also been issued to the Rrilways Protection Force staff, on duty in yards or station platforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime and render all possible help to the victims.

लघु उद्योगों को इस्पात का वितरण

5510. **श्री जुगल मंडल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिये लघु उद्योगों के लिये विभिन्न श्रेणियों का इस्पात कितनी मात्रा में दिया गया था और गत तीन वर्षों में हुए आवंटन की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(ख) इस आवंटन का आधार क्या है और क्या यह सप्लाई लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 7966-67 से 1969-70 की अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशक और विकास आयुक्त (लघु-उद्योग) को किये गये दुर्लभ किस्म के इस्पात के आवंटन के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त लघु-उद्योग इस्पात की कुछ मात्रा अन्य आवंटनों से, विशेषतः स्टेट पूल्ड कोटा और कृषि कोटा से प्राप्त करते हैं।

(ख) 1966-67 में आवंटन, प्राप्त मांगों, उनकी प्राथमिकता की स्थिति और सर्वोपरि उपलब्धता के आधार पर लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा किया गया था। 1967-68 में नियंत्रण हटा लेने के बाद संयुक्त संयंत्र समिति ने निम्नलिखित आधार पर आवंटन किया :

(क) प्रत्येक वर्ग की कुल अनुमानित उपलब्धि ;

(ख) भूतकाल में प्रत्येक प्रयोजक प्राधिकारी को किया गया आवंटन ;

(ग) इन आवंटनों के लिये किया गया आयोजन ; और

(घ) उत्पादकों के पास प्रत्येक क्षेत्र के बकाया आदेश।

वर्ष 1968-69 और 1969-70 में संयुक्त समिति द्वारा उक्त आधार पर किये गये आवंटनों में, बाद में सरकार ने आरक्षित राशि का उपयोग करके तदर्थ वृद्धि की है।

चूंकि दोनों में से किसी भी क्षेत्र में दुर्लभ वर्ग की देशीय उपलब्धि पर्याप्त नहीं है इसलिये देशीय उपलब्धि को पूरा करने के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात के लिये लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

विवरण

1966-67 (टनों में)

प्रायोजी अधिकारी	काली सादी चादरें (8 से 14 गेज)	काली सादी चादरें (16-20 गेज)	काली सादी चादरें (20 गेज से पतली)	जस्ती सादी चादरें	जस्ती नालीदार चादरें
1966-67					
तकनीकी विकास के महानिदेशक		76,700	25,000	–	1,600
लघु उद्योग के विकास आयुक्त		31,700	23,000	–	†4,000
1967-68					
तकनीकी विकास के महानिदेशक		77,744	21,284	–	–
लघु उद्योग के विकास आयुक्त		23,329	18,265	–	–
1968-69					
तकनीकी विकास के महानिदेशक		55,144	18,262	5,160	8,193
लघु उद्योग के विकास आयुक्त		12,466	7,360	13,200	12,525
1969-70					
तकनीकी विकास के महानिदेशक	37,760	49,947	21,110	15,000	900
लघु उद्योग के विकास आयुक्त	23,900	20,791	13,835	15,000	12,525

†काली नालीदार/जस्ती नालीदार चादरों के संयुक्त आंकड़े।

गैर सरकारी कम्पनियों में विदेशी पूंजी का नियोजन

5511. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने गैर-सरकारी उपक्रम हैं, जिनमें बैंक तथा बीमा कम्पनियां भी शामिल हैं, कार्य कर रहे हैं जिनमें विदेशी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) नवीनतम उपलब्ध प्रतिवेदन के अनुसार उन कम्पनियों की कुल आस्तियां कितनी हैं और उनमें से कितनों के पास 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . 31 मार्च, 1969 को भारत में गैर सरकारी क्षेत्र में 27,707 कम्पनियां कार्य कर रही थीं । इन कम्पनियों में विदेशी पूंजी इस निवेश और विदेशी पूंजी निवेश से इन कम्पनियों की कुल आस्तियों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की भारतीय अनुषंगी कम्पनियों सम्बन्धी जानकारी औद्योगिक लाभ से नीति जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुबंधों के खण्ड II के पृष्ठ 103 से 122 पर दी गई है । इस प्रतिवेदन के अनुसार 31 दिसम्बर, 1966 में ऐसी 243 कम्पनियां कार्य कर रही थीं ।

चावल मिलों की मशीनों का निर्माण

5512. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसी प्रकार की चावल मिलों की आधुनिक मशीनें, जिस प्रकार की जापान से आयात की जाती हैं, भारत में बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनका किन-किन स्थानों पर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार ने जापानी सहयोग से चावल मिलों की आधुनिक मशीनें बनाने के लिए मे० दामोदर एन्टरप्राइजिज लि० कलकत्ता तथा मे० बिन्नी लिमिटेड मद्रास

की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

क्र० सं०	भारतीय कं० का नाम	जापानी सहयोगी का नाम	निर्मित होने वाली वस्तु	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता	कारखाने का स्थान	1969 में उत्पादन (लाख रु० में)
1.	मे० दामोदर एन्टरप्राइजेज लि० कलकत्ता	मे० क्योबा एग्रीकल्चरल मशीनरी कं० लि० जापान	पूर्ण आधुनिक किस्म की औद्योगिक चावल मिल मशीनें 1 मी० टन तथा 2 मी० टन प्रति घंटा	400	हेमन्तनगर जिला बर्दबान (प० बंगाल)	27.86 अनुमानत:
2.	बिन्नी लि० मद्रास	मे० साताके इन्जी० कं० जापान	चावल मिलिंग मशीन साताके चावल मिलिंग इकाइयां (प्रत्येक घन्टा 1 मी० टन, 2 मी० टन तथा 4 मी० टन) की क्षमता वाली।	240 (240 लाख रु०)	मीनाम्बमक मद्रास (तमिलनाडु)	4.96 अनुमानत:

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा शिलापत्थर में अर्जित भूमि का बाहर के लोगों को भवनों के निर्माण के लिये आवंटन

5513. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने शिलापत्थर में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि का अर्जन किया है;

(ख) क्या इस अर्जित की हुई भूमि का उपयोग इसके अभीष्ट उपयोग के लिये किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पता है कि अर्जित की हुई भूमि का एक भाग कुछ बाहरी व्यक्तियों को भूखंड के रूप में भवन निर्माण के लिये दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसको रोकने के लिये कार्यवाही की जायगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 166 एकड़ ।

(ख) जी हां ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) . सवाल नहीं उठता क्योंकि रेलवे की कोई भूमि बाहरी व्यक्तियों को इमारत बनाने के लिये लाइसेंस पर नहीं दी गई है ।

दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में हरिजनों के लिये मकान बनाना

5514. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में हरिजनों के लिये मकान बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे व्यवसाओं में लगे अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा स्वयं मकान बनाए जाने से सम्बद्ध आवास उपदान योजना को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अधीन पिछड़े वर्ग क्षेत्र में शामिल किया गया है ।

(ख) आवास उपदान योजना के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 24 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें से 15 लाख रुपये की राशि अगले तीन वर्षों (जिसमें चालू वित्तीय वर्ष शामिल है) के लिए है ।

कांगड़ा घाटी सेक्शन (उत्तर रेलवे) की भूमि का सर्वेक्षण

5515. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग उत्तरी रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन पर भूमि का सर्वेक्षण कर रही है ताकि पौंग बांध का निर्माण कार्य के कारण रेलवे लाइन का पुनः रेखांकन करने के लिये भूमि अर्जित की जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग ने उनके पेड़ों को मनमाने ढंग से काट कर गिरा दिया है तथा खेतों के बाढ़ को हटा दिया है और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है तथा तथा बंजर भूमि क्षेत्र के स्थान पर तहसील देबरा में घर जेरट गांव के किसानों को जोती हुई भूमि से अपना मार्ग निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभाग ने काटे हुए पेडों और क्षत्रिग्रस्त फसलों के लिये कोई क्षतिपूर्त्ति नहीं दी है; और

(घ) क्या वहां के निवासियों ने उनको अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन के पुनः मार्ग निर्धारण के सम्बन्ध में भूमि अर्जित करने के लिए सर्वेक्षण के दौरान पेड़ों और फसलों को नुकसान पहुंचने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं। भू-सीमा निर्धारित करने के लिए, क्षेत्र-सर्वेक्षण, व्यास बांध परियोजना के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है न कि रेल कर्मचारियों द्वारा ।

गुजरात राज्य के औद्योगिकीकरण के लिये केन्द्रीय सहायता

5516. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री सामिनाथन्
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दंडपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल का एक प्रतिनिधिमण्डल मार्च, 1970 में उनसे मिला था, जिसमें गुजरात राज्य के औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए केन्द्र से अधिक सहायता मांगी थी ;

(ख) क्या उस प्रतिनिधि मण्डल ने चौथी योजना में राज्य में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें स्थापित करने का भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने निवेदन किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 'गैस सिलेण्डर' और 'मशीनी औजार' बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं गुजरात राज्य में स्थापित की जाएं । उन्हें यह बता दिया गया है कि गैस-सिलेण्डर परियोजना के बारे में यह निश्चय किया गया है कि उसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी में स्थापित किया जायगा । उन्हें यह भी बता दिया गया है कि मशीनी औजार बनाने की जितनी क्षमता देश में विद्यमान है उसका पूरा-पूरा उपयोग करने की इस समय आवश्यकता है । अत : इस समय मशीनी औजार बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई नया कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार करना समीचीन नहीं है । हां, यदि बाद में मशीनी औजारों की मांग बढ़ने से ऐसा करना उचित समझा गया तो भावनगर में मशीनी औजारों की एक परियोजना स्थापित करने के बारे में फिर से विचार किया जायगा ।

रेलवे (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा न्यायालय की सहायता लेना

5517. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन के सैकड़ों कर्मचारी रेलवे अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध न्यायालय की सहायता लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1967, 1968, 1969 और 1970 में अब तक कर्मचारियों ने छोटे न्यायालयों अथवा उच्च न्यायालयों में कितने मामले दायर किये;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग सभी मामलों में कर्मचारी रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध जीत गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों के बारे में गलत आदेश जारी करने के जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिनके फलस्वरूप रेलवे अधिकारियों को कानूनी सहायता पर भारी खर्च करना पड़ा है और अन्ततः भारी जुर्माना अदा करना पड़ा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से सहायता

5518. **श्री अविचन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से कितनी सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 1970-71 में कितनी सहायता मिलने की आशा है;

(ख) जिन परियोजनाओं पर यह राशि व्यय की गई है अथवा करने का विचार है, उन परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों और केन्द्र के बीच इस व्यय को किस आधार पर बांटा गया है और बांटा जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 1970-71 के लिये सहायता की राशि का निश्चय संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि-कार्यकारी बोर्ड द्वारा अप्रैल / मई, 1970 में होने वाली अपनी बैठक में किया जाएगा। 1969-70 में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि कार्यकारी बोर्ड ने 4,184 मिलियन डालर के आवंटन की स्वीकृति दी थी।

(ख) सहायता नकद नहीं मिलती है बल्कि वह साज सामान, पूर्तियों, इत्यादि के रूप में होती है। तथा 1969-70 में सहायता का आवंटन, जिसका उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए है :—

1–स्वास्थ्य सेवाएं	2,764,000 डालर
2–परिवार तथा बाल कल्याण	220,000 डालर
3–ऊंची प्रोटीन खाद्य सामग्री का विकास	150,000 डालर
4–प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम	750,000 डालर
5–दुग्ध संरक्षण	300,000 डालर
	4,184,000 डालर

(ग) इस प्रकार सहायता को केन्द्र तथा राज्यों में अथवा राज्यों में बांटा नहीं जाता है। बल्कि उसका जरूरतमंद बच्चों, माताओं इत्यादि के लाभ के लिये समस्त देश में स्थित स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समाज कल्याण, इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर उपयोग किया जाता है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कार्मिक संघ को मान्यता

5519. **श्री गणेश घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कार्मिक संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में यह कार्मिक संघ ही एकमात्र प्रतिनिधि संघ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में चितरंजन में यह घोषणा की थी कि यदि वह संघ पूर्ण रूप से कर्मचारियों के नियंत्रण में होगा तो उसे मान्यता प्रदान की जायेगी;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उस संघ में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसे अब तक मान्यता न देने के क्या कारण हैं और मान्यता देने के लिये यदि कोई शर्तें है तो क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) यह यूनियन इस निर्माण कारखाने में नियोजित लगभग 29% अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

(ग) स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि यदि इस यूनियन का प्रबन्ध पूर्ण रूप से कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और यह अच्छी है, तो इसको मान्यता देने के बारे में विचार किया जायेगा।

(घ) जी हां।

(ङ) मान्यता देना सरकार के विवेक पर निर्भर है जिसने रेलों के किसी भी निर्माण कारखाने की यूनियन को मान्यता देना आवश्यक नहीं समझा है।

ग्रेड 'बी' के स्टीम फायरमैन को डीजल सहायक ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण

5520. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के जनवरी, 1969 के आदेशों के अनुसार वरिष्ठ स्टीम फायरमैन ग्रेड 'बी' (गैर मैट्रिक पास) डीजल सहायक ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण के अधिकारी हैं;

(ख) क्या मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में ऐसे फायरमैनों को अभी तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है, हालांकि तालिकाएं पहले ही बनायी जा चुकी हैं; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या उक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को तुरन्त प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा ताकि उन्हें पहले प्रशिक्षित उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में वरिष्ठता की हानि नहीं होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डीजल इंजनों के ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षित स्टीम इंजनों के ड्राइवरों को अग्रिम वेतन वृद्धियां देना

5521. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 से पूर्व डीजल इंजनों के रूप में प्रशिक्षित स्टीम इंजनों के ड्राइवरों को उनकी डीजल इंजनों पर नियुक्ति किये जाने पर उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई थीं ;

(ख) क्या 1962 के बाद इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों को यह वृद्धियां नहीं दी जाती हैं;

(ग) क्या 1962 से पहले और उसके बाद प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्य की शर्तें और दायित्व समान हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस भेदभाव को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, भाप इन्जनों के जिन रनिंग कर्मचारियों को डीजल परिचालन में ड्राइवर ग्रेड 'सी' के रूप में समाहित किया गया, उन्हें तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गयी थीं।

(ख) तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ देना उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 1-1-1963 से और दूसरी रेलों में 1-1-1962 से बन्द कर दिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ बन्द करने में कोई भेद-भाव नहीं बरता गया है। फरवरी, 1958 में यह लाभ दिया गया था, जबकि प्रारम्भ में मालगाड़ियों के साथ डीजल इन्जनों का लगाया जाना शुरू किया गया था और जब डीजल रनिंग की दिशा में पदोन्नति की निर्धारित सरणि से योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। डीजल इन्जनों के उत्तरोत्तर चलाये जाने और डीजल परिचालन के लिए कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिये सम्बन्धित रेलों द्वारा व्यवस्था कर लिये जाने पर, 1961 में स्थिति पर पुनर्विचार किया गया था और पूर्व में दिया गया अग्रिम वेतन-वृद्धियों का प्रोत्साहन बन्द कर दिया गया।

डीजल कर्मचारियों की वरिष्ठता और उनकी तुगलकाबाद शैड (उत्तर रेलवे) में नियुक्ति

5522. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल प्रशिक्षित और उच्च रूप से कुशल कर्मचारियों की वरिष्ठता डिवीजन-वार रखी जाती है ;

(ख) क्या कालका और शकूरबस्ती डीजल शेडों के उक्त कर्मचारियों की एक वरिष्ठता है और मुगलसराय डीजल शेड वालों को अलग वरिष्ठता सूची में रखा जाता है ;

(ग) क्या तुगलकाबाद में एक डीजल शेड स्थापित किया जा रहा है और कालका और शकूरबस्ती तथा दिल्ली डिवीजन के अन्य डीजल प्रशिक्षित कर्मचारियों को तुगलकाबाद में नियुक्ति के लिये अधिमान का अधिकार प्राप्त है;

(घ) क्या मुगलसराय से कुशल तथा उच्च कुशलता प्राप्त कर्मचारियों को तुगलकाबाद में लगाया गया है और क्या इस अनियमित रूप से लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मुगलसराय के कर्मचारियों को वापिस भेजने और दिल्ली डिवीजन के पात्र व्यक्तियों को वहां पर लगाने और क्षोभ समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसनसोल में रेल के डिब्बों से कच्चे लोहे और अल्यूमीनियम की चादरों की चोरी

5523. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में रेल के डिब्बों से एक लाख रुपये का कच्चे लोहे तथा एल्युमीनियम की चादरों की चोरी हो गई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं और चोरी किया गया माल बरामद कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

Incidents of Thefts at Saharanpur Railway Station (Northern Railway)

5524. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that theft incidents at Saharanpur Railway Station of the Northern Railway have increased recently ;

(b) whether it is also a fact that an attache case of a Central Government employees was stolen at the said station from the Janta express at 3.30 A.M. on the 18th March, 1970 which contained Rs. 625 in cash and other valuable garments along with a wrist watch ;

(c) whether it is further a fact that the Government Railway Police had traced the name and address of the thief by 10 A.M. on the 19th March, 1970 ;

(d) if so, the details of follow-up action taken to arrest the thief and to hand over the attache case to the owner and the time by which stolen articles are likely to be retrieved to the said employee ; and

(e) the measures being considered for the safety of passengers from such thefts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No

(b) Yes.

(c) No

(d) A case on Crime No. 48 under section 379 IPC was registered at Government Railway Police Station, Saharanpur, which is under investigation. No arrest has been made or property recovered so far.

(e) Government Railway Police are reported to have detailed their staff at the platform of Saharanpur Railway Station and also on train escorting.

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा कर अपवंचन के मामले

5525. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 और 1969-70 में समवाय अधिनियम के अन्तर्गत जांच के दौरान कर अपवंचन और भ्रष्टाचार सम्बन्धी सन्देहास्पद प्रविष्टियों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इनका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान कम्पनी कानून बोर्ड को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 235 (क) तथा 237 (ख) के अधीन चार कम्पनियों के मामलों के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, दो कम्पनियों के बारे में कम्पनियों की धन राशि के दुर्विनियोग या दुरुपयोग और आज कर निर्धारण में गड़बड़ी संबंधी कदाचारों के बारे में कुछ सामग्री है, ये रिपोर्टें धारा 241 (2) के उपबंधों के अनुसरण में संबंधित कम्पनी को भेज दी गई हैं । एक कम्पनी से टिप्पणियां तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है तथा दूसरी कम्पनी के बारे में मामला जांच हेतु केन्द्रीय जांच व्यूरो को सौंप दिया गया है । जब तक जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई कर अपवंचन अथवा भ्रष्टाचार हुआ है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाकिस्तानी सेना का कथित जमाव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमन्, मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :-

'पश्चिम बंगाल की सीमा पर पाकिस्तानी सेना का कथित जमाव ।'

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पश्चिम बंगाल / पूर्व पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में पाकिस्तानी सेना के मोर्चों अथवा पाकिस्तानी सेना के कार्यकलापों के ढंग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । यद्यपि, पूर्व पाकिस्तान की सैनिक टुकड़ियों द्वारा सीमा को लांघने तथा अतिचार करने की समय समय पर घटनाएं हुई हैं तथा ऐसे मामलों में हमारी सुरक्षा सेना ने आवश्यक कार्य किया है ।

2. गत कुछ महीनों में पूर्व पाकिस्तान की सेना में कुछ वृद्धि हुई है, एक नई बख्तरबंद रेजीमेंट खोली गई है तथा अतिरिक्त सैनिक टुकड़ियों की संख्या में वृद्धि की गई है । सेना में यह वृद्धि पूर्व पाकिस्तान की आन्तरिक स्थिति के कारण की गई होगी ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान तथा चीन के साथ लगने वाली सीमा पर पिछले छै-महीनों से अधिक सैनिक गतिविधियां आरम्भ हो गई हैं तथा वहां तैनात सेना के पास अमरीकी और चीनी टैंक विद्यमान हैं ? पाकिस्तान ने 1965 में हुये युद्ध के पश्चात अपनी स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना में कितनी वृद्धि की है ? क्या पाकिस्तान ने यह हथियार केवल अपनी आन्तर स्थिति को सुधारने के लिये है, प्राप्त किये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी पूर्वी सीमा पर पहले जैसी स्थिति ही बनी हुई है। पूर्वी पाकिस्तान की ओर सेना में वृद्धि अवश्य की गई है । पाकिस्तान तथा चीन के साथ लगने वाली सीमा पर आतंक भी विद्यमान है । किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गत छै: महीने में वहां की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है । यह भी सच है कि पाकिस्तान ने अमरीका तथा चीन दोनों ही देशों से टैंक प्राप्त किये हैं । मैंने वक्तव्य में यह भी प्रकट कर दिया है कि पाकिस्तान ने रूस से भी टैंक प्राप्त किये हैं । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने फ्रांस से भी विमान प्राप्त किये हैं । इस सम्बन्ध में सभी जानकारी सभा-पटल पर रख दी गई है । माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह पिछले प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी से स्थिति का पता लगा सकते हैं । माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि पाकिस्तान ने यह हथियार अपनी आन्तरिक स्थिति को सुधारने के लिये प्राप्त किये हैं । हम समझते हैं कि उसने यह सभी हथियार हमारे विरुद्ध प्रयोग करने के लिये प्राप्त किये हैं । अतः हम भी सारी स्थिति से परिचित हैं तथा हमने अपनी प्रतिक्रिया को छुपाया नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : महोदय ! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दूसरा प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गलती से अनुमति दे दी है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान ने चीन से 250 टैंक, नाटो से 350 टैंक, 250 टैंक रूस से, 120 मिग विमान चीन से, फ्रांस से 25 मिटेज III तथा सबमैरीन प्राप्त किये हैं तथा उसने वर्ष 1965 से अब तक अपनी सेना में 6 डिवीजनों को बढ़ाकर 13 डिवीजन कर लिया है ? सरकार इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान ने अपने सैनिक बल में वृद्धि की है तथा 1965 के विवाद के पश्चात् उसने टैंक और वायुयान तथा अन्य उपकरण प्राप्त किये हैं। हमने भी अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही की है तथा यदि पाकिस्तान ने कोई दुराग्रहपूर्ण रवैया अपनाया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : समाचार पत्रों के अनुसार तथा पश्चिम बंगाल से आने वाले व्यक्तियों के अनुसार उस सीमा पर पाकिस्तानी सेना के जमाव का समाचार मिला है। यह भी विदित हुआ है कि रूस से पाकिस्तान को हमें मिले हथियारों से भी अच्छे किस्म के सैनिक उपकरण प्राप्त हुये हैं तथा उसे फ्रांस से भी विमान प्राप्त हुये हैं जिसके बल पर उसे सैनिक जमाव के लिये प्रोत्साहन मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को इन सब बातों की जानकारी है अथवा वह सोया पड़ा है ? क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिये आवश्यक सतर्कता बरती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर बल न दें कि सैनिक आसूचना विभाग क्या कर रहा है। उसके कार्य पर सदन में वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। फिर भी उनका यह कहना सच नहीं है कि रूस ने पाकिस्तान को अच्छे किस्म के उपकरण दिये हैं तथा हमें घटिया किस्म के दिये हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : (नागौर) : महोदय ! वक्तव्य में जहां यह कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं आगे चलकर यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने सैनिक बल में वृद्धि की है तथा उसने नई रेजीमेंट भी स्थापित की है। यह वक्तव्य परस्पर विरोधी है। समझ में नहीं आता मंत्री महोदय सम्पूर्ण स्थिति को इतनी सरलता और उपेक्षा से क्यों टाल रहे हैं जबकि वह स्वयं मानते हैं उसने अधिक सुधरे हुये उपकरण जुटाये हैं तथा उसके रूस, इरान, अफगानिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। पाकिस्तान रूस, अमरीका तथा चीन से सैनिक साज सामान जुटा रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे तथा उस क्षेत्र में उत्पन्न तनाव-पूर्ण स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई सम्मिलित कार्यक्रम बनायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य ध्यान से वक्तव्य को पढ़ें तो उन्हें उसमें कोई विरोध ज्ञात नहीं होगा । माननीय सदस्य का यह कहना भी उचित नहीं है कि मैं इस स्थिति को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देख रहा हूं । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में न तो सरकार का ऐसा रवैया है और न सदन भी ऐसा महसूस करता है । पाकिस्तान द्वारा सेना में की गई वृद्धि को हमने बड़ी गम्भीर बात माना है तथा हमने जवाबी कार्यवाही करने की भी तैयारी की है जिससे हमें किसी प्रकार का घाटा न रहे । सदन को पूरी जानकारी देना भी मेरा कर्तव्य है । अतः मैंने सभी जानकारी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की है । जहां तीनों मंत्रालयों के कार्य का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों मंत्रालय पूरे सहयोग से कार्य करते हैं तथा माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है, उससे डरने की कोई बात नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अपने देश के जवानों और अफसरों की शक्ति पर विश्वास रखते हुये मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सेना पाकिस्तानी सेना को उसी भांति पछाड़ने में समर्थ है जिस प्रकार उसने 1965 में उन्हें पछाड़ा था क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक अशान्ति अथवा अन्य देशों से मिले विभिन्न प्रकार के सैनिक उपकरणों के बल पर भारत पर किसी प्रकार का कोई फिर हमला करना चाहे ?

श्री स्वर्ण सिंह : सम्भवतः माननीय सदस्य को यह भी मालूम होगा कि हम भी अपने देश में टैंकों का निर्माण कर रहे हैं तथा ये टैंक अन्य देशों में बने टैंकों से किसी प्रकार निबल नहीं हैं उस कारखाने में कार्य करने वाले मजदूर तथा प्रबन्धक धन्यवाद के पात्र हैं । इसके अतिरिक्त हम भी सैनिक उपकरण जुटाने में लगे हुये हैं । हमें जहां से भी सैनिक उपकरण प्राप्त होते हैं हम उनको प्राप्त कर रहे हैं । साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम केवल पाकिस्तान के विरुद्ध ही नहीं वरन् चीन के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये भी सैनिक साज सामान एकत्रित कर रहे हैं । अतः हमारे ऊपर तो और भी अधिक उत्तरदायित्व है । अतः हम पूरी समस्या का समाधान करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि गत छः महीने में सीमा पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई है । महोदय, नवम्बर, 1969 में क्या हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान राइफल के सैनिक हमारे अधिकारियों को उठा कर ले गए थे ? पुनरभाबा नदी की सीमा पर 20 और 21 दिसम्बर को क्या हुआ था ? उन्होंने मल्लाह जिले में खाइयां खोदीं तथा गोलाबारी आरम्भ कर दी थी । उसके पश्चात् वे अतराई नदी को अपने कब्जे में करना चाहते थे और उसी के परिणामस्वरूप सेना को सचेत करना पड़ा था । पाकिस्तान की यह नीति रही है कि वह हमारी अगली भूमि का अतिक्रमण करने के लिये एक के बाद दूसरी समस्या खड़ी करते रहते हैं तथा कृत्रिम समस्या खड़ी करके अन्तर्राष्ट्रीय बीच विचाव को प्रोत्साहन देते हैं । पाकिस्तानियों ने फैनी नदी पर भी बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है जोकि भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है । कच्छ की खाड़ी के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समस्या पैदा की गई थी और अन्त में उसे भी विवादास्पद क्षेत्र घोषित कर दिया गया । अतः मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वह इस समस्या को गम्भीर समस्या

माने क्योंकि पाकिस्तान अपनी सीमा को यथासम्भव सीधा बनाना चाहता है तथा कूच-बिहार और जलपाइगुरी के बीच के डेल्टे को अपने अधिकार में लेकर वहां अपना कुछ उद्देश्य पूरा करना चाहता है। इसी कारण वह वहां भी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। रंगपुर, कूच-बिहार और जलपाइगुरी के बीच पाकिस्तान ने भारी सेना जमा दी है और माननीय मंत्री को इस सैनिक जमाव को किसी प्रकार कम नहीं मानना चाहिये। कूच-बिहार तथा जलपाईगुरी जोकि सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, वहां की अजीब स्थिति है। सिलीगुरी के निकट का क्षेत्र नक्सलवादियों का गढ़ है। सीमा की एक ओर भरतपुर है तथा दूसरी ओर गंगापुर है। यह क्षेत्र लगभग 12 या 13 मील लम्बा होगा और यदि इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाये तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? पाकिस्तानी अपने सीमा को और भी सशक्त बना सकता है जिससे वह और भी भूमि पर अधिकार कर सके। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस क्षेत्र को सुरक्षा सेना के अधीन कर दें जिससे हमारी सीमा की सुरक्षा हो सके। क्या मंत्री महोदय सीमा सुरक्षा दल को प्रतिरक्षा संगठन के अधीन करेंगे?

क्या मंत्री महोदय विशेषकर पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये कोई विशिष्ट उपाय करेंगे जिससे वहां रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिल सके?

तीसरे क्या मंत्री महोदय छापामार युद्ध प्रशिक्षण की योजना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे जिससे वहां रहने वाले व्यक्तियों के दिलों से भय और आतंक निकल जाये?

चौथे क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे पूर्वी पाकिस्तान द्वारा लोगों के हृदय में भरने वाले आतंक को समाप्त किया जाये जिसके कारण वे लोग स्थान छोड़कर भाग आते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक सीमा सुरक्षा दल को सेना के अधीन लाने का प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा किया गया है किन्तु सभी क्षेत्रों में यह उपाय करने की आवश्यकता नहीं हैं। सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में विशिष्ट उपायों के बारे में मेरा निवेदन है कि ऐसे उपाय किये जा रहे हैं तथा हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जहां तक छापा मार युद्ध प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, यह प्रशिक्षण केवल पाकिस्तान ही में नहीं पर पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में भी तथा अन्य भागों में भी दिया जा रहा है। हमें इस समस्या का पता है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं।

विशेषाधिकार का प्रस्ताव
MOTION OF PRIVILEGE

कुछ संसद सदस्यों को पुलिस द्वारा पीटा जाना तथा उन्हें संसद भवन आने से रोका जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार के प्रस्ताव दिये हैं। श्री स० मो० बनर्जी ने भी पुलिस द्वारा संसद्-सदस्यों को पीटने तथा उन्हें संसद् भवन आने से

रोकने के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। यह बड़ी खेदजनक घटना है। कुछ माननीय सदस्यों को चोटें आई हैं तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब मैं डा० राम सुभग सिंह से निवेदन करता हूं कि वह प्रस्ताव को प्रस्तावित करें।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 6 अप्रैल, 1970 को हुई घटना से उत्पन्न हुये विशेषाधिकार के प्रश्न···

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : क्या मैं यह···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति है ? यदि उन्हें आपत्ति नहीं है तो उन्हें इस समय बोलने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सब प्रस्ताव मेरे सामने हैं। चूंकि डाक्टर राम सुभग सिंह ने सर्व प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अतः मैं उनसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : पहले उल्लेख किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाराबंकी का एक व्यक्ति मारा गया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 6 अप्रैल, 1970 की घटनाओं से, जिनमें कुछ संसद् सदस्यों को पुलिस द्वारा पीटा गया था और उन्हें संसद् भवन आने से रोका गया था जबकि सभा की बैठक चल रही थी, उत्पन्न विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मनन) : उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 6 अप्रैल, 1970 की घटनाओं से, जिनमें कुछ संसद् सदस्यों को पुलिस द्वारा पीटा गया था और उन्हें संसद् भवन आने से रोका गया था जबकि सभा को बैठक चल रही थी, उत्पन्न विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Rabi Ray (Puri) : Shri Bihari Singh, a worker from Barabanki was killed by the Police. He was from Shri Ram Sewak Yadav's constituency. This matter should be discussed in the House.

Ram Sewak Yadav (Barabanki) ; Shri Bihari Singh was severely beaten by the Police. I have given a Calling Attention Notice in this regard. I want that this matter should be discussed under Rule 184.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : प्रश्नकाल में जब यह मामला उठाया गया था कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु पुलिस के अत्याचार के कारण हुई, तब आपने यह आश्वासन दिया था कि गृह-मंत्री से इस विषय पर वक्तव्य देने के लिये कहा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मैंने उनको सौंप दिया है ताकि वह इस बारे में वक्तव्य दे सकें।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to raise this matter under Rule 184.

Mr. Speaker : I have talked to the Minister and he is going to make a statement in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav : I want that detailed information should be furnished regarding the death of that man and regarding the missing women, men and children. Six or Seven thousand rupees were snatched from the Advisis. Members should also be allowed to ask questions after the statement.

अध्यक्ष महोदय : सुबह जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, तब मैंने कहा था कि इस विषय में गृह-कार्य मंत्री जानकारी और एक वक्तव्य देंगे।

Dr. Ram Subhag Singh : Section 144 is always there near the Parliament House. The Government impose and left that section according to their convenience.

Mr. Speaker : We will do it later on.

---

6 अप्रैल, 1970 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के परिणामस्वरूप घायल हुए व्यक्तियों को दी गई चिकित्सा सहायता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MEDICAL ATTENTION GIVEN TO PERSONS INJURED IN POLICE LATHI CHARGE ON 6TH APRIL, 1970

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : कल लगभग 11 बजे विलिंगडन अस्पताल में बिहारी नामक व्यक्ति को लाया गया था। वह अर्द्धमूछित अवस्था में था। वहां उपस्थित डाक्टरों ने उसकी चिकित्सा की, लेकिन उसकी मृत्यु 2.15 बजे हो गई। उसके शव को शव परीक्षा के लिये भेज दिया गया है।

Shri Rabi Ray : The cause of his death has not been told. He died of Police atrocities.

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसे ही शव परीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध होगी, माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी दे दी जायेगी। तीन संसद् सदस्य सर्वश्री राजनारायण, जार्ज फरनेन्डीज और अर्जुन सिंह भदौरिया को अस्पताल में दाखिल किया गया था, वे अभी भी अस्पताल में हैं और उनकी दशा में संतोषजनक सुधार हो रहा है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उस व्यक्ति की जानबूझ कर हत्या की गई है।

अध्यक्ष महोदय : शव परीक्षा की रिपोर्ट आने पर मुझे आशा है मृत्यु के कारणों के बारे में भी जानकारी दी जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a very serious matter. The hon. Minister has just stated that he was semi-conscious. I want to know whether he was examined by the Doctor and if so what was his report ? We want to know the facts.

श्री जी० का० कृपालनी (गुना) : सरकार जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। उक्त व्यक्ति की कई घंटे तक चिकित्सा नहीं की गई। लाठीचार्ज 1 बजे किया गया था और उस व्यक्ति को 11 बजे अस्पताल ले जाया गया। यह किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। यह मानवता का प्रश्न है। यहां तक की पशुओं के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। सरकार ने वहां लाठी चार्ज करने और अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया लेकिन जख्मी व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति तैनात नहीं किया। यहां तक की जख्मी संसद् सदस्यों की भी चिकित्सा नहीं की गई। उनको अस्पताल ले जाया जाना चाहिये था। यह बहुत गम्भीर मामला है।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : I want to know whether that man had multiple wounds. I also want to know whether it is a fact that that man was not taken to the Hospital and instead he was thrown by the Police near the tent of the camp and some of his colleagues took him to the Hospital. At about 12.30 when I went to see him in the Hospital no body was there to look after him. I want to know whether it was not the duty of the Police to take him to the Hospital ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : आठ घन्टे तक उनकी किसी ने चिकित्सा नहीं की। उन व्यक्तियों को खाने को कुछ नहीं दिया गया। उन्हें पीने को पानी भी नहीं दिया गया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह पूर्व-नियोजित जन संहार है और समाजवादी दल, जिसने प्रधान मंत्री और सरकार की आलोचना की थी, का राजनीतिक संहार है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : It is regretted that the Police did not show the courtesy to take that old man to the Hospital. Some people took him to the Hospital in an unconscious condition. I am glad that this matter is being referred to the Privileges Committee. I want that Shri Shukla should submit the exact report. There is no use of concealing the facts.

श्री जी० भा० कृपालानी : पुलिस उन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग लगा रही है। उसने उन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसने 102 व्यक्तियों पर अभियोग लगाया है।

Shri Ram Sewak Yadav : That man was severaly beaten by the police. No medical aid was given to him by the Police. He was given first aid at the South Avenue Dispensary between 5 and 7 and thereafter he was taken to Willingdon Hospital. All papers connecting the matter should immediately be taken possession of by the Government so that an impartial judicial enquiry could be made in this matter.

Some children are still missing. I do not know when they will value the life of a man ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : कल जो दु:खद घटना घटी है, उसके सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय को सन्तोषजनक उत्तर देना चाहिये। कल के प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए। प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि कल बहुत गम्भीर

घटनाएं घटी हैं और इसलिए सरकार को इस बारे में सभा को यथाशीघ्र स्पष्टीकरण देना चाहिये।

Shri Rabi Ray : Yesterday's incident shows that Shri Chavan has even beaten Michel O. Dwyer in this respect. I appears that this Government has forgotten all conons of humanity. The Home Minister should be requested to give a statement in this regard on the floor of the House at 5 P. M. today.

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे प्रश्नों का शीघ्र उत्तर क्यों नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर डाक्टर की रिपोर्ट क्या थी ? पुलिस के कार्यवाही के उपरान्त जो लोग भी जख्मी हुए थे, क्या उनको अस्पताल ले जाने का पुलिस का कर्त्तव्य नहीं था ? ऐसे कितने व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सरकार के इस तर्क से कि शव परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम इस बारे में सर्व प्रथम यह जानना चाहते हैं कि अस्पताल में दाखिल करते समय उन व्यक्तियों की दशा कैसी थी। उनके कितने जख्म थे और कुल कितने व्यक्ति जख्मी हुए थे। संसद् सदस्यों के बारे में भी हम यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितने जख्म लगे। हमें पता चला है कि श्री जार्ज फरनेन्डीज के सिर में गहरा जख्म हुआ है। हम संसद् सदस्यों को लगे जख्म और उक्त मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण जानना चाहते है। हमें आपद् विभाग की रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिये। शव परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व हमें ये सब जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ : गृह-मंत्री ने सदन में बड़े लापरवाहीपूर्ण और अरुचिपूर्ण वक्तव्य दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि जिस व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई, उसे अस्पताल में समय पर ले जाया गया अथवा नहीं और क्या उसे अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मंत्री महोदय को इन सब बातों का सभा में उल्लेख करना चाहिए था।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has not shown the courtesy of even adding 'Shri' before the name of the deceased. **(interruptions)**

श्री म० ला० सोंधी : सदन को मृत व्यक्ति की स्मृति में मौन खड़े होना चाहिये **(अन्तर्बाधाएं)** मैंने एक अपंग व्यक्ति को पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटते देखा। यह मानवता के प्रति अपराध है, यह भारत के सदन का अपमान है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने बहुत ही अशिष्ट व्यवहार किया है। उसने हमारा और सदन का अपमान किया है। **(अन्तर्बाधाएं)** उन्हें अपने वक्तव्य पर शर्म आनी चाहिये। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Hon. Home Minister should have told the House about the number of the persons injured during the demonstration and the number of the

persons admitted in different Hospitals. At least he should have told the House in details regarding our three colleagues.

The persons responsible for the murder of that old man should immediately be suspended.

श्री जी० भा० कृपालानी : यह राजनाति है । इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है । पुलिस को राजनीतिज्ञों ने ही आदेश दिया था । सत्ता में होने के कारण वे उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो प्रधान मंत्री के विरुद्ध बोलते हैं । (अन्तर्बाधाएं)

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Government is concealing the facts. The Government always try to save the police in such type of incidents. The Government also took the side of the police when the police attacked the Indira Prastha Bhavan. I want that specific reference should be made regarding the death of that person belonging to Barabanki.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : The condition of Dr. Vaidh Nath Jha, an M. L. A. from Bihar is very serious. He is in Willingdon Hospital. The Government should make arrangements for his proper treatment immediately.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : Women's Clothes were torn. They had no clothes to hide themselves. We arranged for their clothes, but the Government did not move. This Government was only a silent spectator. Injured persons were taken to the Hospital at 1.00 in the night, but the police did not bother to do so. The Advasis and the Harijans were severely beaten by the Police.

This Government pose to be the greatest welfare of the Adivasis and the Harijans but in fact they were severly beaten. The police did not even spare the women. They were assaulted and their clothes were torn to pieces.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरे मित्र श्री कृपालानी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है । इसके लिये सरकार दोषी है क्योंकि सरकार ने उसे गलत जानकारी दी थी और उसी के परिणामस्वरूप इस पर इतनी भंयकर आपत्ति आई । उस समय सरकार उक्त घटना पर दुख प्रकट कर रही थी, आज वह उस मामले को दबाना चाहती है । इस दुर्घटना के लिए सरकार ही जिम्मेदार है ।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I want to emphasize one point. A thorough investigation regarding the instructions given to the police by the Home Minister or Deputy Home Minister or the Prime Minister should be made in the proposed judicial inquiry, as they are mainly responsible for this incident.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : Information regarding arrest of any Member of Parliament is given to the Speaker. But it was not done so in case of Shri Fernandes. Is it proper on the part of police ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे मानवीय मूल्यों को ठेस लगी है । अतः उन्हें सदन में पहले क्षमा मांगनी चाहिए ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभा से तथ्य छिपाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हमारे पास जो तथ्य हैं, उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा । मैं मानव जाति

का सम्मान करता हूं । किन्तु यदि भूल-चूक से कोई बात छूट गई है, तो उसके लिए मुझे दुख है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कितने घायल लोगों की विलिंगडन अस्पताल में चिकित्सा की गई, मेरी जानकारी के अनुसार उक्त अस्पताल में कुल 52 लोगों को चिकित्सा सहायता दी गई । उनमें से 15 लोगों को वहां दाखिल कर लिया गया था और शेष को छुट्टी दे दी गई थी। माननीय सदस्य इसके अतिरिक्त जो जानकारी जानना चाहेंगे, वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी । न्यायिक जांच में इन सब बातों की जांच की जायेगी । हम किसी भी व्यक्ति के दोष को छिपाना नहीं चाहते । इस कांड के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । किसी भी व्यक्ति को बचाने का प्रयास करने का प्रश्न ही नहीं है । इस मामले की जांच के सम्बन्ध में जो आवश्यक होगा, किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1967-68 के लिये कार्य की समीक्षा

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत] निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) वर्ष 1967-68 के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) वर्ष 1967-68 के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

समाचार पत्रों तथा सावधिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 के लिये अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से मैं समाचारपत्रों तथा सावधिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 के लिए अखबारी कागज संबंधी आयात नीति के बारे में दिनांक 7 अप्रैल, 1970 की सार्वजनिक सूचना संख्या 51-आईटीसी (पीएन)/70 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री मु० यूनुस सलीम की ओर से मैं लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना

संख्या एस० ओ० 827 की एक प्रति, जो दिनांक 26 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में संसद तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 6 में कुछ संशोधन किये गये हैं सभा-पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

92वां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I present the Ninety-second Report of the Public Accounts Committee and action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-ninth Report on Audit Report (Civil), 1968 relating to Cabinet Secretariat (Indian Statistical Institute).

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर): 'नेशनल हेराल्ड' के सहायक सम्पादक श्री पी० थरयन ने 4 नवम्बर 1969 को आकाशवाणी से जो प्रसारण किया था, उसमें उन्होंने मेरे पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका मैं सदस्य हूं पर आक्षेप किये हैं, उन्होंने अपने प्रसारण में रबात-सम्मेलन में भारत के भाग लेने का मेरे द्वारा विरोध न किये जाने का उल्लेख किया है और साथ ही कहा है कि मुझे उसका उसी समय मंत्रिमंडल की बैठक में विरोध करना चाहिए था। जहां तक मेरे द्वारा विरोध किये जाने का सम्बन्ध है, मैं विरोध तो तब करता जबकि इस विषय पर मंत्रिमंडल में चर्चा की गई होती। अत: मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय का विरोध किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। रबात सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के भेजा गया था। इसी भांति इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यकारी समिति पर जो आक्षेप किये गये हैं वे भी निराधार हैं इस प्रकार सरकार आकाशवाणी का दुरुपयोग कर रही है और अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रचार करा रही है। मैं मंत्रालय और आकाशवाणी की इस प्रवृत्ति की निन्दा करता हूं।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रतिपक्ष के नेता ने अभी जिस प्रसारण का उल्लेख किया, वह प्रसारण 4 नवम्बर 1959 को आकाशवाणी के 'स्पाटलाइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समसामयिक विवादग्रस्त विषयों पर चर्चा की जाती है। ऐसे विषयों पर चर्चा में भाग लेने के लिए जाने-माने पत्रकारों को बुलाया जाता है जो चर्चाधीन विषय पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। ऐसे विवादग्रस्त विषयों पर होने वाली चर्चा में विभिन्न मत प्रकट हों, ऐसा प्रयास किया जाता है। उसमें व्यक्त किये गये विचार लेखक के अपने विचार होते हैं, सरकार के विचार नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : उक्त प्रसारण विवादग्रस्त होने के बजाय झूठ है । आकाशवाणी का हमारे विरुद्ध दुरुपयोग किया जा रहा है ।

श्री इ० कु० गुजराल : उक्त प्रसारण में लेखक ने अपने विचार प्रकट किये थे । वे सरकार के विचार नहीं थे । अतः यह कहना उचित नहीं है कि सरकार आकाशवाणी का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रचार के लिए कर रही है ।

समितियों के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

प्राक्कलन समिति

श्री तिरुमल राव (काकीनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

लोक लेखा समिति

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I beg to move :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from among themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 1970 and ending on the 30th April, 1971."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई 1970 से आरम्भ होंने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाम्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move :

"That this House do reeommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts on the 1st May, 1970 and ending on the 30th April, 1971, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किए गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would like to ask one thing about these three major Committees. May I know whether the reports of these Committees will be published in Hindi from next year? There are about 150 Members of Parliament, who are not being benefited by the reports in English. Whenever we raise this issue, you say that the matter will be looked into. Today I want an assurance in this regard from you on the floor of the House.

Mr. Speaker : I have already told about it. I am in your hands. I will do whatever you like.

Shri Prakash Vir Shastri : They say that your Department is not cooperating.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The problem is this that neither there is arrangement for translation nor for printing the same.

Mr. Speaker : It can be taken at some other time. We are doing something in this matter.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दस सस्दय चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एम० बी० राणा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि 1 मई, 1970 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अनुदानों की मांगें 1970-71—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71—(Contd.)

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

वर्ष 1970-71 के लिए वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
12	वैदेशिक-कार्य	22,10,97,000
13	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	19,01,35,000

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	34	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों पर खर्चे में कमी करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	35	श्री वेणी शंकर शर्मा	चीन द्वारा हथियाई भूमि को छुड़ाने में असफलता।	राशि घटा-कर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	48	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का भारतीयकरण करने की वांछनीयता ।	100 रुपये
12	49	श्री वेणी शंकर शर्मा	भारत की प्राचीन परम्पराओं की व्याख्या और उनका ठीक अर्थ बताने के लिये, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय दूतावास के साथ एक ऐसे विद्वान को सम्बद्ध करने की आवश्यकता जो कि हमारे प्राचीन शास्त्रों, संस्कृत साहित्य तथा अन्य भारतीय साहित्य में पारंगत हो ।	100 रुपये
12	50	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय दूतावास में एक ऐसे कर्मकांडी पंडित को रखने की आवश्यकता जो कि हिन्दू नियमों के अनुसार भारतीयों को अपने विवाह आदि संस्था सम्पन्न करने में सहायता करे ।	100 रुपये
12	51	श्री वेणी शंकर शर्मा	एक ऐसी छोटी पुस्तिका तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता जिनमें उन प्रश्नों के उत्तर दिये हों जोकि विदेशियों द्वारा भारत तथा भारतीय संस्कृति के बारे में सामान्यतः पूछे जाते हैं और यह पुस्तिका विदेश जाने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को दी जा सके ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	52	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों के प्रत्येक सदस्य तथा कर्म-चारी को विदेशों में अपनी ड्यूटी के समय केवल भारतीय पोशाक पहनने के लिये बाध्य करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	53	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा वहां की स्थानीय भाषाओं में मासिक अथवा पाक्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने की आव-श्यकता ताकि उनके जरिये लोग भारत, उसके सुन्दर अतीत-काल, संस्कृति तथा धर्म से अवगत हों ।	100 रुपये
12	54	श्री वेणी शंकर शर्मा	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों पर कठोरता के साथ मद्य-निषेध लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	55	श्री वेणी शंकर शर्मा	नेपाल के साथ अच्छे तथा भ्रातृत्व पूर्ण सम्बन्ध स्था-पित करने में असफलता ।	100 रुपये
12	56	श्री वेणी शंकर शर्मा	मुस्लिम देशों में भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बताने में असफलता ।	100 रुपये
12	57	श्री वेणी शंकर शर्मा	पाकिस्तान द्वारा शैतानी भरे और विषैले प्रचार का खंडन करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	58	श्री वेणी शंकर शर्मा	पाकिस्तान के साथ हुई सिन्धु जल संधि की उन शर्तों की जिनके अनुसार पाकिस्तान की भारत के साथ स्पष्ट दुश्मनी होने के बावजूद भी पाकिस्तान को निरन्तर पानी दिया जाता रहेगा, अवधि न बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	59	श्री वेणी शंकर शर्मा	पाकिस्तान से और अधिक हिन्दुओं का भागना।	100 रुपये
12	60	श्री वेणी शंकर शर्मा	पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	61	श्री वेणी शंकर शर्मा	चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की वांछनीयता।	100 रुपये
12	62	श्री वेणी शंकर शर्मा	जम्मू तथा कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हथियाई जमीन को खाली कराने में असफलता।	100 रुपये
12	63	श्री वेणी शंकर शर्मा	भारत द्वारा अपनाई गई रूस समर्थक नीति और भारत के व्यापारिक मामलों में रूस द्वारा हस्तक्षेप।	100 रुपये
12	64	श्री वेणी शंकर शर्मा	अमरीका और सोवियत संघ से पाकिस्तान को खरीद और सहायता के रूप में मिलने वाली शस्त्रों की सप्लाई को रोकने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	65	श्री वेणी शंकर शर्मा	कश्मीर प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हल कराने में असफलता ।	100 रुपये
12	66	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारतीय दूतावासों द्वारा भारत के सांस्कृतिक स्वरूप के प्रचारित करने में असफलता ।	100 रुपये
12	67	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारत के आर्थिक प्रगति का सही चित्र विदेशों में उपस्थित करने की दिशा में असफलता ।	100 रुपये
12	68	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग करने में असफलता ।	100 रुपये
12	69	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विदेशों के साथ समझौतों को हिन्दी में न लिखा जाना और केवल अंग्रेजी को महत्व देना ।	100 रुपये
12	70	श्री ओम प्रकाश त्यागी	मध्य पूर्व और दक्षिण वियतनाम में चल रहे संघर्ष में अपनी तटस्थता को सुरक्षित रख सकने में असफलता ।	100 रुपये
12	71	श्री ओम प्रकाश त्यागी	मित्र देशों की संख्या को बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
12	72	श्री ओम प्रकाश त्यागी	रूस तथा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने को रोक सकने में असफलता ।	100 रुपये
12	73	श्री ओम प्रकाश त्यागी	राजदूतों को नियुक्ति से पूर्व उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	74	श्री ओम प्रकाश त्यागी	ब्रिटेन में हमारे उच्चायोग के कार्यभार और व्यय को कम करने में असफलता ।	100 रुपये
12	75	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भारतीय भूमि को शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा मुक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
12	76	श्री ओम प्रकाश त्यागी	रबात जैसे धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेकर भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना ।	100 रुपये
12	77	श्री ओम प्रकाश त्यागी	मलेशिया, श्रीलंका और पूर्व अफ्रीका में रहने वाले नागरिकता विहीन भारतीयों को वहां की नागरिकता दिलाने में असफलता ।	100 रुपये
12	78	श्री ओम प्रकाश त्यागी	संयुक्त राष्ट्र संघ के काश्मीर के मामले का वापस न लेना ।	100 रुपये
12	79	श्री ओम प्रकाश त्यागी	इसराइल व ताईवान के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
12	80	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पूर्व अमरीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों तथा भविष्य की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
12	81	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पूर्व अमरीका में ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश के के अधिकार को दिलाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	82	श्री ओम प्रकाश त्यागी	मारीशस, गायना, नेपाल आदि देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध में वृद्धि करने की दिशा में असफलता।	100 रुपये
12	83	श्री ओम प्रकाश त्यागी	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत में चीनियों द्वारा वहां के संस्कृति के विनाश के प्रश्न उठाना।	100 रुपये
12	84	श्री पीलू मोदी	वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य के हमारे देश के प्रति आरम्भ से ही शत्रुतापूर्ण रवैये के महत्व पर ध्यान न देना और उसके अनुरूप अपनी नीति को न ढालना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
12	85	श्री पीलू मोदी	संयुक्त प्रतिरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक करार तैयार करने के लिए पहल न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
12	86	श्री पीलू मोदी	साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति पर ध्यान न देना जिसके फलस्वरूप भारत सरकार इस व्यर्थ आशा में है कि चीन हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
12	87	श्री पीलू मोदी	पिछले 10 वर्षों से साम्यवादी चीन ने हमारी जिस भूमि पर अवैध रूप से तथा बल पूर्वक कब्जा किया हुआ है उसे मुक्त कराने के लिए उपाय न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	88	श्री पीलू मोदी	मास्को रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस द्वारा हमारे देश और राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध जो प्रचार नियमित रूप से किया जा रहा है उसे रोकने के लिए कदम न उठाना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
12	89	श्री पीलू मोदी	रबात की घटनाओं के संदर्भ में पश्चिम एशियाई देशों के प्रति अपनी नीति ढालने में भारत सरकार की असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
12	90	श्री पीलू मोदी	संयुक्त राष्ट्रसंघ में तिब्बत के मामले को न उठाना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
12	91	श्री पीलू मोदी	नेपाल, सिक्किम और भूटान के मामले में हमारी वैदेशिक नीति की असफलता, जहां हमारे देश के हितों के विरुद्ध साम्यवादी चीन का प्रभाव बढ़ता रहा है।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
12	92	श्री पीलू मोदी	जेनेवा समझौते के सह-सभापति के साथ कम्बोडिया के लिए, जहां कम्बोडिया के 7 मील अन्दर वियतकांग के प्रवेश से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनःस्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	93	श्री पीलू मोदी	भूतपूर्व हिन्द चीन, जहां भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में विशेष जिम्मेदारी है, वियतकांग तथा अन्य उपद्रवी तत्वों की गतिविधियों से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए किन्हीं निश्चित कदमों के उठाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
13	101	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र भाषा तथा भारतीय हित की उपेक्षा।	100 रुपये
13	102	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भारत की विदेश नीति की असफलता।	100 रुपये
14	103	श्री शिवचन्द्र झा	रोडेशिया के जातिभेदपूर्ण शासन के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने में ब्रिटेन की असमर्थता और इसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी एशियाई देशों के संकल्प को ब्रिटेन द्वारा योजना बद्ध रूप में अवरुद्ध करने के बावजूद भी राष्ट्रमंडल का परित्याग करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	104	श्री शिवचन्द्र झा	संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्तिशाली देशों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो अधिकार की समाप्ति के लिये वकालत करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	105	श्री आर० के० अमीन	पूर्व अफ्रीकी देशों में स्थित अपने उच्चायोगों में उपयुक्त अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की अधिक संख्या में नियुक्ति न करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	106	श्री आर० के० अमीन	पूर्व अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय मूलक व्यक्तियों के हितों की राष्ट्रमंडलीय देशों की संस्था में रक्षा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	107	श्री आर० के० अमीन	नेपाल, सिक्किम, बर्मा और श्री लंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	108	श्री आर० के० अमीन	तिब्बत की स्वाधीनता के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	109	श्री आर० के० अमीन	अरब-इजराइल संघर्ष में अपने देश की तटस्थता बनाये रखने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	110	श्री आर० के० अमीन	पाकिस्तान तथा चीन द्वारा हथियार भारतीय क्षेत्र को मुक्त करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
14	111	श्री आर० के० अमीन	इजराइल के साथ गहरे आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने की काफी गुंजाइश होते हुये भी ऐसे सम्बन्ध बढ़ाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	112	श्री आर० के० अमीन	पूर्व अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय मूलक व्यक्तियों के, जोकि नागरिकता विहीन हैं, प्रश्न को हल करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	121	श्री श्रद्धाकर सूपकार	तिब्बत सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	122	श्री श्रद्धाकर सूपकार	भारत की आन्तरिक राजनैतिक स्थिति में कुछ अन्य देशों द्वारा हस्तक्षेप के बढ़ते हुए प्रयत्नों को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	123	श्री श्रद्धाकर सूपकार	पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय मूलक व्यक्तियों की दयनीय दशा को सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	124	श्री श्रद्धाकर सूपकार	जनवादी चीनी गणराज्य के साथ सम्बन्धों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	125	श्री श्रद्धाकर सूपकार	रबात सम्मेलन में राजनयिक असफलता।	100 रुपये
12	126	श्री श्रद्धाकर सूपकार	वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अप्रभावी होना।	100 रुपये
12	143	श्री ही० ना० मुकर्जी	भारत के पड़ोसी देशों के बारे में नीति।	100 रुपये
12	144	श्री ही० ना० मुकर्जी	जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को पूरी राजनयिक मान्यता देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	145	श्री ही० ना० मुकर्जी	चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए बराबर प्रयत्न करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	146	श्री ही० ना० मुकर्जी	वियतनाम लोकतन्त्र गणराज्य के साथ दूतावास स्तर के सम्बन्ध स्थापित करने और दक्षिण वियतनाम की जनवादी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	147	श्री ही० ना० मुकर्जी	लाओस और कम्बोडिया में हाल ही की घटनाओं के प्रति सरकार का रवैया।	100 रुपये
12	148	श्री ही० ना० मुकर्जी	विदेशों में हमारे दूतावासों में अपव्यय ।	100 रुपये
12	149	श्री ही० ना० मुकर्जी	दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और अन्य देशों में उपनिवेशवाद, जातिवाद और अन्य दोषों के विरुद्ध लगातार संघर्ष न करना।	100 रुपये
12	150	श्री ही० ना० मुकर्जी	मध्य पूर्व में अरब स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध साम्राज्यवादी प्रयत्नों को विफल न करना।	100 रुपये
12	151	श्री ही० ना० मुकर्जी	उलान बेतर, मंगोलिया में पृथक मिशन (दूतावास) न खोलना ।	100 रुपये
12	152	श्री ही० ना० मुकर्जी	क्यूबा और कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ सम्बन्ध सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	153	श्री ही० ना० मुकर्जी	हिमालय और हिमालय-पार क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत का योगदान।	100 रुपये
12	154	श्री ही० ना० मुकर्जी	वियतनाम में माई लाई तथा अन्य स्थानों पर अमरीका द्वारा किये गए अत्याचारों के प्रति रवैया।	100 रुपये
12	155	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	पूर्वी पाकिस्तान में 'शत्रु सम्पत्ति' के नाम पर भारतीय नागरिकों की जब्त की गई सम्पत्ति को छुड़ाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	156	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सभी सम्पत्तियों के लिये मुआवजा देने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	157	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	विश्व के विभिन्न भागों से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के बारे में उपलब्ध रचनाओं को एकत्रित करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	158	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	159	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	सिंगापुर, बर्मा और जापान में आजाद हिन्द फौज के स्मारक बनाने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	160	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	बर्लिन और टोकियो में नेताजी संग्रहालय बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	161	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	सभी भावी विदेशी राजनयिकों और उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	162	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	विदेशों में उन कार्यालय कर्मचारियों को भेजने की आवश्यकता जो स्थानीय भाषा जानते हैं और स्थानीय परम्परा और आचार-विचार से परिचित हैं ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	163	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	विदेशों में वर्तमान कार्यालय सम्बन्धी प्रक्रिया को बदलने और फालतू खर्च को कम करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	164	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	केवल विशेषज्ञों को ही नियुक्त कर और ड्यूटी सौंप कर विदेशी कार्यालयों के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	165	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और उन्हें उन भारतीय लेखकों की पुस्तकें और साहित्य देने की आवश्यकता जो उन्हें सस्ते दामों पर सहज स्वीकार्य हों ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	166	श्री विनय कृष्ण दासचौधरी	उत्साहवर्द्धक बातचीत द्वारा पाकिस्तान और चीन से अनधिकृत क्षेत्र को खाली कराने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
12	187	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	भारत द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों में उन अधिकारियों की छानबीन करने तथा उन्हें लौटाने में असफलता जो समाजवाद में विश्वास नहीं रखते।	100 रुपये
12	188	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	भारत के विदेशों में दूतावासों के अधिकारियों द्वारा उस देश की बदलती स्थिति की जानकारी रखने में असफलता।	100 रुपये
12	189	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय स्थायी मिशन द्वारा पश्चिमी एशिया, वियतनाम तथा अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवादी दखल-अन्दाजी के खिलाफ जोरदार विरोध करने में असफलता।	100 रुपये
12	190	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उसे मान्यता प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
12	191	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	क्यूबा के साथ बढ़ाने अपने वाणिज्य सम्बन्ध बढ़ाने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	192	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	राष्ट्रमंडल से ब्रिटेन को अलग कर राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के साथ अपना सम्पर्क बढ़ाने में असफलता।	100 रुपये
12	193	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में मनोरंजन के नाम पर होने वाले अपार व्यय को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	194	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	नेपाल के राजकुमार के विवाह में भारत जैसे समाजवादी राज्य द्वारा उपहार देने में किफायत बरतने में असफलता।	100 रुपये
12	195	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेश जाने वाले भारतीय अधिकारियों के यात्रा व्यय में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	196	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	हिन्द चीन में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध विराम पर्यवेक्षक आयोग में भारत के रहने पर भी अमरीकी हस्तक्षेप को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	197	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	लन्दन स्थित भारतीय प्रचार संगठन के कार्यों की समीक्षा करने में असफलता।	100 रुपये
12	198	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	लन्दन स्थित भारतीय प्रचार की अनुपयोगिता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	199	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेशों में निराश्रित भारतीयों को समुचित सहायता प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
12	200	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेश मिशनों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को संबंधित देशों के जीवन मान के उपयुक्त सुविधायें प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
12	201	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	भारत के विदेश स्थित मिशनों में काम करने वाले लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों के वेतन, सेवा सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं में व्याप्त विषमता को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
12	202	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेशी मिशनों के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों एवं उच्च अधिकारियों में व्याप्त गहरी विषमता को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
12	203	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अमरीकी प्रभाव को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	204	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	भारत से जाने वाले वैदेशिक मिशनों एवं अधिकारियों के अपव्यय को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	205	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेशों में भारत द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्रियों का घटिया किस्म का होना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	206	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	चीनी एवं पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का समुचित खण्डन करने में असफलता ।	100 रुपये
12	207	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार को सैद्धांतिक रूप देने में असफलता जब कि भारत ने भी अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया है ।	100 रुपये
12	208	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	विदेशों में भारतीय राजदूतों के कार्यों में दक्षता लाने में असफलता ।	100 रुपये
12	209	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	भारत से बाहर सिख एवं मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता।	100 रुपये
12	210	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	बर्मा से आये भारतीय लोगों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
12	211	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	उत्तर वियतनाम एवं भारत के बीच तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के विकास में असफलता ।	100 रुपये

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.45 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty-Five minutes past fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.49 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eleven minutes to Fifteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन के प्रारम्भ में ही यह कहा गया है कि महत्व पूर्ण परिवर्तनों का वर्ष समाप्त हो गया, जिसके दौरान विचारों और धारणाओं ने बिल्कुल नया रूप ग्रहण किया है। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि हमारे विचारों अथवा धारणाओं में आने वाले वे परिवर्तन क्या हैं और इनमें हमारे वैदेशिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन युद्ध समाप्त हो गया है पर फिर भी दो बड़ी शक्तियों के बीच विचार धारा और सत्ता की राजनीति में अभी भी यह शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए विभिन्न गुटों में शामिल न होने की नीति को अपनाना सही है। मैं सोचता हूं मन्त्री महोदय का ऐसा कहने का अर्थ है यह है कि गुटबन्दी से अलग रहने की नीति को इस रूप में समझा जाय, जिससे वह एक ऐसे संसार से सम्बद्ध हो जाए जिसमें शीत युद्ध समाप्त हो गया है तथा जहां केवल विचारों और राजनीतिक शक्ति का संघर्ष ही शेष रह गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक राजनीतिक शक्ति का प्रश्न है हमें गुटबन्दी में शामिल नहीं होना चाहिए पर मुझे पता नहीं कि सरकार विचारों में भी गुटबन्दी से अलग है या नहीं।

संसार में एक अद्भुत परिवर्तन आना दिखाई देता है। जहां पहले बड़ा तनावपूर्ण वातावरण था वह अब समाप्त होता जा रहा है और जो देश आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे अब समीप आ रहे हैं। अमरीका और रूस, अमरीका और चीन, रूस और चीन आपस में वार्ता कर रहे हैं। पर हमारे यहां अगर कोई वार्ता हो रही है तो वह आन्तरिक मामलों को लेकर ही हो रही है। जिन पड़ौसी देशों से हमारे सम्बन्ध कटु हैं उनसे हम कोई महत्वपूर्ण वार्ता नहीं कर रहे हैं।

चीन-भारत और भारत तथा पाकिस्तान के बीच हमारे सम्बन्धों पर कोई प्रगति नहीं हो रही है। अपनी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हमने किन्हीं नए विचारों और धारणाओं को नहीं अपनाया है। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं जब कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से हमारे सम्बन्ध बहुत निकट के होने चाहिए थे। पर आश्चर्य इस बात पर है कि नेपाल ने पाकिस्तान के तटस्थ गुट में प्रवेश करने की वकालत की है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत ही महत्व पूर्ण विषयों के सम्बन्ध में भी हम उसे अपने साथ मिलाने में समर्थ नहीं हुए हैं। यहां तक कि कश्मीर के सम्बन्ध में भी नेपाल ने कोई वचन नहीं दिया है। यह हमारी वैदेशिक नीति की असफलता है।

प्रतिवेदन में श्री ब्रेजनेव के एशिया की संयुक्त सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पर उसमें यह कहीं पता नहीं चलता कि वह प्रस्ताव वास्तव में है क्या तथा उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि झगड़ा होने पर बल प्रयोग न करके तथा आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके, आर्थिक सहयोग तथा एक दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और स्वतंत्रता का आदर करके हम सुरक्षा को सुनिश्चित बना सकते हैं। सिद्धान्त बड़ा सुन्दर है, पर यह कोई कागजी कार्यवाही है, एक पवित्र इच्छा मात्र है और उससे भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

भारत सरकार यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जिसका आयोजन यूरोप के तटस्थ देश कर रहे हैं, में बड़ा महत्वपूर्ण भाग ले रही है । लेकिन वह एशिया सुरक्षा की सम्मेलन की ओर से पूर्णतः उदासीन है । आखिर वह एशिया ही है जिसमें सब प्रकार के युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं और हम पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है फिर भी हम उनके प्रयत्न की तो प्रशंसा करते हैं और एशिया की सुरक्षा की ओर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं । वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों की ओर में हम सर्वथा उदासीन से लगते हैं। हमारे सुरक्षा संस्थान ने अपने एक प्रकाशन में कहा है कि रूस हिन्द सागर पर अधिकार करना चाहता है । हमें नहीं पता इसके सम्बन्ध में भी हमारी सरकार का क्या रुख है । हमें इसके सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए । हम किसी भी देश पर हावी होना नहीं चाहते और न ही हम यह चाहते हैं कोई अन्य देश हम पर हावी हो । आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया आदि इस बारे में बड़े चिन्तित पर हम इससे सर्वथा अलग रह रहे हैं ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि दक्षिणपूर्व एशिया से अमरीका हट जाये, पर उसके हटने से बहुत सी समस्यायें पैदा हो जाएंगी, थाइलैंड की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी और बेरोजगारी फैल जायेगी । भारत और जापान को इनके लिए थाइलैंड की मदद करनी चाहिए ।

चीन और योगोस्लाबिया के सम्बन्ध सुधर रहे हैं उनका कारण यह है कि वहां कुछ सीमा तक पारस्परिक विश्वास पैदा हुआ है । पर ऐसी कोई बात भारत और चोन के मध्य नहीं हुई है ।

जब रूस ने चेकोस्लावाकिया पर आक्रमण किया गया तो चीन, बलगेरिया और योगोस्लाविया ने इनका कड़ा विरोध किया । लेकिन हमारे विदेश मन्त्री ने एक शब्द नहीं कहा । वे डरते रहे कि कहीं कोई बुरा न मान जाय । इस तरह चुप रहकर विदेश नीति नहीं चलाई जा सकती ।

हमने वियत नाम में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया । लेकिन जहां हम इस हस्तक्षेप पर आपत्ति करते हैं, वहां हम यह सोचते प्रतीत होते हैं कि उत्तर वियत नाम को लाओस और कम्बोडिया के मामलों में हस्तक्षेप करने का मूल भूत अधिकार है । यदि और कहीं नहीं तो कम से कम कम्बोडिया और लाओस में तो हमारा उत्तर दायित्व है और हमें यह देखना चाहिए कि वहां कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो । हम उत्तर वियतनामियों का आदर करते हैं, जो अपने देश की एकता के लिए लड़ रहे हैं ।

मध्य पूर्व में बढ़ रहे संघर्ष और उसकी तेजी से हम अत्यन्त चिन्तित हैं । इजरायल द्वारा अरब देशों के क्षेत्रों पर अधिकार करने को हम सहन नहीं कर सकते । मध्यपूर्व में धर्म का राजनीति में मिलना बढ़ता जा रहा है । रबात और और जेद्दा की घटनाओं से हमें अनुभव करना चाहिए कि मध्यपूर्व संघर्ष में भी इसलामी राजनीति को किस सीमा तक चलाया जा रहा है । इजराइल-अरब झगड़े में पाकिस्तान सीधा भाग ले रहा है । उसकी सेना की टुकड़ियां भी जोर्डन में पड़ी हैं । इस सम्बन्ध में हमारा क्या रुख होना चाहिए । यदि हम उससे किसी का पक्ष लेता चाहते हैं तो हमें लेना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए ।

हम संसार में स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रणी रहे हैं तथा अन्य देशों मुख्यतः अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन से हमारा गहरा सम्बन्ध है तथा हम हमारा सहयोग और सहानुभूति उनके साथ हैं। हमें पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यदि हम कुछ भी न कर सकें तो भी कम से कम स्वतंत्रता की भावना का समर्थन तो कर सकते हैं। हमें कुछ ठोस कार्यवाही और सहयोग देना चाहिए। आज के युग में यह आवश्यक है कि हम केवल मौखिक सहानुभूति से कछ आगे बढ़ें।

श्री हनुमनतय्या (बंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर पक्षपात ढंग से विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि विदेश नीति कोई दल विशेष नहीं निर्धारित कर सकता। अमरीका और रूस वालों को भी अपनी नीति पर पूर्ण संतोष नहीं हो पाता। फिर लोकतांत्रिक देशों के सभी राजनीतिक दल विदेश नीति पर सहमत और संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। कोई भी देश अपनी विदेश नीति ऐसी बना सकता जो सबके लिए संतोषजनक हो। इसका कारण है आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति।

श्री अशोक मेहता चाहते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ले। भारत की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ है और उसे विश्व में अपनी स्थित के अनुरूप कार्य करना चाहिए। दुर्भाग्य से, कुछ समय से हमारी राजनीतिक प्रवत्ति ऐसी हो गई है कि हम अपने देश में किसी भी वस्तु को ठीक नहीं देखते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण न उचित है और न तर्क सम्मत ही। विदेश नीति के बारे में ऐसा दृष्टिकोण बिल्कुल ही ठीक नहीं है। प्रतिपक्ष के नेताओं और सरकारी दल के नेताओं को पारस्परिक विचार-विमर्श के आधार पर विदेश नीति बनाई जानी चाहिए ताकि सब उसमें अपनापन अनुभव करें और उसका समर्थन करें।

जहां तक पाकिस्तान से खतरे का संबन्ध है, हम स्वयं ही उससे होने वाले खतरे को बढ़ाचढ़ा कर देखते हैं। पहले क्षण हम पाकिस्तान की शक्ति को अधिक आंकते हैं और दूसरे ही क्षण हम भारत की प्रतिष्ठा कम समझने लगते हैं। दुश्मन की महत्ता को बढ़ाना ठीक नहीं है।

जहां तक हिन्द-चीन का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में न तो भारत ही प्रमुख रूप से कार्य कर कर रहा है, और न चीन ही। हां, ये दोनों देश इसके पड़ोसी अवश्य हैं, इस देश में तो रूस और अमरीका छाये हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस क्षेत्र को विदेशी प्रभुत्व और हस्तक्षेप से मुक्त किया जाये। वहां के लोगों को अपनी सरकार बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चाहे वे साम्यवाद को अपनायें, चाहे समाजवाद को। थाइलैंड को अमरीका आर्थिक सहायता दे रहा है। दक्षिण वियतनाम को भी इसी प्रकार से सहायता मिल रही है। वहां अमरीकी सहायता के आधार पर सभी सुविधाएं प्राप्त हैं किन्तु यह खुशहाली स्वाभाविक न होकर कृत्रिम है। हिन्द-चीन क्षेत्र के बारे में भारतीय दृष्टिकोण यह है कि वहां से सभी विदेशी फौजें हट जाएं और वहां के लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार सरकार बनाने दें। भारत को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सभी देशों की सेनाएं वहां से हट जाएं और वे अपनी इच्छानुसार/बना सकें।

कुछ लोग भारत पर यह दोष लगाते हैं कि वह चीन से बातचीत शुरू क्यों नहीं करता। किन्तु इसमें हमारा तो कोई दोष है ही नहीं। चीन और पाकिस्तान के मामले में हमें आत्म-सम्मान को आधार बनाना है। भारत मैत्री की नीति अपनाता है। दो या तीन देशों से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में यही नीति उत्तम है। अन्य देशों के नेता हमारे देश के दौरे पर आते हैं और हमारे प्रधान मंत्री अन्य देशों के दौरे पर जाती हैं। इसी नीति के आधार पर हम अमरीका या रूस अथवा नेपाल या युगोस्लाविया से द्विपक्षीय बातचीत करते हैं। हम बातचीत के आधार पर ही मामलों को सुलझाना पसन्द करते हैं। भारत फ्रांस के इस प्रस्ताव का स्वागत करता है कि 5 या 6 देशों का एक अन्य सम्मेलन किया जाये, जिसमें ऐसी कार्यवाही करने पर विचार किया जाये, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयां समाप्त हो जायें। हमारी मैत्री की नीति ऐसी है जो एक दिन भारत को महान देशों की श्रेणी में रखेगी।

देश में विभिन्न दूतावासों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को कम करने के सम्बन्ध में भारत ने जो निर्णय हाल ही में लिया, मुझे उससे प्रसन्नता हुई। वस्तुतः सांस्कृतिक गतिविधियों की ओट में वे लोग अपनी विचार धाराओं का प्रचार करते हैं। प्रेस रजिस्ट्रार के अनुसार 76 में से 24 दूतावासों या मिशनों में अपने छापाखानें हैं और उनके द्वारा 103 प्रकाशन निकाले जाते है जिनकी लगभग 12,80,000 प्रतियां वितरित की जाती हैं। इस प्रकार से प्रचार का किया जाना सचमुच गलत है। सरकार ने विदेशी दूतावासों की सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्यवाही ठीक ही की है। आज के विश्व में प्रचार का अपना महत्व तो है किन्तु इस प्रकार के प्रचार से सम्बन्ध और अधिक बिगड़ते हैं। ऐसे प्रचार के कारण ही हिन्द-चीन क्षेत्र की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ी है। साथ ही सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि दूतावासों में कर्मचारी उतने ही हों, जितने वहां के काम के लिए आवश्यक हों। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की है हम उसका समर्थन करते हैं।

माननीय सदस्य को मध्य-पूर्व देशों में इस्लामिया सचिवालय की स्थापना से ही खतरा नजर आ रहा है। उससे हमें भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। वैसे तो हम इस प्रकार के सचिवालयों की स्थापना के विरुद्ध हैं। किन्तु यदि वे देश इस गलत मार्ग पर चलते हैं, तो इसका परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। इसके बारे में हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे देश ऐसा करेंगे तो भारत को भी इसराइल को मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हमारी धारणा यही है कि जो दबाया गया है या जिस पर आक्रमण किया गया है, उसके प्रति सहानुभूति हो। इस दृष्टि से हम मध्य-पूर्वी देशों को नैतिक समर्थन देते हैं। यदि वे इस्लामी समर्थन नीति अपनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे हमारा समर्थन नहीं चाहते।

जहां तक पड़ौसी देशों का सम्बन्ध है, नेपाल, श्रीलंका या दक्षिण एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और उनके साथ हमारे सम्बन्ध और भी दृढ़ होंगे। अब इंडोनेशिया के साथ भी हमारे सम्बन्ध सुधर गये हैं। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही अच्छे हैं। लोगों के मन में यह संदेह उपजता है कि भारत नेपाल की ओर इतना ध्यान क्यों देता है। दूसरी ओर

नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि नेपाल चीन की ओर बढ़ता गया तो उसकी वही दशा होगी जो तिब्बत की हुई।

हमारी विदेश नीति स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिए। हमारी वर्तमान विदेश-नीति गुट-निरपेक्ष है किन्तु यह भी ज्ञातव्य है कि नीति अपने आप में साधन है, साध्य नहीं। यह नीति विश्व संघ की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाने के उद्देश्य से जो शिष्ट-मण्डल विदेश भेजे जाते हैं, उनके सदस्यों का चयन, योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और एक निश्चित समय तक उन्हीं सदस्यों को चुना जाना चाहिए। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा तभी बन सकेगी और विदेशों के के साथ सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ होंगे।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मेरी समझ में यह नहीं आता कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट क्यों किया। सारे मामले को उल्टे-पुलटे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार के समय से हम गुजर रहे हैं प्रतिवेदन से उसका बोध होता है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की जड़ विचारधारा को काफी सीमा तक प्रदर्शन मिलता है। वैदेशिक कार्य-मंत्रालय की अपनी गतिविधियों को अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया गया है क्योंकि प्रतिवेदन में शब्द-चयन कुछ इस प्रकार किया गया है जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके समर्थन में प्रतिवेदन के अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं।

यदि हमें जानने की इच्छा है कि विदेशों से हमारे सम्बन्ध कैसे हैं तो कुछ निश्चित वाक्यांश उद्धृत किये जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान तथा बर्मा के साथ हमारे सम्बन्धों के लिये कह दिया जाता है कि हमारे सम्बन्ध निकट तथा मैत्रीपूर्ण हैं। नेपाल के साथ अनेक मामलों पर पारस्परिक सद्भाव एवं परम्परागत मैत्रीपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ हम अपने सम्बन्ध सुधारने में निरन्तर प्रयत्नशील हैं आदि।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजिलिंग) : इन टिप्पणियों में निहित व्यंग्य मेरी समझ में नहीं आता है अतः मैं सभा से बाहर जा रही हूं।

इसके पश्चात् डा० मैत्रेयी बसु सभा से बाहर चले गये

Dr. Maitree Basu then left the House

श्री पीलू मोडी : भारत सरकार चण्डीगढ़, बेलगाम आदि के विभाजन का तो समर्थन करती है, परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता वह जर्मनी, कोरिया तथा वियतनाम के एकीकरण के लिये क्यों चिन्तित है।

दक्षिण यमन गणतंत्र में भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया फिर भी हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे। हम उन्हें निरन्तर तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देते रहे हैं। दक्षिणी अरब के साथ हमारे सम्बन्ध निरन्तर बढ़ रहे हैं। सूडान के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं तथा ट्यूनोशिया के साथ हमने एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, आदि आदि।

अफ्रीका में सहारा के सभी दक्षिणी देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग होने के कारण हमने उन देशों में अपने इन्जीनियर, डाक्टर, अध्यापक आदि को नियुक्त करने की अनुमति दी है। यहां से भारतवासियों को बाहर निकाला जा रहा है तथा उनके साथ रंगभेद की नीति का व्यवहार किया जा रहा है। यह उन देशों की दशा है जिनको हम आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

मेरा तात्पर्य यह है कि इस प्रतिवेदन से अल्पज्ञान का प्रदर्शन होता है। प्रतिवेदन का शेष भाग उन सम्मेलनों के विषय में है जिनमें भारत ने भाग लिया है। भारत लगभग 95 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। इन संगठनों की समितियों तथा उपसमितियों की बात अलग है। तनिक-सा पढ़ने पर ही पता लगने लगता है कि यह मंत्रियों व अधिकारियों तथा दूसरे लोगों की यात्राओं का विवरण है। क्योंकि 75 मंत्रियों, अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने विदेशों का भ्रमण किया है। भारत में 63 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमें राज्यों के प्रमुख भी शामिल हैं, आये। यह पर्यटन मंत्री का ही प्रभाव प्रतीत होता है कि मंत्रियों ने विदेश भ्रमण का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया है। प्रतिवेदन के अनुसार यात्राओं के फलस्वरूप भारत तथा अन्य देशों के बीच सद्‌भावना तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना हुई है। जो कहानी सुनायी जाती है, उसे सुनकर आश्चर्य होता है कि भारत की कुछ प्रतिष्ठा अभी शेष है। इस प्रतिवेदन में गतवर्षों की अपेक्षा तीन बातें भिन्न हैं।

फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा जोकि एक आतंकवादी संगठन है और उनसे संबन्धित अलफतह को प्रथम बार अरब संसार के दूसरे देशों में मान्यता प्राप्त हुई है। यद्यपि मंत्री महोदय को बता दिया गया था कि इस मोर्चे के लोग आतंकवादी हैं और ये माओवादी लोगों से प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा जहाजों के अपहरण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये ये उत्तरदायी हैं, हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय को इससे कोई चिन्ता नहीं हुई इसके साथ ही इन्होंने इस संगठन को बढ़ा-चढ़ाकर संसार के अन्य देशों के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है।

चीन के विषय में प्रतिवेदन में कहा गया है कि चीन अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है तथा हमारी सुरक्षा के लिये खतरा बना हुआ है'''और हमारे देश में तोड़ फोड़ की कार्यवाही भी कराता है। हमें इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उसी पैराग्राफ में यह भी कहा गया है कि उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है और हम उनकी कुशलता के आकांक्षी हैं। यह बात कायरों की है, राजनीतिज्ञों की नहीं।

हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में जो बातें कही गयी हैं, उनमें सबसे अहितकर बात यह है कि सोवियत संघ को पहली बार एशिया की शक्ति माना गया है तथा तथाकथित ब्रजनेव सिद्धान्त की सामूहिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता का प्रचार किया गया है। इस प्रकार हिन्द महासागर से ब्रिटिश तथा अमरीकी सेनाओं के हट जाने के पश्चात् जो रिक्त स्थान हुआ सोवियतों द्वारा उसकी पूर्ति का मार्ग बना दिया गया है। यदि प्रधानमंत्री की यह नीति है कि बोकारो इस्पात कारखाने पर हिन्द महासागर को भेंट कर दिया जाय तो निश्चित ही इसका अनावरण किया जाना आवश्यक है।

25 मार्च के 'लन्दन टाइम्स' में 'रूस के पक्ष में भारतीय नीति' शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि प्रतिवेदन में एक ओर भारतीय सरकार यह कहती है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये उद्देश्य से हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना को नहीं आने दिया जाय और दूसरे यह कहा गया है कि भारत सरकार एशिया में आर्थिक गठबन्धन के आधार पर इसकी सामूहिक सुरक्षा की योजना का स्वागत करता है ।

प्रतिवेदन में ब्रिटिश तथा अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्धों के विषय में बहुत कम कहा गया है । हमारे देश को रूस का पिछलग्गू बना दिया गया है । हम हर बात रूस वालों से पूछ कर कर रहे हैं । हमारे मंत्रियों, राजदूतों, राज्यपालों तक के लिये रूस से समर्थन होना जरूरी हो गया है । अब हमारे विधान, हमारी योजनायें, हमारी शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों को भी रूस की इच्छानुसार ढाला जा रहा है । आज की भारत सरकार रूस के पैसे के सहारे जीवित है । रूस के सामने वह प्राणहीन बनकर रह गयी है । यदि कोई भी देशभक्त इस प्रकार के स्वराष्ट्रीय अपमान के प्रति क्रान्तिकारी पग उठाता है तो रूस वालों के पास उसे दबाने के लिये हमारे देश में ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं ।

'रेडियो मास्को' तथा 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' बहुत बुरी तरह से सारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार मानकों का उल्लंघन कर रहा है । दिन प्रतिदिन हमारे लोगों को गालियां दी जा रही हैं, किन्तु यह समर्थहीन सरकार इसके विरुद्ध कोई पग नहीं उठा सकती । वह केवल इतना कह सकती है कि हमने विरोध प्रकट किया परन्तु रूस वाले सुनते ही नहीं हैं । यदि यह सरकार नागरिकों पर किये जाने वाले शब्द प्रहार को ही नहीं रोक सकती तो सीमा पर किये जाने वाले सशस्त्र आक्रमण को किस प्रकार रोक सकती है ।

लंका में द्रमुक के विरोध में निन्दनीय प्रचार चल रहा है परन्तु सरकार इसे रोक पाने में अपने को असमर्थ समझती है ।

मैं सोवियत सरकार तथा सोवियत लोगों से मैत्री सम्बन्धों का उसी प्रकार स्वागत करता हूं जैसे अमरीकी सरकार तथा अमरीकी लोगों का । परन्तु ऐसे सम्बन्ध बराबर वालों में आदर के आधार पर होने चाहिये । हमारा व्यापार राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग में नहीं आना चाहिये ।

हमारी विचारधारा, प्रगति का अन्य किसी भी क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता । यही बात मैं हर विदेश के बारे में कहता हूं ।

राजनैतिक संबंधों में सुधार एवं विकास जनसंपर्क विभाग से संबंधित है । विदेश मंत्रालय जनसंपर्क विभाग की स्थिति दुखपूर्ण है । देशों के साथ होने वाली वार्ताओं की बातें अत्यंत गुप्त मानी जाती हैं, मगर यहां प्रेस में सारी बातें पहुंच जाती है ।

विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता । उन्हें कई मामलों की सही जानकारी भी कभी-कभी प्राप्त नहीं होती । वे उच्च प्रतिभा संपन्न नहीं हैं । मैं सशक्त

निवेदन करता हूं कि विदेश मंत्रालय को व्यवस्थित किया जाय और अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर तन्मयता से भावनापूर्ण ढंग से अपनी भूमिका अदा की जाय। एक विशाल एवं उदार दृष्टिकोण से अन्य देशों से खुली बातचीत कीजिये और हमारे मन में सोवियत सरकार या अरबों के इच्छा भंग का जो मद बैठ गया है, उसे दूर कीजिये।

कश्मीर के लिये दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त करने की बात ही छोड़ दीजिये। कश्मीर हमारे देश का अंग है। मगर कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हम पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मुझे अभी श्री रवि राय से सूचना मिली है कि एक मृत व्यक्ति का शव नहीं दिया जा रहा है। यह एक गम्भीर मामला है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल टेलीफोन पर नहीं मिल रहे हैं। वे न कार्यालय में हैं और निवास स्थान में हैं।

Mr. Chairman: Chief whip of the Parliamentary Party is Present here. He will convey the mssage to Home Minister.

श्री सन्त बक्श सिंह : (फतेहपुर) : सभापति महोदय, हमें विदेश नीति के संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिये। जब संसार के दो महान् शक्ति संपन्न राष्ट्रों में आणविक अस्त्र संबंधी संधि हुई, जो उन्होंने अन्य राष्ट्रों के ऊपर थोप दी है। हमें, जो शक्तिहीन राष्ट्र हैं, यह सोचने को बाध्य हो गये हैं कि हमें ब्रजनेव सिद्धांत को मानना चाहिये या मनसे सिद्धांत को। अमरीकी लेखक श्री जुलजबरजट के शब्दों में 'अमरीकी नीति अपने मित्र देशों के बीच राष्ट्रवाद चाहती है। इन मामलों में अमरीका का राजनय सोवियत संघ के राजनय से बहुत कुछ मिलता है।"

दुनिया की दो बड़ी शक्तियां छोटे देशों को प्रतिवर्ष 50 लाख डालर के हथियार भेज रही हैं। इन शक्तियों के बीच जो शीतयुद्ध चल रहा है, वह अन्य देशों में भयानक युद्ध के रूप में परिणत होना है। 1945 के बाद अब तक दुनिया के विभिन्न भागों में 56 युद्ध हुये हैं। इनमें से 54, अल्पविकसित या अविकसित देशों में हुए। कोरिया वियतनाम, भारत और पाकिस्तान आदि देशों में जो युद्ध हुआ, वह शीतयुद्ध नहीं था, वह खुला युद्ध था, विनाशकारी युद्ध था। बड़ी शक्तियां तकनीकी विज्ञान में अपनी सर्वोच्चता कायम रखना चाहती हैं। वे अविकसित देशों को तकनीकी विज्ञान प्रदान करेंगी और उत्पादन में सहायता देंगी। मगर अगर इन बड़ी शक्तियों से सहायता लेंगे, तो निकट भविष्य में हमें अपनी प्रभुसत्ता से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अतः अल्पविकसित देशों के लिये आवश्यक है कि, जैसे हमारी प्रधानमंत्री ने कहा, वे आपस में सहयोग बढ़ायें, हर एक की प्रादेशिक अखंडता को मान्यता दें।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर हम निर्लिप्त नहीं रह सकते। वियतनाम में, कम्बोडिया में, थाईलैंड में, इन बड़ी शक्तियों के घातक हथियारों से लैस सेना लड़ रही है। यहां रूस और अमरीका का प्रभाव बढ़ गया है। चीन अपने प्रभाव को दूर-दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा

है । जापान अपनी विफल आर्थिक संपत्ति के बल पर यहां प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है । दुनिया की मानी हुई सारी शक्तियां हिन्द महासागर में अपना सान्निध्य बनाना चाहती हैं । ये सारी शक्तियां अपने देश को आणविक अस्त्र का टारगेट बनाना नहीं चाहतीं । हम अपने ऊपर आ टकराने वाली विनाशकारी प्रक्षेपास्त्रों की ओर तटस्थ प्रेक्षक के रूप में नहीं रह सकते । ये शक्तियां अपनी अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत बनाये रखने के लिये हथियारों को बड़े परिमाण में बेच देती हैं । हथियारों की इस खुली बिक्री के परिणामस्वरूप आज भारत और मलेशिया में आपसी बैर है, भारत और पाकिस्तान में बैर है, अरब और इजरायलियों में भीषण बैर है। पाकिस्तान आज भी यह समझ बैठा है कि रूस, चीन या अमरीका से उसे जो भारी परिमाण में हथियार प्राप्त होते हैं, उससे अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्यायें सुलझ जायेंगी । मैं पाकिस्तान को अपना मित्र ही समझ रहा हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पहले प्रतिमान विद्यमान थे, वह बदल गये । पुराने वर्गीकरण अब बदलते जा रहे हैं । चीन को सुरक्षा समिति में सदस्य बनाने के लिये सेनटर एडवर्ड केनेडी ने आवाज उठायी है । अमरीका के नेब्रासा नाम की जगह में 95 प्रतिशत लोगों ने चीन को गेहूं भेजने का समर्थन किया । मगर भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ मूल्यों को और कुछ ठोस प्रतिमानों को अपनाया । भारत हमेशा कहता आया है कि एक देश के भविष्य का निर्णय वहां की जनता करेगी । हम किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, चाहे वह अफ्रीका में हो, चाहे अन्य किसी भी देश में हो । हमने अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया । जरूर हमारे कुछ मित्र देशों में आज भी शोषण और दमन की प्रक्रिया चल रही है । इसके विरुद्ध भारत हमेशा सक्रिय कार्य करता आया है । विदेशों में भारत की इस भूमिका की प्रशंसा भी की गई है ।

पश्चिम एशिया के मामलों में भारत जो भूमिका निभा रहा है, उसके बारे में यह शिकायत बराबर सुनाई पड़ रही है कि हम कोरे आदर्श की दुनिया में विचरण कर रहे हैं । हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो यहां की जनता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है । हम शांति चाहते हैं, और हर देश की अखंडता, स्वतंत्रता को मानते हैं और उसे कायम रखना चाहते हैं ।

हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे राजनयिक अधिकारी देश की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में असमर्थ हैं । मगर मेरे विचार से, हमारे राजनयिक अधिकारी अपना कार्य पूरे सामर्थ्य एवं लगन से करते हैं । कमियां जरूर होंगी । मगर इस सदन में हमारे बर्ताव से देश की प्रतिष्ठा को जितनी ठेस लगी है, उतनी कभी भी इन लोगों के कार्य से नहीं हुई है । हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि विदेश सेवा के लिये अन्य देश जितना खर्च करते हैं, उसकी तुलना में हमारा खर्च बहुत कम है ।

मैं विदेश मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि विदेश नीति कक्ष बनाने के लिये उन्होंने गत वर्ष माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार किया है । विदेश मंत्रालय में एक नीति निर्धारण कक्ष को बनाया जा रहा है । विचारों और आशय में आपसी चर्चा से दृढ़ता

आयेगी। मुझे खेद है कि दिल्ली में इस प्रकार का कोई भी संस्थान नहीं है, जहां इस प्रकार देशी एवं अन्तर्देशीय घटनाओं पर चर्चा की जा सके और आशयों और विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके । हमारी विदेश सेवा में ऐसे बड़ प्रवीण लोग हैं जिनकी सेवा का उनकी निवृत्ति के बाद हम राजनैतिक क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, मगर हम नहीं करते। बुद्धिजीवियों पत्रकारों, सरकारी अफसरों और राजनीतिज्ञों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिये ।

हमारे पड़ोसी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच में बढ़ते हुए महत्व को देखकर हमें उनकी ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये। मैं सरकार से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि वे हमारे पड़ोसी देशों की तरफ ध्यान दें। हमें अपने राजनयिक अधिकारियों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिये। हमें अपने कुशल राजदूतों को हिन्द महासागर के आस-पास के देशों में भेजना चाहिये क्योंकि आगामी वर्षों में इस देश के और सारे संसार के भविष्य का निर्माण यहीं से होगा।

मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, यह सदन जो इस देश की करोड़ों जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में भारत की क्या भूमिका है और विदेश के मामलों में क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में जानने को उत्सुक है। क्या हम बड़ी शक्तियों के चश्मे से दुनिया की घटनाओं को देखते हैं या अपने राष्ट्र के हितों की दृष्टि से बड़ी शक्तियों के साथ हमारी नीति में जो नया दृष्टिकोण अपनाया जाता है, वह खासकर ध्यान देने का विषय है // तीन कार्य अनिवार्य रूपसे उनके सामने हैं। पहला, अपने अपने देश के हित की दृष्टि से उचित एवं अनुचित बातों का खुलकर प्रकट करना है।

दूसरा है, बड़ी शक्तियों का अन्य राष्ट्रों को आर्थिक रूप से आश्रित बनाये जाने के लिये दबाव डालना और तीसरा है बड़े राष्ट्रों की परस्पर इस प्रकार की व्यवस्था, जिनका भारत की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बोकारो कारखाने के प्रश्न पर हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में राजनीति बीच में लाई जाती है।

यह खेद की बात है कि सरकार की भीख मांगने और दूसरों की सहायता पर निर्भर रहने की आदत बन गई है। हम अमेरिका से मित्रता चाहते हैं, किन्तु क्या इसका तात्पर्य यह है कि हमें उनको अपनी हथियार खरीदने सम्बन्धी जानकारी सप्लाई करनी चाहिये। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या भारत ने 1967 के विदेश सहायता विनियोग विधेयक सम्बन्धी सीनेटर-लोंग संशोधन का पालन करने से करने से इन्कार कर दिया है और इसके बाद यह पद्धति चालू रही जिसके अनुसार हमसे अन्य राष्ट्र को सामरिक महत्व के मामलों में अपने दृष्टिकोण की जानकारी देने की अपेक्षा की गई है। इसलिये बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप के प्रश्न का अध्ययन हमें कोरी विचारधारा की एक प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुये करना चाहिये।

मध्य-पूर्व अथवा पश्चिम एशिया की स्थिति एक चिन्ता का विषय है। वहां चार बड़े राष्ट्र कार्यरत हैं, लेकिन वे ऐसी स्थिति पैदा करने में सहायक नहीं हुये हैं, जिसमें हम कह सकें कि वहां की विस्फोटक स्थिति में कोई सुधार हुआ है। इसके बजाय वहां पर पारस्परिक विरोध बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट है कि बड़े राष्ट्र ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके जिसमें भिन्न-भिन्न राष्ट्र अपने आदर्शों का पालन कर सकते और साथ साथ अस्तित्व बनाये रह सकते।

कुछ समस्याओं के बारे में हमारी पार्टी को चिन्ता है और किसी को भी हमारे दृष्टिकोण के बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, उसका सर्व-इस्लामी दृष्टिकोण है। उसका कार्य भारत को अलग करने और हमारे राजनयिक तथा कूटनीतिक प्रयासों में रुकावटें पैदा करना रहा है। इस्लामी सचिवालय की स्थापना पर हमें चिन्ता होनी ही चाहिये, क्योंकि यह सचिवालय इस्लामी हस्तक्षेपवाद के फलस्वरूप आया है। यूगोस्लाविया के लोगों ने इसका विरोध किया है। हमें भी ऐसा ही करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि आधुनिकीकरण और इस्लामी तानाशाही के बीच परस्पर विरोध है। हमारे कुछ मित्र देशों की पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार के नक्शे प्रकाशित किये गये हैं, जिनमें भारत की भूमि के एक भाग को किसी धर्म विशेष से प्रभावित दर्शाया गया है। हमें ऐसी बातों पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिये।

राष्ट्रीयहित राष्ट्र की शक्ति पर निर्भर करता है। आज हम परमाणु युग में रह रहे हैं, और जहां तक इस युग का सम्बन्ध है, हर राष्ट्र असुरक्षा का अनुभव कर रहा है। इस युग में वे ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकते हैं जिन्होने किसी भी भावी संकट का सामना करने के लिये कुछ तैयारियां कर ली हैं। अत: हम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि समझौते की कार्यसूची के लिये उनके ठोस प्रस्ताव क्या हैं और हमारी अपनी सामरिक क्षमताओं के बारे में उनके क्या प्रस्ताव हैं? हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ गतिविधियां हुई हैं और वे भी अब सोच रहे हैं कि प्रक्षेपणास्त्रों से किस प्रकार बचाव हो सकता है। भारत को इसे समझना होगा और अपना रवैया स्पष्ट करना होगा।

तिब्बत हमारे निकट है और चीन वहां से प्रक्षेपणास्त्रों का प्रयोग कर सकता है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि चीन ने तिब्बत में कितने प्रक्षेपणास्त्र लगा रखे हैं। जहां तक तिब्बत के प्रति हमारी नीति का सम्बन्ध है, हमारा दल सरकार से बार-बार कहता रहा है, कि वह इस मामले को कुछ महत्व दें। अत: हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय ने चीन के विरुद्ध रक्षा के रूप में प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली स्थापित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल के फैसले को ध्यानपूर्वक समझा है? इहके साथ ही मास्को के चारों ओर तथा सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों में प्रक्षेपणास्त्र काफी मात्रा में लगाये गये हैं। हम अभी तक क्या करते रहे हैं?

अठारह राष्ट्रों के आणविक निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हम निरस्त्रीकरण और एक ऐसे वातावरण बनाने के बारे में प्रयास करने की मांग करते रहे हैं जिसमें आणविक अस्त्रों की

आवश्यकता ही न पड़े । हमारे सतत् प्रयासों को बार-बार ठुकराया जाता रहा है, बल्कि सोवियत संघ और अमेरिका में यह आवाज जोरों से उठाई जा रही है कि भारत को उसकी आणविक ऊर्जा का प्रयोग न करने के लिये राजी किया जाय ।

अब समय आ गया है जबकि हम परमाणु शक्ति के विकास के बारे में पुर्नविचार करें । परमाणु सम्बन्धी मामलों के लिये एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि इस सदन को समस्या के अनेक पहलुओं पर विचार करने का अधिकार है । समय समय पर यह नहीं बताया जाना चाहिये कि इस समस्या का सम्बन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय या प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा अणुशक्ति विभाग से है । परमाणु अस्त्रों के बनाने या न बनाने के बारे में सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । भारत को यह भी घोषणा करनी चाहिये कि हम आणविक अस्त्रों के फैलाव पर रोक सम्बन्धी सन्धि को सामान्य निरस्त्रीकरण के सिद्धान्त तथा व्यावहारिक रूप के विरुद्ध मानते हैं ।

कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने वक्तव्य में कहा था कि आणविक अस्त्रों के फैलाव पर रोक सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर न करने से जो भी कठिनाइयां भारत के समक्ष आयेंगी, भारत उनका साहसपूर्वक सामना करेगा । लेकिन हमारे पर दृढ़ निश्चय कहां है ? कम्युनिस्ट चीन की विकसित हो रही आणविक क्षमता के खतरे को हमें नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस विषय पर हमारी अपनी जानकारी और अपनी समझ होनी चाहिये । आणविक शक्ति के विकास का बुद्धिमत्तापूर्ण विकास न किये जाने का दोष प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का है । हमें विस्तृत परीक्षण प्रतिबन्ध की मांग करनी चाहिये । गैर-आणविक देशों की सुरक्षा आवश्यकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिये । हमारे ऊपर दबाव भी डाला जाता रहा है और इसका उदाहरण यह है, जब हमने अपने अणु संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिये द्विपक्षीय व्यवस्था करने के लिये कहा था, तो हमसे यह मांग की गई कि इस व्यवस्था को बहुपक्षीय बनाया जाय ।

वार्ताओं के बावजूद भी अस्त्र-शस्त्रों की होड़ पर रोक नहीं लग सकी है । परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के पश्चात् भी किसी न किसी राष्ट्र द्वारा प्रत्येक सप्ताह ही अणु बम विस्फोट किये जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि हमारी अणु नीति उत्तरदायित्वपूर्ण हो जिसके अन्तर्गत हम अपनी सुरक्षा और पारस्परिक सन्तुलन के लिये विभिन्न प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली के प्रयोग पर चर्चा कर सकें । हम यह भी चाहते हैं कि अणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक सम्बन्धी सन्धि में कोई कमी नहीं होनी चाहिये और यह पारस्परिक उत्तरदायित्व पर आधारित होनी चाहिये । सामान्य और विस्तृत निरस्त्रीकरण के लिये प्रभावशाली उपाय किये जाने चाहिये ।

हमने बार-बार यह बात दोहराई है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित किया जाय । परन्तु मंत्री महोदय स्वयं इस दिशा में कुछ करने से पूर्व फ्रांस और कनाडा के पहल करने की राह देख रहे हैं । अब समय आ गया है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने के लिये कदम उठाये जायें जो जेनेवा व्यवस्था के कार्य संचालन के लिये प्रेरक रूप में कार्य करे जिससे कार्य संचालन सिद्धान्त परिभाषित हो सकें और चीन, सोवियत संघ

या किसी अन्य दल को बीच में लाये बिना मतभेदों, विवादों आदि को दूर करने के लिये प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता के लिये एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाय और एशिया में सेना रहित क्षेत्रों पर कोई समझौता करने का प्रयत्न किया जाय। निरीक्षण पक्ष को सुदृढ़ किया जाय। लाओस का प्रश्न हो चाहे कम्बोडिया का हमें वहां युद्ध लिप्सा की वृत्ति को समाप्त करने के लिये मार्ग प्रदर्शन करना चाहिये। कम्बोडिया ने काफी समय पहले शान्ति सेना की मांग की थी और अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को अधिक शक्तियां देने का भी अनुरोध किया था ; परन्तु हमारे मंत्री महोदय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।

इसके बाद प्रशासन और संगठन का प्रश्न है। विदेश-नीति और प्रशासन में कुछ नई धाराओं ने जन्म लिया है। हमारे देश का प्रशासन वैदेशिक नीति को कोई विशेष ज्ञान के स्तर तक नहीं उठने देता और इस प्रकार वैदेशिक नीति का कोई परीक्षण नहीं हो पाता। हमारे विदेश मंत्री के पास विदेश नीति के सम्बन्ध में विधान बनाने सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम नहीं है। आखिर शक्तियों का जन्म तो विधान से ही होता है। परीक्षण नियम का अपना महत्व है परन्तु वह इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। जार्ज मेन्टल ने इसी सम्बन्ध में कहा है कि उन्होंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं जो समय से पहले ही शारीरिक शक्ति खो बैठते हैं और अच्छे आचरण का केवल एक ढांचामात्र रह जाते हैं।

पिल्लई समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं लेकिन अभी तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। जब कभी भी उसके बारे में पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि अभी इस पर विचार किका जा रहा है।

सरकार से जब विदेशों में भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नीति में बारे में पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि अभी उन पर विचार किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि इसके लिये एक प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त करना चाहिये जो फाइलों के लिये आधुनिक व्यवस्था कर सके। एक अन्य सिफारिश में कहा गया है कि इस कार्य के लिये एक संयुक्त सचिव होना चाहिये और साथ ही उसके एक स्वतन्त्र निदेशालय की व्यवस्था होनी चाहिये। इसका उत्तर भी सरकार यही देती है कि इस पर विचार किया जा रहा है। जब कुछ अधिकारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण का प्रश्न उठता है तो उत्तर मिलता है कि इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है इसीलिये यह सिफारिश भी लागू नहीं की जा सकती।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, यदि भारत भी चीनी कूटनीति अपनाना चाहता है तो उसे इसके लिये ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मेरे विचार से पीकिंग के साथ हमारे सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में इन बातों के आधार पर ही विचार किया जा सकता है। सर्वप्रथम चीन को भारतीय क्षेत्र के दावे का त्याग करना चाहिये। दूसरे, भारत की क्षेत्रीय अखण्डता के विरुद्ध प्रचार करने की आदत को छोड़ना चाहिये। तीसरे, चीन को भूटान और सिक्किम के साथ भारत के सम्बन्धों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना करना चाहिये। चौथे उसे तिब्बतवासियों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करनी चाहिये और उपनिवेशीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। पांचवें यह बहुत आवश्यक है कि तिब्बत परमाणु मुक्त देश मान लिया

जाये और इस नियन्त्रण के लिये उचित कार्यवाही की जाय। अन्तिम बात यह कि भारत और चीन दोनों ही देशों को हिमालय क्षेत्र में अपनी सेनाएं कम कर, एक ही स्तर पर ले आनी चाहिये।

श्रीमान जी, जब इस सदन में देश की विदेश नीति पर चिंता व्यक्त की जाती है तो उसमें देश की निशस्त्रीकरण की समस्या विदेशों में भारत का बिम्ब तथा हमारी वित्तीय क्षमता सभी चीजें आ जाती है। परन्तु जब संघर्ष का समय आता है तो हम शुतुरमुर्ग जैसी नीति सहन नहीं कर सकते। इस सदन के अधिकारों की अवहेलना की जाती है परन्तु सदन को उनकी सूचना तक नहीं दी जाती।

भारत को यह स्वाभिमान होना चाहिये कि विश्व के मामलों में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा विदेश मंत्री किसी के सहारे चलने वाला नहीं होना चाहिये वरन् यह गौरव स्वाभिमान से पूर्ण तथा निर्भीक व्यक्ति होना चाहिये जो किहीं भी परिस्थितियों में घबराये नहीं। भारत को इस दशक की चुनौतियों का सामना करना है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : वैदेशिक कार्य मन्त्रालय ने अत्यन्त गतिशील प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे पड़ोसी राज्यों से सम्बन्धित अनेक मामलों पर कुछ न कुछ लिखा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की सामान्य समीक्षा में मन्त्रालय ने कुछ राष्ट्रों से मित्रता पर जोर देने की अपेक्षा की थी और मन्त्रालय ने भी ऐसा ही किया।

अभी हमारी आधारभूत समस्या आन्तरिक विध्वंस और आन्तरिक गड़बड़ की हैं जिन्हें बिगाड़ने के लिए हमारे पड़ोसी देश सदा प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए शायद मन्त्रालय के प्रतिवेदन में चीन आदि के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाने का उल्लेख किया गया है। सरकार इसलिए जो रवैया अपनाये है बिल्कुल ठीक है और इस दिशा में बातचीत करने के लिए माननीय सोंधी जी ने जो सुझाव दिये है वह भी काफी लाभदायक है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में आजकल यह तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार बात चीत चलती रहे। दृढ़ता से स्थिति सुलझाने की नीति अब नहीं अपनाई जाती। जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, प्रत्येक देश को परिवर्तन शील रवैया अपनाना पड़ता है। जब तक हमारा रवैया परिवर्तन शील नहीं होगा और हम सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को नहीं सुलझा लेते तब तक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारा वह प्रभाव नहीं हो सकता जिसकी भारत जैसे महान देश से आशा की जाती है।

हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम हिन्दमहासागर में शक्ति के अभाव के मामले पर बहुत अधिक चिन्ता करें। ब्रिटेन जैसी शक्ति को भी हिन्द महासागर से वापिस जाना पड़ रहा है। क्योंकि हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे रखने में वह आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। हमारे मूल उद्देश्य के विचार से हमें उन जिम्मेदारियों को नहीं लेनी चाहिए जिन्हें लेने की हममें क्षमता नहीं है और हम देश में जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं उसके राजनीतिक विषयों के भी वह अनुकूल नहीं है।

हमारे देश में विभिन्न भागों में तोड़ फोड़ की स्थिति पैदा करके नई दिल्ली के विरुद्ध सामरिक स्थिति में सुधार करने की पीकिंग योजना के बावजूद, हमें गुटों में शामिल होने की बात नहीं सोचनी चाहिए । चीन के सम्बन्ध में हम जो भी कदम उठाये वह सिएटो या सैन्टो या नए संगठनों से निदेशित नहीं होने चाहिए अपितु हमारी अपनी सुरक्षा से ही निदेशित हों । हम सैनिक समझौते के पक्ष में नहीं हैं । इस लिए हमें यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि चीन से बात चीत करने में हमें किस सीमा तक प्रयत्न करना चाहिए ।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि वे इसलामी ढंग का हस्तक्षेप-वाद अपना रहे हैं । परन्तु पाकिस्तान का भारत से जो मनोमालिन्य है, उसे यदि हम इस्लामी उद्देश्य कहें तो ऐसा कहकर हम अपने साथ और इस्लामी संसार के साथ अन्याय करेंगे । इसलाम इस मामले में शामिल नहीं है । इसलामी संसार में हमारे सबसे घनिष्ट मित्र हैं ।

भारत पाकिस्तान के समझौते की सम्भावना के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन यह एक बहुत ही कठिन बात है । पाकिस्तान के साथ समझौता केवल तभी हो सकता है यदि पश्चिमी देश पाकिस्तान को सहायता देना बन्द कर दें । रूसी सरकार सदा यह तर्क देती रही है । वह पाकिस्तान की सहायता चीन के विरुद्ध देना चाहती है । इस तर्क ने कभी भी हमें कायल नहीं किया है । हमें इसमें सन्देह है । कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस द्वारा प्रतियोगी के रूप में पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने के प्रयत्नों से केवल पाकिस्तान को आक्रमण करने की भूख ही बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान का कोई दूसरा शत्रु नहीं है । संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान से दी जाने वाली सहायता का हमें विरोध करते हुए इसका भी सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि छोटे मामलों पर द्विपक्षी समझौता करके स्वयं ही निपटा लिया जाय ।

पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्वी बंगाल के नेता श्री मूजीबर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार पर जो प्रतिबन्ध है, वह समाप्त किया जाना चाहिए । ऐसा करना पूर्वी-पाकिस्तान, पश्चिमी बंगाल और आसाम आदि विभाजन पीड़ित लोगों के हित में ही है ।

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

जहां तक पूर्वी अफ्रीका का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि पूर्वी अफ्रीका की सरकारों और लोगों ने भारत के प्रति क्या रवैरा अपनाया हुआ है, यह रवैया शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं है । पूर्वी अफ्रीका में लोगों का भारत के प्रति निरन्तर मित्रतापूर्ण रवैया रहा है । कुछ ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप बहुत से भारतीय पूर्वी अफ्रीका के देशों में बस गये हैं जहां वह बहुत समृद्ध हो गये हैं । पूवी अफ्रीका ने राष्ट्रवाद की नीति अपना रखी है और वहां लोगों का कहना है कि पूर्वी अफ्रीका के लोगों की जनसंख्या 10 से 95 प्रतिशत है परन्तु व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनका कोई अस्तित्व नहीं है ।

मैं शिष्ट-मन्डल के सदस्यों की ओर से नहीं बोल रहा हूं । हमने देखा कि दरेस्लाम,

नेरौनी, कम्पाला के नगरों में स्वयं अफ्रीकी जनता का व्यापार में कोई स्थान नहीं है । हमारी सरकार ने यह रुख अपनाया है कि अफ्रीकी करण के लक्ष्य को चुनौती देना सम्भव नहीं है । किन्तु जो कठिनाइयां जो उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें उचित रूप से हल करना चाहिए । उन भारतीयों के विषय में इंग्लैंड वापिस जाना चाहते हैं उनकी सम्पति के स्थानान्तरण में सहायता करनी चाहिए, यदि वे भारत वापिस आना चाहें तो उन्हें इस बात की अनुमति देने के लिए कोई आपत्ति नहीं की गई । सरकार ने नहीं कहा कि उन्हें नहीं आने दिया जायगा यदि वे स्थाई रूप से भारत वापिस आना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है । वे अपने पासपोर्ट छोड़ कर भारत आ सकते हैं किन्तु उनमें से अधिकांश इग्लैंड के नागरिक हैं और वे भारत नहीं आना चाहते । वे इस विषय में भारत सरकार से सहायता की आशा करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के अनुकूल भारत सरकार ने जो भी संभव था, किया ।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि जहां तक इन देशों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, हमें उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करनी चाहिए । हमें उनको यह नहीं समझाना है कि वे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाएं । तंजानिया में आयात-निर्यात के व्यापार का 99 प्रतिशत भारतीय अथवा एशियाई लोगों के हाथ में हैं जिसका राष्ट्रीयकरण हो गया है । किन्तु वहां के भारतीय यह सोचते हैं कि वे निश्चित रूप से अब भी सहायक हो सकते हैं । यह वहां के लोगों की भावनाएं हैं किन्तु जो कठिनाइयां हैं सरकार को उन्हें समाप्त करने में यथासम्भव सहायता करनी चाहिए ।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : सभापति महोदय, मैंने अपने से पूर्व तीन कांग्रेस के वक्ताओं को सुना । मैं यह आशा करता था कि वे वैदेशिक कार्य मंत्रालय की समीक्षित वर्ष की उपलब्धियां बतलाएंगे किन्तु मंत्रालय के प्रतिवेदन की भांति उन्होंने भी मंत्रालय को किसी उपलब्धि का उल्लेख नहीं किया क्योंकि कोई उपलब्धि है ही नहीं ।

श्रीमन्, यदि कुछ उपलब्धियां हैं भी तो वे हैं, हनोई में हमारे विदेश सचिव श्री टी० एन० कौल का अपमान, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे प्रत्याशी श्री नगेन्द्र सिंह की पराजय, रबात में हुआ भारत का अपमान, कनाडा में हमारे प्रतिनिधि और मास्को में रेल शिष्टमंडल के साथ हुआ अशिष्ट व्यवहार और न्यूयार्क में तटस्थ राष्ट्रों की सभा से बहिर्गमन । यही इस मंत्रालय की कुछ उपलब्धियां हैं ।

श्रीमन्, मेरा तटस्थता की आधारभूत नीति से कोई विरोध नहीं है किन्तु परिवर्तित सन्दर्भों में इसके परीक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं । जब किसी मंत्री महोदय का कहीं अपमान होता है तो वे विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर एक वक्तव्य दे देते हैं । राज्यपालों को सम्बोधित करते हुए श्री दिनेश सिंह ने कहा कि पुरानी मान्यताएं अब कोई अर्थ नहीं रखतीं । रबात की प्रसिद्ध यात्रा से लौटने पर श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि हमारी विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है । यहां तक कि मंत्रालय के प्रतिवेदन के

अनुसार भी भारत स्थिर और दृढ़ नहीं रह सका। क्या इसका यही अर्थ नहीं निकलता कि विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं निरस्त्रीकरण और आणविक अस्त्रों के संबन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण चाहता है। किन्तु हमने इस दिशा में क्या किया है। हम इस वर्ष गांधी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का सन्देश सात समुद्र पार तक गूंजता था। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में इस आशय का संकल्प पेश करना चाहिए था कि यह वर्ष "निरस्त्रीकरण वर्ष के नाम से अभिहित किया जाए" सरकार इस ओर असफल रही है। आणविक शक्ति का प्रयोग शान्तिमय कार्यों के लिए किया जाए। हमारी यह नीति पिछले 22 वर्षों से चली आ रही है। किन्तु फ्रांस और चीन के विषय में आपके क्या विचार हैं। चीन द्वारा अणु बमों के विस्फोट से एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। बड़ी शक्तियों को चीन के आणविक शक्ति बनने से चिन्ता नहीं है। हो सकता है चीन को आणविक अस्त्रों से कोई सुनिश्चित लाभ न हो कि वह किसी आक्रमण से निरापद हो गया है उसने अपने पड़ौसी देश की प्रतिरक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है। किन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्या हम यहां अपनी विदेश नीति अथवा आणविक नीति पर विचार नहीं कर रहे?

यह तर्क दिया गया है कि यदि भारत आणविक शक्ति बन जाता है तो इससे न केवल देश का नैतिक साहस ऊंचा होगा बल्कि पड़ौसी शत्रु देशों का व्यवहार भी बदल जाएगा। अपने तर्क की पुष्टि में वह फ्रांस का उदाहरण देते हैं, वहां आणविक अस्त्रों के निर्माण ने आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है अतः हमें आर्थिक अव्यवस्था फैलने का भय नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह आणविक नीति पर फिर से विचार करे और इस पर परामर्श देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाय।

अणु अस्त्रों के प्रतिबन्ध सम्बन्धी संधि पर सरकार द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने का मैं समर्थन करता हूं। अब हमने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे हमें कलपक्कम अणु संयंत्र को विकसित करना चाहिये था जोकि इन सभी करारों से पृथक है। 'अणुशस्त्र' प्रतिबन्ध संधि सक्षम आणविक शक्तियों को आणविक अस्त्रों के विकास को रोकने का मात्र एक प्रयत्न है। वे देश भी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं अधिक प्रसन्न नहीं हैं। हमें बड़ी शक्तियों को यह बता देना चाहिए था कि भारत के प्रयत्नों के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें अपने दृष्टिकोण के लिए सभी देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए था। तभी हमारे विचार को गम्भीरता से लिया जाता किन्तु सरकार यह कर न पाई। मैं अफ्रीका के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं विश्व में अफ्रीका की महत्ता की उपेक्षा की जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी मतदान शक्ति जोकि विश्व की एक तिहाई शक्ति है, भुला दिया जाता है। पांचवें और छठे दशक में भारत की गणना एशिया में एक उभरती शक्ति के रूप में होती थी और अफ्रीकी देश में हमें अपनी स्वतंत्रता का मार्गदर्शक मानते थे किन्तु इतना उनका समर्थन करने के बावजूद आज अफ्रीका में हमारे पक्ष की बहुत कम प्रशंसा की जाती है और विपत्ति के समय कोई हमारा मित्र नहीं होता: श्रीमान, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए नवोदित अफ्रीकी देश हमारी ओर आर्थिक प्रगति के लिये सामग्री की सहायता की अपेक्षा करते थे हमने क्या किया है। उन्होंने पैसा मांगा

हमने उनके सम्मुख पंचशील रखा। अफ्रीका में बसे भारतीयों का अफ्रीकी आकांक्षाओं से आत्मसात न कर पाना भी पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव का कारण बन गया है।

एक अन्य कारण अफ्रीका में अपर्याप्त राजनयिक दूतावासों का होना है।

श्री पीलू मोडी ने मंत्रियों और अन्य उच्चाधिकारियों के मंहगे और व्यापक दौरों के विषय में कहा है पर इन दौरों में अफ्रीकी नगरों का कहीं स्थान नहीं है वे सोमालीलैंड और सूडान जाने की अपेक्षा स्वीडन और स्विटजरलैंड जाना अधिक पसन्द करते हैं। हमारे बड़े-बड़े राजनयिक अफ्रीका की अपेक्षा योरोप की वैभवशाली राजधानियों में जाना चाहते हैं।

श्रीमन्, एक अन्य कारण हमारे वैदेशिक प्रचार विभाग की पूर्ण असफलता है। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों का भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है वे अफ्रीकी देशों से हमारे देश का अत्यन्त निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं और हम उनका खण्डन नहीं कर पाते। आकाशवाणी के प्रतिदिन के 25 घन्टों के प्रसारण में सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप के लिए स्वाहिली में केवल 30 मिनट का कार्यक्रम रखा जाता है। यह बिल्कुल नगण्य है और समय को बढ़ाना चाहिए। साथ ही राजनयिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहिये। उन्हें जनता के साथ हिलमिल जाना चाहिये। मैं अतः भोजन अथवा अतः शराब पार्टियों के विरुद्ध नहीं हूं। वैदेशिक प्रचार विभाग को अफ्रीकी महाद्वीप की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अब मैं एशिया की स्थिति पर कुछ कहूंगा। सिंगापुर, मलेशिया और फारस की खाड़ी से इग्लैंड द्वारा नौसेना को हटा लेने के निर्णय ने एक समस्या उत्पन्न कर दी है। कुछ लोगों का विचार है इससे शक्ति रिक्ता उत्पन्न हो गई है और इसे भरा जाना चाहिये पर यह रिक्ता पहले ही बड़ी शक्तियों द्वारा भरी जा चुकी है। भारत सरकार विशेषकर विदेश मंत्री को उपस्थित सुरक्षा को समस्या पर विचार करने के लिये अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। श्रीमन् इस सम्बन्ध में मैं बेंज्रनेव की 'एशिया की सामूहिक सुरक्षा योजना' का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री ग्रोमिको के अनुसार यह योजना किसी एक देश विशेष अथवा किन्हीं विशेष देशों को लक्ष्य में रखकर नहीं बनाई गई। इसका उद्देश्य सामान्य हितों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र की सुरक्षा को बनाये रखना है। सोवियत नेताओं ने श्री दिनेश सिंह को अपने विचार विस्तार से बतलाये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय सदन में इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे। उन्होंने कहा है कि ब्रेजनेव योजना और भारत सरकार के सुरक्षा सम्बन्धी विचार एक समान हैं। उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिये और अपने वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहिये।

इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्रेजनेव योजना के बारे में कई मन्तव्य हैं तथा श्री अशोक मेहता ने तो अभी-अभी ही उसका विरोध किया है।

फ्रेंक मोरेस के अनुसार 'एशिया के लिये ब्रेजनेव योजना' यदि क्रियान्वित कर दी गई तो रूस का इसमें प्रमुख हाथ हो जायेगा। श्रीलंका के साथ भारत के सम्बन्ध निःसन्देह बड़े गहरे हैं तथा हाल ही के राष्ट्रपति के श्रीलंका के दौरे से वे अधिक सबल बन गये हैं।

श्रीलंका में तीन लाख भारत मूलक नागरिक वहां की नागरिकता प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं—परन्तु नागरिकता प्राप्त करना अत्यंत ही कष्टप्रद कार्य है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय श्रीलंका सरकार से उन्हें शीघ्र नागरिकता दिलवायेंगे।

कच्चा तीवू का प्रश्न लम्बे समय से चर्चा के लिये विचाराधीन था। हम यह चाहते हैं कि चर्चा से जो परिणाम निकला हो उसका श्रेवीणार उत्तर मंत्री महोदय दें। मलेशिया में भी यही स्थिति है, वहां भी तीन लाख भारत मूलक नागरिक नागरिकता प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं, परन्तु सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है।

एक सूचना के अनुसार पाकिस्तान चीन की सहायता से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से में एक दूसरी सड़क का निर्माण कर रहा है जो कि मुख्यतय सैनिक उद्देश्यों के लिये बनाई गई है तथा चीनी सड़कों को उस उप-महाद्वीप में तिब्बत और सिंक्यिांग तक मिलाती है। उसी सूचना के अनुसार पाकिस्तान सोवियत संघ से लगातार टैंक, हेलीकोप्टर, गोला-बारूद आदि जैसी सैनिक सामग्री लेता रहा। हमें मालूम हुआ है कि अमेरिका द्वारा तुर्की के मार्ग से पाकिस्तान को 100 टैंक दिये दिये जाने की संभावना है। जबकि वर्तमान नीति जो विचाराधीन हैं जिसके अनुसार अमेरिका भारत तथा पकिस्तान को शस्त्रास्त्र नहीं बेच सकता है। दूसरे पक्ष के पड़ोसी देशों से सम्बन्धों की चिन्ता किये बिना ही हमें हमारे सम्बन्धों को द्विपक्षीय आधार पर बनाने का प्रयास करना चाहिये। पाकिस्तान की सफलता का यही रहस्य है। जर्मनी के विदेश मंत्री के यह कह दिये जाने पर कि हालस्टीन सिद्धान्त समाप्त हो चुका है, फिर भी हम जर्मन प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। जब अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द किये जाने की बात उठी तो वायस आफ अमेरिका ने तमिल में प्रसारण करना बन्द कर दिया। श्री सोंधी ने मुझ विदेश मंत्रालय के संचालन का विस्तृत विश्लेषण दिया।

हमारे मिशनों को मुख्य स्थानों से अपर्याप्त निदेश एवं मार्ग-दर्शन दिया जाता है जिसके कारण विदेश सेवा अस्त-व्यस्त हो गई है। विदेशों में जाने वाले भारतीय अतिथियों पर संतोषजनक सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। गत कुछ वर्षों में मंत्रालय के सचिवों में परिवर्तन हुआ है। श्री संत बख्श सिंह तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री की राय में कोई मतभेद नहीं है तो फिर बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के प्रारूप को रद्द क्यों किया ?

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में हमारी विदेश नीति का सम्पूर्ण पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Sir, it has been ill-fortunate of our Foreign Policy during the last 22 years that we never tried to pay attention on what is going on in the other big countries of the world and where is the difference in the foreign policy of theirs from that of ours but there has been an adequate scorn with our neighbouring countries with which we should have had political relations. In our neighbouring countries like Burma, Nepal, Ceylon and so on Ambassadors of Class I Cadre must be sent to those countries. As we take decision in sending our Ambassadors to Russia and U.S.A. that the Ambassadors of Class I

Cadre must be sent, similarly we should send our Ambassadors of the same cadre to these countries irrespective of their strength and area.

It has been a tendency of our Foreign Ministry for the last few years that the retired Military officials are appointed as Ambassadors. I have my regards towards their services but it does not mean that an efficient person of military will also prove to be efficient in the capacity of a diplomat. As and when any person retires from the post of Chief of the Army or Air Staff, he is appointed as Ambassador. If these people are to be appointed as Ambassadors, then they must be sent to such countries with which we have no serious relation for example the ambassadorship of Shri Raj Bahadur to Nepal. The persons who can win the hearts of the Government as well as of the people, must be appointed as Ambassadors to our neighbouring countries.

Certain Foreign Ministers have been neglecting even the persons of the rank of Deputy Ministers in sending them to our small neighbouring countries. Consequently the countries treating India as leader, started to keep away from our camp. To-day we have to pay a high price for winning their friendship. If our Hon. President has no leisure, our Vice-President, our Prime-Minister and the persons of high status should visit these neighbouring countries and make them convinced that we give as much importance to them as we give to the big ones.

I had an opportunity of visiting the countries of South-East-Asia with a Parliamentary Deputation of the Government of India. I noticed a problem of those countries which is as much alike as that of ours and that is the increasing pressure of China. I noticed the same problem faced by Thailand, Malayasia, Cambodia, Singapur, Indonesia and South Vietnam. I suggest to give moral support to the countries which have the same problems as we have. For Example—there was Viet-congese agression in Cambodia and we remained silent over that aggression till we took that as the civil problem between the Prince and the Prime-Minister—but Viet-congese are continuously marching ahead and China has also been threatening—in this position if the Government of India keep mum then it would altogether be contradictory to the policy of a neutral country like India. The Chinese expansionism in South Asia has so spread that if once China occupies all the small countries then this problem at any time, might be faced by us. This is why this increasing danger must be avoided.

We should deepen our cultural relations with these countries because there are certain countries which believe in the Bodh religion and take India as the motherland of their religion because Mahatma Buddha was born here and they want that some cultural people from India should go there to deepen the relations with them but the spectre of secularism has thrown out the real things from our thinking which can affect our Foreign Policy.

The same position is there in relation to trade. We can very well improve our trade-relations with the countries of South-East Asia. Almost all the countries of South-East-Asia want to import cloth, iron and cement from India but all the goods exported to them, does not reach there in time nor they receive the goods of the same quality nor the goods reach there within the prescribed time limit. Consequently countries like Japan and other countries are going to capture those markets. I submitted a suggestion to the Hon. Foreign Minister just after my arrival from there and now I request that three agencies are functioning there in the trade betweent Japan and other countries. I want that our Foreign Ministry while increasing political relations with these countries should also adopt certain concrete methods which can increase business centres in our neighbouring countries.

Now I want to say something regarding our diplomacy. I would like to appreciate our neighbouring country Pakistan in this regard that she has left behind India in respect of diplo-

macy irrespective of her being small in strength and area. Pakistan is having good relations with China, Russia and America. Why are we not achieving success ? The main reason is inadequate propaganda in foreign countries. I do not demand for a high-standard Enquiry commission regarding our weak foreign propaganda policy but I want that a high standard analysis of the position must be made. A few days ago I noticed that a fortnightly newspaper regarding our relations with Indonesia used to be published from our Embassy in Indonesia but as soon as we stopped the publication of the said paper, the Government of Pakistan started the newspaper on the same pattern and after some time in the libraries of Indonesia Pakistani newspapers were seen everywhere. At the same time Pakistan exploits in the name of religion. Though the Islamic countries like Indonesia, Malayasia etc. are not in close contact with Pakistan in the field of politics but she has been strengthening her political relations in guise of relations there and achieving diplomatic success. In this respect our foreign policy must be considered seriously.

Now I come to the people of Indian origin residing in Fizy, Mauritius and Africa. During the tenure of office of Foreign Minister when Late Pt. Nehru was in the office, certain people from Fizy wrote that the Government of India was paying much attention on the world-politics but they have been ignoring the injustices being done towards the people of Indian origin residing in Fizy, Mauritius and Africa. That is why they wanted such a medium through which they could express their grievances to the Genvernment of India. They also offered to build a building in Delhi provided the Government allots the plot of land for that purpose but still that has not been executed. There must be a private organisation of this nature which can study the problems of the Indian origin by going to the foreign countries and in India also and which can work as a medium between the people of Indian origin in foreign countries and the Government of India and can be able to establish their mutual relations. The problems of people of Indian origin must not be neglected.

The Moscow Radio continues to broadcast against the policies, parties and policitics of our country and they have got so powerful transmeter that the programmes broadcast from Moscow Radio are listened everywhere. When it was brought to their notice they replied that it was a private organisation, how could they interfere in it ? Can a private organisation in the country like Russia function freely and broadcast propaganda against India ? The Government should strongly protest such propaganda.

Though we have got the policy of non-alignment and it should be so because no policy can be as better for India as this. But inspite of our being non-aligned we should not enter either of the blocks. It shows the weakness of our foreign policy. The countries like Israel and Taiwan have been given recognition by the U. N. O. then why the Government of India, being non-aligned, have not given recognition to these countries ?

I have so many times complained to this Ministry regarding the language of the sign-boards hung on the buildings of our Embassies in foreign countries that Hindi is not written on the sign-boards. It is appreciable that our ambassadors are well conversant with the local language but when we have taken Hindi as a national language, we must use it for the sake of our pride.

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, Sir, I submitted a letter to you, that is very important matter....

Mr. Chairman : This information has been received that there is no objection in handing over the dead-body to the relatives but the police has been investigating and as soon as that will be over the body will be given.

Shri Rabi Ray : Bihariji died at 2 O'clock in the night. The police informed Shri Ram Sewak Yadav to-day morning that if he was your friend, his body would be given to him. But they are not giving it deliberately.

We want to take out a procession with his body. Mr. Chairman, Sir, you are a legal expert. Shri Dinesh Singh and one another Minister are sitting here. You ask the Ministers to give the body within half an hour.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There is no account of the wrongs done by this Government. It takes hardly one or one and half an hour. The body should have been handed over by 10 or 11 a. m. but it is 6.00 O'clock. Why do they not give it? The hon. Minister should give reasons of this delay.

सभापति महोदय : वह लाश जांच की रिपोर्ट तैयार होने के बाद दे दी जायेगी क्योंकि देर हो रही है और उनमें रोब व्याप्त हो रहा है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यह वार्षिक माल-पड़ताल का समय है तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय को गत वर्ष की गई भूलें अथवा त्रुटियों की जांच कर लेनी चाहिये कि गत समय में क्या-क्या दोष अथवा कमियां मंत्रालय के कार्य करने में रह गई थीं। वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा भविष्य के लिये इस मंत्रालय के अधिक सुचारुरूप से कार्य करने के लिये सदन में सुझाव दिये जा सकते हैं।

किसी देश की विदेश नीति उस देश की आन्तरिक नीति एवं गृह नीति का प्रतिबिम्ब होती है तथा उन दोनों में गहरा सम्बन्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में हमें बहुत से सम्पन्न एवं स्वतन्त्र देशों से काम पड़ता है जिनकी नीति का मार्ग-दर्शन उनके स्वयं के सिद्धान्तों द्वारा होता है अतः कि विशेष मूलभूत प्रश्न पर दो या तीन देशों का सहमत होना संभव नहीं होता है। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों जिनके भिन्न-भिन्न विचार तथा धारणायें होती हैं—उनमें परस्पर एक मैत्रीपूर्ण सहयोग का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। हमारी विदेश नीति का मूलतः यही सिद्धान्त है। हमारी गुट निरपेक्षता की नीति से हमने विश्व के देशों से मित्रता बढ़ाई है तथा इस नीति ने तनाव को कम करने में उत्प्रेरक का कार्य किया है जिससे कि छोटे एवं मध्यम स्तर के बहुत से देशों में अधिक अच्छी विचारधारा उत्पन्न की है। हमारी गुट निरपेक्षता की नीति की सफलता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि पाकिस्तान जैसा देश भी सिएटो और सेन्टो समझौतों का सदस्य होते हुये भी गुट निरपेक्ष बनने में रुचि दिखा रहा है। यद्यपि पाकिस्तान उन समझौतों की सदस्यता छोड़े बिना ही गुट निरपेक्ष नीति में भी रुचि ले रहा है, ऐसा करके वह दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है परन्तु फिर भी उसने गुट निरपेक्ष नीति में पूरी रुचि दिखाई है।

बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों पर से उपनिवेश अब समाप्त हो गया है तथा सभी देश पारस्परिक सहयोग की भावना का सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं अतः विश्व की सभी समस्याओं का निर्णय भारत की विदेश नीति को आधार मान कर किया जाना चाहिये।

माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है जिनके द्वारा

उन्होंने कई प्रश्न उठायें हैं परन्तु मैं दो-तीन सामयिक रुचि के मामलों का ही उत्तर देने में समर्थ होऊंगा जिन मामलों में आज के भाषणों में माननीय सदस्यों ने भी रुचि दिखाई है।

श्री सोंधी ने आज अपने भाषण के मध्य कहा कि पिल्लै समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। पिल्लै समिति द्वारा की गई सिफारिशों की दो श्रेणियां थीं। एक श्रेणी तो मंत्रालय की सक्षमता में आती थी जिसे बिना किसी कठिनाई के लागू किया जा सकता था। दूसरी प्रकार की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त किये बिना लागू नहीं किया जा सकता था। इन मामलों को सम्बन्धित मंत्रालयों के विचारार्थ विचाराधीन रखा गया है तथा जब कभी भी धन स्वीकृत हो जायेगा तो उन्हें लागू कर दिया जायेगा।

विदेश सेवा या सेना का प्रशासन बहुत ही जटिल है क्योंकि अधिकारियों को विश्व के सुदूर देशों में भिन्न-भिन्न जलवायु में रहना पड़ता है। इन सेवाओं के प्रशासन में कार्य कुशलता सुधारने के उपाय ढूंढ़ना भी कठिन कार्य है साथ ही व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बिना किसी कार्य कुशलता में कमी लाये जितना कम व्यय किया जा सके उतना कम करके पूरा करना भी कठिन है। हमें नये और पुराने राजनयिकों को हमारे देश का स्वरूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये प्रशिक्षण भी देना पड़ता है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमारी विदेश सेवा के सम्बन्ध में प्रमुख शिकायत यह रहती है कि दूतावासों में भारतीयों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सभी जानते हैं कि हमारे जैसा देश अधिक व्यय नहीं कर सकता है तथा मंत्रालय की यह मुख्य समस्या है कि इसे कम कैसे किया जाये। इसके लिये हमें विदेशों में कुशलतापूर्वक कार्य चलाने के लिये अधिकतम मानदण्ड निर्धारित करना पड़ेगा। विदेशों में हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, फिजूल खर्चे को रोककर हर संभव प्रयास किया जा रहा है, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जिनसे स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में विदेशों में हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। 1967-68 में जब हमारे 99 विदेशी मिशन थे तो उन पर 1,052.22 लाख रुपये खर्च हुये। इस प्रकार प्रत्येक मिशन पर औसत व्यय 10.63लाख रुपये पड़ा। 1968-69 में व्यय 1,097.87 लाख रुपये हुआ पर मिशनों की संख्या 99 से 101 हो गई थी। 1969-70 में व्यय थोड़ा और बढ़ा और 1,151.89 लाख रुपये हुआ और मिशन 102 हो गये। अतः इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में कोई अनुचित खर्चा तो नहीं हुआ। गत तो तीन वर्षों में हमने विचारसाध्य बचत भी की है। 1968-69 में 33.70 लाख रुपये हमारी विचारसाध्य बचत हुई। 1969-70 में 35.35 लाख रुपयों की बचत हुई तथा 1970-71 में भी कुछ अतिरिक्त खर्चों के होने के बावजूद भी 27 लाख रुपये की बचत होने जा रही है।

हमारे विदेशी मिशनों को चलाने का व्यय अधिक नहीं तथा दूसरे देशों का जितना खर्चा हो रहा है उनकी तुलना में उचित ही है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : निस्संदेह खर्चा कम ही हुआ है परन्तु हमारे मिशनों पर यदि और भी थोड़ा खर्च लग जाये तो कोई बात नहीं, बशर्ते ये काम तो ठीक ढ़ंग से करें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे मिशनों पर जो व्यय होता है, उसको मैं न्यूजीलैंड के मिशनों से तुलना करके बता रहा हूं कि न्यूजीलैंड के 32 मिशनों पर 968 लाख रुपये व्यय हुआ जबकि उनसे तीन गुना अधिक 101 मिशनों पर 1,097.85 लाख रुपये व्यय हुये—फिर भी यह कहा जाता है कि खर्चा कम किया जाना चाहिये। हम विदेशों में हमारे मिशनों को बनाये रखने के लिये अपने धन का 1.3 प्रतिशत खर्च करते हैं जबकि ब्रिटेन 4.9 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका 4.4 प्रतिशत एवं न्यूजीलैंड 3.4 प्रतिशत खर्च करते हैं। उस दृष्टिकोण से भी हमारी सेवायें मंहगी नहीं हैं। विदेशों में जो प्रतिष्ठा हमारे मिशनों ने कमाई है, उसके आधार पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा कार्य किया है।

अब मैं लन्दन स्थित अपने दूतावास के बारे में कहना चाहूंगा जोकि माननीय सदस्यों के रुचि का विषय रहा है तथा कभी-कभी यह भी आरोप लगाये जाते हैं कि वहां बहुत बड़ी संख्या में अनावश्यक कर्मचारी रखे जाते हैं, जिनका वहां कोई उपयोग नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि लन्दन दूतावास में अधिक संख्या में कर्मचारी रखे हुये हैं, परन्तु यह उपनिवेश के दिनों की देन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व लन्दन पर हमें निर्भर रहना पड़ता था तो स्वतन्त्रता के बाद भी कई उद्देश्यों के लिये हमें वहां प्रतिनिधि रखने पड़ते हैं। हमारे मंत्रालयों के सदस्यों के लिये लन्दन एक प्रकार से चौकी बन गया था। 1958-59 में कुल कर्मचारी 1,300 थे परन्तु अब केवल 758 ही हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन सब कर्मचारी नहीं है। इसके अधीन राजनयिक पक्ष में तो केवल 400 आदमी हैं—बाकी दूसरे मंत्रालय के हैं। वैदेशिक मंत्रालय के भारत की ओर से तो 60 व्यक्ति हैं बाकी 340 वहां के स्थानीय हैं। जिनमें ब्रिटेन स्थित भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों की संख्या अधिक है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : लन्दन में 50,000 भारतीय हैं—उनमें से क्यों नहीं ले लिए जाते, इसका मंत्री जी क्या स्पष्टीकरण देंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह तो बड़ी पुरानी समस्या है तथा यह एक मानविक समस्या है बहुत लम्बे समय से वे लगे हुये हैं—इसलिये उन्हें हटाने में थोड़ा समय लगेगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : क्या यह आश्वासन देंगे कि नई भरती वहां पर स्थित भारतीयों में से ही की जायेगी, अंग्रेजों की नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक मैं जानता हूं जितने भारतीयों को भरती करना संभव है उतने भारतीयों की भरती का प्रयास किया जा रहा है।

निर्माण तथा आवास मंत्रालय के 27 भारतीय अधिकारी तथा 149 स्थानीय हैं, सुरक्षा मंत्रालय के 60 भारतीय तथा 34 स्थानीय हैं, वाणिज्य मंत्रालय के 6 भारतीय तथा 25 स्थानीय व्यक्ति हैं—इस प्रकार 167 तो भारतीय अधिकारी हैं तथा 581 स्थानीय हैं जिसमें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के भी शामिल हैं। कुल संख्या 748 है।

इस संख्या को कम किये जाने की भी संभावना है क्योंकि विदेश सेवा निरीक्षणालय ने निरीक्षण करके कर्मचारियों की संख्या कम करने की सिफारिश की थी जिसमें 258 अधिकारी शीघ्र ही कम किये जा सकने को कहा गया था। ऐसा करने पर 500 ही रह जाते हैं परन्तु संख्या कम करना कठिन है क्योंकि बहुत लम्बे समय से सेवा कर रहे अधिकारियों को कई शर्तें तथा अनुबन्ध भी प्रदान किये गये हैं जिसके कारण उन्हें हटाया नहीं जा सकता दूसरे मिशनों के लिये भी निरीक्षकों ने वाशिंगटन से 54 पद तथा अन्य मिशनों से 59 पद कम करने की सिफारिश की है।

हमारे मिशनों की कार्यकुशलता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि मिशनों के प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों को कार्यक्षमता में सुधार करना चाहिये। विदेश मंत्री के पहल किये जाने पर मंत्रालय ने कई कदम उठाये हैं। कुछ मिशनों को ऐसे उद्देश्य बता दिये गये हैं जो उन्हें अपने कार्यकाल में करना ही पड़ेगा ? प्रत्येक प्रधान को एक समय-सीमा निर्धारित की जाकर लक्ष्य निर्दिष्ट कर दिया गया है तथा पूछा गया है कि वह अपने कार्य-काल में कितना कार्य करने का अनुमान लगाते हैं। उन पर उचित नियन्त्रण कर दिया गया है कि वे निर्दिष्ट समय तथा कार्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। मंत्रालय के प्रधानों एवं अधिकारियों से सम्बन्ध बनाये हुये हैं।

गत समय में तो पत्राचार समय पर नहीं हो पाने से इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि निर्णय करने में विलम्ब हो जाता था परन्तु अब पत्राचार की कार्यकुशलता से काम करते रहने की देखभाल के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनुदेश दे दिये गये हैं। हमारे अधिकारियों से कह दिया गया है कि वे स्वयं निर्णय ले लें। वे अपने अधीन कर्मचारियों की लम्बी टिप्पणियों की प्रतीक्षा नहीं करें।

श्री बलराज मधोक ने अपनी शिकायत में कहा कि मिशनों के प्रधान तथा अन्य अधिकारी वर्ग हमारे देश की संस्कृति, के बारे में नहीं जानते हैं—उनका ज्ञान किसी अच्छी पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है तथा वे भारत के स्वरूप को विदेशों के समक्ष रखने में सक्षम नहीं हैं परन्तु हमारी सेवाओं में कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कम ज्ञान हो अथवा व्यवहार में जितना कुशल उन्हें होना चाहिये उतने नहीं हों परन्तु हमारे सभी अधिकारी बड़े हौसले वाले, अच्छे पढ़े-लिखे हैं तथा उन्हें समकालीन भारत का, भारतीय संस्कृति आदि का पूरा ज्ञान है तथा क्या-क्या समस्याएं हैं उन्हें कैसे सुलझाया जाता है—यह वे सब अच्छी तरह जानते हैं। वे विदेशों में अच्छी प्रकार कार्य कर रहे हैं तथा हमारा प्रभाव अच्छा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यह शिक्षा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो उनके द्वारा

भारत के स्वरूप को प्रस्तुत किये जाने का है। वे पाकिस्तान तथा कश्मीर पर हमारा क्या रवैया होना चाहिये उस बारे में कुछ नहीं जानते वे औपचारिक क्षमा याचना मांगने वाले हैं तथा यहां जो भारतीय जाते हैं उनके साथ सद्भावनापूर्ण कार्य नहीं करते हैं। तथा उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : एक बार एक भारतीय दूतावास द्वारा **'कामसूत्र'** के लेखक का नाम बच्चन बताया गया। यह तो उनके ज्ञान की सीमा है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दूतावासों के अधिकारियों को भारत से जाने वाले अतिथियों अथवा वहां के स्थानीय मिलने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के अनुदेश दे दिये गये हैं तथा यदि किसी के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है कि वे ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : उन्हें हमारे कश्मीर तथा पाकिस्तान के रवैये पर औपचारिक क्षमा-याचना मांगने वाला दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये। ऐसा करने से किस प्रकार वे हमारे मामले को आगे चला सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत सरकार की नीति द्वारा उन्हें अवगत करा दिया गया है तथा उन्हें औपचारिक क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी कोई बात हो तो माननीय सदस्य उस बारे में हमें सूचित करें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान न होने से औपचारिक क्षमा याचना करनी पड़ती है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारे प्राय: अधिकांश राजनयिक स्थानीय भाषा जानते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं एक ऐसे राजदूत को जानता हूं जो स्वयं विदेशी भाषा नहीं जानते हैं परन्तु उनकी पत्नी फ्रेंच जानती हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उनकी पत्नी उनकी सहायता कर सकती है। उन्हें स्थानीय भाषा में साधारण वार्तालाप करने में छः सात महीने लग जाते हैं। उनको स्थानीय भाषा सिखाये जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे स्थानीय लोगों से वार्तालाप कर सकें।

मैं अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में संसद सदस्यों एवं बाहर रहने वाले लोगों को एक लम्बे समय से चिन्ता है। यह एक ऐसी समस्या है जो इतिहास द्वारा छोड़ दी गई है। इन देशों में भारतीय मूल निवासी श्रमिक, किसान एवं मजदूर के रूप में गये और वहां जाकर इन देशों को विकसित करने में बहुत बड़ा त्याग किया। अभी आधी शताब्दी से अधिक समय नहीं हुआ है फिर भी इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें वहां से निकाले जाने का

अंदेशा है । यह बात हमें चिंतित किये हुए है तथा उनकी सहायता के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

मैं अभी केवल पूर्वी अफ्रीका में भारत के मूल निवासियों के बारे में ही कहूंगा तथा बर्मा, मलेशिया में रह रहे मूल निवासियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पर पूर्वी अफ्रीका में जितनी स्थिति गंभीर हो गई है उतनी नहीं है। पूरे सदन को इस कठिनाई की पृष्ठि भूमि के बारे में जानकारी है । सब जानते हैं कि केन्या अथवा बहुत अन्य अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय करण को एक नीति अपनाई है जिसके कारण जो व्यक्ति वहां के स्थानीय नागरिक नहीं है उन्हें वहां रहने तथा अपना कार्य-व्यापार चालू रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

इन लोगों को कम अथवा अधिक संख्या में इन देशों से निकाला जा रहा है तथा बहुत से लोग अंग्रेजी पार-पत्र धारण किये हुए हैं। उनकी स्थिति राष्ट्रमण्डल उत्प्रवास अधिनियम 1968 के अन्तर्गत और अधिक बुरी हो गई है क्योंकि ब्रिटेन में प्रवेश पर इस अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण लगाये हुये हैं । इस समस्या के कानूनी और नैतिक दो पहलू हैं कानूनी पहलू के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमें इन लोगों के साथ कुछ नहीं करना है—अंग्रेजों का उत्तरदायित्व है—हम हमारी नीतियों के अनुसार उन लोगों की कोई सहायता करने के लिये बाध्य नहीं हैं । इसी समस्या का नैतिक पहलू यह है कि वे लोग हमारे ही भाई-बन्धु हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए । हमें क्या करना चाहिए ? यदि हम कानूनी पहलू के अनुसार कार्य करते हैं तो हम हमारे ही लोगों में अप्रिय होंगे तथा वहां की सरकारें यह कहेंगी कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षप किया जा रहा है । ऐसा करने से उन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध खतरे में पड़ जायेंगे । अतः हम उन देशों के साथ हमारे सम्पर्क बनाये रखना चाहते हैं तथा यह चाहते हैं कि हमारे लोगों को कम से कम हानि भी नहीं पहुंचाई जाये ।

हम तो केवल उनसे यह कह सकते हैं कि वे अपनी नीतियों को मानवीय ढंग से क्रियान्वित करें ताकि उन्हें कम से कम कठिनाई हो और वे शान के साथ अफ्रीका छोड़ सकें । इसके अतिरिक्त उन्हें व्यापार-माल को आयात करने की सुविधाएं दी गई हैं। जो व्यक्ति ब्रिटेन के नागरिक हैं और ब्रिटेन में प्रवेश नहीं कर सकते, वे छः महीने के प्रवेश-पत्र प्राप्त कर भारत में रह सकते हैं और अवधि समाप्त होने पर वे निश्चय कर सकते हैं कि वे इसी देश में रहना चाहते हैं या ब्रिटेन वापिस जाना चाहते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : अफ्रीका में रहने वाले भारत मूलक व्यक्ति राष्ट्रिकताहीन हैं । उनका क्या होगा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सत्य है कि उन राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र स्थानीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं और कुछ व्यक्तियों ने अभी प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिये हैं। हम स्थानीय सरकार से बात चीत कर रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हमारी विदेश नीति व्यावहारिक नहीं है। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र-सम्मान को बनाए रख सके। ऐसा लगता है कि सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण की इच्छुक नहीं है। यह सब हमारी विदेश नीति के कारण है। सर्वेक्षण में गुट-निरपेक्षता पर बल दिया गया है। लेकिन गुट-निरपेक्षता कोई अलग चीज नहीं है। इसका सम्बन्ध शांति एवं स्वतंत्रता के साथ है। गुट-निरपेक्षता शक्तिशाली देशों की राजनीतिक होड़ के विरुद्ध एक नैतिक विरोध मात्र नहीं है। क्षेत्र, उपक्षेत्र एवं विश्व में सोद्देश्य सहयोग प्राप्ति के लिये गुट-निरपेक्ष नीति का प्रयोग किया जाना चाहिये। गुट-निरपेक्षता का अर्थ एशिया, अफ्रीका और लातिन-अमरीका जैसे आजादी प्रिय देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंग मंच पर समग्र रूप से प्रभाव को बढ़ाना है।

विश्व की समस्याएं जटिलतर होती जा रही हैं परन्तु भारत सरकार ने कभी भी गुट-निरपेक्षता एवं शांति बनाये रखने की नीति को क्रियान्वित नहीं किया। प्रधान-मन्त्री जब दक्षिणी अमरीका के दौरे पर गईं तो उन्होंने केवल उन्हीं देशों की यात्रा की जो अमरीका का पक्ष लेते हैं। वे क्यूबा नहीं गईं क्योंकि अमरीका नहीं चाहता कि भारत एवं क्यूबा के बीच व्यापार-कार्य चले। इसी प्रकार हमारा व्यापार सम्बन्ध केवल उन देशों से है जो अमरीका की उंगलियों पर नाचते हैं। दोनों वियतनामों के वाणिज्य-दूत हमारे देश में हैं पर हमारा व्यापार केवल दक्षिणी वियतनाम से ही चल रहा है। हमारी सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करती है ?

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष है। हमने दक्षिणी वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया में गई सेनाओं की वापिसी की मांग की थी। आयोग का अध्यक्ष होने के नाते क्या भारत का कर्त्तव्य नहीं है कि वह उन देशों में भेजी गई सेनाओं की वापिस की मांग करें ?

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भिलाई में हुए अत्याचारों पर तथा अमरीका द्वारा रसायनिक एवं कीटाणु-युद्ध की नीति अपनाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं की ? सरकार जब मानवीय अधिकार आयोग में तिब्बत का मामला उठा सकती है तो अमरीका द्वारा वियतनाम में किये गये अत्याचारों के प्रश्न को नहीं उठा सकती ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमरीकी साम्राज्यवादी का विरोध करने से डरती है या उसका विरोध करने की इच्छुक नहीं है ? सरकार इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि लाओस एवं कम्बोडिया में शान्ति का दुश्मन कौन है ? यदि 1954 एवं 1960 के जिनेवा समझौते को व्यवहारिक रूप दिया जाता तो अमरीका को कम्बोडिया में सेना भेजी जाने से रोक सकता था। सरकार स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे सिपाहियों की समस्याओं का हल कर सकती थी। सरकार को चाहिये लाओस, कम्बोडिया एवं वियतनाम की लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन करना चाहिए अन्यथा हमें स्वतंत्रता प्रेमियों में नहीं गिना जायगा। अतः सरकार को दक्षिणी-पूर्वी एशिया में या अन्यत्र स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे सिपाहियों की हिमायत करनी चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि चीन के साथ हमारी स्थायी शत्रुता नहीं है और हम समझौता करना चाहते हैं। परन्तु केवल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें पहल करके चीन से राजनायिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी सरकार की

नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक कष्ट पा रहे हैं। हमें हर समय यह नहीं दुहराते रहना चाहिये कि पाकिस्तान काश्मीर की समस्या या नदी के जल की समस्या पर बात चीत करना चाहता है। अगर हम सच्चे अर्थों में ताशकन्द समझौते का आदर करने वाले हैं तो हमें बातचीत करने के मामले में पहल करनी चाहिये। अगर पाकिस्तान बुद्धिमता से काम नहीं लेता तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी उसका अनुकरण करें। विश्व की विचारधारा यह है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान हर समय आरोप-प्रत्यारोप करते रहते हैं। हमें विश्व की विचारधारा को बदलना होगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। जब भी पाकिस्तान कोई प्रश्न उठाता है तो हम उच्चस्तरीय बैठक न बुलाकर सचिव-स्तर पर बातचीत करने के लिये कहते हैं। क्या हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सम्बन्ध कायम नहीं कर सकते ? फरक्का बांध के प्रश्न पर मैत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत क्यों नहीं की जाती और इसके लिये उच्चस्तरीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती ? यदि गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के कार्य को तकनीकी ढंग से किया जाए तो इससे न केवल भारत-पाकिस्तान को लाभ होगा बल्कि नेपाल, भूटान, सिक्किम और कुछ हद तक चीन को भी इससे लाभ होगा। हमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के मन में यह धारणा उत्पन्न करनी पड़ेगी कि फरक्का बांध बनने से उनको कोई हानि नहीं होगी।

इसी प्रकार हिमालय के साथ लगने वाले देशों के प्रति भी हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये। यदि हम अपने पड़ौसी देशों से अपनी वास्तविक स्थिति बता दें तो हम सच्चे अर्थों में उनके मित्र हो सकते हैं। नेपाल और भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। सिक्किम एक छोटा सा देश है। परन्तु हमने उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार हमें अपनी नीति में सुधार करना चाहिये।

सरकार को मंगोलिया तथा उलेनबतर में मिशन खोलने में विलम्ब नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जर्मन जनवादी गणतंत्र को राजनयिक मान्यता देने में भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। लगभग दो सौ माननीय संसद-सदस्यों ने भी इसको मान्यता देने के लिये प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि उच्चायोग में जितने व्यक्ति आवश्यक हैं, उससे 30 प्रतिशत अधिक हैं। इसके बावजूद भी लन्दन स्थित उच्चायोग के व्यय में कमी नहीं की गई। वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की मांग संख्या 12 में 22 करोड़ रुपये की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि भारत स्थित अमरीकी दूतावासों ने 1968-69 में पी० एल० 480 कोष में से 31.90 करोड़ रुपया व्यय किया है और इस प्रकार उस देश की तुलना में भारत-सरकार ने बहुत कम व्यय किया है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका एक समृद्ध देश है और हमारा देश निर्धन है। हमें सोच समझ कर कम व्यय करना चाहिये। अतः मेरा कहना यह है कि हमारी विदेश-नीति सुदृढ़ नहीं है। उसमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : भारत की विदेश-नीति सह-अस्तित्व एवं गुट-निरपेक्षता की नीति है। अरब, सूडान, अल्जीरिया जैसे गुट-निरपेक्ष पश्चिमी एशियाई देशों ने

भारत की विदेश-नीति की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनाए गए रवैये की सराहना की है।

सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने भारत की पश्चिमी-एशियाई नीति की आलोचना की है। श्री सोंधी ने शायद सरकार की नीति की इसलिये आलोचना है कि वे सरकार द्वारा अरब का समर्थन करने का अर्थ मुसलमानों का समर्थन करना समझ बैठे हैं। इसी प्रकार श्री अशोक मेहता ने भी नीति की आलोचना की है। कल तक तो वे नीति का समर्थन करते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि वे अब उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि इजरायल शक्तिशाली देश है, अतः हमें उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। परन्तु ऐसी नीति स्वतंत्र नीति न होकर सुविधा एवं अवसरवादिता की नीति होगी।

अरब के साथ जो व्यापार कार्य चल रहा है, उसके अनुसार हम अरब को 108.45 करोड़ रुपयों का माल निर्यात करते हैं और 65 करोड़ रुपये का माल आयात करते हैं। इसी प्रकार इजरायल के साथ हम 35 लाख रुपयों का आयात-निर्यात करते हैं। क्या हम अरब के साथ चल रहे व्यापार-कार्य की जगह इजरायल के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाना चाहेंगे ? ऐसा करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। इजरायल स्वयं अमरीका का ऋणी है। वह हमारी मदद नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति इजरायल के तकनीकी विकास की बात करते हैं। परन्तु इजरायल ने जो तकनीकी विकास किया है, वह अमरीका की सहायता से ही किया है। 1967 में अरब के साथ हुए युद्ध में इजरायल ने अमरीकी हथियारों की सहायता से ही विजय प्राप्त की थी। काहिरा में असैनिक नागरिकों पर की गई बम-बारी का विरोध सारे विश्व ने किया था। क्या यह सब देखते हुए भी हम इजरायल की सहायता करना चाहते हैं ? अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि विश्व हमारा साथ नहीं देगा। उधर अरब के साथ व्यापार करने में हमें काफी लाभ है। सूडान में लगभग 3000 भारतीय रहते हैं। और सूडान के लोग भारत से से मित्रता बनाए रखना चाहते हैं। अरब से हमारा अभिप्राय केवल मुसलमानों से न होकर अरब में रहने वाले सभी लोगों से है। लेबनान में लगभग आधी जनसंख्या ईसाई है और मिश्र में 30 लाख गैर-मुसलमान लोग रहते हैं। परन्तु उनमें साम्प्रदायिकता की भावना नहीं है और वे अपने आप को इस्लामी गणतंत्र का नागरिक मानते हैं। इस्लाम का अर्थ वे बराबरी मानते हैं। इसलिए उनमें साम्प्रदायिकता की भावना नहीं है। जहां तक अरब, अल्जीरिया और सूडान का सम्बन्ध है, उनकी विदेश नीति स्पष्ट है। उन्होंने रबात सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए रवैये का समर्थन नहीं किया। भारत ने रबात सम्मेलन में केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए भाग नहीं लिया था। भारत का उद्देश्य इजरायल द्वारा अल-अकासा मस्जिद को नष्ट करने तथा ऐसी अन्य कार्यवाहियां करने की निन्दा करना था।

अल्जीरिया स्थित भारतीय दूतावास तथा कार्यालय के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी मरम्मत के लिए कुछ धन लगाना आवश्यक है। इन्ही शब्दों के साथ मैं मंत्रालय के प्रतिवेदन का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : यद्यपि अरब, अल्जीरिया तथा सूडान इस्लामी देश हैं, फिर भी वे पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के अधिक मित्र हैं।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : महोदय, विदेश मंत्रालय का गत एक वर्ष का कार्य संतोषजनक नहीं है । जनता की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति में वह सहायक नहीं हुआ । मैं केवल दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बारे में ही बोलूंगा । विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस भू भाग में हाल में जो घटनाएं घटी हैं, उस से सरकार बहुत चिन्तित है । कम्बोडिया में आजकल जो भयानक घटनाएं घट रही हैं उससे तमाम भारत की जनता चिन्तित है । वहां अमरीकी साम्राज्यवादियों ने राज्याध्यक्ष नरोत्तम सिहानूक को अपदस्थ कराया और उनकी प्रेरणा से सैनिक शासन लागू हो गया । इसमें अमरीका का स्पष्ट हित अन्तर्निहित है । अमरीका दक्षिण वियतनाम से लेकर लाओस और कम्बोडिया से होकर थायलैंड तक अपने सैनिक अड्डे कायम रखना चाहते हैं । वे दक्षिण-पूर्वी एशिया से अपने सैनिकों को हटाना नहीं चाहते । कम्बोडिया अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में तटस्थता की भूमिका अदा कर रहा था । पर इन साम्राज्य-वादियों ने उनकी नीति पर कुठाराघात किया और देश की स्वतन्त्रता को खतरे में डाल दिया । पिछले दस वर्षों से अमरीका कम्बोडिया की तटस्थता को भंग करने के लिये तरह-तरह की योजनाएं बना रहा था । अन्त में वे इस घृणित कार्य में सफल हुये ।

लाओस में अमरीका ने हस्तक्षेप किया । उनका दावा था कि वहां की रायल सरकार खतरे में है । अब वे लाओस की जनता के विरुद्ध घोर युद्ध कर रहे हैं । न्यूज वीक के संवाददाता ने लिखा था कि गत बारह महीने में अमरीका ने, जैसे वियतनाम में किया, वैसे ही लाओस में युद्ध को अधिकाधिक फैला दिया है लाओस देशभक्त मोर्चे ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि "लाओस की समस्या राजनैतिक है । यह 1962 के जनीवा समझौते के आधार पर ही सुलझायी जा सकती है । अमरीका को यहां अपना आक्रमण बन्द करना चाहिये । लाओस में अपनी पूर्ण प्रभुसत्ता, शांति और तटस्थता कायम रहनी चाहिये ।" लाओस की समस्याओं का सुलझाव वहां की विभिन्न पार्टियों की आपसी वार्ता द्वारा किया जाना चाहिये । अमरीकी साम्राज्यवादियों को उसमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है ? अतः अमरीका को चाहिये कि वह तुरन्त लाओस में की जा रही बमबारी बंद करे और अपनी सेना को वहां से हटा दे ।

इन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की क्या भूमिका है ? जब इन निकटवर्ती देशों में अमरीकी साम्राज्य वादियों का आक्रमण खतरनाक बनता जा रहा है तो भारत चुप्पी साधे बैठा है । लाओस और कम्बोडिया में युद्ध का विस्तार हो रहा है और वह भारत के समीप आ रहा है । फिर भी भारत की ओर से कोई सक्रिय कार्य करते नहीं दिखाई पड़ता । हम केवल तटस्थ एवं मूक दर्शकों की भांति रह जाते हैं । साम्राज्यवादियों का लक्ष्य एशिया की जनता को आपस में लड़ाना है हम इस तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं । हमने साम्राज्यवादियों के समर्थन का जो रवैया अपना लिया उससे हमारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी है । हमारे मित्र देशों में हमारे प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कड़े से कड़े शब्दों में अमरीका के इस नंगे आक्रमण की निन्दा करें । हमें कम्बोडिया की लोन नोल सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिये । हमें कम्बोडिया की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और तटस्थता को कायम रखने के लिये नरोत्तम सिहनूक का हर तरह से समर्थन करना चाहिये ।

चीन के साथ हमारा जो सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के रिपोर्टों में कहा जाता है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध को सुधारने में हम प्रबल इच्छा रखते हैं। सवाल यह है कि इसमें कौन पहल करेगा। अमरीका, जापान आदि देश तक आज चीन से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। विचारधारा में हो रहे कड़े संघर्ष के बावजूद भी रूस चीन के साथ आपसी सम्बन्ध में सुधार लाने हेतु बातचीत कर रहा है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में पहल करे और बिगड़े सम्बन्ध में सुधार लाने का सद्प्रयत्न करे। इस समय वाणिज्यदूत का जो सम्बन्ध कायम है, उसे राजदूत के स्तर तक उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। जब हमारे बीच की भिन्नता की खाई पट जायेगी, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकेगी।

कोरिया के एकीकरण करने के लिये भारत को उन्हें समर्थन देना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिकों की आड़ में अमरीका उत्तर कोरिया के विरुद्ध उनकी पिट्ठू सरकार को भड़का रहा है। भारत सरकार को चाहिये कि वे कोरिया को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिये जाने के लिये भरसक प्रयत्न करें।

हमें जर्मन जनवादी गणतंत्र को पूरी मान्यता देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में पश्चिमी देशों ने जो रुख अपनाया है, हम भी क्यों न उसे अपनायें ? संयुक्त अरब गणराज्य ने जर्मन जनवादी गणतंत्र को मान्यता दी है। हमें अन्य समाजवादी देशों से खासकर क्यूबा से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये।

हम राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमने प्रण ले लिया था कि हम राष्ट्रसंघ का वहिष्कार करेंगे। मगर गत बाईस वर्षों से हम सदस्य रहे हैं। इतने लम्बे समय तक वहां रहने के बावजूद भी हम जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। अतः अविलंब हमें राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ देनी चाहिये।

विभिन्न देशों में आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिये जो दूतमण्डल भेजा गया, उसके सदस्य के नाते मैं अफ्रीका गया था। अफ्रीका के अधिकांश देश अब भी उपनिवेशवादियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये हैं। हालांकि वे राजनैतिक दृष्टि से मुक्त हैं, फिर भी फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि उपनिवेशवादी शक्तियां यहां तरह तरह की राजनैतिक तिकड़मबाजी चला रही हैं। गयाना आदि देशों में इन शक्तियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलरहा है। की गयाना की जनता मन में भारत के प्रति बड़ा सम्मान है, प्रेम है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उनके मुक्ति संघर्ष में उनके साथ हो लें। अफ्रोकी देश हमारी सहायता चाहते हैं। जब हमने गोआ, दमन, द्यू आदि प्रदेशों को उपनिवेशवादियों से मुक्त किया था, तो इन अफ्रीकी देशों को इससे अपने शत्रुओं को परास्त करने की प्रेरणा मिली थी। मगर भारत ने इस दिशा में कोई भी कार्य आज तक नहीं किया। हमें इन देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध को सुदृढ़ करना चाहिये ताकि इनका आर्थिक विकास हो पाये।

संक्षेप में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अमरीका के आक्रमण की निन्दा करें। जनता की प्रबल इच्छा को मान कर सरकार को राष्ट्र संघ से बाहर आना चाहिये। पिछले वर्षों में विदेश मंत्रालय भी अपने कर्त्तव्यों को निभा नहीं पाया है। अतः सरकार को उपरोक्त सभी

मामलों में ठोस एवं धीरजपूर्ण कदम उठाना चाहिये और हमारे सम्बन्ध में मित्र देशों में जो गलत धारणायें फैल चुकी हैं, उन्हें दूर करना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, 8 अप्रैल, 1970/18 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 8, 1970/Chaitra 18, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow.—18-10-70—340